



1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

www.centralbankofindia.co.in




वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL
REPORT
2010-2011

100

बैंकिंग से बढ़कर एक अटूट रिश्ते की
शताब्दी का महोत्सव...

CELEBRATING 100 YEARS OF
BONDING BEYOND BANKING...



सफलता के सोपान

'लोगो' किसी भी संगठन के वैशिष्ट्य को समाहित करता है और बाहरी दुनिया के समक्ष इसे प्रतिबिम्बित करता है. उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था के परिवर्तित प्रतिमानों के परिप्रेक्ष्य में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का समग्र स्वरूप भी वर्ष-दर-वर्ष रूपांतरित होता रहा है, जो समय के साथ सामंजस्य बनाये रखने की इसकी क्षमता का सूचक है.

THE MARK OF SUCCESS

The logo captures the personality of an organization and projects it to the outside world. In keeping with the shifting paradigms and the evolving Indian Economy, Central Bank of India's personality has also morphed through the years to represent the Bank's ability to keep up with the times.

1911



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग का शानदार बाह्य स्वरूप दर्शाने वाला यह 'लोगो' विश्वसनीयता और मजबूती को चित्रित करता है.

Logo in the form of magnificent Central Bank of India building structure depicted dependability and solidity.

1956



बैंक की पहचान दर्शाने वाले आद्याक्षरों को चित्रित करने के लिए 'लोगो' को संशोधित किया गया.

Logo was revised to depict its initials identifiable with the Bank.

1973



'लोगो' को नया बनाया गया, जिससे और अधिक कॉर्पोरेट एवं सम-सामयिक छवि प्रस्तुत की जा सके.

Logo was given a make-over to give it a more corporate and contemporary look.

1982



'लोगो' में पहचान सहित चार वर्ग व्यक्ति, वित्त, उद्योग एवं राष्ट्र के बीच परस्पर प्रभावी अंतर्संबंधों को उजागर करते हुए बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा देश की अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका को प्रतिबिम्बित करता है.

The four Squares in the logo with bars that represent the Man, Finance, Industry and Nation evolving their two way effective interrelationship reflects the services rendered by the bank and its role in the economy.



नया साइनेज - गतिशीलता का प्रतीक

हमारे बैंक के नये साइनेज में उसके वास्तविक स्वरूप के साथ-साथ वर्तमान प्रोफाइल झलकती है. साइनेज में नीला रंग, शांति एवं स्थिरता को दर्शाता है. लाल रंग की निचली पट्टी, उर्जस्वी विचार एवं सकारात्मक कार्यपद्धति का प्रतीक है. कुल मिलाकर, वे बड़ी कुशलतापूर्वक भारत के सर्वाधिक ऐतिहासिक बैंकों की श्रेणी में आने वाले हमारे बैंक की प्रगतिशील कार्यनीति एवं आधुनिक दृष्टिकोण को उजागर करते हैं. अपने विद्यमान 'लोगो' के साथ साइनेज के ये नये रंग इस तथ्य का यथार्थ चित्रण करते हैं कि हम अपने पुराने मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं. और साथ ही, एक सक्रिय तथा समकालीन संस्था की छवि भी प्रस्तुत करते हैं.

The new signage - a signature of Dynamism

The new signage of the bank projects its true character and present day profile. The Blue colour in the signage denotes peace and stability. The bottom strip in red stands for vibrant thought and positive action. Together, they aptly bring forth the forward-looking approach and new-age outlook of one of India's most historic banks. The new colours of the signage together with the existing logo is an apt depiction of carrying forward the old values yet presenting the image of a dynamic and contemporary organization.



नवचेतना
दि रिजूविनेशन
NAVCHETNA
THE REJUVENATION

उच्चतर उत्पादकता और ओजस्विता के लिए मानव पूंजी का उत्कृष्ट निवेशन. साथ ही, लाभप्रदता बढ़ाते हुए अपने बैंक को, व्यवसाय और अखंडित विकास की एक नई ऊंचाई प्रदान करना.

Operation Navchetna - The Rejuvenation Mission 2009-11

"To leverage human capital for higher productivity and vitality, to enhance profitability and take the Bank to new heights of business and sustainable growth."

विषय-सूची / Contents

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश	2
निदेशक मंडल / Board of Directors	4
नोटिस.....	5
निदेशक रिपोर्ट 2010-11	7
प्रबंधतंत्र विचार-विमर्श तथा विश्लेषण.....	11
कॉर्पोरेट गवर्नेंस.....	28
भारत के राष्ट्रपति को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट.....	42
दिनांक 31 मार्च, 2011 का तुलन पत्र.....	44
दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता	45
तुलन पत्र की अनुसूचियां.....	46
लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियां	51
मुख्य लेखांकन नीतियां	52
लेखों से सम्बंधित टिप्पणियां.....	56
दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण	74
दिनांक 31 मार्च, 2011 का समेकित तुलन पत्र	90
प्रॉक्सी फॉर्म.....	111
उपस्थिति पर्ची, प्रवेश पत्र.....	112
Chairman & Managing Director's Message.....	114
Notice	116
Directors' Report 2010-2011	119
Management Discussion and Analysis.....	123
Corporate Governance.....	141
Auditors' Report to the President of India.....	156
Balance Sheet as on 31st March, 2011.....	158
Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2011	159
Schedules to Balance Sheet.....	160
Schedules to Profit & Loss Account	165
Principal Accounting Policies.....	166
Notes Forming Part of the Accounts.....	169
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2011	187
Consolidated Balance Sheet as on March 31, 2011	202
Proxy Form.....	225
Attendance form, Entry Form	226



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश




प्रिय शेयरधारकगण,

मुझे दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है.


वर्ष के दौरान, तेल एवं वस्तुओं की उच्च कीमतों की वजह से उदीयमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार पर दबाव उत्पन्न हुआ. यूरो क्षेत्र में प्रधान तुलनपत्र जोखिमों के कारण स्थिति और भी बदतर हो गई. बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों तथा पूर्व खाद्य और कुछ वेतन मूल्य स्फीति के संचारण के परिणामस्वरूप वैश्विक मुद्रास्फीति फिर उभरकर सामने आई. तथापि, अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में प्रमुख मुद्रास्फीति मंदी रही, जिसके कारण उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) की मुद्रास्फीति विरोधी मौद्रिक नीति की अवस्थिति की तुलना में समायोजित मौद्रिक नीतियां जारी रहीं.

भारत में, पूरे वर्ष चर्चित मुद्रास्फीति ने अपनी मजबूत उपस्थिति का अहसास कराया तथा वह सुविधाप्रद स्तर से उच्चतर बनी रही. दिसम्बर 2010 से खाद्य स्फीति विनिर्माणी क्षेत्र में अंतरित हुई, क्योंकि उत्पादक मजबूत मांग के बीच बढ़ती लागत को अंतरित करने में समर्थ हो सके. मुद्रास्फीति-रोधी उपाय के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने सख्त मौद्रिक नीति अपनाई. खाद्य-अनाज के अच्छे उत्पादन से कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों ने उल्लेखनीय गति प्राप्त की और वर्ष के दौरान 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की. इससे वर्ष 2010-11 के दौरान 8.6 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि में जबरदस्त मदद मिली.

आपके बैंक ने रुपये तीन लाख करोड़ के व्यवसाय के आंकड़े को पार करते हुए अपने शताब्दी वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिससे ₹ 310763 करोड़ के व्यवसाय-स्तर तक पहुंचा जा सका है. व्यवसाय कार्यनीतियों के हमारे नए स्वरूप ने, जो रिटेल बैंकिंग पर विशेष ध्यान केन्द्रित करती है, सीसीपीसी (सेन्ट्रलाइज्ड क्रेडिट प्रोसेसिंग सेन्टर्स) खोलते हुए रिटेल प्रोसेसिंग में तेजी लाकर इसे और अधिक मजबूती प्रदान की है. सीसीपीसी ने न केवल रिटेल ऋणों के सुदृढ़ संवृद्धि में सहायता प्रदान की, अपितु इस सेगमेंट में 13.55 प्रतिशत की सुदृढ़ वृद्धि से एनपीए में भी पर्याप्त ठोस कमी लाई है.



प्रभावी व्यावसायिक कार्यनीतियों के परिणामस्वरूप, बैंक अपनी निधियों की लागत में मार्च 2009 के 6.8 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2011 में 5.82 प्रतिशत तक कमी लाने में सक्षम हो सका। इस अवधि के दौरान, हमारी शुद्ध ब्याज आय में 109 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई तथा शुद्ध ब्याज मार्जिन, जो पहले 2 प्रतिशत से कम थी, में 3.31 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी हुई है। बढ़ी हुई पेंशन तथा अन्य देयताओं की अदायगी के बावजूद, मार्च 2011 में हमारा शुद्ध लाभ ₹1252 करोड़ था।



विभिन्न उच्च प्रोफाइल ब्रैंड निर्माण के सदप्रयासों के परिणामस्वरूप, हमारे ब्रैंड को सुदृढ़ता प्राप्त हुई तथा बैंकर मैगजीन (यूके) में पूरे विश्व में शीर्ष 500 बैंकों में से एक बैंक के रूप में हमारे बैंक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। निवेशकों ने ₹ 2497 करोड़ के हमारे राइट इश्यू को ओवर-सबस्क्राइब करके अपने विश्वास की पुनः पुष्टि की है। इससे हमारी टियर I पूंजी को गति मिलेगी तथा अर्थव्यवस्था की वृद्धिशील जमा आवश्यकता को पूरा करने में हम सक्षम होंगे। राइट इश्यू, जो अप्रैल 2011 में बंद हुआ, की प्राप्तियों को यदि हम गणना में लेते तो मार्च 2011 में हमारा सीआरएआर 13.57 प्रतिशत रहता।

मैं दिनांक 31 मई, 2011 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक बड़े बैंक का नेतृत्व करना मेरे लिए बहुत ही सम्मान एवं सौभाग्य की बात रही, विशेषकर इस बैंक के शताब्दी वर्ष में। मार्च 2009 में, मेरे कार्यकाल के प्रारंभ में, मुझे बैंक के सभी स्टेकधारकों के लिए संपुष्ट गरिमा हासिल करना सर्वोपरि ध्येय था; जिसे मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक हासिल किया जा सका है। यह आपके प्रचुर सहयोग के बिना बिल्कुल संभव नहीं था। इसके लिए मैं आप सभी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

शुभकामनाओं सहित,

आपका,
एस. श्रीधर

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30 मई, 2011



निदेशक मंडल

श्री एस.श्रीधर
श्रीमती वी. आर. अय्यर
श्री आर. के. दुबे
डॉ. शशांक सक्सेना
श्री सलीम गंगाधरन
श्री बृजलाल क्षत्रिय
प्रो. एन. बालकृष्णन
श्री रोमेश सभरवाल
मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश
श्री बी. एस. रामबाबू

BOARD OF DIRECTORS

SHRI S. SRIDHAR
SMT. V. R. IYER
SHRI R.K. DUBEY
DR. SHASHANK SAKSENA
SHRI SALIM GANGADHARAN
SHRI BRIJLAL KSHATRIYA
PROF. N. BALAKRISHNAN
SHRI ROMESH SABHARWAL
MAJOR (RETD.) VED PRAKASH
SHRI B. S. RAMBABU

लेखा परीक्षक AUDITORS

मे. सागर एण्ड असोशिएट्स
मे. जी. एस. ए. एण्ड असोशिएट्स
मे. डी. रंगास्वामी एण्ड कंपनी
मे. के. एस. अय्यर एण्ड कंपनी
मे. घिया एण्ड कंपनी
मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स

M/s Sagar & Associates
M/s G. S. A. & Associates
M/s D. Rangaswamy & Co.
M/s K. S. Aiyar & Co.
M/s Ghiya & Co.
M/s Samsand & Associates

रजिस्ट्रार एण्ड शेयर ट्रांसफर एजेन्ट्स

लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा. लि.
सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउन्ड
लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, भांडुप (पश्चिम),
मुम्बई - 400 078
टेलीफोन नंबर : 022-25963838
फैक्स नंबर : 022-25946969
ई-मेल : rnt.helpdesk@linkintime.co.in

REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENTS

Link Intime India Pvt. Ltd.
C-13, Pannalal Silk Mills Compound
LBS Marg, Bhandup (West)
Mumbai - 400 078
Tel : 022-25963838
Fax : 022-25946969
Email id : rnt.helpdesk@linkintime.co.in

बैंक के साथ पत्राचार करने के लिए पता

कंपनी सेक्रेटरी / एजीएम एवं अनुपालन अधिकारी
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
10 वीं मंजिल, चन्दरमुखी,
नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021
सम्पर्क नं. 022-66387818
फैक्स नं. : 022-22835198
ई-मेल आईडी: 1) compsec@centralbank.co.in
2) investors@centralbank.co.in

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE WITH THE BANK

Company Secretary / AGM and Compliance Officer
Central Bank of India
10th Floor, Chandermukhi,
Nariman Point, Mumbai- 400 021
Contact No. 022-66387818
Fax No. : 022-22835198
Email Id: 1) compsec@centralbank.co.in
2) investors@centralbank.co.in

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय, चंदरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

नोटिस

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की चतुर्थ वार्षिक साधारण बैठक निम्नलिखित कार्य करने हेतु शुक्रवार, दिनांक 29 जुलाई, 2011 को दोपहर 3.00 बजे सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर अस्पताल, रिलायन्स एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400056 में आयोजित की जाएगी।

- दिनांक 31 मार्च, 2011 का लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता, लेखों द्वारा कवर की गयी अवधि के लिए बैंक की कार्यप्रणाली एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और उन्हें स्वीकारना।
- वित्तीय वर्ष, 2010-11 के लिए लाभांश घोषित करना।

निदेशक मंडल के आदेश से

मुंबई
30 मई, 2011

ए. के. दास
सहायक महाप्रबंधक
(कंपनी सचिव)

नोट :

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति:

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान के लिए पात्र शेयरधारक, स्वयं के स्थान पर बैठक में भाग लेने तथा मतदान के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का पात्र है एवं यह प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक हो यह आवश्यक नहीं है।

प्रॉक्सी को नियुक्त करने सम्बंधी लिखत, बैठक हेतु निर्धारित दिनांक से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् दिनांक 24 जुलाई, 2011 को सायं 5.00 बजे तक अथवा इससे पूर्व, बैंक के चंदरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 स्थित प्रधान कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कोई भी व्यक्ति, कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में भाग लेने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने सम्बंधी जिस बैठक में प्रस्ताव पारित किया था, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित संकल्प की सत्य प्रति बैंक के चंदरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 4000 021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक हेतु निर्धारित दिनांक से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् 24 जुलाई, 2011 को सायं 5.00 बजे तक अथवा इससे पूर्व जमा न की जा चुकी हो।

3. बैंक का कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

4. उपस्थित पर्ची सह-प्रवेश पास:

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थित पर्ची-सह-प्रवेश पास इस नोटिस के साथ संलग्न है। शेयरधारकों / प्रॉक्सीधारकों / प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इस पर उपलब्ध स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा इसे बैठक - स्थल पर सुपुर्द कर दें। शेयरधारकों / प्रॉक्सीधारकों / प्रतिनिधियों को उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास पर प्रॉक्सी अथवा प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करना चाहिए एवं अपनी पहचान के प्रमाण के लिए अपने हस्ताक्षर शेयरधारक से सत्यापित कराए जाने चाहिए।

5. शेयरधारकों के रजिस्टर की बंदी:

शेयरधारकों के लाभांश की पात्रता तय करने के लिए शेयरधारकों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण बहियां, दिनांक 23 जुलाई, 2011 (शनिवार) से 29 जुलाई, 2011 (शुक्रवार) (दोनों दिन शामिल हैं) तक बंद रहेंगी। इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में रखे गये शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान दिनांक 22 जुलाई, 2011 को डिपॉजिटरी द्वारा उपलब्ध कराए गए डाउनलोड के अनुसार एवं उन शेयरधारकों को, जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, को लाभांश का भुगतान, बैंक की वार्षिक साधारण बैठक की तारीख को रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार किया जाएगा। लाभांश बैठक की तारीख से एक माह के अंदर प्रेषित किए जाएंगे।

6. लाभांश अथवा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (इसीएस) के लिए बैंक-अधिदेश:

लाभांश के कपटपूर्वक भुगतान से शेयरधारकों को बचाने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे जहां लाभांश का भुगतान चाहते हैं, वहां के अपने बैंक का खाता नंबर, बैंक का नाम एवं शाखा सूचित करें।

इन विवरणों सहित शेयरधारक का नाम लाभांश के चेक वाले हिस्से पर मुद्रित किया जाएगा, ताकि लाभांश किसी अन्य के द्वारा न भुनाए जा सके।

उपर्युक्त विवरण प्रथम/एकमात्र शेयरधारक द्वारा पृष्ठ संख्या अथवा डीपीआईडी नं. अथवा ग्राहक नं. तथा धारित शेयरों की संख्या का उल्लेख करते हुए सीधे रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट/डीपी को दिनांक 22.07.2011 को अथवा इसके पूर्व सूचित किया जाए।

यदि शेयरधारक कोई भी संशोधन नहीं सूचित करते हैं तो डीमेट शेयरधारक के लिए दिनांक 22 जुलाई, 2011 को रजिस्ट्रार से पूर्व में प्राप्त



बैंक अधिदेश अथवा एनएसडीएल/सीडीएसएल से प्राप्त डाउनलोड के आधार पर लाभांश मुद्रित किया जाएगा. यह उन सभी शेयरधारकों पर लागू होगा, जिन्होंने ईसीएस अधिदेश नहीं दिए हैं.

बैंक उन शेयरधारकों को, जिनका कि सेन्ट्रल बैंक की शाखाओं में खाता है एवं विशिष्ट शहरों में रहते हैं, ईसीएस की सीधी जमा सुविधा प्रदान करता है. शेयरधारकों द्वारा लाभांश की जमा प्राप्ति के लिए बैंक अधिदेश प्रणाली के स्थान पर इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं. शेयरधारकों को चाहिए कि वे अपना खाता नंबर और अपने बैंक की शाखा का आईएफएस कोड ईसीएस अधिदेश में दें, ताकि लाभांश उनके विनिर्दिष्ट खाते में अंतरित किया जा सके. चयनित केन्द्रों के लिए, जहां एनईएफटी / एनईसीएस सुविधा उपलब्ध है, उनके माध्यम से भुगतान किया जाएगा.

7. अदावाकृत लाभांश, यदि कोई है :

शेयरधारकों, जिन्होंने पिछले वर्ष 2009-2010 से आगे अपने लाभांश नहीं भुनाये हैं / जिन्हें लाभांश प्राप्त नहीं हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट से डुप्लीकेट लाभांश जारी करने के लिए संपर्क करें.

बैंकिंग कंपनी, (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण), अधिनियम 1970 की धारा 10बी में संशोधन के अनुसरण में यह प्रावधानित है कि अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि तक यदि लाभांश की राशि अदत्त अथवा अदावाकृत रहती है तो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 सी के अंतर्गत राशि केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) को अंतरित की जाएगी और इस भुगतान के संदर्भ में तत्पश्चात उसका दावा न तो बैंक अथवा न ही आईईपीएफ के साथ होगा.

8. पते एवं लाभांश अधिदेश में परिवर्तन :

ऐसे मामले, जहां शेयरधारक ने अपने शेयर भौतिक रूप में रखे हुए हैं, में शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि वे अपने पते, लाभांश अधिदेश तथा बैंक के विवरण, शाखा और बैंक खाता नंबर, में कोई परिवर्तन चाहते हैं, जिसे वे लाभांश वारंट पर समाविष्ट करना चाहते हैं, वे निम्न पते पर बही बंदी के पूर्व सूचित करें :

लिंग इनटाइम इंडिया प्रा. लि.

यूनिट: सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड,

एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम), मुंबई-400 078

फोन: (022) 25963838, फैक्स: (022) 25946969, ई मेल: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

जिन शेयरधारकों ने अपने शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे पते में कोई भी परिवर्तन, लाभांश अधिदेश एवं बैंक का विवरण, शाखा और बैंक खाता नंबर में कोई भी परिवर्तन, जो शेयर धारक लाभांश वारंट आदि में समाविष्ट करना चाहता है, सिर्फ अपने सहभागी डिपॉजिटरी को सूचित करें क्योंकि केवल दिनांक 22 जुलाई, 2011 तक उपलब्ध कराई गई उपर्युक्त सूचना पर लाभांश के भुगतान एवं संवितरण पर विचार किया जाएगा.

9. अपना ई - मेल पता पंजीकृत कराके ई - मेल के माध्यम से दस्तावेज प्राप्त करना.

कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय ने अपने परिपत्र संख्या 17/2011 दिनांक 21 अप्रैल, 2011 एवं 18/2011 दिनांक 29 अप्रैल, 2011 के माध्यम से "कॉर्पोरेट गवर्नंस में हरित पहल" की हैं जिससे कि संस्थानों को वार्षिक साधारण बैठक, लेखा परीक्षित विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट आदि सहित दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में ई - मेल पता, जिसे आपने पूर्व में अपनी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ पंजीकृत किया था पर इलेक्ट्रॉनिक सुपुर्दगी संभव हुआ है. निवेशकों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी खातों में तत्काल अपना ई - मेल पता पंजीकृत/अद्यतन करें ताकि वार्षिक साधारण बैठक की सूचना सहित दस्तावेज भौतिक स्वरूप के स्थान पर ई - मेल के माध्यम से प्राप्त कर सकें. तथापि इस वर्ष 4थी वार्षिक साधारण बैठक के नोटिस की मुद्रित प्रति के साथ वित्तीय वर्ष 2010-11 की वार्षिक रिपोर्ट सभी शेयरधारकों को प्रेषित की जा रही है व उपर्युक्त नोटिस एवं वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी भी ई - मेल के माध्यम से उन सभी शेयरधारकों को प्रेषित की जा रही है जिनके ई-मेल, पते उपलब्ध/डीपी के साथ पंजीकृत हैं.

दिनांक 1 सितम्बर, 2011 से आपके सम्बंधित डीपी खाते में दिए गए ई - मेल पते एनएसडीएल/सीडीएसएल से आवधिक रूप से डाउनलोड किए जाएंगे जिन्हें वार्षिक साधारण बैठक और वार्षिक रिपोर्ट सहित नोटिस/दस्तावेज प्रेषित करने के लिए ई - मेल पता माना जाएगा. ऐसे शेयरधारक जिनके पास भौतिक स्वरूप में शेयर हैं, वार्षिक सर्वसाधारण सभा की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट सहित सूचनाओं/दस्तावेजों की सुपुर्दगी इलेक्ट्रॉनिक रूप में चाहते हैं, से अनुरोध है कि वे हमारे लिंग इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड, एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम), मुंबई - 400 078 नामक रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के पास तत्काल अपना ई - मेल पता पंजीकृत/अद्यतन कराएं.

कृपया नोट करें कि प्रत्येक नोटिस/दस्तावेज बैंक के पास पंजीकृत ई-मेल पते पर प्रेषित किया जाएगा, यदि आप कोई नोटिस/दस्तावेज भौतिक स्वरूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया ई - मेल द्वारा सूचित करें और यह बैंक/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत पते पर निःशुल्क भेजा जाएगा.

10. शेयरधारकों से अनुरोध:

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की संलग्न प्रति अपने साथ लाएं.

निदेशक मंडल के आदेश से

ए. के. दास

सहायक महाप्रबंधक

(कंपनी सचिव)

स्थान : मुंबई

दिनांक : 30 मई, 2011

निदेशक रिपोर्ट 2010-11

सम्माननीय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को, दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष कि लिए बैंक के वार्षिक रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित विवरण, लाभ एवं हानि खाते तथा नकद प्रवाह विवरण को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. कार्य निष्पादन वैशिष्ट्य

- बैंक का कुल व्यवसाय 15.43 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए, ₹ 41538 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹ 310763 करोड़ हो गया।
- कुल जमाराशियां 10.64 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष की वृद्धि दर्ज करते हुए, ₹ 17249 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹ 179356 करोड़ हो गईं।
- बैंक का सकल अग्रिम 22.67 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए, ₹ 24289 करोड़ की वृद्धि के साथ हुए, ₹ 131407 करोड़ हो गया।
- परिचालन लाभ 25.90 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए, ₹ 533 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹ 2591 करोड़ हो गया।
- शुद्ध लाभ 18.35 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए, ₹ 194 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹ 1252 करोड़ हो गया।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बासल II के अनुसार) पिछले वर्ष के 12.23 प्रतिशत से घटकर 11.64 प्रतिशत हो गया।
- नेट वर्थ 20.68 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए, ₹ 1181 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹ 6909.54 करोड़ हो गया।
- बैंक का सकल एनपीए पिछले वर्ष के ₹ 2458 करोड़ में ₹ 64 करोड़ कम होकर ₹ 2394 करोड़ हो गया। प्रतिशत के लिहाज से यह पिछले वर्ष के ₹ 2.29 प्रतिशत से घटकर 1.82 प्रतिशत हुआ।
- शुद्ध एनपीए, जो पिछले वर्ष ₹ 727 करोड़ था, बढ़कर ₹ 847 करोड़ हो गया। शुद्ध एनपीए प्रतिशत, जो पिछले वर्ष 0.69 प्रतिशत था; वह घटकर 0.65 प्रतिशत हो गया।
- शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) वर्ष 2010 के 1.86 प्रतिशत से बढ़कर 3.31 प्रतिशत रही।
- प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय, जो पिछले वर्ष ₹ 712 लाख था, बढ़कर ₹ 835 लाख हो गया।
- प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ जो मार्च, 2010 में ₹ 3.30 लाख था, बढ़कर ₹ 3.96 लाख हो गया।
- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण 18.52 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए, पिछले वर्ष के ₹ 35393 करोड़ से बढ़कर ₹ 41949 करोड़ हो गए।
- बैंक के कृषि ऋण में 8.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं यह बैंक के शुद्ध ऋण का 18.64 प्रतिशत है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानदण्ड 18 प्रतिशत से कहीं अधिक है।
- बैंक ने वर्ष के दौरान 7387 लाभार्थियों को सेन्ट जनता क्रेडिट कार्ड जारी किए।
- वर्ष के दौरान, 11877 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए तथा इनमें से 11159 समूहों की ऋण सम्बद्धता रही।
- एमएसई क्षेत्र के अग्रिम 27.73 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए, वर्ष 2010 के ₹ 9317 करोड़ से बढ़कर ₹ 11901 करोड़ पर पहुंच गया। एमएसई वित्त पोषण पर विशेष ध्यान केंद्रित करने हेतु 60 शाखाओं को अभिचिन्हित किया गया।
- 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले 1776 गावों को वित्तीय समावेशन योजना के तहत लाया गया।
- बैंक का रिटेल ऋण 26.29 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, ₹ 11190 करोड़ (2010) से बढ़कर ₹ 14132 करोड़ हो गया। सकल अग्रिमों में रिटेल ऋण का अंश 10.75 प्रतिशत रहा।
- वर्ष के दौरान, शैक्षिक ऋण 31.18 प्रतिशत वृद्धि के साथ, ₹ 1548 करोड़ हो गया।
- आवास ऋण पोर्टफोलियो (₹ 20 लाख तक) ने 14.41% की वृद्धि दर्शाई तथा यह ₹ 7001 करोड़ हो गया।
- स्टाम्पिंग सुविधा प्रदान करने के लिए दिल्ली, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में ई-स्टाम्पिंग शुरू की गई।
- सेन्ट्रल सिविल पेंशन की इलेक्ट्रॉनिक अपलोडिंग शुरू की गई है।
- बैंक को यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है, जो अखिल भारतीय आधार पर यूनिफाइड आईडी जारी करने के लिए नामांकन कार्य करेगा।
- बैंक का कॉर्पोरेट ऋण वर्ष के दौरान 23.72 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 75616 करोड़ से बढ़कर ₹ 93554 करोड़ हो गया।
- बैंक ने वर्ष के दौरान 82 नई शाखाएं खोली हैं तथा 31 मार्च, 2011 को 3728 शाखाओं का नेटवर्क था।
- सभी शाखाएं सीबीएस प्लेटफॉर्म के तहत लाई गई हैं।
- बैंक का ई-ट्रेजरी पूर्णतया परिचालन में आ गया है।
- बैंक को आणंद, मड़गांव, हैदराबाद तथा भुज में एनआरआई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस प्राप्त हुआ है।
- बैंक ने रिपब्लिक ऑफ मोजाम्बिक के मापुटो में तथा भूटान के थिम्पू में संयुक्त उद्यम बैंक स्थापित करने के लिए समझौता-ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- "सेन्ट्रल बैंक फाइनेंशियल एण्ड कस्टोडियल सर्विसेस लि." के नाम में परिवर्तन किया गया है, अब यह "सेन्ट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लि." हो गया है।



- बैंक ने एनपीए ,खातों में ₹ 736 करोड़ की नकद वसूली की है.
- बैंक ने मार्च/अप्रैल, 2011 में ₹ 2497 करोड़ का राइट इश्यू का प्रस्ताव रखा तथा इसे सफलतापूर्वक पूरा किया. राइट इश्यू अनुपात 3:5 का तथा यह 1.07 गुना अति-अभिदत्त रहा.
- बैंक को बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना, जिसे जीविका परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, के कार्यान्वयन के लिए स्कॉच फाइनेंशियल इन्वेलूजन अवार्ड - 2011 तथा फरवरी, 2011 में इंडस्ट्री रिटेल लीडरशिप अवार्ड का माय एफ एम स्टार्स प्राप्त हुआ.

2. आय एवं व्यय

वर्ष 2010-11 की अवधि के दौरान, आय एवं व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

₹ करोड़ में

		31.03.2011	31.03.2010	कमी/बढ़ोतरी	%
1	ब्याज आय	15221	12064	3157	26.17
	-अग्रिम	11254	8648	2606	30.13
	-निवेश	3767	3307	460	13.91
	-अन्य	200	109	61	83.49
2	अन्य आय	1265	1735	-470	-27.09
	(निवेशों की बिक्री पर लाभ)				
3	कुल आय (1+2)	16486	13799	2687	19.47
4	प्रदत्त ब्याज	9895	9519	376	3.95
	-जमाएं	9063	9121	-58	-0.64
	-अन्य	832	398	434	109.05
5	परिचालन व्यय	4000	2222	1778	80.02
	-स्थापना	2964	1544	1420	91.97
	-अन्य	1036	678	358	52.80
6	कुल व्यय (4+5)	13895	11741	2154	18.35
7	कीमत-लागत अंतर (स्प्रेड) (1-4)	5326	2545	2781	109.27
8	परिचालन लाभ (3-6)	2591	2058	533	25.90
9	प्रावधान - एनपीए/निवेश/अन्य	932	509	423	83.10
10	कराधान के लिए प्रावधान	407	491	-84	-17.11
11	शुद्ध लाभ	1252	1058	194	18.34

- वर्ष के दौरान, ब्याज आय में 26.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई.
- शुद्ध ब्याज आय में 109.27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई.
- जमाओं पर प्रदत्त ब्याज उच्च लागत जमाओं के परिपक्व होने के कारण पिछले वर्ष के ₹9121 करोड़ से घटकर मार्च 2011 में ₹9063 करोड़ रहा.
- स्टाफ सदस्यों एवं अधिकारियों के लिए वेतन पुनरीक्षण तथा पेंशन एवं ग्रेड्युटी का प्रावधान होने की वजह से कर्मचारियों पर खर्च 91.97% से बढ़ गया.

3. प्रावधान

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2010-11 के दौरान लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित ₹1339 करोड़ के कुल प्रावधानों का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011	31.03.2010	कमी-बढ़ोतरी
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	106	30	76
एनपीए के लिए प्रावधान	632	288	344
निवेशों पर मूल्यहास/प्रावधान	154	65	89
करों के लिए प्रावधान	407	491	-84
अन्य	40	126	-86
कुल	1339	1000	339

4. स्प्रेड विश्लेषण

(प्रतिशत में)

	31.03.2011	31.03.2010
जमाओं की लागत	5.71	6.29
निधियों की लागत	5.82	6.34
अग्रिमों पर प्रतिफल	10.29	9.82
निवेशों पर प्रतिफल	7.14	6.74
शुद्ध ब्याज मार्जिन	3.31	1.86
लागत - आय अनुपात	60.68	51.91

- जमाओं की लागत वर्ष 2010 के 6.29% से घटकर वर्ष 2011 में 5.71 प्रतिशत रही.
- अग्रिम और निवेश दोनों पर प्रतिफल में क्रमशः 10.29 और 7.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष यह क्रमशः 9.82% तथा 6.74% था.
- शुद्ध ब्याज मार्जिन, 1.86% (2010) से बढ़कर 3.31 प्रतिशत हो गया.
- स्थापना व्ययों में वृद्धि होने के कारण लागत आय अनुपात, वर्ष 2010 के 51.91 प्रति से बढ़कर 60.68 प्रतिशत हो गया.

5. बैंकिंग अनुपात

(प्रतिशत में)

	2010-11	2009-10
औसत कार्यशील निधि (एडब्ल्यूएफ) की तुलना में ब्याज आय	8.49	7.56
औसत कार्यशील निधि की तुलना में गैर ब्याज आय	0.71	1.09
औसत कार्यशील निधि की तुलना में परिचालन लाभ	1.45	1.29
औसत आस्तियों पर प्रतिफल	0.70	0.66
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹ लाख में)	835	712
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ लाख में)	3.96	3.30

6. जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर)

पूंजी पर्याप्तता अनुपात के घटक निम्नवत हैं :	31.03.2011		31.03.2010	
	बासल - I	बासल - II	बासल - I	बासल - II
जोखिम भारित आस्तियां (₹ करोड़ में)	128587	116619	104344	92181
पूंजीगत निधियां (प्रतिशत में)				
टियर - I	5.81	6.31	6.03	6.83
टियर - II	4.93	5.33	4.78	5.40
पूंजी पर्याप्तता अनुपात	10.74	11.64	10.81	12.23

7. शुद्ध लाभ एवं लाभांश

वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए बैंक ने ₹1252 करोड़ का लाभ अर्जित किया. निदेशक मंडल ने 25 प्रतिशत की दर से लाभांश देने की अनुशंसा पर प्रसन्नता व्यक्त की है.

8. वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

श्री रामनाथ प्रदीप दिनांक 1 सितम्बर, 2010 से कॉर्पोरेशन बैंक के सीएमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं.

श्री अरुण कौल दिनांक 1 सितम्बर, 2010 से यूको बैंक के सीएमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं.

श्रीमती वी.आर.अय्यर दिनांक 1 सितम्बर, 2010 से कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं.

श्री आर.के.दुबे दिनांक 1 सितम्बर, 2010 से कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं.



श्री एम.के. भट्टाचार्य की निदेशक के रूप में सेवाएं दिनांक 30 जुलाई, 2010 से समाप्त हो गई हैं।

श्री सलीम गंगाधरन दिनांक 30 जुलाई, 2010 से आरबीआई के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं।

श्री एम.एस.जोहर दिनांक 1 जनवरी, 2011 को सेवानिवृत्त हो गए हैं।

9. निदेशकों के दायित्व सम्बंधी विवरण

सभी निदेशक यह पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करते समय :

महत्त्वपूर्ण विचलन, यदि कोई है, के सम्बंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है;

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, तैयार की गई लेखांकन नीतियों को सतत रूप से लागू किया गया है;

समुचित एवं विवेकसम्मत निर्णय तथा प्राक्कलन किए गए हैं, ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक के कारोबार का एवं दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के लाभ का सही चित्रण प्रस्तुत किया जा सके;

भारत में बैंकों को अधिशासित करने वाले लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार, पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने में समुचित एवं पर्याप्त सावधानियां बरती गई हैं; एवं

संस्था के परिचालन सातत्य को ध्यान में रखकर लेखे तैयार किए गए हैं।

10. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक का बोर्ड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं को अपनाने के लिए पूर्णरूपेण वचनबद्ध है। बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर उत्तम लिखित पद्धतियों तथा प्रथाओं को अपनाया है।

11. आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल अपने ग्राहकों एवं शेयरधारकों द्वारा दर्शाए गए निर्बाध समर्थन एवं विश्वास के लिए भी उनके प्रति आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल बैंक के समग्र कार्य-निष्पादन हेतु स्टाफ सदस्यों के योगदान एवं समर्पित सेवाओं की प्रशंसा करता है।

निदेशक मंडल की ओर से

एस श्रीधर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुम्बई

दिनांक : 30 मई, 2011

प्रबंधतंत्र विचार-विमर्श तथा विश्लेषण

भाग ए - आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक गतिविधियां

उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में विशेष रूप से सन्तुलित विकास के द्वारा विश्व के उत्पादन के विकास में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ये सुधार मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किए गए हैं (i) समुन्नत अर्थव्यवस्थाओं में विशाल उत्पादन अंतर होना। (ii) उभरते बाजारों में निकटवर्ती अंतर होना। वर्ष 2010 में, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में विकास का आकलन उच्चतर बेरोजगारी के साथ 3% किया गया। इसके विपरीत, उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने अल्प बेरोजगारी के साथ 7% से अधिक की वृद्धि देखी है। समग्र रूप से, वर्ष 2010 में विश्व की वास्तविक जीडीपी विकास का आकलन 5% लगाया गया है। चीन एवं भारत ने वृद्धिशील विश्व उत्पादन में एक तिहाई भाग का योगदान दिया। यूरो क्षेत्रों में व्यापक कर्ज संकट, धीमा स्थावर संपदा बाजार, वस्तुओं की कीमतों एवं कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, ये उन्नत एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं के विकास की राह में प्रमुख अधोमुखी जोखिम हैं। आईएमएफ ने वर्ष 2011 में 4.4% तथा वर्ष 2012 में 4.5% विकास का प्राक्कलन उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से पुनः दोनों वर्षों में विश्व के उत्पादन के विकास में 6.5% के बड़े योगदान के साथ किया है।

घरेलू अर्थव्यवस्था

वर्ष 2010-11 के दौरान, भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.6% के विकास का अनुमान लगाया गया। इस वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान मुख्यतया पूंजीगत माल उत्पादन में कमी होने तथा निवेश व्ययों के कारण, जीडीपी विकास में मध्यम स्थिति बनी रही। कच्चे तेल की उच्च कीमतें, बढ़ती हुए वस्तुओं के दाम तथा अन्य स्फीतिकारक विरोधी मौद्रिक उपायों ने महत्वपूर्ण रूप से वर्ष 2010-11 के दौरान अर्थव्यवस्था की प्रगति की रफ्तार को प्रभावित किया। सामान्य मानसून की संभावना तथा सेवा क्षेत्र से सकारात्मक अग्रणी संकेतकों के बावजूद, सतत उच्च मुद्रास्फीति तथा बढ़ती हुई निविष्टि लागत के कारण वर्ष 2011-12 के दौरान, जीडीपी विकास की गति वर्ष 2010-11 की गति से मध्यम रहने की प्रत्याशा है।

पूरे वर्ष सुर्खियों में रही मुद्रास्फीति प्राथमिक समष्टि आर्थिक चिन्ता बनी रही। मार्च, 2011 के माह में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 8.98% तक गई, जो आरबीआई की 8% की प्रत्याशा से अधिक थी। यह संरचनात्मक तथा अल्पकालिक दोनों संयुक्त घटकों द्वारा संचालित थी। माह अप्रैल-जुलाई 2010 के दौरान, यह खाद्य पदार्थों तथा ईंधन से प्रमुखतया प्रभावित रही। माह अगस्त से नवम्बर 2010 के बीच, यह मुख्य रूप से खाद्य एवं गैर-खाद्य प्राथमिक पदार्थ तथा खनिज तथा दिसम्बर, 2010 से मार्च, 2011 के दौरान, गैर-खाद्य विनिर्मित उत्पादों तथा ईंधन के द्वारा मुख्यतया प्रभावित रही।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी (सीपीआई) वर्ष 2010-11 के दौरान वृद्धिशील रहा। तथापि, खाद्य कीमतों के नियंत्रण में रहने के कारण, सीपीआई अप्रैल, 2010 के 13.3-15.0% के समक्ष मार्च 2011 में घटकर 8.8-9.1% रहा।

वर्ष 2010-11 के दौरान, औद्योगिक उत्पादन ने गिरावट के संकेत दर्शाए। औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक ने वित्तीय वर्ष 2010-11 में केवल 7.8% की वृद्धि दर्शाई, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 10.5% थी। आईआईपी ने मार्च 2010 के 15.5% के समक्ष मार्च 2011 के लिए 7.3% की वृद्धि दर्शाई। यह गिरावट पूंजी एवं अर्ध निर्मित माल की वृद्धि दर में उग्र अवमन्दन तथा उच्च आधार प्रभाव के कारण दर्ज हुई। समग्र आईआईपी वृद्धि की तुलना में पूंजी एवं अर्ध निर्मित माल की वृद्धि का भारित योगदान भी मन्द रहा है। इसके विपरीत, मजबूत निजी उपभोग मांग की पृष्ठभूमि में अप्रैल-मार्च 2010-11 में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की वृद्धि में 20.9% की उच्च प्रगति आंकी गई। वर्ष 2010-11 के दौरान, पूंजीगत वस्तुओं के सूचकांक में 9.3% तथा उपभोक्ता वस्तुओं के सूचकांक में 7.5% की वृद्धि हुई, जो वर्ष 2009-10 में इसी अवधि के दौरान क्रमशः 20.9% एवं 6.2% था।

मौद्रिक गतिविधियां

वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए, मौद्रिक नीति का मुख्य ध्येय ऋण-वृद्धि एवं अर्थव्यवस्था की समग्र प्रगति पर बिना किसी बाधा के स्फीतिकारक दबाव को मोड़ना था। भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश में वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को मजबूत करने के प्रयास करते हुए नपे-तुले उपायों के रूप में वित्तीय बाजारों में अपनी पैठ बनाए रखने के लिए प्रयास करना जारी रखा। अप्रैल 2010 से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेपो एवं रिवर्स रेपो दरों को क्रमशः 7.25% एवं 6.25% तक पहुंचाने के लिए 9 बार उनमें वृद्धि की। बैंकिंग प्रणाली में उधार दरों में पारदर्शिता बढ़ाने तथा मौद्रिक नीति संचरण में प्रगति लाने की दृष्टि से दिनांक 1 जुलाई, 2010 से बेस रेट पद्धति की शुरुआत की गई। मई 2010 से समग्र तरलता स्थिति गंभीर गिरावट की ओर थी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रणाली में तरलता लाने के लिए विभिन्न उपाय किए। मुद्रा आपूर्ति (एम3) की प्रगति वर्ष के दौरान मध्यम रही, इसमें मंद जमा-वृद्धि एवं तीव्र मुद्रा वृद्धि प्रतिबिम्बित रही, जिसने धन वृद्धि की गति को कम किया। मुद्रा आपूर्ति वर्ष 2009-10 के 16.8% के समक्ष वर्ष 2010-11 में 15.9% से बढ़ी।

बैंकिंग

वर्ष 2010-11 के दौरान, भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने जमा राशि में वर्ष 2009-10 के 17.2% के समक्ष 15.8% की वृद्धि दर्ज की। कुल जमा राशि ₹ 711877 करोड़ से बढ़कर दिनांक 25 मार्च 2011 को ₹ 5204703 करोड़ हो गई। विशेषतौर पर वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान, बैंकों द्वारा सावधि जमा दर में स्थिर तेजी लाने के कारण सावधि जमा राशियों के पक्ष में वृद्धि की गति मनमानी रही।



वर्ष के दौरान, बैंक ऋण ने वर्ष 2009-10 के दौरान के 16.9% के समक्ष 21.4% की मजबूत वृद्धि दर्ज की. दिनांक 25 मार्च, 2011 को बैंक ऋण ₹ 693871 करोड़ से बढ़कर ₹ 3938659 करोड़ हो गया. गैर-खाद्य ऋण ₹ 678077 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹ 3874376 करोड़ रहा तथा वर्ष 2010-11 के दौरान खाद्य ऋण ₹ 15793 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹ 64283 करोड़ रहा. ऋण में वृद्धि प्राथमिक रूप से टेलीकॉम के क्षेत्र में रही तथा वर्ष के दूसरे भाग में बुनियादी क्षेत्र में मजबूत मांग रही.


भाग बी - बैंक का कार्य निष्पादन

व्यवसाय

दिनांक 31 मार्च, 2011 को बैंक का कुल व्यवसाय 15.43% की वृद्धि के साथ पिछले वर्ष के ₹ 269225 करोड़ की तुलना में इस वर्ष ₹ 310763 करोड़ रहा. परिचालन लाभ पिछले वर्ष के ₹ 2058 करोड़ के समक्ष इस वर्ष ₹ 2591 करोड़ रहा, इसमें 25.90% की वृद्धि दर्ज हुई. बैंक ने ₹1252 करोड़ का अब तक का सबसे उच्चतम शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो पिछले वर्ष के ₹ 1058 करोड़ के शुद्ध लाभ में 18.35% की वृद्धि दर्शाता है.

संसाधन संग्रहण

दिनांक 31 मार्च, 2011 को कुल जमाराशि पिछले वर्ष से 10.64% की वृद्धि दर के साथ ₹179356 करोड़ हो गई. सभी घटक अर्थात अन्य से मांग जमाराशियां, बचत बैंक जमाराशियां तथा अन्य से सावधि जमाराशियों में अच्छी वृद्धि हुई.



ऋण

दिनांक 31 मार्च, 2011 को बैंक का सकल ऋण ₹ 131407 करोड़ रहा, जबकि यह पिछले वर्ष ₹ 107118 था. इसमें 22.67% की वृद्धि दर्ज हुई.

रिटेल ऋण (26.29%) एवं कॉर्पोरेट ऋण (23.72%) में उच्चतर वृद्धि के साथ सभी सेगमेंट में ऋण की संवृद्धि का विविधीकरण किया गया है.

बकाया	दिनांक 31/03/2011 को	दिनांक 31/03/2010 को	संवृद्धि (%)
रिटेल ऋण	14132	11190	26.29
प्राथमिकता क्षेत्र ऋण	41949	35393	18.52
कॉर्पोरेट ऋण	93554	75616	23.72

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

प्राथमिकता क्षेत्र के तहत विनियोजित ऋण 18.52% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्शाते हुए वर्ष 2010-11 में ₹ 35393 करोड़ से बढ़कर ₹ 41949 करोड़ हो गया. ₹ 495.24 करोड़ की ऋण माफी और राहत दावे के समायोजन के बावजूद, इसमें से प्रत्यक्ष कृषि ऋण ने वर्ष 2009-10 की तुलना में 7.46% की वृद्धि दर्ज की. बैंक द्वारा दिनांक 31.03.2011 को प्राथमिकता क्षेत्र के विभिन्न खण्डों में निष्पादन निम्नानुसार रहा :

क्र.सं.	विवरण	मार्च 2010	मार्च 2011	संवृद्धिकाप्रतिशत
	समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी)	85935	106146	-
1	प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम एएनबीसी में अंश	35393 41.19	41949 39.52	18.52
2	कुल कृषि अग्रिम एएनबीसी में अंश	18309 21.31	19790 18.64	8.08
3	प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम एएनबीसी में अंश	11607 13.51	12473 11.75	7.46
4	अप्रत्यक्ष कृषि अग्रिम एएनबीसी में अंश	6702 7.80	7317 6.89	9.17
5	सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	9317	11901	27.73
6	शैक्षिक ऋण	1180	1548	31.18
7	आवास ऋण (₹20.00 लाख तक)	6119	7001	14.41
8	सूक्ष्म ऋण	468	269	-42.52

कृषि

कुल कृषि ऋण दिनांक 31.03.2010 के ₹18309 करोड़ स्तर से बढ़कर दिनांक 31.03.2011 को 8.08% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹19790 करोड़ हो गए।

सूक्ष्म ऋण

बैंक ने लाभार्थियों को ₹269 करोड़ के ऋण प्रदान किए हैं, इनमें प्रति उधारकर्ता ऋण राशि ₹50000 से अधिक नहीं है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई)

वर्तमान वर्ष की समाप्ति पर एमएसई को प्रदत्त अग्रिम बढ़कर ₹11901 करोड़ हो गया, जबकि दिनांक 31.03.2010 को यह ₹9317 करोड़ था। एमएसई ऋण पर विशेष ध्यान देने के लिए साठ शाखाओं को अभिचिन्हित किया गया। इन शाखाओं के शाखा प्रबंधकों को मुंबई स्थित हमारे शीर्ष संस्थान में गहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ये शाखाएं अब एमएसई के तहत वृद्धि को गति देने के लिए समूह आधारित दृष्टिकोण को अंगीकार कर रही हैं। साथ ही, बैंक सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र के अंतर्गत इकाई की स्थापना के लिए ₹100 लाख तक के संपार्थिक प्रतिभूति रहित ऋण प्रदान कर रहा है, जो सीजीटीएमएसई योजना के तहत कवरेज का पात्र है।

स्वयं सहायता समूह

वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा इस योजना के तहत 11877 समूह तैयार किए गए थे। इनमें से 11159 समूहों को ऋण सम्बद्धता प्रदान की गई। इस योजना के प्रारंभ से बैंक ने 138934 स्वयं सहायता समूह तैयार किए। इनमें से 88348 समूहों को ऋण सम्बद्धता प्रदान की गई, वर्ष के अंत में इनकी ₹697.14 करोड़ की ऋण राशि बकाया थी। ऋण सम्बद्धता समूहों में 71709 समूह महिलाओं के थे, जिनकी कुल स्वीकृत ऋण सीमा ₹553.38 करोड़ थी।

अग्रणी बैंक के अंतर्गत कार्य-निष्पादन :

बैंक देश के 48 जिलों में अग्रणी बैंक के उत्तरदायित्व की भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2010-11 के लिए ₹4607 करोड़ के कुल लक्ष्य के समक्ष बैंक का अग्रणी जिले का कार्यनिष्पादन ₹3540 करोड़ रहा है।

शिक्षा ऋण

- बैंक के शिक्षा ऋण पोर्टफोलियों में 31.18% की वृद्धि दर्ज हुई जिसके अंतर्गत मार्च 2010 को ₹ 1180 करोड़ की राशि बढ़कर मार्च 2011 को ₹ 1548 करोड़ हो गई।
- हमारे बैंक ने शिक्षा ऋण देने के लिए देश भर में 15 शैक्षणिक संस्थानों के साथ टाय अप किया है।

आवास ऋण (₹ 20.00 लाख तक)

प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आवासीय क्षेत्र अर्थात् ₹ 20.00 लाख के वर्ग में बैंक का बेहतर प्रदर्शन जारी रहा। इस क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष दर वर्ष 14.41% की वृद्धि दर्ज करते हुए यह मार्च 2010 को ₹ 6119 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2011 को ₹ 7001 करोड़ हो गया।

कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2008

ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2008 के अंतर्गत बैंक ने प्रतिपूर्ति हेतु अलग से दावा किया है जिसकी स्थिति निम्नानुसार है : (₹ करोड़ में)

ऋण माफी योजना		ऋण राहत योजना		राशि	
खाते	राशि	खाते	राशि	खाते	राशि
446580	978.53	67072	147.77	513652	1126.30



भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार ने बैंक को ₹ 1126.30 करोड़ की संपूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति की है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी)

बैंक मध्य प्रदेश राज्य में एसएलबीसी का संयोजक है। सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों सहित विभिन्न मानदंडों के अंतर्गत विभिन्न विकास एजेन्सियों की प्रगति की निगरानी एवं समीक्षा के लिए वर्ष के दौरान एसएलबीसी की चार बैठकें आयोजित की गईं।

सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम (2010-11)

वर्ष के दौरान, बैंक ने सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत निम्नानुसार ऋण स्वीकृत किए।

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	योजना	वर्ष 2010-11 के दौरान संवितरण	
		खाते	राशि
1.	एसजीएसवाय	14301	140.57
2.	एसजेएसआरवाय	4091	34.83
3.	एसआरएमएस	687	4.60
4.	पीएमईजीपी	3295	104.15

कमजोर वर्ग को अग्रिम

वर्ष के दौरान, बैंक ने कमजोर वर्ग की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत ₹ 10707.67 करोड़ के ऋण दिए हैं, जो समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 10.09% है और सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्य से ऊपर है।

अल्पसंख्यक समुदाय को अग्रिम

भारत सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के 15% का लक्ष्य अल्पसंख्यक समुदाय हेतु रखा है। बैंक ने विभिन्न अल्पसंख्यक वर्गों के 502303 हितग्राहियों को ₹ 6135.53 करोड़ की ऋण सुविधाएं दी हैं जो दिनांक 31.03.2011 को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का 14.58% है।

महिला लाभार्थियों को अग्रिम

पिछले वर्ष की तुलना में महिला लाभार्थियों के ऋण संवितरण का स्तर बेहतर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 31 मार्च 2011 को महिलाओं को दिए गए ऋण ₹ 5691.67 करोड़ के हैं। यह समायोजित शुद्ध बैंक ऋण के 5% के भारिबैं के विनिर्दिष्ट मानदंड के समक्ष समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 5.36% है।

विभेदक ब्याज दर (डीआरआई)

विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2011 को ₹ 40.08 करोड़ के अग्रिम थे।

सेन्ट्रल किसान क्रेडिट कार्ड (सीकेसीसी)

बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2011 तक 1186294 लाभार्थियों को ₹ 6901.24 करोड़ के क्रेडिट कार्ड जारी किए।

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

1. जनश्री बीमा योजना

यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से परिचालित की जाती है जिसके द्वारा उन गरीब ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं को जीवन बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे या जरा सा ऊपर हैं और जो हमारे बैंक की ऋण सम्बद्ध महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक 5862 महिलाओं को समाविष्ट कर चुका है।

2. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

योजना के अंतर्गत, अपरिहार्य जोखिमों जैसे प्राकृतिक आपदा इत्यादि कारणों से होनेवाली हानि के लिए किसानों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। उपर्युक्त योजना देश में अधिसूचित राज्यों/क्षेत्रों में अनाज एवं तिलहन के लिए उपलब्ध है।

3. सेन्ट जनता क्रेडिट कार्ड (सीजेसीसी)

ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहनेवाले लाभार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने ₹ 43.98 करोड़ की संस्वीकृत सीमा सहित सेन्ट जनता क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। सेन्ट जनता क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत 18080 मामलों में ₹ 86.18 करोड़ बकाया है।

4. ग्रामीण गोदाम तथा माल गोदाम/शीतगृह

ग्रामीण गोदामों तथा माल गोदामों/शीतगृहों के निर्माण के लिए बैंक ने अग्रिम दिए हैं, जिससे फसलों के व्यस्ततम मौसम में किसानों को अपने उत्पाद कम कीमत पर बेचने के लिए बाध्य न होना पड़े। दिनांक 31 मार्च, 2011 तक बैंक ने 408 खातों में ₹ 582.12 करोड़ के अग्रिम माल गोदामों के निर्माण हेतु दिए हैं।

5. 'सेन्ट सहयोग' वित्तीय साक्षरता तथा ऋण परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी):

बैंक ने निम्नलिखित एफएलसीसी प्रायोगिक आधार पर खोले हैं :

क्रम सं.	केन्द्र	अंचल	राज्य
1.	रतलाम	भोपाल	मध्य प्रदेश
2.	वडकुन	मुंबई महानगर	महाराष्ट्र
3.	छिन्दवाड़ा	भोपाल	मध्य प्रदेश
4.	धुले	पुणे	महाराष्ट्र
5.	अहमदनगर	पुणे	महाराष्ट्र

एफएलसीसी ग्रामीणों को विभिन्न बैंकिंग उत्पादों के संबंध में निःशुल्क वित्तीय साक्षरता प्रदान करते हैं तथा अपने ग्राहक वर्ग के अतिरिक्त अन्य विपदाग्रस्त किसानों/ऋणकर्ताओं को परामर्श देते हैं.

6. ग्रामीण स्व-रोजगार तथा प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

बैंक ने 45 (44 अग्रणी जिलों में तथा 1 एसएलबीसी के अंतर्गत आबंटित गैर-अग्रणी जिले में) ग्रामीण स्व रोजगार तथा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं. बैंक आसाम राज्य के तिनसुखिया जिले में एक और ग्रामीण स्व-रोजगार तथा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो हमारे बैंक को आबंटित गैर अग्रणी जिला है.

7. इंदिरा आवास योजना

बैंक ने आवास इकाईयों के निर्माण हेतु 509 लाभार्थियों को ₹ 101.15 लाख का ऋण दिया है.

वित्तीय समावेशन

मार्च 2012 तक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम (एफआयपी) के अंतर्गत समाविष्ट करने हेतु बैंक को 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले 3741 गांव आबंटित हुए हैं, जिसमें से बैंक ने 1761 व्यावसायिक प्रतिनिधियों (बीसी) की सहायता से मार्च, 2011 तक 1776 गांवों को समाविष्ट कर लिया है. कुल 5696 गांवों को वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है, 2842052 ग्राहक बनाए गए, 2480 व्यावसायिक प्रतिनिधि नियुक्त किए गए और 1318904 कार्ड जारी किए गए. बैंक ने 134 जिलों में सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी पर आधारित वित्तीय समावेशन परियोजनाएं (आईसीटी) शुरु की हैं.

ब्रिक एंड मोर्टर मॉडल के तहत, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) कार्यक्रम के अंतर्गत 20596 गांव आबंटित हुए हैं, जिनमें से बैंक ने 15999 गांवों को 100% वित्तीय समावेशन के अंतर्गत ले लिया है.

रिटेल ऋण

रिटेल ऋण योजनाओं के अंतर्गत दिनांक 31.03.2010 को ₹ 11190 करोड़ की राशि थी, जो बढ़कर दिनांक 31.03.2011 को ₹ 14132 करोड़ हो गई, जिससे मार्च, 2010 की तुलना में ऋण राशि में ₹ 2942 करोड़ की तथा ऋणों में 26% की प्रतिशत वृद्धि हुई.

प्रत्यक्ष आवास वित्त योजना (डीएचएफएस), सेन्ट ट्रेड, सेन्ट विद्यार्थी, सेन्ट मार्गेज, तथा सेन्ट व्हीकल ऐसी पांच शीर्ष योजनाएं हैं. जिनका दिनांक 31.03.2011 को कुल ऋण में 84.27% योगदान है.

वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित दो नयी रिटेल ऋण योजनाएं आरंभ की हैं :

ए) **सेन्ट कॉम्प एजाम** : व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (इंजिनियरिंग, एम.बी.बी.एस, एम.बी.ए तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम इत्यादि) में योग्यता के आधार पर प्रवेश पाने हेतु स्पर्धात्मक प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए स्वयं को तैयार करने हेतु प्रतिष्ठित संस्थानों में अनुशिक्षण (कोचिंग) प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के अनुशिक्षण (कोचिंग) शुल्क हेतु वित्तीय सहायता या केन्द्र सरकार की सेवाओं (अर्थात् आई.ए.एस., आईपीएस इत्यादि) में नौकरी के लिए केन्द्रीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की लोकसेवा परीक्षाओं में बैठने के लिए विद्यार्थियों/नौकरीशुदा व्यक्तियों के अनुशिक्षण (कोचिंग) शुल्क अदा करने के लिए यह योजना है. उपलब्ध अधिकतम ऋण राशि ₹ 4 लाख है.

बी) **शैक्षणिक संस्थानों के लिए सेन्ट मार्गेज** : संस्था/ट्रस्ट के रूप में निगमित उन निजी शैक्षणिक संस्थानों, जो 5 वर्षों से अस्तित्व में हैं तथा विभिन्न शैक्षणिक मंडलों/सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों/यूजीसी/एआइसीटीई/आइएमसी इत्यादि जैसे किसी सांविधिक निकाय से सम्बद्ध है, को किसी भी प्रकार के परिचालनात्मक व्ययों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता की योजना. उपलब्ध अधिकतम ऋण राशि ₹ 5 करोड़ है.

बैंक ने ऋणकर्ताओं की सुविधा के लिए निम्नलिखित रिटेल ऋण योजनाओं में संशोधन किया है.

ए) सेन्ट मार्गेज

बी) सेन्ट ट्रेड



- सी) सेन्ट व्हीकल
डी) सेन्ट पर्सनल गोल्ड ऋण
ई) पेंशनरों, कॉर्पोरेट कर्मचारियों, गैर कॉर्पोरेट कर्मचारियों एवं शिक्षकों को वैयक्तिक ऋण

बैंक ने निम्नलिखित कंपनियों/संस्थानों के साथ टाइ-अप व्यवस्था की है :

- विचाराधीन प्रतिभूतियों सहित प्राप्तियों के नियंत्रण हेतु खरीद के लिए मे. फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग्स.
- प्राप्तियों के समूह आधार के नियंत्रण हेतु खरीद के लिए मे. रिलायंस कैपिटल
- समान साझेदारी आधार पर आवास ऋणों के समूहन के लिए डीएचएफएल
- विद्यार्थियों को शैक्षणिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए 150 से अधिक शैक्षणिक संस्थान
- ईएससी रेन्स स्कूल ऑफ बिजनेस फ्रान्स का एक प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल. ऐसा पहली बार हुआ है कि बैंक ने एक विदेशी शैक्षणिक संस्थान के साथ विशिष्ट टाइ-अप व्यवस्था की है.
- भारतीय विद्यार्थियों को शैक्षणिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए यूरोप का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक (डब्ल्यूएमजी)
- सदस्यों को चयनित रिटेल ऋण उपलब्ध कराने के लिए मे.इंडियन डेन्टल असोसिएशन
- चयनित रिटेल उधार योजनाओं के विज्ञापन तथा 'जनरेशन ऑफ लीड' के लिए अपना पैसा डॉट कॉम

निम्नलिखित कॉर्पोरेट/सरकारी विभागों के कर्मचारियों के लिए बैंक ने आवास ऋण योजना अनुमोदित की है :

- ए) एमटीएनएल
बी) जीटीएल समूह
सी) जयप्रकाश असोसिएट्स लि.
डी) नासिल (NACIL)
ई) सीमा सुरक्षा बल
एफ) डाक विभाग
जी) वायसीएमओयू, नाशिक

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग

भारत भर में फैंली 85 प्राधिकृत डीलर शाखाओं के माध्यम से बैंक का विदेशी विनिमय व्यापार किया जा रहा है. परिचालनात्मक निपुणता के लिए बेहतर निधि प्रबंधन तथा परिचालनात्मक सुविधा प्राप्त हेतु बैंक का मुंबई में केन्द्रीकृत डीलिंग रूम है. वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक का निर्यात ऋण पोर्ट फोलियो दिनांक 31.03.2010 को ₹ 2755 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.03.2011 को ₹3865 करोड़ हो गया जिससे 40% की वृद्धि हुई. बैंक ने विभिन्न योजनाएं भी आरंभ की हैं, जिसमें यूएसए से यूएसडी 5000 तक के प्रेषण के लिए 'सेन्ट फास्ट 2 इंडिया' वेब आधारित ऑन लाइन निधि अंतरण योजना भी शामिल है. इस योजना को मार्केट में अच्छा प्रतिसाद मिला है.

विशिष्ट तौर पर एनआरआई ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने आणंद, मड़गाव, हैदराबाद तथा भुज में विशेषीकृत एनआरआई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस प्राप्त किए हैं. बैंक ने ओवरसीज परिचालनों में विस्तार करने के लिए भी महत्त्वपूर्ण प्रयास किए हैं और रिपब्लिक ऑफ मोझाम्बिक के मापुटो में तथा भूटान के थिंपू में संयुक्त उद्यम बैंकों की स्थापना के लिए दो सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं. इसी प्रकार, बैंक ने नैरोबी में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के लिए विनियामक अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है.

ट्रेजरी, निधि एवं निवेश

बैंक का निवेश पोर्ट फोलियो मार्च, 2010 के ₹ 52008 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31 मार्च, 2011 को ₹ 58287 करोड़ हो गया, जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 12.07% की वृद्धि दर्ज हुई. दिनांक 31 मार्च, 2011 को दस वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल 7.98% रहा.

भारिबैं द्वारा नीतिगत दरों में वृद्धि के कारण ऋण बाजार में प्रतिफल कम रहा. लगातार बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए भा.रि.बैं ने रेपो तथा रिवर्स रेपो में क्रमशः 175 तथा 125 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की. ब्याज दरों की वृद्धि वक्र के निकटवर्ती छोर पर अधिक स्पष्ट है. अच्छी मांग के कारण दिनांक 03.05.2010 को नए 10 वर्षीय बेंचमार्क की नीलामी का प्रतिफल दक्षिणवर्ती रहा. दिनांक 25.05.2010 को 10 वर्षीय बेंचमार्क 7.36% तक नीचे गया और फिर ऊपर उठते हुए उसने जनवरी 2011 में 8.26% के उच्चांक को छुआ.

3 जी स्पेक्ट्रम की नीलामी से आउटफ्लो के कारण तरलता पर दबाव पड़ा और वर्ष की अधिकांश अवधि में यह घाटे में रहा और अक्टूबर 2010 के बाद घाटा अधिक स्पष्ट हुआ. दिसंबर में रेपो ने 171000 करोड़ के उच्चांक को छुआ. प्रणाली में तरलता के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए भारिबैं ने ओएमओ खरीद का प्रस्ताव रखा. बाजार की अस्थिरता के बावजूद नीतिगत योजनाओं से ₹ 311.93 करोड़ का लाभ दर्ज हुआ. पोर्टफोलियो 12% तक बढ़ा और निवेश पर प्रतिफल 6.74% से बढ़कर 7.22% हो गया.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने ₹ 1954.75 करोड़ की प्रतिभूतियां एफएस श्रेणी से एचटीएम क्षेणी में अंतरित की हैं। बैंक के ई-ट्रेजरी को पूर्णतः परिचालन में लाया गया जिससे ट्रेजरी परिचालन की क्षमता में वृद्धि हुई। दिनांक 31.03.2011 को बैंक के निवेश पोर्ट फोलियो के घटक निम्नानुसार रहे :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	घटक	31.03.2010	31.03.2011
1.	एसएलआर	46243.25	48054.94
2.	गैर-एसएलआर	5765.04	10232.14
3.	कुल	52008.29	58287.08

वर्ष के दौरान बैंक ने ओटीएस के अंतर्गत बड़े खाते डाले गए खातों से ₹ 9.53 करोड़ की राशि वसूल की।

डेरिवेटिव्स:

बैंक ने ब्याज दर तथा करन्सी डेरिवेटिव्स, दोनों में सक्रिय ट्रेडिंग की है। ब्याज दर डेरिवेटिव्स में बैंक ने ओवरनाइट इन्डेक्स स्वैप तथा ब्याज दर फ्यूचर में ट्रेडिंग की है। बैंक ने करन्सी डेरिवेटिव में करन्सी फ्यूचर तथा फॉरवर्ड में भी सक्रिय ट्रेडिंग की है। बैंक ने हेजिंग के लिए भी डेरिवेटिव का प्रयोग किया है।

जोखिम प्रबंधन

एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली / संगठनात्मक संरचना

बैंक में अब एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली सुस्थापित है। निदेशक मंडल की एक समिति बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियों/ऋण पद्धतियों, बाजार एवं परिचालन जोखिमों का नियमित अवलोकन करती है। यह समिति उत्पादों के मूल्य निर्धारण तथा बाजार गतिविधियों से सम्बद्ध जोखिम मॉडलों का निर्धारण करने के लिए नीतियों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा तथा नए जोखिमों का अभिनिर्धारण एवं नियंत्रण करती है। समिति नियमित रूप से कॉर्पोरेट स्तर पर संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न जोखिम मानदंडों के अनुपालन की निगरानी भी करती है।

जोखिम प्रबंधन संरचना

परिचालन स्तर पर, बाजार जोखिम हेतु आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को), ऋण जोखिम हेतु ऋण नीति समिति (सीपीसी) तथा परिचालन जोखिम के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ऑर्को) जैसी समितियों का गठन किया गया है, जिसमें शीर्ष प्रबंधन टीम के सदस्य शामिल किए गए हैं। इन समितियों द्वारा विभिन्न बैंकिंग परिचालनों के अंतर्गत जोखिम स्तर का निर्धारण तथा मॉनिटरिंग करने हेतु नियमित बैठकें की जाती हैं तथा जहां आवश्यक है, वहां जोखिम कम करने हेतु उचित उपाय किए जाते हैं।

बैंक ने सभी आंचलिक कार्यालयों में वरिष्ठ प्रबंधक/प्रबंधक स्तर के अधिकारियों का चयन किया है जो 'जोखिम प्रबंधक' के रूप में कार्य करते हैं। आंचलिक स्तर पर ये जोखिम प्रबंधक, केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग की 'विस्तारित भुजाओं' के रूप में कार्य करेंगे। बैंक ने केन्द्रीय कार्यालय के विभिन्न कार्यात्मक विभागों के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की पहचान की है, जो जोखिम प्रबंधन के संबंधित आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण के मामले में तथा बैंक के जोखिम प्रबंधन में सहयोग देने के लिए 'नोडल अधिकारियों' के रूप में कार्य करते हैं।

बाजार जोखिम प्रबंधन

मिड-ऑफिस बाजार, बाजार स्थिति, निधियन स्वरूप की समीक्षा करता है तथा एक्सपोजर, अवधि, प्रतिपक्ष ऋण सीमाओं तथा अन्य संवेदनशील पैरामीटरों के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करता है तथा नियमित अंतराल पर उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। अल्पावधि के लिए बैंक के एनआईआई तथा दीर्घावधि के लिए इक्विटी मूल्य में जोखिम के निर्धारण तथा प्रबंधन के लिए सतत आधार पर वीएआर तथा अवधि विश्लेषण जैसे टूल्स का प्रयोग किया जाता है। बाजार जोखिम पर बासल II के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए टीसीएस द्वारा निरंतर आधार पर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर पूंजी निर्माण का अनुमान लगाने हेतु एक मॉडल विकसित किया गया है एवं अभी इसका परीक्षण किया जा रहा है। बैंक ने विद्यमान निवेश तथा बाजार जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा की है। वर्ष के दौरान देश जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा की गई। विदेशी मुद्रा कारोबार हेतु प्रतिपक्ष ऋण सीमाओं का निर्धारण/समीक्षा बाजार में उनकी नवीनतम हैसियत एवं रेटिंग के आधार पर की जाती है।

ऋण जोखिम प्रबंधन

बैंक ने एक सुस्पष्ट ऋण जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है, जिसकी अंतिम समीक्षा दिनांक 18.03.2010 को निदेशक मंडल द्वारा की गई। बैंक ने आरएआरओसी, एलजीडी से फैसिलिटी रेटिंग मॉड्यूल तथा क्रिसिल लि. से ईएडी निर्धारण टूल्स की अधिप्राप्ति का अनुमोदन किया है। ये टूल्स वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही में संस्थापित तथा परिचालित किए जाएंगे। ऐसी एकल ऋण इकाईयां जिनकी रेटिंग निरंतर आधार पर व्यवहार्य नहीं है उनके लिए बैंक पोर्टफोलियो रेटिंग मॉडल्स विकसित कर रहा है। ऋण जोखिम प्रबंधन की गतिविधियां कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली ऋण नीति समिति को सूचित की जाती है तथा उनके द्वारा मॉनीटर की जाती है।



परिचालन जोखिम प्रबंधन

बैंक की एकीकृत जोखिम प्रबंधन संरचना में सुदृढ़ परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति द्वारा मार्गदर्शित परिचालन जोखिम का प्रबंधन शामिल है। बैंक के जोखिम सिद्धांतों में निरंतर प्रशिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से कार्य क्षेत्र स्तर पर तथा परिचालन जोखिम का पता लगाने, निर्धारण, प्रमात्रा, निगरानी एवं नियंत्रण करने हेतु ज्ञान प्रदान करने पर बल दिया गया है। भा.रि.बैं के दिशानिर्देशानुसार 'उन्नत दृष्टिकोण' की ओर बढ़ने के लिए कदम उठाए गए हैं। परिचालन जोखिम के निरीक्षण का कार्य नियमित रूप से निदेशक मंडल सहित उच्च प्रबंधतंत्र द्वारा किया जा रहा है।

बासल II के दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2010 में पूंजी पर्याप्तता ढांचे के कार्यान्वयन पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2009 से बासल II मानदंडों को अपनाया है तथा ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालनात्मक जोखिम हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण और बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत अवधि पद्धति के आधार पर पूंजी का प्रावधान किया है।

बैंक ने बासल II मानदंडों को पूरा करने के लिए संपूर्ण बैंक में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एसएसएस जोखिम प्रबंधन सोल्यूशन के क्रियान्वयन हेतु एक सोल्यूशन प्रोवाइडर की नियुक्ति की है। उन्नत दृष्टिकोण तक उत्तरोत्तर बढ़ने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए समय सीमा निर्धारित की है। बैंकों को परामर्श दिया गया था कि वे उन्नत दृष्टिकोण अपनाने के लिए अपनी तैयारी का आंतरिक मूल्यांकन करें। परिचालन जोखिम के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) अपनाने के लिए सभी वाणिज्यिक बैंकों में से हमारे बैंक ने सर्वप्रथम भा.रि.बैं. को आवेदन प्रस्तुत किया है। बैंक ने सभी जोखिमों के संबंध में बैंक की तैयारी का मूल्यांकन/निर्धारण करने तथा विद्यमान जोखिम प्रबंधन प्रणाली, पद्धतियों, प्रक्रियाओं, एमआईएस, विश्लेषणों को बेहतर/सशक्त बनाने तथा बैंक में एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु एक परामर्शदाता नियुक्त किया है। सभी आवश्यक नीतियां, जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति, बाजार अनुशासन तथा प्रकटीकरण नीति, आईसीएपी इत्यादि सुव्यवस्थित और बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित हैं।

वसूली

अनर्जक आस्तियों के प्रबंधन के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों के साथ बैंक की सुपरिभाषित वसूली नीति है। इसमें एनपीए प्रबंधन के सभी क्षेत्र, निगरानी तथा अनुवर्ती उपाय, स्टाफ जवाबदेही, इरादतन चूककर्ता तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली शामिल है। इस नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। जिससे इसमें नवीनतम परिवर्तन/सुधार तथा एनपीए समाधान की प्रवृत्तियां समाविष्ट की जा सकें।

एआरसी/एससी/बैंकों/एनबीएफसी को एनपीए की बिक्री, ई-नीलामी के माध्यम से प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, इत्यादि के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश वर्ष 2010-11 के दौरान वसूली नीति में शामिल किए गए हैं। नकद वसूली तथा एनपीए प्रबंधन में बैंक का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है।

- सकल एनपीए का स्तर ₹2458 करोड़ से घटकर ₹2395 करोड़ हो गया।
- नकद वसूली ₹407 करोड़ से बढ़कर ₹736 करोड़ को गई (इसमें ₹177.74 करोड़ की खुली बिक्री वसूली शामिल है।)
- सकल एनपीए तथा शुद्ध एनपीए के अनुपात में क्रमशः 2.29% से 1.82% तथा 0.69% से 0.65% का सुधार हुआ।

सरकार द्वारा प्रायोजित तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत ₹1.00 लाख की सीमा तक के अग्रिमों के लिए विशेष एक बारगी निपटान योजना दिनांक 31.03.2011 तक विस्तारित की गई। ₹41.55 करोड़ की राशि वसूल की गई। वर्ष के दौरान शाखाओं के समूह बनाकर क्षेत्रीय कार्यालयों/आंचलिक कार्यालयों के विभिन्न स्थानों पर डीआरटी लोक अदालत तथा जिला स्तरीय लोक अदालत तथा अन्य वसूली शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ता के माध्यम से समझौते पर प्रमुख रूप से जोर दिया गया। लोक अदालतों में अनेक मामले निपटाए गए। सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत वसूली के प्रयासों में तेजी लाई गयी। प्राधिकृत अधिकारियों के वसूली प्रयासों में सहायता करने के लिए बड़ी संख्या में प्रवर्तन एजेन्सियों को सूचीबद्ध किया गया है।

वर्ष 2010-11 के दौरान स्थापित आस्ति वसूली कक्षाओं की कार्यप्रणाली समीक्षा अवधि के दौरान मजबूत हुई। इन कक्षाओं के द्वारा ₹228.39 करोड़ की नकद वसूली की गई।

छोटे ऋणों में एनपीए की अधिकता वाली शाखाओं/क्षेत्रों का अभिनिर्धारण किया गया और इन शाखाओं/क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। इन शाखाओं/क्षेत्रों में एनपीए के त्वरित समाधान हेतु शाखा/क्षेत्र-वार कार्य योजना बनाई गई।

वर्ष के दौरान शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर 12740 साप्ताहिक/मासिक वसूली कैम्प आयोजित किए गए। इनमें ₹132.64 करोड़ की राशि के 35222 मामले निपटाए गए।

समीक्षा वर्ष के दौरान इन सभी प्रयासों से वसूली निपटान के अच्छे परिणाम सामने आए। वर्ष 2011-12 के दौरान सघन वसूली प्रयासों तथा आस्ति गुणवत्ता में सुधार लाते हुए एनपीए स्तर को कम करने के लिए बैंक प्रतिबद्ध है।

अभिनव पहल:

बैंकाश्युरेंस

जीवन बीमा उत्पादों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की कॉर्पोरेट एजेन्सी के अंतर्गत हमारे बैंक द्वारा बीमा सेवाएं उपलब्ध करायी जाती हैं. वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक का निष्पादन निम्नानुसार रहा:

- दिनांक 31.03.2011 को 38% बैंक शाखाएं बैंकाश्युरेंस व्यवसाय के लिए सक्रिय की गईं, इनमें से प्रत्येक शाखा ने न्यूनतम 12 पॉलिसियों का व्यवसाय किया या वर्ष के दौरान ₹2.00 लाख का प्रीमियम एकत्र किया.
- वर्ष के दौरान 200 से अधिक पॉलिसियों की बिक्री या ₹30.00 लाख प्रति शाखा की प्रथम प्रीमियम आय से 193 शाखाएं बीमा बैंक बनीं.
- वर्ष के दौरान 20 क्षेत्र बीमा क्षेत्र बने.
- वर्ष के दौरान चार अंचल (पुणे, दिल्ली, गुवाहाटी तथा रायपुर) बीमा अंचल बने.
- बैंक ने 74422 पॉलिसियों की बिक्री की, ₹107.28 करोड़ की प्रथम प्रीमियम आय एकत्र की तथा ₹10.59 करोड़ का कमीशन अर्जित किया.
- गैर-जीवन बीमा व्यवसाय के अंतर्गत बैंक ने ₹5.14 करोड़ का शुल्क/कमीशन अर्जित किया.

म्यूच्युअल फंड

विद्यमान सात शीर्ष म्यूच्युअल फंड हाउसों के साथ म्यूच्युअल फंड प्रति-विक्रय व्यवस्था के अतिरिक्त बैंक ने इस वर्ष के दौरान चार और म्यूच्युअल फंड हाउसों, अर्थात् डीएसपी ब्लैक रॉक म्यूच्युअल फंड, प्रिंसिपल पीएनबी म्यूच्युअल फंड, आईडीएफसी म्यूच्युअल फंड तथा एलएंडटी म्यूच्युअल फंड के साथ टाय-अप किया है. अभिनिर्धारित शाखाओं के माध्यम से म्यूच्युअल फंड उत्पादों की बिक्री द्वारा बैंक ने ₹0.76 करोड़ की दलाली अर्जित की है.

डी मैट सेवाएं

बैंक ने डी मैट सेवाओं के लिए एक वेब-आधारित सॉल्यूशन कार्यान्वित किया है. सीडीएसएल आवेदनों की बैंक-ऑफिस गतिविधियों के निपटान हेतु समाधान सीएमसी से अधिप्राप्त किया गया है. सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लि. (सीडीएसएल) के अंतर्गत 145 अभिनिर्धारित शाखाओं के माध्यम से 23009 खाताधारकों को डी मैट सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.

ई-स्टैमिंग

बैंक ने अपने ग्राहकों को ई-स्टैमिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ई-स्टैमिंग स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसएचसीआईएल) के साथ टाय-अप किया है. यह सुविधा दिल्ली, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में चयनित शाखाओं के माध्यम से लोगों के लिए उपलब्ध है.

सूचना प्रौद्योगिकी

कोर बैंकिंग सॉल्यूशन

बैंक ने निर्धारित कॉर्पोरेट योजना के अनुसार 100% कोर बैंकिंग कवरेज का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है. दिसम्बर, 2010 तक सभी शाखाएं, विस्तार पटल, एनबीओ, क्षेत्रीय कार्यालय, आंचलिक कार्यालय तथा प्रशिक्षण महाविद्यालयों/केन्द्रों को कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म के अंतर्गत लाया गया. नई शाखाएं कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ही खोली जा रही हैं.

दिनांक 31 मार्च, 2011 को सीबीएस कवरेज की स्थान-वार विवरण निम्नानुसार है:

शाखाएं	-	3720
विस्तार पटल	-	138
विस्तारित सेवाएं/सेटलाइट	-	23
एआरबी	-	8
एनबीओ	-	20
एससीएपी	-	4
सीसीसीपी	-	14
आंचलिक कार्यालय	-	16
क्षेत्रीय कार्यालय	-	74
प्रशिक्षण महाविद्यालय/केन्द्र	-	18

वाइड एरिया नेटवर्क

बैंक ने कोर बैंकिंग के अंतर्गत लाई गई शाखाओं के लिए कनेक्टिविटी स्थापित करने हेतु नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर के रूप में बीएसएनएल से एमपीएलएस तकनीक कार्यान्वित की है. सीबीएस के लिए कार्यान्वित नेटवर्क सॉल्यूशन में प्राइमरी कनेक्टिविटी के रूप में लीज्ड लाइन (एलएल) तथा शाखाओं में नेटवर्क बैंक-अप के रूप में सीडीएमए/आईएसडीएन तथा वीसैट तकनीक का प्रयोग किया गया है. वे शाखाएं जिनके लिए एमपीएलएस लीज्ड लाइन व्यवहार्य नहीं हैं, वहां प्राइमरी कनेक्टिविटी के रूप में वी सैट का प्रयोग किया गया है. मार्च, 2011 के अंत तक सभी 4032 स्थानों पर नेटवर्क लिंक स्थापित कर दिए गए हैं.



1. इंटरनेट बैंकिंग :

सभी सीबीएस शाखाओं में इंटरनेट बैंकिंग सुविधा कार्यान्वित की गई है, जिसके माध्यम से निधि अंतरण, उपयोगी वस्तुओं, सेवाओं के बिल का भुगतान, एयरलाइन्स/सिनेमा की टिकटें, खरीददारी, मंदिर में दान करने, फीस का भुगतान, चेकों का भुगतान रोकने, चेकों की स्थिति, खाता विवरणी इत्यादि सेवाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। वैयक्तिक तथा कॉर्पोरेट, दोनों प्रकार के ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए इंटरनेट बैंकिंग सुविधा अनुकूल बनाई गई है।

2. ऑन लाइन कर भुगतान

प्रत्यक्ष कर, उत्पाद, सेवा, डीजीएफटी लाइसेंस शुल्क, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार कर, महाराष्ट्र राज्य बिक्री कर तथा वैट भुगतान, उ.प्र.राज्य के करों के ई-भुगतान हेतु इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑन- लाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।

कॉर्पोरेट तथा वैयक्तिक ग्राहकों के लिए आरटीजीएस/एनईएफटी सुविधा भी उपलब्ध है। दिनांक 31.03.2011 को ग्राहकों द्वारा सीबीडीटी/सीबीईसी हेतु किए गए कुल कर भुगतानों की संख्या 64993 है। शाखाओं को इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए सूचित किया गया है। इंटरनेट बैंकिंग के यूजर आधार में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

3. कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग :

कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सुविधा कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए अनुकूल एक अतिरिक्त सुविधा है। कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के अंतर्गत बैंक के भीतर 15 करोड़ तक की सीमा की निधि अंतरण दैनिक सुविधा तथा एनईएफटी के बलक अपलोड हेतु भी सुविधा उपलब्ध है।

4. एसएमएस बैंकिंग :

एसएमएस बैंकिंग के माध्यम से ग्राहकों द्वारा किए गए लेन-देन पर उन्हें तत्काल सतर्कता संदेश सहित खाते की सूचना उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान में ग्राहकों के विकल्प के अनुसार 15 विभिन्न भारतीय भाषाओं में निम्न के लिए एसएमएस अलर्ट भेजे जाते हैं। 1) बचत खाते में ₹5000/- से अधिक तथा चालू/ओडी खाते में ₹ 50,000/- से अधिक नामे/जमा के लिए। 2) समाशोधन चेक नकारे जाने पर। 3) खाते की शेष राशि निर्धारित न्यूनतम स्तर से नीचे चले जाने पर। 4) सावधि जमा की परिपक्वता से 7 दिन पहले।

5. मोबाइल बैंकिंग :

बैंक ने जीपीआरएस का उपयोग करते हुए पूछताछ तथा निधि अंतरण परिचालनों सहित मोबाइल बैंकिंग कार्यान्वित की है। मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से किए गए लेन-देन एंड टू एंड इन्सक्रिप्शन तथा दो तात्विक प्रमाणीकरण विशेषताओं से सुरक्षित है।

6. फोन बैंकिंग :

फोन बैंकिंग समाधान अंग्रेजी तथा हिन्दी में आवाज रिकार्ड करने की सुविधा के साथ कार्यान्वित किया गया है और यह सुविधा सीबीएस शाखाओं के सभी ग्राहकों को उपलब्ध है।

7. ब्लॉक की गई राशि द्वारा समर्थित आवेदन (एसबीए):

भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड ने कंपनियों की प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर की वर्तमान प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाया है और ब्लॉक की गई राशि द्वारा समर्थित आवेदन (एसबीए) नामक अनुपुरक प्रक्रिया की शुरुआत की है। हमने अपने सीबीएस ग्राहकों के लिए एसबीए सॉफ्टवेयर की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से कोई भी निवेशकर्ता उसके खाते में आवेदन राशि को ब्लॉक करने के लिए और तत्पश्चात आबंटित राशि प्रेषित करने के लिए बैंक को प्राधिकृत करके सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए आवेदन कर सकता है। ग्राहक केवल सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए आल्बा का आवेदन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी दे सकता है।

वेबसाइट :

W3C की अनुशंसा तथा वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार WCAG 2.0 के दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करते हुए अक्षम लोगों के लिए वेब साइट को अनुकूल बनाया गया है। वेबसाइट पर बैंक के विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं संबंधी जानकारी उपलब्ध है। ग्राहक/सामान्य जन खाते खोलने, ऋण लेने, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सुविधा इत्यादि के लिए विभिन्न प्रकार के फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फायरवॉल/एंटीवायरस सुरक्षा के प्रयोग से वेब साइट को किसी भी प्रकार की हैकिंग या घुसपैठ से सुरक्षित किया गया है। ग्राहकों की शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए ऑन लाइन ग्राहक शिकायत मॉड्यूल सुस्थापित है।

भारतीय रिज़र्व बैंक परियोजनाएं :

भुगतान एवं निपटान प्रणाली (आरटीजीएस तथा एनईएफटी)

स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) का उपयोग करते हुए सभी सीबीएस शाखाओं को आरटीजीएस तथा एनईएफटी समर्थित किया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2011 को 3883 शाखाओं/विस्तार पटलों/एनबीओ/कार्यालयों को आरटीजीएस के लिए समर्थित किया गया है तथा 3881 शाखाओं/विस्तार पटलों/एनबीओ/कार्यालयों को एनईएफटी समर्थित किया गया है। यह सुविधा इंटरनेट बैंकिंग प्रणाली में भी उपलब्ध है।

कार्यान्वित की गई नई आरटीजीएस तथा पीडीओ-एनडीएस प्रणालियां :

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुराने विडोज 2000 सर्वर ऑपरेटिंग प्रणाली से आरटीजीएस तथा पीडीओ - एनडीएस प्रणाली को नए विडोज सर्वर 2008 ऑपरेटिंग प्रणाली में अंतरित करने की योजना बनाई है। तदनुसार, विडोज सर्वर 2008 ऑपरेटिंग प्रणाली में आरटीजीएस प्रणाली तथा पीडीओ-एनडीएस प्रणाली के

कार्यान्वयन हेतु ओरेकल 11जी तथा आइबीएम वेब स्फीयर एमक्यू सीरीज वर्जन 7.0 सहित नए हार्डवेयरों और सॉफ्टवेयरों की अधिप्राप्ति की गई। नई पीडीओ-एनडीएस प्रणाली (प्राइमरी तथा स्टैंड बाय साइट) दिनांक 2 दिसंबर, 2010 को कार्यान्वित की गई। नई आरटीजीएस प्रणाली (प्राइमरी तथा स्टैंड बाय साइट) भारिबैं द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार दिनांक 7 दिसंबर, 2010 को कार्यान्वित की गई।

इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज पद्धति :

आइसीईएस 1.5 के केन्द्रीकृत वर्जन का उपयोग करते हुए कस्टम्स डाटा संग्रहण हेतु फरवरी 2010 में पीधमपुर विस्तार पटल (अब शाखा) में ईडीआई का कार्यान्वयन किया गया। तत्पश्चात् एक और शाखा (भोपाल अंचल के अंतर्गत मंडीदीप) में ईडीआई का कार्यान्वयन किया गया। कस्टम्स द्वारा 3 अभिनिर्धारित शाखाओं मिल एरिया, इंदौर, मालनपुर इंडस्ट्रीयल एरिया, भोपाल तथा रायपुर मुख्य शाखा में ईडीआई का क्रियान्वयन अभी किया जाना है।

एटीएम नेटवर्क :

एटीएम नेटवर्क का बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया है। वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक का एटीएम नेटवर्क 400 से 1006 हो गया। बैंक 150 बायो-मेट्रिक एटीएम सहित अतिरिक्त 900 एटीएम संस्थापित करने की प्रक्रिया में है। बैंक की योजना ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 एटीएम तथा 1500 ऑफ साइट एटीएम संस्थापित करने की है। एटीएम के माध्यम से एनईएफटी, प्रत्यक्ष कर भुगतान सुविधा के लिए बैंक प्रक्रियारत है।

चेक ट्रंकेशन प्रणाली :

एनसीआर क्षेत्र, नई दिल्ली में चेक ट्रंकेशन प्रणाली कार्यान्वित की गई है। बैंक चेन्नै में भी सीटीएस कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है।

सिंगल डाटा रिपोजिटरी :

एक डाटाबेस से बैंक की एमआईएस आवश्यकता को पूरा करने के लिए एंटरप्राइज वाइड इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाने के लिए बैंक सिंगल डाटा रिपोजिटरी कार्यान्वित करने के लिए वेंडर को सूचीबद्ध करने की अंतिम अवस्था में है।

लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण

आईबीआर/हाउसकीपिंग :

बैंक बहियों के संतुलन तथा खातों के समाधान सहित हाउसकीपिंग के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार हेतु विशेष ध्यान दे रहा है। वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान, बैंक ने सिस्टम के नियमित अपग्रेडेशन को फोकस करके बहियों के संतुलन में सुधार किया है, अतः इस पैरामीटर में संतोषजनक एवं स्वस्थ स्थिति है। हमारी सभी 3728 शाखाओं में कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन किया गया है और सीबीएस से कई लाभ हैं। विभिन्न गैर व्यक्तिगत खातों जैसे समाशोधन अंतर, अंतर शाखा, अंतर बैंक (भारिबैं/भारतीय स्टेट बैंक/अन्य बैंक) तथा अन्य सांकेतिक खातों में लम्बित प्रविष्टियों का मिलान तथा बकाया प्रविष्टियों में वृद्धि होने पर उन्हें नियंत्रित करने में महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ है।

बैंक सम्पूर्ण रूप से हाउसकीपिंग की अच्छी स्थिति को बनाये हुये है ताकि जोखिम का स्तर न्यूनतम रहे। लम्बित प्रविष्टियों की स्थिति भारिबैं के मानदण्डों के अनुरूप है।

शाखा विस्तार :

दिनांक 31 मार्च, 2011 को बैंक की 3728 शाखाओं का नेटवर्क था। वर्ष के दौरान 82 शाखाएं खोली गईं। 53 विस्तार पटलों को सम्पूर्ण शाखा में परिवर्तित किया गया एवं 17 मिड कॉर्पोरेट शाखाएं खोली गईं, 1 आस्ति वसूली शाखा खोली गई तथा दिल्ली में आयोजित हुए राष्ट्रमंडल खेलों के लिए खोली गई 2 अस्थायी शाखाएं बंद कर दी गईं। 3728 शाखाओं में से 1416 ग्रामीण, 936 अर्द्ध-शहरी, 719 शहरी तथा 657 महानगरीय शाखाएं हैं।

विस्तार पटल :

वर्ष के आरंभ में 192 विस्तार पटल थे। 53 विस्तार पटल सम्पूर्ण शाखाओं में परिवर्तित होने के पश्चात, वित्तीय वर्ष के अंत में दिनांक 31 मार्च, 2011 को 139 विस्तार पटल रहे।

परिचालन

ग्राहक शिकायत :

इस वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक में ग्राहक सेवा में सुधार हेतु बहुत सी नई सुविधाएं आरंभ की गईं। बैंक सीबीएस प्लेटफॉर्म में पूर्ण रूप से परिवर्तित किया जा चुका है, जिससे कि सभी ग्राहकों को सर्वत्र बैंकिंग की सुविधा प्राप्त हो सके। शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक मजबूत किया गया एवं 12827 शिकायतों का निवारण ग्राहकों की संतुष्टि के साथ यथोचित समय में किया गया। स्थिति में सुधार हुआ है और प्रति तिमाही प्रति शाखा प्राप्त शिकायतों की औसत संख्या 1 से भी कम हुई है, जो ग्राहकों की संतोषप्रदता की स्थिति का उच्च स्तर दर्शाती है।

बैंक में सभी स्तरों पर ग्राहकों से सीधे आरंभिक स्तर-पर फीड-बैक प्राप्त करने हेतु आवधिक ग्राहक बैठकें आयोजित की गईं तथा उनसे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर हमारी नीति बनाई गई/संशोधित की गई।

बीसीएसबीआई कोड के बारे में एक नई पुस्तिका मुद्रित की गई तथा सभी पदाधिकारियों के बीच संवितरित की गई ताकि ग्राहकों को मानक सेवाएं क्रियान्वित करना सुनिश्चित किया जा सके। सभी शाखाओं में बीसीएसबीआई कोड सम्बंधी प्रमुख प्रावधानों के बैनर ग्राहकों की सूचना के लिए प्रदर्शित किये गये।

ग्राहकों की सूचना के लिए सभी योजनायें, सेवायें, प्रभार, ब्याज दर आदि सम्बंधी जानकारी हमारे बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है। सूचनाधिकार



के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का जवाब 30 दिन के अंदर दिया जाता है. वरिष्ठ नागरिकों को लॉकर किराये में विशेष रियायत तथा जमाराशियों पर उच्च ब्याज दर अनुमत किए गए हैं.

राजभाषा :

वित्तीय वर्ष के दौरान, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के क्षेत्र में 'इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार' से सम्मानित किया गया. भारत के उपराष्ट्रपति माननीय मोहम्मद हामिद अंसारी के कर-कमलों से बैंक के कार्यपालक निदेशक महोदय श्री आर. के. दुबे ने पुरस्कार स्वरूप शील्ड ग्रहण की.

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के क्षेत्र में बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को 'भारतीय रिज़र्व बैंक गवर्नर शील्ड प्रतियोगिता' के तहत पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं. मुंबई स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय भवन के सभागृह में आयोजित राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह में देश के तीनों भाषिक क्षेत्रों में राजभाषा नीति के उत्कृष्ट निष्पादन के लिए विभिन्न बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव द्वारा शील्ड तथा पुरस्कार प्रदान किए गए. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट निष्पादन के लिए पिछले कई वर्षों से 'भारतीय रिज़र्व बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता' के अंतर्गत लगातार भारतीय रिज़र्व बैंक राजभाषा पुरस्कार मिलते आ रहे हैं.

साथ ही, महाराष्ट्र राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा महाराष्ट्र राज्य में सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को वर्ष 2009-10 के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया. हमारे लिए यह हर्ष की बात है कि पिछले 8 वर्षों से हमारे बैंक को यह पुरस्कार लगातार प्राप्त हो रहा है.

इस वित्तीय वर्ष के दौरान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, राजभाषा विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) द्वारा हमारे बैंक के विभिन्न आंचलिक एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया.

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य समिति ने हमारे बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, झांसी में दिनांक 22 दिसम्बर, 2010 को विचार-विमर्श कार्यक्रम आयोजित किया तथा हमारे बैंक द्वारा किए जा रहे हिंदी के कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा की.

हमारे बैंक की वेबसाइट के द्विभाषीकरण का कार्य सतत रूप से किया जा रहा है. साथ ही, कोर बैंकिंग सोल्यूशन के तहत बैंक की समस्त शाखाओं को द्विभाषी कर दिया गया है. यह भी उल्लेखनीय है कि हमारे सम्मानीय ग्राहकों को बैंक द्वारा एसएमएस हिंदी के साथ-साथ 7 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रेषित किए जा रहे हैं.

बैंक के शताब्दी वर्ष के दौरान केन्द्रीय कार्यालय, राजभाषा विभाग द्वारा '100वें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा प्रख्यात 'हिंदी महिला साहित्यकारों का सम्मान' करने के साथ-साथ इस सुअवसर पर बैंक में कार्यरत 47 महिला अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी एवं मराठी भाषा में 'काव्य पाठ' किया गया.

कॉर्पोरेट संप्रेषण :

वर्ष 2010-11 के दौरान, हमारी कॉर्पोरेट ब्रैंडिंग एक्सरसाइज के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समाचार पत्रों में, पक्के तौर से हम ₹ 1263.17 लाख के सरकुलेशन तक पहुंच चुके हैं, जिसके लिए न्यूनतम रिकॉल वैल्यू ₹ 0.48 रही. कार्यपालकों एवं खंडित अभिमत नेताओं के बीच ब्रैंडिंग इक्विटी का निर्माण तथा उसे लागू करने के लिए मार्च, 2011 को समाप्त अवधि के दौरान समय-समय पर महत्वपूर्ण प्रकाशनों का प्रयोग सम्प्रेषण के माध्यम के रूप में किया गया. उपर्युक्त के अलावा, कॉर्पोरेट/उत्पादों तथा सेवाओं सम्बन्धि विज्ञापन सॉल्यूशंस एवं विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक संगठनों में प्रकाशित करने के साथ-साथ इनका प्रकाशन छवि-निर्माता/बड़े प्रकाशनों में भी किया गया.

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समुचित ब्रैंड छवि का निर्माण करने हेतु, कछुआ एवं खरगोश, लोमड़ी एवं सारस तथा पक्षी एवं शिकारी के अवधारणा शीर्ष सहित तीन एनीमेटेड कॉर्पोरेट टीवीसी बनाने का निर्णय लिया गया. इन टीवीसी का उद्देश्य यह है कि हमारा बैंक एक बैंक के रूप में ग्राहकों की बहुस्तरीय आवश्यकताओं को पूर्ण कराने हेतु 'विभिन्न तरीकों को पुनर्परिभाषित' करा रहा है. इस टीवीसी को पूरे देश में उपलब्ध बैंक-होर्डिंग के वर्तमान 53 स्थानों पर भी प्रदर्शित किया गया. साथ ही, सम्बद्ध क्षेत्रीय/हिंदी/अंग्रेजी भाषाओं में इन टीवीसी से निर्मित सीडी सभी आंचलिक कार्यालयों को स्टाफ सदस्यों एवं उनके क्षेत्राधिकार के अधीन साधारण जनता के बीच ब्रैंड छवि निर्माण हेतु भेजी गई थी. इन टीवीसी के पोस्टर्स भी सभी आंचलिक कार्यालयों को भेजे गए. टीवीसी को देश में फैले 320 एकल थिएटरों में यूएफओ मूवीज के माध्यम से दर्शाया गया, जिसके लिए बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला.

वर्ष के दौरान, बैंक ने टीवीसी का निर्माण करके उसे टेलीकास्ट किया, जिसमें हमारे बैंक की 100 वर्षों की यात्रा एवं देश की प्रगति में उसके योगदान का चित्रण किया गया. इस टीवीसी ने बाजार में धूम मचा दी है. इसे प्रत्येक दर्शक ने पसंद किया. इस टीवीसी को 4 प्रमुख व्यावसायिक एवं मार्केटिंग मैगजीनों द्वारा जनवरी, 2011 को समाप्त पहले पखवाड़े के 'सर्वोत्तम विज्ञापन' के रूप में अभिनिर्णित किया गया. वर्ष के दौरान, हमारे ब्रैंडिंग प्रयासों ने अपने ब्रैंड कार्य-निष्पादन में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसे यूके के 'दि बैंकर' नामक पत्रिका के फरवरी, 2011 के अंक में प्रकाशित एक अध्ययन के तहत वैश्विक वित्तीय ब्रैंड के शीर्ष 500 ब्रैंड फाइनेन्स में घोषित किया गया है. उसके अनुसार हमारे बैंक ने वर्ष 2010 में अपने 471वें स्थान से वर्ष 2011 में 390वां स्थान प्राप्त करके समग्र श्रेणी क्रम में 81 स्थानों की छलांग लगाई है, जो किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में सर्वाधिक है.

बैंक ने एनसीआर एवं दिल्ली में 51 एटीएम केन्द्रों पर तथा दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई एवं पुणे में 50 शाखाओं में राष्ट्रमंडल खेलों की ब्रैंडिंग की. बैंक ने वर्ष के दौरान, समय-समय पर विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग/ग्लो-साइन, बस कतार शेल्टर, डबल-डेकर बसें, विविध रूटों की किंग लॉग बसें तथा देशी एवं अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विज्ञापन स्थलों के माध्यम से बाह्य मीडिया प्रचार-प्रसार किया.

सतर्कता :

बैंक का सतर्कता विभाग सतर्कता प्रबंधन से सम्बंधित विभिन्न कार्य करता है और धोखाधड़ी, कदाचार, भ्रष्टाचार आदि जैसी कुरीतियों को दूर करता है तथा व्यावसायिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बैंक की प्रभाव क्षमता को और अधिक बढ़ाता है.

विभाग सीवीसी/आरबीआई/एमओएफ/बैंक के अन्य विभागों/अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों पर कार्य करता है तथा उस पर सतर्कता की दृष्टि से अपना निर्णय देकर उसका निपटान कर देता है. इस प्रकार, सभी शिकायतों की विभाग द्वारा संवीक्षा की जाती है और सतर्कता से युक्त शिकायतों पर कड़ी सतर्कता प्रणाली के माध्यम से ध्यान दिया जाता है.

प्रणाली में धोखाधड़ी की घटनाओं की रोकथाम करने/उन्हें कम करने की दृष्टि से, विभिन्न कदम उठाये गये हैं. परिणामस्वरूप, काफी मात्रा में उद्देश्य सफल रहा है. पद्धति एवं प्रणाली के पालन की आवश्यकता की पूर्णतः जानकारी कार्यकर्ताओं को देने पर काफी ध्यान दिया गया. धोखाधड़ी की घटना के अनुसार केवायसी मानदण्डों, पासवर्ड की गोपनीयता, कार्य-समाप्ति (डे-एण्ड) रिपोर्टों की जांच आदि का कड़ाई से अनुपालन करने पर सर्वाधिक बल दिया गया.

आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें दोनों उधारी तथा गैर-उधारी खातों में धोखाधड़ी को प्रवृत्त करने वाली त्रुटियां/अज्ञान/लापरवाही/कदाशयता पर विशेष रूप से चर्चा की गई थी. मांग ड्राफ्टों के भुगतान, चेकों की उगाही में होने वाली धोखाधड़ी आदि में उल्लेखनीय कमी आई है.

उधारी खातों के क्षेत्र में आवास ऋण से निर्मित आस्तियों की जांच हेतु एक बारगी अभ्यास किया गया. परिणामस्वरूप, उपचारात्मक कार्रवाई के कारण अनियमितताओं का समय से पहले ही पता लगाया गया. सतर्कता अधिकारियों ने प्राप्त नियंत्रक विवरणियों के आधार पर अध्ययन कार्य किया और नियंत्रक अधिकारियों से ऋण विभाग द्वारा की गई उनकी संवीक्षा से पाए गए तथ्यों के आधार पर प्रणाली में सुधार लाने हेतु ऋण विभाग को आवश्यक सुझाव दिए गए.

सतर्कता अधिकारी शाखाओं का आकस्मिक निरीक्षण करते हैं और इससे शाखाओं के कार्य में हो रही अनियमितताओं को समय पर कम करने में मदद मिली है तथा शाखाओं/नियंत्रक कार्यालयों द्वारा समय पर सुधार हुआ है.

महत्त्वपूर्ण प्रमुख क्षेत्रों में सुधार लाने हेतु सुझावों के साथ प्रणाली में बचाव के रास्ते जानने के लिए फोरेन्सिक लेखा-परीक्षा भी आयोजित की गई. धोखाधड़ी निवारण समिति का गठन आंचलिक कार्यालय स्तर पर अंचल में किसी कपटपूर्ण गतिविधियों, यदि कोई है, पर चर्चा करने तथा शाखाओं के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पाई गई सामान्य अनियमितताओं को दूर करने हेतु किया गया है.

गलती करने वाले/दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के सम्बंध में, प्रमुखतया निर्धारित समय में निदर्शनात्मक दांडिक कार्रवाई के साथ विभागीय कार्रवाई पूर्ण करने हेतु सभी कदम उठाये गये हैं. गलती करने वाले अन्य पक्षकार जैसे कि पैनल एडवोकेट, आर्किटेक्ट, वैल्यूअर आदि के विरुद्ध भी विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई आरंभ की गई है.

परिचालन विभाग/ऋण विभाग/आईटी विभाग आदि को, जहां कहीं आवश्यक है, प्रणाली में सुधार लाने हेतु समय-समय पर सूचित किया गया है. अंचल प्राधिकारियों को भी नये सिरे से उत्पन्न धोखाधड़ी से प्रवृत्त क्षेत्रों के प्रति उचित ध्यान देने के बारे में सूचित किया गया है. सतर्कता विभाग की कार्य-प्रणाली की समीक्षा बोर्ड की सतर्कता समिति द्वारा हर तिमाही में की जाती है तथा उनके द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों को क्रियान्वित किया जाता है. बोर्ड धोखाधड़ी पर प्राप्त तिमाही/वार्षिक रिपोर्टों की समीक्षा भी करता है. ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक राशि के धोखाधड़ी के मामलों में धोखाधड़ी की कार्य-प्रणाली, सन्निहित राशि, सीबीआई/पुलिस द्वारा की गई कार्रवाइयां, वसूली स्थिति, स्टाफ स्थिति आदि जैसी विस्तृत जानकारी की सूचना अत्यधिक बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर निगरानी करने हेतु गठित बोर्ड की विशेष समिति को दी जाती है. समिति को प्रणाली में इस प्रकार की धोखाधड़ियों में कमी लाने हेतु अपनाये गये निवारक उपायों की जानकारी भी दी जाती है. घटित धोखाधड़ियों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि भविष्य में इस प्रकार की धोखाधड़ियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सतर्क रहा जा सके.

मानव संसाधन विकास

1. मानवशक्ति :

मार्च, 2011 के अंत में, बैंक के स्टाफ की संख्या पिछले वर्ष की 34,826 (अंशकालीन सफाई कर्मचारियों सहित) के समक्ष 34,015 (अंशकालीन सफाई कर्मचारियों सहित) रही. स्टाफ का श्रेणी-वार विश्लेषण निम्नवत है :

श्रेणी	मार्च, 2011	मार्च, 2010
अधिकारी वर्ग	12,883	12,535
लिपिक वर्ग	12,770	12,682
अधीनस्थ कर्मचारी (अंशकालीन सफाई कर्मचारियों सहित)	8,362	9,609
कुल योग	34,015	34,826



2. मानव संसाधन विकास :

(i) कार्य-निष्पादन मूल्यांकन फॉर्मेट में परिवर्तन :

बैंकिंग क्षेत्र में हो रहे निरंतर बदलाव तथा बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र में प्रचलित स्पर्धात्मक वातावरण के कारण बैंक की व्यावसायिक प्राथमिकताओं एवं कार्यनीतियों में शीघ्रता से परिवर्तन आ रहा है. परिवर्तित व्यावसायिक प्राथमिकताओं एवं कार्यनीतियों को देखते हुए, अधिकारियों के वार्षिक कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के विद्यमान एकल फॉर्मेट में परिवर्तन किया गया है तथा उसके स्थान पर अधिकारियों द्वारा धारित पद के अनुसार उनकी विभिन्न श्रेणी के लिए लागू पांच अलग-अलग फॉर्मेट शुरू किए गए हैं. तदनुसार, संशोधित फॉर्मेट अधिकारियों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के लिए वित्तीय वर्ष 2010-11 और उससे आगे के लिए लागू है.

(ii) विशेषज्ञ अधिकारियों के कैरियर-पाथ में वृद्धि :

विशेषीकृत कौशल पर बढ़ते फोकस तथा विशेषज्ञ श्रेणी के अधिकारियों के लिए प्रचुर पदोन्नति अवसरों के साथ एक समुचित कैरियर-पाथ का सुअवसर प्रदान करने हेतु प्रबंधन द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप एक अलग नीति बनाई गई, जिसके तहत विशेषज्ञ श्रेणी के अधिकारियों का कैरियर-पाथ तथा अंतर-वेतनमान पदोन्नति निर्धारित करने हेतु विशेषज्ञ श्रेणी के अधिकारियों के लिए कैरियर-पाथ से सम्बद्ध प्रावधानों में कतिपय बदलाव किया गया और विशेषज्ञ श्रेणी के अधिकारियों का कैरियर-पाथ वेतनमान-V तक विस्तारित किया गया, जिससे कि विशेषज्ञ श्रेणी के अधिकारियों को प्रोत्साहित करते हुए बैंक में उनकी सेवाओं को बरकरार रखा जा सके.

(iii) वर्ष 2010-14 की अवधि के लिए उत्तराधिकार योजना पर संरचित प्रलेख :

अगले चार वर्षों में बैंक में राष्ट्रीयकरण से पूर्व के समय पदस्थ कर्मचारी बड़े पैमाने पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं. इसके अलावा उभरते नए नियमित व्यावसायिक क्षेत्रों, जो विकास के लिए पोषक हैं, के कारण यह आवश्यकता महसूस की गई कि एक दीर्घकालीन उत्तराधिकार योजना यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई जाए जिससे कि व्यावसायिक निरंतरता योजना अखंड बनी रहे. इस पृष्ठभूमि के साथ, बैंक ने 'वर्ष 2010-14 की अवधि के लिए उत्तराधिकार योजना' नामक एक संरचित प्रलेख तैयार किया है, जिसमें बैंक में अगले चार वर्षों के लिए पदोन्नति, भर्ती एवं अन्य उत्तरवर्ती प्रयासों के तहत बैंक के मानव संसाधन की कार्य-प्रणाली के बारे में मार्गदर्शनपरक कार्यसूची स्पष्ट की है. बोर्ड द्वारा इन प्रलेखों को अनुमोदित किया गया है और यह उक्त अवधि के दौरान उत्तरवर्ती प्रयासों में मानव संसाधन कार्य में एक बेहतर मार्गदर्शक साबित होगा.

(iv) 'मानव पूंजी चुनौतियों से निपटन की तरफ - बैंक मसौदा कार्यवाही कार्यसूची' पर प्रस्ताव पत्र :

बैंकिंग क्षेत्र में उभरती तीव्र स्पर्धा एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बड़े पैमाने पर सेवानिवृत्तियों को भी ध्यान में रखते हुए, संस्थान की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकता का मिलान करने हेतु स्टाफ कौशल को सही आकार देने/सुयोजित करने की जरूरत पर बल देते हुए, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह अभिव्यक्त किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बाधाओं का सामना करेंगे और मानवशक्ति, सही मानवशक्ति का अर्जन, प्रेरणात्मक/विनियोजित कार्यनीतियों के माध्यम से कर्मचारियों के कौशल का विकास, सुदृढ़ प्रबंधन प्रणाली का निर्माण, आदि क्षेत्रों में मानव संसाधन के स्तर पर चुनौतियों का सामना करेंगे एवं सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुझाव दिया कि इन मामलों को सुलझाने हेतु एक कार्यवाही योजना मसौदा तैयार करें. इस सुझाव को क्रियान्वित करते हुए, बैंक ने 'मानव पूंजी चुनौतियों से निपटने की तरफ - बैंक मसौदा कार्यसूची' नामक एक प्रस्ताव पत्र तैयार किया, जिसमें मानवशक्ति, भर्ती, पदोन्नति, प्रशिक्षण, कार्य-निष्पादन प्रबंधन प्रणाली, कर्मचारी नियुक्ति/प्रतिधारण कार्यक्रम आदि जैसे एचआरएम के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों की वर्तमान तथा भावी योजनाओं सम्बंधी व्यापक जानकारी दी गई है तथा इसे बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है एवं भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की सलाह के अनुसार इसे भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के पास समुचित कार्य-नीति तैयार करने हेतु भेज दिया गया है.

3. प्रशिक्षण :

सुदृढ़ प्रबंधन टीम और बेहतर उत्तराधिकारी तैयार करने के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण एक आधारशिला है. तदनुसार, वर्ष 2010-11 के दौरान 'प्रशिक्षण एवं विकास' कार्य पर प्रमुख रूप से ध्यान देना जारी रखा गया. इस पृष्ठभूमि के साथ इसे बैंक को 'ज्ञान संगठन' में रूपांतरित करने के अविरत प्रयासों में और अधिक वृद्धि हेतु प्रशिक्षण गतिविधि के समग्र परिदृश्य में प्रशिक्षण मॉड्यूल, विषय-वस्तु और संवितरण प्रणाली आदि को शामिल कर जीवंत परिवर्तन लाये जाएंगे.

वर्ष 2010-11 के दौरान, हमारे कार्यपालकों/वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के ज्ञान को नई ऊंचाईयां देने के लिए तथा बैंक की बौद्धिक पूंजी में अभिवृद्धि करने के लिए डॉ. गौतम विनयशील (एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित प्रबंधन पेशेवर) के परिचर्चा सत्र रखे गये तथा इसमें डॉ. विनयशील के गहन अनुभव बांटे गए और परस्पर चर्चा की गई. इसके अलावा, वैयक्तिक प्रभाव क्षमता एवं सम्बंध प्रबंधन, कॉर्पोरेट शिष्टाचार, ऋण जोखिम प्रबंधन जैसे विषयों पर खास तौर पर उच्च प्रतिष्ठित बाहरी विशेषज्ञों/एजेंसियों द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए. साथ ही, क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अनन्य कार्यक्रम, नकदी एवं मुद्रापेटिका प्रबंधन, ऋण मूल्यांकन, सूक्ष्म वित्त एवं वित्तीय समावेशन, केवायसी तथा एएमएल से जुड़े जोखिम, एसएमई को वित्तपोषण, व्यावहारिक एवं सम्प्रेषण परिवर्तन, ग्राहक सेवा पर कनिष्ठ अधिकारियों एवं लिपिक स्टाफ की संवेदनशीलता, सतर्कता प्रशासन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही, तनाव प्रबंधन, योग-सह-सेमिनार आदि कार्यक्रम भी आयोजित किए गए. विभिन्न बैंकों की कार्य-प्रणाली से सुसंगतता लाने की दृष्टि से वर्ष 2010 एवं वर्ष 2011 में नियुक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को विस्तृत लम्बी अवधि का प्रशिक्षण प्रदान किया गया (दोनों, कक्षा तथा कार्य प्रशिक्षण) जिससे कि उन्हें बैंक में उच्च पद स्वीकारने के लिए तैयारी करने में मदद मिल सके. उपर्युक्त के अलावा, बैंक की आवश्यकता के अनुसार विशेषज्ञ बाहरी संस्थानों की सहायता से प्रमुख क्षेत्रों में इन-कम्पनी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. तीन प्रशिक्षण महाविद्यालयों

तथा नौ आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा लगभग 1061 कक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 21089 से अधिक प्रतिभागियों और 101262 मानव दिनों को कवर किया। इन कार्यक्रमों में विभिन्न विषय जैसे - जोखिम प्रबंधन, बासल-II, ऋण प्रबंधन, एनपीए प्रबंधन, वसूली, वित्तीय समावेशन, आईटी से सम्बद्ध कार्यक्रम, ट्रेजरी/आईडी, फॉरेक्स, रिटेल बैंकिंग आदि कवर किए गए। नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त एसपीबीटी महाविद्यालय में वेतनमान V के क्षेत्रीय प्रबंधकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं वेतनमान IV के अधिकारियों के लिए 'लीडरशीप एवं आयोजना नियंत्रण' तथा महाप्रबंधकों एवं उप महाप्रबंधकों के लिए 'अनुरूपण जोखिम प्रबंधन', वित्तीय समावेशन तथा एचआर चुनौतियों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष 2010-11 में 36 अधिकारियों को प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने हेतु विदेश भेजा गया। इसके अलावा, विभिन्न वेतनमानों में पदस्थ अधिकारियों को बाहरी प्रशिक्षण एजेंट जैसे एनआईबीएम, सीएबी, बीई, फेडाई, आईडीबीआरटी, आईआईबीएम द्वारा विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष 2010-11 के दौरान 6 भर्ती-पूर्व कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें अनुसूचित जातियों के 6434 एवं अनुसूचित जनजातियों के 1654 के प्रत्याशी कवर किए गए। 63 पदोन्नति-पूर्व कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 1861 अनुसूचित जाति के तथा 498 अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशी कवर किए गए।

4. भर्ती एवं पदोन्नति :

संस्थान में अपेक्षित व्यावसायिकता को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2010-11 में विविध क्षेत्रों में एमबीए अभ्यर्थियों की भर्ती जारी रही। तदनुसार, वेतनमान II में 98 नये एमबीए अभ्यर्थियों की भर्ती, आईआईटी, आईआईएम, आईएमआई आदि जैसे व्यावसायिक/प्रबंधन संस्थानों से कैम्पस विधि के माध्यम से की गई। इसके अलावा, विशेषज्ञ एवं मुख्य धारा के पद हेतु नियमित भर्ती प्रक्रिया भी आयोजित की गई। उत्कृष्ट अनुभव तथा समकालिक ज्ञान/कुशलता सुनिश्चित करने की दृष्टि से भविष्य में भी एमबीए अभ्यर्थियों की कैम्पस भर्ती करना जारी रहेगा।

वर्ष 2010-11 में, 3127 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई जो कंपनी सचिव, एमबीए (वेतनमान II), फ्लाइटिंग स्क्वॉड ऑफिसर, चीफ-डीलर (वेतनमान IV), मुख्य प्रबंधक (फॉरेन्सिक), मुख्य प्रबंधक (जांच), डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर (आर्मी), डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर (एअरफोर्स), कॉन्ट्रैक्टुअल ऑडिटर, फंक्लटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट, प्रोबेशनरी अधिकारी (वेतनमान I), आरएसडीआई/एफएलसीसी के प्रभारी, लिपिकीय स्टाफ तथा सहायक प्रहरियों (अधीनस्थ संवर्ग) के लिए थी।

पदोन्नति कार्य को और अधिक प्रेरक बनाया गया है एवं इस तरह कॉर्पोरेट लक्ष्य के रूप में भी यह निर्णय लिया गया है कि पदोन्नति प्रक्रिया सभी वेतनमान/श्रेणी के अधिकारियों के लिए जहां तक संभव हो, बारम्बार, आयोजित की जाए। तदनुसार, वर्ष 2010-2011 में, अन्तर-वेतनमान तथा अन्तर-संवर्ग की पदोन्नति प्रक्रिया आयोजित की गई तथा 1823 कर्मचारी/अधिकारी उच्च संवर्ग/वेतनमान में पदोन्नत हुए, जिनमें से 975 अधीनस्थ कर्मचारी लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नत हुए। साथ ही, वेतनमान I से II तथा वेतनमान II से III की पदोन्नति प्रक्रिया क्रमशः 1410 एवं 419 रिक्तियों के लिए आरंभ की गई।

5. आरक्षण नीति का क्रियान्वयन :

बैंक आरक्षण नीति पर भारत सरकार/भारतीय बैंक संघ से प्राप्त दिशानिर्देशों/अनुदेशों को क्रियान्वित कर रहा है तथा आरक्षण नीति में स्वीकार्य रियायतें/छूट अजा/अजजा/अपिव/पीडल्यूडी को दी जाती है। दिनांक 21.05.2010 को श्री एल. के. मीणा, तत्कालीन सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग के अधिकारियों की टीम ने हमारे बैंक में क्रियान्वित आरक्षण नीति का गहराई से अध्ययन करने हेतु दौरा किया और बैंक को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में संतुष्टि व्यक्त की।

6. यूनियनों/असोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ व्यावसायिक बैठकें :

समीक्षा वर्ष के दौरान, प्रमुख यूनियनों/असोसिएशनों के साथ व्यावसायिक संवृद्धि के लिए कार्यनीति बनाने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर दिनांक 6 अगस्त, 2010 को एक अनन्य बैठक का आयोजन किया गया। प्रबंधन ने अपील की कि बैंक के व्यावसायिक स्थिति में सुधार लाने हेतु सभी कर्मचारियों का एकजुट होकर प्रयास आवश्यक है तथा यूनियनों को प्रोत्साहित किया कि उनके सदस्यों को संस्थान को अपना सर्वोत्तम देने के लिए प्रेरित करें।

7. कर्मचारी कल्याण योजनाएँ :

स्टाफ एवं उनके परिवार के कल्याण हेतु प्रबंधन के प्रतिबद्ध प्रयास जारी रहेंगे एवं इसे हमेशा बैंक के मानव संसाधन कार्य सम्बंधी बिन्दुओं में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। तदनुसार, वर्ष के दौरान विभिन्न कर्मचारी कल्याण योजनाओं के लिए ₹ 15 करोड़ की राशि आबंटित की गई है। साथ ही, इस योजना की सीमा एवं कवरेज दोनों में सुधार किया गया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यह एक सदभाव का संकेत है कि वर्ष 2010-11 के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सहायता की विद्यमान योजना में संशोधन करते समय, प्रबंधन ने ₹ 15,000/- प्रति वर्ष की सीमा तक अस्पतालीकरण व्यय के विकल्प के रूप में, मेडीकल पॉलिसी के प्रीमियम राशि की प्रतिपूर्ति, सेवानिवृत्त स्टाफ और/अथवा पति-पत्नी के नाम करने की अनुमति दी है।

8. औद्योगिक सम्बंध :

वर्ष के दौरान औद्योगिक सम्बंध सामान्यतः सौहार्दपूर्ण रहे।

अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम :

सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड

मार्च, 2011 में कम्पनी का शुद्ध लाभ ₹ 9.39 करोड़ रहा, जबकि मार्च, 2010 में कम्पनी का शुद्ध लाभ ₹ 5.45 करोड़ था। लाभ में बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण ब्याज खर्च के व्यय में कमी है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, कम्पनी ने 1005 खातों में कुल ₹ 67.18 करोड़ की स्वीकृति दी एवं 977 खातों में कुल ₹ 63.26 करोड़ संवितरित किए। मार्च, 2010 की बकाया ऋण राशि ₹ 269.88 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2011 में ₹ 282.13 करोड़ हो गई।



कम्पनी ने लाभ की निरंतरता को बनाये रखते हुए, अपनी शुद्ध स्वनिधि में आरक्षित निधि को जोड़कर इसमें वृद्धि की है। मार्च, 2010 में नेटवर्थ ₹ 49.31 करोड़ था, जो कि मार्च, 2011 में बढ़कर 55.21 करोड़ हो गया। यह लाभ में लगातार बढ़ोत्तरी का परिणाम था। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मीयादी ऋणों के किस्तों की चुकौती, ऋण खातों से प्राप्त तुरंत वसूली की किस्तों और एनपीए खातों में अतिदेय राशि की वसूली से उत्पादित आंतरिक निधि के द्वारा, लगातार की गई। जनता एवं संस्थाओं से प्राप्त जमाओं की स्थिति मार्च, 2010 में ₹ 38.04 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2011 में ₹ 48.03 करोड़ हो गई। कम्पनी ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से वर्ष 2010-11 के दौरान, प्रतिस्पर्धी दरों पर मार्च, 2010 के ₹ 169.50 करोड़ के मुकाबले मार्च, 2011 को ₹ 166.41 करोड़ की बकाया स्तर पर मीयाद ऋण एवं ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त की है।

इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड :

जाम्बिया में बैंक का संयुक्त उद्यम, जाम्बिया सरकार तथा तीन भारतीय बैंकों, क्रमशः सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बडौदा और बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तित है। प्रत्येक भारतीय बैंक 20% इक्विटी धारित कर रहा है और शेष 40% इक्विटी जाम्बिया गणराज्य सरकार के पास है। बैंक सभी पैरामीटरों के अंतर्गत अच्छा कार्य कर रहा है। दिनांक 31 मार्च, 2011 को बैंक का कुल व्यवसाय ₹ 1173.22 करोड़ रहा और उक्त तारीख को बैंक ने ₹ 21.77 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया।

सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस :

सेन्ट बैंक फाइनेंशियल एण्ड कस्टोडियल सर्विसेस का नाम वर्ष के दौरान बदलकर सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड (सीएफएस) कर दिया गया। सीएफएस के व्यावसायिक मॉडल में उसके क्रियाकलाप में हुए विविधीकरण के कारण काफी परिवर्तन आया है।

पहले, सीएफएस डिबेंचर ट्रस्टी तथा सिक्युरिटी ट्रस्टी के रूप में कॉर्पोरेट ट्रस्टी की अनिवार्य सेवाएँ प्रदान करता था। साथ ही, ट्रस्टी बनकर व्यक्तियों को सम्पत्ति का अंतर-पैतृक तथा धर्मादाय संस्थानों में अंतरण करवाने में सहायता करते हुए एक्जिक्यूटिव ट्रस्टी की सेवाएँ प्रदान करता था। वर्ष 2010-11 के दौरान, सीएफएस ने सीएफएस को एक पूर्ण-सेवा निवेश बैंक बनाने हेतु उसके व्यावसायिक प्रोफाइल का विविधीकरण किया है। सीएफएस की सेवा में निम्न शामिल हैं :

- परियोजना मूल्यांकन एवं ऋण समूहन
- पूंजी बाजार लेन-देन, इक्विटी एवं ऋण, दोनों
- कॉर्पोरेट परामर्शदात्री सेवाएँ, जिसमें विलयन एवं अर्जन, परियोजना परामर्श, ऋण पुनर्संरचना, प्रत्याभूतिकरण, जोखिम प्रबंधन, व्यावसायिक मूल्यांकन शामिल हैं।
- ट्रस्टीशिप सेवाएं, जिनमें डिबेंचर/सिक्युरिटी ट्रस्टी, एक्जिक्यूटिव ट्रस्टी, मैनेजिंग चैरिटेबल ट्रस्ट शामिल हैं।

ऋण समूहन	पूंजी बाजार ऋण एवं इक्विटी	परामर्शी सेवाएँ	ट्रस्टीशिप सेवाएं
रुपये/फॉरेक्स ऋण <ul style="list-style-type: none"> • ऋण हामीदारी • परियोजना वित्त • कार्यशील पूंजी वित्त • मध्यवर्ती ऋण • प्रतिभूतिकरण • पट्टा किराया बढ़ाकरण • तुलन-पत्र बाह्य वित्त • संरचित वित्त • संरचनात्मक वित्त • परियोजना मूल्यांकन 	ऋण पूंजी बाजार <ul style="list-style-type: none"> • बांड/डिबेंचर • कमर्शियल पेपर • परिवर्तनीय डिबेंचर एफसीसीबी इक्विटी पूंजी बाजार <ul style="list-style-type: none"> • आईपीओ/एफपीओ • राइट इश्यू • खुला प्रस्ताव • क्यूआइपी • अंतर्राष्ट्रीय सूचीबद्धता (एडीआर/जीडीआर) • रिटेल ब्रोकिंग • म्यूच्युअल फंड संवितरण 	<ul style="list-style-type: none"> • परियोजना सलाहकार • बिड सलाहकार • विलयन एवं अभिग्रहण • कॉर्पोरेट ऋण एवं इक्विटी पुनर्संरचना • संरचित वित्तीय सलाहकार • व्यवसाय मूल्यांकन 	<ul style="list-style-type: none"> • डिबेंचर ट्रस्टी (सार्वजनिक निर्गम एवं निजी नियोजन) • सिक्युरिटी ट्रस्टी • मॉनिटरिंग एजेन्सी • सुविधा एजेंट

वर्ष 2010-11 में कार्य-निष्पादन :

व्यवसाय के अपने प्रथम वर्ष में, अपनी नई परिभाषित भूमिका का निर्वाह करते हुए सीएफएस ने वर्ष के दौरान आरंभ किए गए नए व्यवसाय से लगभग ₹ 35 करोड़ की आय अर्जित की। सीएफएस ने वित्तीय वर्ष 2010-11 में ₹ 37.86 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया जो पिछले वर्ष ₹ 7.9 करोड़ था, जिसमें मुख्य रूप

से 2009-10 के दौरान ₹ 7.27 करोड़ की म्यूच्युअल फंड की दलाली (वित्तीय वर्ष 2010-11 में ₹ 1.48 करोड़ की दलाली की तुलना में) शामिल है। ब्याज, मूल्यहास, कर एवं रॉयल्टी (मूल अर्थात सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को) पूर्व आय ₹ 35.70 करोड़ थी जो कुल आय का 94% है। सीएफएस ने वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2010-11 में शुद्ध लाभ में 124% की वृद्धि हासिल की। इक्विटी पर आय ने वर्ष 2009-10 की 87% की तुलना में वर्ष 2010-11 में 194% की भारी वृद्धि दर्ज की है।

परियोजना मूल्यांकन एवं ऋण समूहन :

सीएफएस ने 16 ऋण समूहन/ऋण पूंजी बाजार अधिदेश सम्बंधी कार्य अपनाये हैं, जिसके लिए सीएफएस को वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 35.00 करोड़ का कुल शुल्क प्राप्त हुआ। सीएफएस ने वर्ष के दौरान वित्तपोषण की सभी सीमायें पार कर ली हैं।

परामर्शदात्री सेवाएं :

कम्पनी ने 'एकमात्र परामर्शदाता' के रूप में नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीयूसी) की पूंजी पुनर्संरचना का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। सीएफएस ने पीएसयू को उनके बोनस शेयरों के निर्गम एवं उसी समय शेयरों के स्प्लिट सम्बंधी कार्य में सलाह दी। समनुदेशन के एक भाग के रूप में, सीएफएस ने पीएसयू को मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सक््यूलर (एमआयसी) के प्रकाशन में सहायता की है।

सीएफएस की भावी योजनायें :

जबकि सीएफएस ने वित्तीय बाजार में परियोजना मूल्यांकन एवं ऋण समूहन व्यावसायिक खंड में अपनी उपस्थिति दर्शाते हुए अच्छी तरह अपनी साख बना ली है और अच्छी संख्या में परियोजनायें हाथ में हैं। वर्ष 2011-12 में सीएफएस ऋण एवं इक्विटी पूंजी बाजार तथा कॉर्पोरेट परामर्शी सेवायें जैसे अन्य व्यावसायिक वर्टिकल में पूर्ण रूप से कार्य करेगा।

वर्तमान मॅक्रो-इकॉनॉमिक परिदृश्य पर विचार करते हुए, निवेश बैंकिंग का विकास तथा कॉर्पोरेट ट्रस्टीशिप सेवाओं सम्बंधी व्यवसाय में वर्ष 2011-12 के दौरान सुधार अपेक्षित है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) :

बैंक ने दिनांक 31.03.2011 को 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किए हैं, जिनमें 7 राज्यों में 55 जिले और 1761 शाखाओं का नेटवर्क शामिल हैं। दिनांक 31.03.2011 को प्रमुख पैरामीटरों के अंतर्गत सभी 7 ग्रामीण बैंकों का समस्त संचयी कार्य-निष्पादन निम्नानुसार है :

- ए. **शाखा विस्तार** : वर्ष 2010-11 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 16 नई शाखायें खोलीं, जिससे शाखाओं की संख्या दिनांक 31.03.2011 को बढ़कर 1761 हो गई, जिनमें से 197 शाखायें सीबीएस प्लॉटफॉर्म में परिवर्तित हो गई हैं।
- बी. **जमाराशियां** : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमाराशियां दिनांक 31.03.2010 के ₹ 14600.02 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.03.2011 को ₹ 15843.98 करोड़ हुई, जो 8.52% की वृद्धि दर्शाती है।
- सी. **अग्रिम** : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अग्रिम दिनांक 31.03.2010 के ₹ 6071.53 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.03.2011 को ₹ 7708.51 करोड़ हुआ, जो 26.98% की वृद्धि दर्शाते हैं।
- डी. **लाभप्रदता** : वित्तीय वर्ष 2010-11 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ₹ 146.58 करोड़ का लाभ अर्जित किया, जो पिछले वर्ष ₹ 261.88 करोड़ था।

पुरस्कार एवं सम्मान :

- बिहार रुरल लाइवलीहूड प्रोजेक्ट, जो जीविका परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, के क्रियान्वयन के लिए स्कॉच फाइनेंशियल इन्क्ल्यूजन पुरस्कार - 2011.
- बेस्ट बिजनेस मॉडल : 2010 हेतु स्कॉच पुरस्कार
- माह फरवरी 2011 में माय एफएम स्टार्स ऑफ दि इंडस्ट्री रिटेल लीडरशिप अवार्ड.

निदेशक मंडल की ओर से

एस श्रीधर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुम्बई

दिनांक : 30 मई, 2011



कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य

बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय के संचालन में नैतिक संव्यवहार से शेयरधारकों की आय में वृद्धि करना तथा प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता के उच्च मानकों का अनुसरण करना है। बैंक ने सर्वोत्तम संव्यवहार को अपनाया है एवं गवर्नेंस के मानकों की निगरानी बोर्ड की विभिन्न समितियों द्वारा की जाती है। कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति, कार्य-निष्पादन में सुधार एवं शेयरधारकों की आय में वृद्धि हेतु बोर्ड, कार्यपालकों एवं अन्य पदाधिकारियों की विशिष्ट भूमिकाएँ हैं।

बैंक के इक्विटी शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. में सूचीबद्ध हैं। तथापि, बैंक एक कंपनी नहीं है; किन्तु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के तहत निगमित निकाय है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित है। अतः बैंक स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 के प्रावधानों के उस सीमा तक, जहां तक कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों को अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस सम्बंध में जारी दिशानिर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है, अनुपालन करेगा।

निदेशक मंडल

बैंक का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, (समय-समय पर यथा-संशोधित), के अनुरूप किया गया है। सामान्य देख-रेख, दिशानिर्देश एवं बैंक के व्यवसाय प्रबंधन के अधिकार निदेशक मंडल के पास निहित हैं, जिनकी अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंककारी विनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, यथा संशोधित एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, यथा संशोधित के द्वारा अधिशासित होता है।

समीक्षाधीन वर्ष अर्थात् 2010-11 के दौरान, निदेशक मंडल संयोजन निम्नवत् था :

श्री एस.श्रीधर (दिनांक 02.03.2009 से)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री रामनाथ प्रदीप (दिनांक 19.12.2008 से 01.09.2010 तक- तदुपरांत कॉर्पोरेशन बैंक के सीएमडी नियुक्त)	कार्यपालक निदेशक
श्री अरुण कौल (दिनांक 22.04.2009 से 01.09.2010 तक - तदुपरांत यूको बैंक के सीएमडी नियुक्त)	कार्यपालक निदेशक
श्रीमती वी.आर.अय्यर (दिनांक 01.09.2010 से)	कार्यपालक निदेशक
श्री आर.के.दुबे (दिनांक 01.09.2010 से)	कार्यपालक निदेशक
डॉ. शशांक सक्सेना (दिनांक 10.06.2008 से)	भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री एम.के.भट्टाचार्य (दिनांक 30.07.2010 से निदेशक के रूप में नहीं हैं)	भारिबैं द्वारा नामित निदेशक
श्री सलीम गंगाधरन (दिनांक 30.07.2010 से)	भारिबैं द्वारा नामित निदेशक
श्री एम.एस.जोहर (दिनांक 01.01.2011 को सेवानिवृत्त)	सनदी लेखाकार श्रेणी में अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक
श्री बृजलाल क्षत्रिय (दिनांक 20.11.2008 से)	शेयरधारक निदेशक
प्रो.एन.बालकृष्णन (दिनांक 20.11.2008 से)	शेयरधारक निदेशक
श्री रोमेश सभरवाल (दिनांक 06.10.2009 से)	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक
मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश (दिनांक 20.10.2009 से)	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक
श्री बी.एस.रामबाबू (दिनांक 16.03.2010 से)	कर्मकार कर्मचारी निदेशक

नए निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

श्रीमती वी.आर.अय्यर (जन्म तिथि 01.06.1955), आयु 55 वर्ष, ने दिसंबर 1975 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्य ग्रहण किया और बहुत बड़ी एवं अत्यधिक बड़ी शाखाओं की बैंकिंग, मुंबई और पुणे के प्रतिष्ठित अंचलों के ऋण विभाग में क्रमशः 9 वर्ष एवं 15 वर्ष के व्यापक सेवा अनुभव के साथ पिछले 30 वर्षों में कई चुनौतीपूर्ण कार्य किए हैं। परिचालनात्मक बैंकिंग तथा ऋण अनुभव का विस्तृत अनुभव रखने वाली श्रीमती विजयलक्ष्मी अय्यर को वर्ष 2000 में बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग की स्थापना का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया। आपने वर्ष 2006-07 के दौरान उप महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी) के रूप में

पदभार संभाला तथा जनवरी, 2008 में सूचना तकनीक तथा जोखिम प्रबंधन, दोनो ही महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो का दायित्व संभालने के लिए आपकी पदोन्नति महाप्रबंधक के पद पर की गई। आपने कोर बैंकिंग समाधान के अंतर्गत 2500 शाखाएं स्थापित की, विभिन्न डिलीवरी चैनलों, व्यापक केन्द्रीयकृत एमआईएस प्रणाली को सुव्यवस्थित किया तथा संपूर्ण ऋण प्रबंधन को स्वचलित करने में सफलता प्राप्त की। हमारे बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद हेतु चयनित होने से पूर्व एमएसएमई विभाग की प्रमुख थी।

श्री आर.के.दुबे (जन्म तिथि 10.09.1954), आयु 56 वर्ष, एक टैकनो-सैवी बैंकर हैं, जिन्हें पंजाब नेशनल बैंक में 30 वर्ष की बहु आयामी परिचालनात्मक बैंकिंग का विस्तृत अनुभव है। अपने कार्यकाल में आप 10 वर्षों तक क्षेत्रीय/आंचलिक/सर्कल प्रमुख रहे। विभिन्न शाखाओं के कार्यभार को देखते हुए बुनियादी स्तर पर शाखा परिचालन में 9 वर्ष तथा बैंक के प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रभारी के रूप में प्रशिक्षण का दायित्व निभाया तथा बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय के सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग में उप प्रभारी के रूप में 1 वर्ष और अंतिम 5 महिने पंजाब नेशनल बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय के मार्केटिंग सेवाएं प्रभाग के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। आपने 1 सितंबर, 2010 को हमारे बैंक में कार्यपालक निदेशक का पद ग्रहण किया।

श्री सलीम गंगाधरन (जन्म तिथि 13.10.1953), आयु 57 वर्ष, 30 वर्ष से भी अधिक समय से भारतीय रिज़र्व बैंक में कार्यरत हैं तथा इस समय भा.रि.बैं. के क्षेत्रीय निदेशक हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक में अपने करियर के दौरान आपने विभिन्न परिचालन विभागों, विशेष तौर पर बैंक पर्यवेक्षण तथा वित्तीय बाजार में कार्य किया है। आप पांच वर्षों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय में संकाय सदस्य के रूप में कार्यरत थे और आपने जोखिम प्रबंधन, भुगतान प्रणाली तथा ट्रेजरी प्रबंधन पर कई सेमिनारों एवं परिषदों का आयोजन किया है। आप सेन्ट्रल बैंक ऑफ ओमन में पांच वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे। प्रस्तावित मौद्रिक यूनियन के एक हिस्से के रूप में जीसीसी देशों में पर्यवेक्षण व्यवहारों में अभिमुखता की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए आप आईएमएफ टीम के सहयोगी रहे हैं। आप रिज़र्व बैंक/भारत सरकार के कई आंतरिक कार्य समूहों का हिस्सा रहे हैं। सेन्टर फॉर सेन्ट्रल बैंकिंग स्टडीज, बैंक ऑफ इंग्लैंड सहित कई सेमिनारों में आपने पर्व प्रस्तुत किए हैं।

अन्य निदेशकों के विवरण

श्री एस.श्रीधर (जन्म तिथि 09.05.1951), आयु 60 वर्ष, एक ऐसे निपुण बैंकर हैं जिन्हें वाणिज्यिक एवं विकास बैंकिंग में 37 वर्ष से अधिक का अनुभव प्राप्त है। आवास के लिए शीर्ष वित्तीय संस्था तथा आवास वित्त कंपनियों के विनियामक राष्ट्रीय आवास बैंक के आप लगभग साढ़े चार वर्षों तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक थे। राष्ट्रीय आवास बैंक में आपने प्रथम आवासीय मूल्य सूचकांक, संभव आवासीय अभिक्रमों, रिवर्स मॉर्गेंज इत्यादि जैसे नए उत्पाद आरंभ किए। राष्ट्रीय आवास बैंक में अपने कार्यकाल के पूर्व आप लगभग पांच वर्षों तक कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य परिचालन अधिकारी के पद पर रहे और विशेष तौर पर कॉर्पोरेट बैंकिंग व्यवसाय तथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जुटाने का महत्वपूर्ण दायित्व निभाया। आप सार्वजनिक नीति सूत्रीकरण से भी जुड़े रहे। आपने आइआईटी, दिल्ली तथा जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई से शिक्षा ग्रहण की। यू.के. तथा फ्रान्स में कार्य करते हुए, वर्ष 1984 में आप लॉर्ड एलडिंग्टन बैंकिंग रिसर्च फेलो रहे। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में आप आमंत्रित वक्ता रहे हैं। आपने 02 मार्च, 2009 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यग्रहण किया।

श्री शशांक सक्सेना (जन्म तिथि 01.07.1962), आयु 48 वर्ष, अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर तथा विधि में स्नातक हैं, जिन्हें वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग का बृहद अनुभव प्राप्त है। आप भारतीय वित्तीय सेवा कैडर में हैं तथा इस समय संयुक्त सचिव की श्रेणी में निदेशक (बीओए) के रूप में कार्यरत हैं। आप भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि. तथा निक्षेप बीमा तथा ऋण गारंटी निगम में निदेशक के रूप में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। साथ ही आप वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक (ए.सी. एवं पेंशन) के पद पर भी थे।

श्री बृजलाल क्षत्रिय (जन्म तिथि 23.09.1936), सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 74 वर्षीय, शेरर धारक निदेशक, स्टील प्लान्ट प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं तथा उन्हें भारत और विदेश में कार्य तथा मानव संसाधन कार्यों में व्यापक प्रशिक्षण अनुभव है। आप बीएचयू से मेटलर्जिकल इंजिनियरिंग में स्नातक हैं। आपने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के विभिन्न संयंत्रों में शीर्ष प्रशासन के पदों पर कार्य करते हुए बोकारो स्टील प्लान्ट में प्रबंध निदेशक का पद ग्रहण किया। आपको 1993 में राजीव गांधी एक्सलन्स अवार्ड, दिसंबर 1993 में एनआरआई वर्ल्ड की ओर से मदर इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड और दिसंबर 1993 में ग्लोरी ऑफ इंडिया अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

प्रॉफेसर एन.बालकृष्णन (जन्म तिथि 01.06.1950), सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 60 वर्षीय, शेरर धारक निदेशक, उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक हैं। आप मद्रास विश्वविद्यालय से बी.ई. (इलेक्ट्रॉनिक्स करिकुलम में) हैं और वर्ष 1979 में आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स से पी.एच.डी. की है। इस समय आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स के सहयोगी निदेशक और डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग में प्रॉफेसर हैं। भारत का पहला सुपर कम्प्यूटर केन्द्र बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों एवं परिषदों में आपके 200 से अधिक प्रकाशन प्रकाशित हुए हैं। वर्ष 2002 में भारत के राष्ट्रपति से पदमश्री पुरस्कार, वर्ष 2007 में जे.सी.बोस नेशनल फेलोशिप आदि प्रतिष्ठित पुरस्कारों से आप सम्मानित हुए हैं। इस समय आप नेशनल सिक्युरिटी एडवायजरी बोर्ड के सदस्य हैं। सूचना प्राद्योगिकी आयोजना तथा सूचना सुरक्षा में अनेक प्रमुख राष्ट्रीय प्रवर्तनों में आपका महत्वपूर्ण योगदान है।

श्री रोमेश सभरवाल (जन्म तिथि 19.08.1963), आयु 47 वर्ष, आपको हमारे बोर्ड में अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक के रूप में दिनांक 03.03.2006 को, दिनांक 02.03.2009 तक की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। आपको दिनांक 06.10.2009 से अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया। आप सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय से एमबीए तथा पुसा पॉलीटेक्निक, दिल्ली से इंजिनियरिंग में डिप्लोमा धारक हैं। आप दिल्ली पर्यटन परिवहन विकास निगम लि. के पूर्व अध्यक्ष तथा दिल्ली उपभोक्ता संरक्षण परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। आप एक समाज सेवक भी हैं।



मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश (जन्म तिथि 19.08.1963), आयु 72 वर्ष, आपको हमारे बोर्ड में अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक के रूप में दिनांक 06.10.2005 को, दिनांक 05.10.2008 तक की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था. आपको दिनांक 20.10.2009 से अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया. आप उस्मानिया विश्वविद्यालय से कला में स्नातकोत्तर तथा बिजनेस एंड एडवान्स इंटेलिजेंस कोर्स के डिप्लोमा धारक हैं. आप भारतीय सेना में अधिकारी रह चुके हैं.

श्री बी.एस.रामबाबू (जन्म तिथि 03.08.1956), आयु 54 वर्ष, को कर्मकार कर्मचारी निदेशक के रूप में 16 मार्च, 2010 को नियुक्त किया गया. आप वाणिज्य तथा विधि के स्नातक हैं तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोशिएट हैं. आप हमारी बैंक में हैदराबाद में कर्मकार कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं.

निदेशकों के अन्य विवरण

निदेशकों के नाम	निदेशक के रूप में नियुक्ति की तारीख	विशेषज्ञता क्षेत्र	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड की समितियों के सदस्य		अन्य कंपनियों के निदेशक पद
			सदस्य	अध्यक्ष	
श्री एस.श्रीधर	02.03.2009	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटीपी. एसआईजीसी, आईएफआरएस, आईटीपीए, वीआईजी	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटीपी, आईएफआरएस, आईटीपीए, वीआईजी	i) सेन्ट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड ii) इंडो जाम्बिया बैंक लि. iii) कृषि वित्त निगम लि. iv) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड. v) भारतीय जीवन बीमा निगम vi) सेन्ट्रल बैंक होम फाइनेंन्स लि. vii) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेंन्स
श्रीमती वी.आर. अय्यर	01.09.2010	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटीपी, एसआईजीसी, आईएफआरएस, आईटीपीए, आरआई.	आरआई	i) सेन्ट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लि.
श्री आर.के.दुबे	01.09.2010	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटीपी, एसआईजीसी, आईएफआरएस, आईटीपीए	निरंक	i) सेन्ट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लि. ii) सेन्ट्रल बैंक होम फाइनेंन्स लि.
डॉ.शंशाक सक्सेना	10.06.2008	अर्थशास्त्री	एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, आरसी वीआईजी	आरसी	i) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लि. ii) डिपॉजिट इंश्युरेंस एण्ड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड
श्री सलीम गंगाधरन	30.07.2010	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरसी वीआईजी	निरंक	निरंक
श्री बृजलाल क्षत्रिय	20.11.2008	मानव संसाधन विकास	एमसी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, एसआईजीसी, आईएफआरएस, आईटीपीए	एसआईजीसी	i) ईको-टेक मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लिमिटेड ii) सैनसन अशोसिएशन (इंडिया) प्रा. लि. iii) स्ट्रैटिजिक एचआर सर्विसेस प्रा.लि.
प्रो.एन.बालकृष्णन	20.11.2008	सूचना प्रौद्योगिकी	एसीबी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटीपी, आरसी, आईएफआरएस, आईटीपीए	निरंक	i) सी-डॉट अल्केटल रिसर्च सेन्टर प्रा. लि. ii) डाटा सिक्युरिटी काउन्सिल ऑफ इंडिया
श्री रोमेश सभरवाल	06.10.2009	सामाजिक कार्यकर्ता	एमसी, सीएससी, एसआईजीसी, आरसी, आईटीपीए	निरंक	निरंक
मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश	20.10.2009	सामाजिक कार्यकर्ता	आरएमसी, आईटीपी	निरंक	निरंक
श्री बी.एस.रामबाबू	16.03.2010	बैंकिंग	आरएमसी	निरंक	निरंक

एमसी	-	निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति
एसीबी	-	निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति
आरएमसी	-	जोखिम प्रबंधन समिति
एलवीएफसी	-	बड़ी राशि के कपट संबंधी समिति
सीएससी	-	ग्राहक सेवा समिति
आईटीपी	-	बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना
एसआईजीसी	-	शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति
आरसी	-	पारिश्रमिक समिति
आईएफआरएस	-	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक
आईटीपीए	-	आंतरिक प्रशिक्षण नीति परामर्शदातागण
आरआई	-	राइट इश्यू समिति
वीआईजी	-	सतर्कता समिति

निदेशकों का पारिश्रमिक :

निदेशकों को सामान्य यात्रा एवं विराम भत्ता व्यय के अलावा बोर्ड की प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहने के लिए ₹ 5,000/- और बोर्ड की विभिन्न समितियों की बैठक में उपस्थित रहने के लिए ₹ 2,500/- बैठक शुल्क (Sitting fees) का भुगतान किया जाता है। भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकों तथा निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान, प्रबंध निदेशकों और कार्यपालक निदेशकों को कुल वेतन, भत्ते तथा परिलब्धियों के रूप में निम्न राशि का भुगतान किया गया:

क्र.	नाम	₹ लाख में
1	श्री एस.श्रीधर	22.22
2.	श्री रामनाथ प्रदीप	10.57
3.	श्री अरुण कौल	10.11
4	श्रीमती वी.आर.अय्यर	7.96
5.	श्री आर.के.दुबे	7.28

उक्त वेतन, भत्तों तथा परिलब्धियों के अतिरिक्त, बोर्ड की पारिश्रमिक समिति ने वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए, श्री एस.श्रीधर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को ₹ 7,00,000.00, श्री रामनाथ प्रदीप, भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक को ₹ 5,50,000.00, श्री अरुण कौल, भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक को ₹ 5,18,350.00 की कार्य निष्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन राशि के भुगतान का अनुमोदन किया।

समीक्षा वर्ष के दौरान, बैंक ने पात्र निदेशकों को बोर्ड की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए ₹ 3,30,000.00 तथा बोर्ड की उप-समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए ₹ 3,47,500.00 के बैठक शुल्क का भुगतान किया।

बोर्ड की बैठकों का आयोजन

वर्ष के दौरान, बोर्ड की 15 बैठकें निम्न तारीखों को आयोजित की गई थीं :

02.05.2010	25.06.2010	29.09.2010	24.12.2010	23.02.2011
22.05.2010	29.07.2010	26.10.2010	22.01.2011	12.03.2011
13.06.2010	28.08.2010	26.11.2010	31.01.2011	27.03.2011

निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण :

निदेशक का नाम	दर्ज की गई उपस्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से - तक)	क्या दिनांक 14 जुलाई, 2010 को आयोजित अंतिम एजीएम में भाग लिया
श्री एस.श्रीधर	15	15	01.04.2010 - 31.03.2011	हां
श्री रामनाथ प्रदीप	06	6	01.04.2010 - 01.09.2010	हां
श्री अरुण कौल	06	6	01.04.2010 - 01.09.2010	हां
श्रीमती वी.आर.अय्यर	09	9	01.09.2010 - 31.03.2011	एजीएम की तिथि पर आप निदेशक नहीं थीं



निदेशक का नाम	दर्ज की गई उपस्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से - तक)	क्या दिनांक 14 जुलाई, 2010 को आयोजित अंतिम एजीएम में भाग लिया
श्री आर.के.दुबे	09	9	01.09.2010 - 31.03.2011	एजीएम की तिथि पर आप निदेशक नहीं थे
डॉ. शशांक सक्सेना	09	15	01.04.2010 - 31.03.2011	हां
श्री एम.के.भट्टाचार्य	05	5	01.04.2010 - 29.07.2010	हां
श्री सलीम गंगाधरन	07	10	30.07.2010 - 31.03.2011	एजीएम की तिथि पर आप निदेशक नहीं थे
श्री एम.एस.जोहर	08	10	01.04.2010 - 01.01.2011	हां
श्री बृजलाल क्षत्रिय	14	15	01.04.2010 - 31.03.2011	हां
प्रो.एन.बालकृष्णन	10	15	01.04.2010 - 31.03.2011	हां
श्री रोमेश सभरवाल	14	15	01.04.2010 - 31.03.2011	हां
मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश	15	15	01.04.2010 - 31.03.2011	हां
श्री बी.एस.रामबाबू	15	15	01.04.2010 - 31.03.2011	नहीं

निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति :

निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 सहपठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार किया जाता है एवं यह वित्तीय स्वीकृतियों, समझौतों/बड़े खाते प्रस्तावों और वाद दायर/अपील इत्यादि के लिए निहित अधिकारों को प्रयोग करता है. इस समिति में दिनांक 31.03.2011 को 6 सदस्य यथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक तथा 2 गैर सरकारी अंशकालीन निदेशकगण शामिल हैं.

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की इस प्रबंधन समिति की निम्नानुसार 26 बैठकें आयोजित की गईं :

13.04.2010	14.07.2010	28.09.2010	24.12.2010	23.03.2011
26.04.2010	28.07.2010	15.10.2010	14.01.2011	29.03.2011
19.05.2010	13.08.2010	25.10.2010	28.01.2011	
28.05.2010	28.08.2010	10.11.2010	14.02.2011	
12.06.2010	09.09.2010	25.11.2010	23.02.2011	
25.06.2010	21.09.2010	13.12.2010	11.03.2011	

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है :

निदेशकों के नाम	अभिलेखित उपस्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	प्रबंधन समिति की अवधि (से - तक)
श्री एस.श्रीधर	26	26	01.04.2010 - 31.03.2011
श्री रामनाथ प्रदीप	10	10	01.04.2010 - 31.08.2010
श्री अरुण कौल	10	10	01.04.2010 - 31.08.2010
श्रीमती वी.आर.अय्यर	15	16	01.09.2010 - 31.03.2011
श्री आर.के.दुबे	16	16	01.09.2010 - 31.03.2011
श्री एम.के.भट्टाचार्य	08	08	01.04.2010 - 29.07.2010
श्री सलीम गंगाधरन	12	18	30.07.2010 - 31.03.2011
श्री एम.एस.जोहर	16	19	01.04.2010 - 01.01.2011
श्री बृजलाल क्षत्रिय	04 07	04 09	01.04.2010 - 31.05.2010 01.12.2010 - 31.03.2011
श्री रोमेश सभरवाल	06 06	06 07	01.04.2010 - 30.06.2010 01.01.2011 - 31.03.2011
मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश	11	11	01.07.2010 - 30.11.2010
श्री बी.एस.रामबाबू	09	13	01.07.2010 - 31.12.2010

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा किया गया है। एसीबी दिशानिर्देश देने के साथ-साथ बैंक में आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण का संगठन, परिचालन पध्दति तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणों की अनुवर्ती कार्रवाई सहित बैंक के समग्र लेखा कार्य के परिचालनों का पर्यवेक्षण करती है। लेखा परीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें हैं :

- ए. अंतर-शाखा समायोजन खातों पर अनुवर्ती कार्रवाई, अंतर-बैंक एवं नॉस्ट्रो खातों में बकाया पुरानी प्रविष्टियों, विभिन्न शाखाओं में बकाया बही संतुलन, धोखाधड़ी एवं हाउसकीपिंग के अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षा/निरीक्षण कार्य, आंतरिक लेखा परीक्षा के सम्बंध में समीक्षा;
- बी. भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशानुसार बैंक में नियुक्त अनुपालन अधिकारी से अर्धवार्षिक रिपोर्टें प्राप्त करना तथा उनकी समीक्षा करना;
- सी. बोर्ड को प्रस्तुत करने के पूर्व लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां और तिमाही, अर्ध वार्षिक एवं वार्षिक वित्तीय रिपोर्टों की समीक्षा सहित स्वतंत्र लेखा परीक्षा की संभाव्यता का पता लगाना व समीक्षा करना।
- डी. तिमाही/अर्द्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय खातों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के पूर्व सांविधिक लेखा परीक्षा के सम्बंध में, लॉग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए समस्त मुद्दों पर एवं बाह्य लेखा परीक्षकों से परस्पर बातचीत करते हुए अनुवर्ती कार्रवाई करना;
- ई. खातों, लेखांकन नीतियों एवं प्रकटीकरणों की नियमित समीक्षा;
- एफ. प्रबंधन के निर्णय पर आधारित मुख्य प्रविष्टियों की समीक्षा एवं लेखा परीक्षा में पाए गए महत्वपूर्ण समायोजनों की समीक्षा करना;
- जी. मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दर्शाई गई कमियां;
- एच. किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षकों के साथ लेखा परीक्षा के पश्चात चर्चा करना;
- आई. आंतरिक लेखा परीक्षा की आवश्यकता और बारंबारिता निश्चित करना, आंतरिक लेखा परीक्षा के निष्कर्षों की समीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता सुनिश्चित करना;
- जे. जहां तक लागू हो, वित्तीय विवरणों के सम्बंध में स्टॉक एक्सचेंज की विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन;
- के. समय-समय पर ऐसे अन्य मामले जोकि कोई सांविधिक अनुबंधित अथवा विनियामक आवश्यकताओं के लिए हैं, लेखा परीक्षा समिति देखेगी।

दिनांक 31 मार्च, 2011 को लेखा परीक्षा समिति का संयोजन निम्नानुसार है :

1	प्रो.एन.बालकृष्णन	अध्यक्ष
2	श्रीमती वी.आर.अय्यर	सदस्य
3	श्री आर.के.दुबे	सदस्य
4	डॉ. शशांक सक्सेना	सदस्य
5	श्री सलीम गंगाधरन	सदस्य

वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की 10 बैठकें निम्नानुसार आयोजित हुईं :

02.05.2010	29.07.2010	28.09.2010	26.03.2011
22.05.2010	14.08.2010	26.10.2010	
28.05.2010	04.09.2010	31.01.2011	

सदस्यों की अभिलेखित उपस्थिति निम्नानुसार रही है :

निदेशकों के नाम	अभिलेखित उपस्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	लेखा परीक्षा समिति की अवधि (से - तक)
श्री एम.एस.जोहर	08	08	01.04.2010 - 01.01.2011
श्री रामनाथ प्रदीप	05	05	01.04.2010 - 31.08.2011
श्री अरुण कौल	05	05	01.04.2010 - 31.08.2011
श्रीमती वी.आर.अय्यर	05	05	01.09.2010 - 31.03.2011
श्री आर.के.दुबे	04	05	01.09.2010 - 31.03.2011
डॉ.शशांक सक्सेना	03	10	01.04.2010 - 31.03.2010
श्री एम.के.भट्टाचार्य	04	04	01.04.2010 - 29.07.2010
श्री सलीम गंगाधरन	03	06	30.07.2010 - 31.03.2011
प्रो.एन.बालकृष्णन	06	10	01.04.2010 - 31.03.2011



बैंक के तिमाही गैर-लेखा परीक्षित परिणामों और वर्ष के लेखा परीक्षित परिणामों की समीक्षा बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई तथा निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई.

शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के दिशा-निर्देशों के तहत सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुपालन में शेयरों के अंतरण, तुलन पत्र की प्राप्ति न होने, लाभांश की प्राप्ति न होने इत्यादि से सम्बंधित शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति का गठन किया गया है. वर्ष के दौरान निवेशकों से प्राप्त सभी संदर्भों/शिकायतों का उत्तर दिया जा चुका है/निपटान किया जा चुका है. सामान्यतः निवेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई, सम्बद्ध जानकारी प्राप्त होने से सात दिनों के भीतर कर ली जाती है. इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक एवं दो स्वतंत्र निदेशक हैं. इसकी अध्यक्षता हमारे बैंक के निदेशक मंडल के शेयरधारक निदेशक श्री बृजलाल क्षत्रिय द्वारा की जाती है.

वर्ष के दौरान, समिति की 4 बैठकें निम्नानुसार आयोजित हुई :

13.06.2010	08.09.2010	10.11.2010	11.03.2011
------------	------------	------------	------------

सदस्यों के अभिलेखित उपस्थिति निम्नानुसार है :

निदेशकों के नाम	अभिलेखित उपस्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	समिति की अवधि (से - तक)
श्री एस.श्रीधर	04	04	01.04.2010 - 31.03.2011
श्री रामनाथ प्रदीप	01	01	01.04.2010 - 31.08.2010
श्री अरुण कौल	01	01	01.04.2010 - 31.08.2010
श्रीमती वी.आर.अय्यर	03	03	01.09.2010 - 31.03.2011
श्री आर.के.दुबे	03	03	01.09.2010 - 31.03.2011
श्री बृजलाल क्षत्रिय	04	04	01.04.2010 - 31.03.2011
मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश	03	03	11.04.2010 - 31.12.2010
श्री रोमेश सभरवाल	01	01	01.01.2011 - 31.03.2011

वर्ष 2010-11 (दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2011) के लिए निवेशक शिकायतों के विवरण निम्नानुसार हैं :

1	वर्ष के प्रारंभ में लम्बित शिकायतें	निरंक
2	लाभांश वारण्टों का प्राप्त न होने सम्बंधी	358
3	डीमेट क्रेडिट/रिफंड आर्डर प्राप्त न होने सम्बंधी	31
4	वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने सम्बंधी	01
5	शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त न होने सम्बंधी	09
6	अस्वीकृत डीमेट अनुरोध फॉर्म प्राप्त न होने सम्बंधी	01
7	अन्य	25
	कुल प्राप्त शिकायतें	425
8	कुल देखी/निपटाई गई शिकायतें	425
9	वर्ष की समाप्ति पर कुल लम्बित शिकायतें	निरंक

हम पुष्टि करते हैं कि निवेशक की कोई भी शिकायत 30 दिनों से अधिक अवधि हेतु विचाराधीन/लंबित नहीं रही है.

अनुपालन अधिकारी

श्री आनंद कुमार दास, सहायक महाप्रबंधक (कंपनी सचिव), स्टाक एक्सचेंज के साथ किए गए इक्विटी सूचीकरण करार के अनुसार बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं.

पारिश्रमिक समिति

निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन वित्त-मंत्रालय संप्रेषण एफ नं. 20.01.2005-बीओ-1 दिनांक 09.03.2007 के अनुसार, पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए किया गया. वर्ष के दौरान, वर्ष 2009-10 हेतु पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि पर विचार करने के लिए डॉ. शशांक सक्सेना, सरकार के नामिती निदेशक (अध्यक्ष), श्री एम. के. भट्टाचार्य, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक, प्रो.एन.बालकृष्णन एवं श्री रोमेश सभरवाल इन सदस्यों की समिति की बैठक दिनांक 22.05.2010 को हुई.

सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, प्रिफेरेन्शियल निर्गमों आदि से प्राप्त आय

वर्ष के दौरान, बैंक ने भारत सरकार को ₹ 250.00 करोड़ के बेमियादी अंसचयी अधिमानी शेयरों (पीएनसीपीएस) के रूप में अधिमानी शेयर जारी करके

अपनी चुकता पूंजी बढ़ाई. बैंक ने ₹ 1,300.00 करोड़ उच्च टियर - II बॉण्ड के जरिए जुटाए. निधियों को जुटाने का मुख्य उद्देश्य पूंजी पर्याप्तता अनुपात मजबूत करने हेतु टियर - I एवं टियर - II पूंजी बढ़ाना एवं बैंक के दीर्घवधि स्रोतों में वृद्धि करना है. जुटाई गई निधियों का उपयोग उक्त उद्देश्यों हेतु किया जाएगा. भारत सरकार को जारी ₹ 450.00 करोड़ के पीएनसीपीएस निर्गम अहस्तांतरणीय हैं और स्टॉक एक्सचेंज के साथ इनका व्यवहार नहीं है और तदनुसार, इनका क्रय-विक्रय/ अथवा सूचीबद्धता नहीं किया जा सकता है.

संप्रेषण के माध्यम :

तिमाही वित्तीय परिणाम (गैर- लेखा परीक्षित परंतु सांविधिक लेखा परीक्षकों की सीमित समीक्षा के अधीन) तथा लेखा परीक्षित वार्षिक परिणाम इकॉनामिक टाइम्स के सभी संस्करणों (अंग्रेजी/गुजराती/हिंदी) तथा लोकसत्ता (क्षेत्रीय भाषा) में प्रकाशित किए गए हैं. यह परिणाम बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर भी प्रदर्शित किए गए हैं.

आचार संहिता

बैंक ने बोर्ड के निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता अपनाई है. इसका पाठ बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.centralbankofindia.co.in पर उपलब्ध है. समीक्षाधीन वर्ष के लिए सभी निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा इसके अनुपालन की पुष्टि की गई है और अनुपालन की पुष्टि का प्रमाणपत्र अनुलग्नक I में दिया गया है.

बैंक ने बैंक प्रतिभूतियों में आंतरिक संव्यवहार को रोकने के लिए अपने निदेशकों एवं नामित कर्मचारियों के लिए भी आचार संहिता बनाई है.

दिनांक 31 मार्च, 2011 को निदेशकों द्वारा धारित बैंक के शेयरों की संख्या :

क्र.	शेयरधारक का नाम	धारित कुल शेयर्स	
		संख्या	सकल योग का %
1	श्री बृजलाल क्षत्रिय	200	0.000049
2	श्री एन. बालकृष्णन	100	0.000024
	कुल	300	0.000073

अन्य प्रकटीकरण

बैंकिंग कारोबार की सामान्य प्रकृति के अलावा बैंक ने कोई महत्वपूर्ण संव्यवहार इसके प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों अथवा सम्बंधियों से नहीं किया है जिससे कि बैंक के व्यापक हितों पर प्रतिकूलता की संभाव्यता हो. वर्ष के दौरान बैंक और इसके गैर-कार्यपालक निदेशकों के बीच कोई आर्थिक सम्बंध तथा संव्यवहार नहीं हुआ है.

बैंक में सुस्थापित प्रथा है कि निदेशक, जब उनसे सम्बंधित या उनके रिश्तेदारों से सम्बंधित कोई मामला बोर्ड में चर्चाधीन होता है, तब बोर्ड एवं बोर्ड की उपसमितियों की चर्चा में भाग नहीं लेते हैं.

बैंक ने पूंजी बाजार से सम्बंधित भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किया है.

सेबी ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992, सहपठित सेबी का नियम 5 (न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा जांच करने एवं अर्थदंड लगाने के लिए प्रक्रिया) के अंतर्गत न्यायनिर्णय आदेश संख्या पीकेबी/एओ-14/2011 दिनांक 25 फरवरी, 2011, नियम 1995 में एक आदेश पारित करते हुए सेबी (डिबेंचर न्यासी) विनियम 1993 (डीटी विनियम) डीटी विनियम की आचार संहिता और सेबी (ऋण प्रतिभूतियों को जारी एवं सूचीबद्ध करना) विनियम 2008 के कतिपय प्रावधानों के लिए ₹ 2.5 मिलियन का दंड लगाया. इसके अतिरिक्त, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, किसी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी अथवा कोई सांविधिक प्राधिकारी अथवा पूंजी बाजार से सम्बंधित अन्य मामलों में कोई दंड नहीं लगाया गया है अथवा टिप्पणी नहीं की है.

बैंक ने सूचीकरण करार के खंड 49 की अनुबद्ध आवश्यकताओं का जहां तक खंड की आवश्यकताओं से, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, प्रावधानों, विनियमों का उल्लंघन नहीं होता है, का अनुपालन किया है.

गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं (सूचीकरण करार का अनुलग्नक I डी)

बैंक ने सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुलग्नक I डी में निर्दिष्ट गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं का वर्तमान में अंगीकार नहीं किया है.

सामान्य शेयरधारक सूचना

बैंक की चतुर्थ वार्षिक सामान्य बैठक:

दिनांक : 29 जुलाई, 2011 को दोपहर 3.00 बजे सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर हॉस्पिटल/रिलायन्स एनर्जी कार्यालय के पास, जीवीपीडी स्कीम, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई-400056

1. सामान्य वार्षिक बैठक वित्तीय वर्ष 2010-11 से सम्बंधित है.
2. बही-बंदी की तारीख: 23 जुलाई, 2011 से 29 जुलाई, 2011 तक (दोनों दिवस सहित)
3. लाभांश भुगतान तारीख : 27 अगस्त, 2011 को अथवा उससे पूर्व
4. स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरण :



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

बैंक के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड एवं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, दोनों में सूचीबद्ध किए गए हैं. स्क्रिप कोड निम्नवत है :

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)	532885
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	सीईएनटीआरएलबीके
आईएसआईएन नंबर	आई एन ई 483A01010

दोनों स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2011-12 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क अदा किया गया है.

बैंक ने समय-समय पर वचन-पत्रों के रूप में गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड (टियर - II पूंजी) जारी किए हैं. तत्सम्बंधी बकाया विवरण निम्नवत है :

दिनांक 31.03.2011 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बॉण्ड - टियर II पूंजी स्थिति

सिरीज विवरण	जारी दिनांक	कुल मूल्य (₹ करोड़ में)	आईएसआईएन
लोअर टियर II-सिरीज IX	08.10.2004	200.00	आईएनई483A09138
लोअर टियर II-सिरीज X	28.03.2006	578.20	आईएनई483A09146
लोअर टियर II-सिरीज XI	04.10.2006	700.00	आईएनई483A09153
लोअर टियर II-सिरीज XII	03.03.2008	389.10	आईएनई483A09161
लोअर टियर II-सिरीज XIII	10.02.2009	270.00	आईएनई483A09187
अपर टियर II-सिरीज I	14.11.2008	300.00	आईएनई483A09179
अपर टियर II-सिरीज II	17.02.2009	285.00	आईएनई483A09195
अपर टियर II-सिरीज III	23.06.2009	500.00	आईएनई483A09203
अपर टियर II-सिरीज IV	20.01.2010	500.00	आईएनई483A09211
अपर टियर II-सिरीज V	11.06.2010	1000.00	आईएनई483A09229
अपर टियर II-सिरीज VI	21.01.2011	300.00	आईएनई483A08015
कुल		5022.30	

ये सभी बॉण्ड या तो नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड अथवा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में सूचीबद्ध किए गए हैं. बैंक ने वर्ष 2011-12 के लिए एक्सचेंज को वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया है.

बाजार मूल्य आंकड़े :

मासिक उच्च एवं निम्न भाव एवं एनएसई पर शेयरों के क्रय-विक्रय की प्रमात्रा (बैंक के शेयर मूल्य की एनएसई निफ्टी से तुलना सहित) निम्नवत है :

माह	एनएसई					
	अधिकतम मूल्य	न्यूनतम मूल्य	शेयरों की संख्या	एनएसई निफ्टी		
				अधिकतम	न्यूनतम	
अप्रैल 2010	166.50	144.30	10100931	5399.65	5160.90	
मई 2010	162.00	140.00	10888492	5278.70	4786.45	
जून 2010	153.45	140.20	8548409	5366.75	4961.05	
जुलाई 2010	169.40	138.10	18378875	5477.50	5225.60	
अगस्त 2010	196.20	163.50	22208945	5549.80	5348.90	
सितम्बर 2010	207.70	177.70	23687551	6073.50	5403.05	
अक्टूबर 2010	249.20	191.30	35360408	6284.10	5937.10	
नवम्बर 2010	249.40	180.00	39397883	6338.50	5690.35	
दिसम्बर 2010	205.65	157.10	21962626	6147.30	5721.15	
जनवरी 2011	185.30	158.20	15073622	6181.05	5416.65	
फरवरी 2011	190.00	137.15	12078109	5599.25	5177.70	
मार्च 2011	174.45	132.10	29286368	5872.00	5348.20	

मासिक उच्च एवं निम्न भाव एवं बीएसई पर शेयरों के क्रय-विक्रय की प्रमात्रा (बैंक के शेयर मूल्य की सेन्सेक्स से तुलना सहित) निम्नवत है :

बीएसई					
माह	अधिकतम मूल्य	न्यूनतम मूल्य	शेयरों की संख्या	सेन्सेक्स	
				अधिकतम	न्यूनतम
अप्रैल 2010	166.40	144.10	3748116	18,047.86	17,276.80
मई 2010	160.00	140.00	4403830	17,536.86	15,960.15
जून 2010	153.40	140.45	3662394	17,919.62	16,318.39
जुलाई 2010	169.70	138.30	6399333	18,237.56	17,395.58
अगस्त 2010	196.30	163.35	8278300	18,475.27	17,819.99
सितम्बर 2010	207.40	178.00	8401678	20,267.98	18,027.12
अक्टूबर 2010	248.70	190.70	12045935	20,854.55	19,768.96
नवम्बर 2010	249.05	180.20	12138037	21,108.64	18,954.82
दिसम्बर 2010	206.00	157.30	6942298	20,552.03	19,074.57
जनवरी 2011	185.20	158.50	4362224	20,664.80	18,038.48
फरवरी 2011	177.95	137.15	3594467	18,690.97	17,295.62
मार्च 2011	174.45	129.30	9933806	19,575.16	17,792.17

शेयर अंतरण एवं शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण :

शेयर अंतरण, धन-वापसी आदेश, लाभांश भुगतान एवं निवेशकों से सम्बंधित अन्य गतिविधियों पर कार्रवाई हमारे रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट के कार्यालय में की जाती है। इनमें से किसी भी दस्तावेज को जमा करने और किसी भी पूछ-ताछ/शिकायतों/कठिनाइयों के सम्बंध में शेयर धारकों से निम्न पते पर सम्पर्क करने का अनुरोध है:

लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कम्पाउंड
 एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम)
 मुंबई - 400078
 टेलीफोन : 022-25963838
 फैक्स : 022-25946969
 ईमेल आईडी : rnt.helpdesk@linkintime.co.in

8. दिनांक 31.03.2011 को शेयरधारिता का संवितरण

शेयरधारिता का संवितरण (शेयर्स)					
शेयर्स की शेयरधारिता	शेयरधारकों की संख्या	कुल का प्रतिशत	शेयर्स	कुल का प्रतिशत	
1-500	170665	96.2263	15161745	3.7516	
501-1000	3794	2.1392	2925767	0.7239	
1001-2000	1491	0.8407	2220343	0.5494	
2001-3000	486	0.2740	1230158	0.3044	
3001-4000	201	0.1133	717446	0.1775	
4001-5000	182	0.1026	855085	0.2116	
5001-10000	247	0.1393	1796075	0.4444	
10001-9999999999	292	0.1646	379234841	93.8372	
कुल	177358	100	404141460	100	



'सार्वजनिक' की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 1% से अधिक है

'सार्वजनिक' की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता का विवरण, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 1% से अधिक है		
शेयरधारक का नाम	शेयर्स की संख्या	%
भारतीय जीवन बीमा निगम	12247090	3.0304
भारतीय जीवन बीमा निगम - मार्केट प्लस	9997512	2.4738
भारतीय जीवन बीमा निगम - मनी प्लस	4210341	1.0418
कुल	26454943	6.5460

दिनांक 31.03.2011 को शेयरधारिता का स्वरूप

दिनांक 31.03.2011 को शेयरधारिता का स्वरूप						
शेयरधारकों की श्रेणी	शेयर्स की संख्या		शेयरधारकों की संख्या		कुल शेयर्स	धारिता का %
	डिमेट	भौतिक	डिमेट	भौतिक		
केन्द्र सरकार	324141460	0	1	0	324141460	80.2050
विलयिंग सदस्य	792283	0	464	0	792283	0.1960
अन्य निकाय	6261760	0	1290	0	6261760	1.5494
कॉर्पोरेट निदेशकगण	300	0	2	0	300	0.0001
वित्तीय संस्थाएं	29061761	0	6	0	29061761	7.1910
विदेशी निवेशक संस्थाएं	13105828	0	76	0	13105828	3.2429
हिंदू अविभक्त परिवार	74563	0	2	0	74563	0.0184
म्युच्युअल फण्ड	1883260	0	12	0	1883260	0.4660
राष्ट्रीयकृत बैंक	229103	0	8	0	229103	0.0567
गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक	111532	0	3	0	111532	0.0276
अनिवासी भारतीय	579642	0	1041	0	579642	0.1434
अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय)	146454	0	281	0	146454	0.0362
जनसामान्य	25296998	1834	174126	12	25298832	6.2599
ट्रस्ट	62973	0	29	0	62973	0.0156
जीआईसी एवं उसकी अनुषंगियां	2391709	0	5	0	2391709	0.5918
कुल	404139626	1834	177346	12	404141460	100

रुद्ध शेयर्स के ब्यौरे दर्शाता विवरण

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	रुद्ध शेयर्स की संख्या	कुल शेयर्स के प्रतिशत के रूप में रुद्ध शेयर्स (अर्थात (ए)+(बी)+(सी) का कुल योग)
	निरंक		

डिपॉजिटरी रसीद (डीआर) के ब्यौरे दर्शाता हुआ विवरण

क्र.सं.	बकाया डीआर (एडीआर, जीडीआर, एसडीआर इत्यादि) के प्रकार	बकाया डीआर की संख्या	बकाया डीआर के विचाराधीन शेयर्स की संख्या	कुल शेयर्स (अर्थात (ए)+(बी)+(सी) के कुल योग) के प्रतिशत के रूप में विचाराधीन बकाया डीआर
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

डिपॉजिटरी रसीद (डीआर) के ब्यौरे दर्शाता हुआ विवरण, जहां विचाराधीन शेयर्स, कुल शेयर्स के 1% से अधिक है

क्र.सं.	डीआर धारक का नाम	बकाया डीआर (एडीआर, जीडीआर, एसडीआर इत्यादि) के प्रकार	विचाराधीन बकाया डीआर शेयर्स की संख्या	कुल शेयर्स (अर्थात (ए)+(बी)+(सी) के कुल योग) के प्रतिशत के रूप में विचाराधीन बकाया डीआर
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

9. शेयर्स का डिमटेरियलाइजेशन

बैंक के शेयर्स का क्रय-विक्रय अनिवार्यतः डी-मैट रूप में किया जाता है। बैंक ने पहले से ही शेयर्स के डी-मैट रियलाइजेशन के लिए दोनों डिपॉजिटरी नेशनल सिक्क्यूरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) एवं सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है।

दिनांक 31.03.2011 को शेयरधारकों द्वारा डीमैट एवं भौतिक स्वरूप में धारित शेयर्स के विवरण :

	शेयरधारकों की संख्या	शेयर्स की संख्या	शेयरधारिता का %
भौतिक स्वरूप में	12	1834	0.0005
एनएसडीएल	116093	67252872	16.6409
सीडीएसएल*	61253	336886754	83.3586
कुल	177358	404141460	100

*केन्द्र सरकार द्वारा डीमैट रूप में धारित 3214141460 (80.20%) सहित.

कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारण्ट अथवा परिवर्तनीय लिखत बकाया नहीं है।

उचंत खातों में अदावाकृत शेयर्स :

सूचीकरण करार के खण्ड संख्या 5ए की शर्तों के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2011 को "अदावाकृत उचंत खाता" में बकाया शेयर्स निम्नवत हैं :

क्र.सं.	विवरण	शेयरधारकों की समग्र संख्या	समग्र बकाया शेयर्स
(i)	दिनांक 15.11.2010 (अदावाकृत उचंत खातों के प्रारंभ होने की दिनांक) को अदावाकृत उचंत खाते में बकाया कुल शेयरधारकों एवं शेयर्स की संख्या	364	41068
(ii)	वर्ष के दौरान शेयरधारकों की संख्या, जिन्होंने अदावाकृत उचंत खातों से शेयरों के अंतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क किया	68	-
(iii)	वर्ष के दौरान, शेयरधारकों की संख्या, जिन्हें अदावाकृत उचंत खातों से शेयर अंतरित किए गए	5784	-
(iv)	वर्ष के अंत में अदावाकृत उचंत खातों में बकाया कुल शेयरधारकों एवं शेयर्स की संख्या	296	35284

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनिवार्य अनुबंधों के अनुपालन का प्रमाणपत्र

स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीकरण करार की शर्तों के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, अनिवार्य अनुबंधों के अनुपालन से सम्बंधित बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न है।

अनुलग्नक-I

आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा

मैं पुष्टि करता हूँ कि बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधतंत्र ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए बैंक की आचार संहिता का निश्चित रूप से अनुपालन किया है।

निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 30 मई, 2011

एस. श्रीधर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



सूचीकरण करार के खंड 49 के अंतर्गत प्रमाणन

प्रति,

निदेशक मंडल

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

- ए. हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वित्तीय वर्ष 2010-2011 के वित्तीय विवरणों एवं नकद प्रवाह विवरण की जांच की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :
- इन विवरणियों में तथ्यतः कोई गलत विवरण अथवा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छूटा है अथवा ऐसा विवरण नहीं है, जोकि भ्रामक है.
 - ये विवरण समग्र रूप में बैंक की कार्य-पध्दति का सत्य एवं सही चित्रण करते हैं और विद्यमान लेखा मानकों, लागू कानून एवं विनियमों के अनुसार हैं.
- बी. हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया है, जोकि कपटपूर्ण, अवैधानिक अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो.
- सी. वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित एवं इसे व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी हम स्वीकारते हैं तथा यह कि वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग के सम्बंध में हमने बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभाव्यता का मूल्यांकन किया है तथा हमने लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति को प्रक्रिया अथवा परिचालन की आंतरिक नियंत्रण की खामियां, यदि कोई हैं, जिससे हम परिचित हैं, का प्रकटन किया तथा इन कमियों को दूर करने के लिए उन उपायों की जानकारी दी, जिन्हें हमने किया है अथवा किया जाना प्रस्तावित है.
- डी. हमने लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति का ध्यान निम्न पर आकृष्ट किया है :
- वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण में वर्ष के दौरान किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन;
 - लेखांकन नीतियों में वर्ष के दौरान किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों में भी किया गया है एवं
 - धोखाधड़ियों की अहम् घटनाएं, जिनकी हमें जानकारी प्राप्त हुई है तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है, की संलिप्तता, यदि कोई हो.

पी. वी. रविन्द्रन

महाप्रबंधक (लेखे)

एस. श्रीधर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 30 मई, 2011

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

प्रति,

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण,

हमने दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ कथित कंपनी के सूचीकरण-करार के खंड 49 में निर्धारित है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधतंत्र का है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन तक ही हमारी यह जांच सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों पर न तो लेखा परीक्षा है और न ही उन पर अभिव्यक्ति है।

हमारी राय तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुरूप, हम यह प्रमाणित करते हैं कि उल्लिखित सूचीकरण करार में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का कंपनी ने अनुपालन किया है।

हम यह प्रमाणित करते हैं कि शेयरधारक समिति द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी के विरुद्ध कोई भी निवेशक शिकायत एक माह से अधिक अवधि तक लंबित नहीं है।

साथ ही, हमारा यह भी कथन है कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का और न ही प्रबंधतंत्र द्वारा बैंक के कारोबार सम्बंधी उनके कौशल तथा प्रभाविता का आश्वासन है।

कृते मे. सागर एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003510एस

(सीए विद्यासागर बाबू)
भागीदार
सदस्यता सं.27357

कृते मे. के.एस. अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.100186डब्ल्यू

(सीए रघुवीर एम. अय्यर)
भागीदार
सदस्यता सं.32128

कृते मे.जी.एस.ए. असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.000257एन

(सीए सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं.83899

कृते घिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.1088सी

(सीए संजय घिया)
भागीदार
सदस्यता सं.072467

कृते मे. डी. रंगास्वामी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003073एस

(सीए जननी राधाकृष्णन)
भागीदार
एफआर सं.27037

कृते मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003708एन

(मिलन श्रीमाली)
भागीदार
सदस्यता सं.088578

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 30 मई, 2011



भारत के राष्ट्रपति को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए हमारी पूर्व लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 06 मई, 2011 के अधिक्रमण में है। यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट राइट इश्यू के तहत आबंटित उन इक्विटी शेयर्स सहित देय प्रस्तावित लाभांश में संशोधन के अनुसरण में आवश्यक थी क्योंकि ये समरूप आधार पर लाभांश के लिए पात्र थे, जो इश्यू दिनांक 24 मार्च, 2011 एवं दिनांक 7 अप्रैल, 2011 के मध्य जारी किया गया था और उक्त शेयरों को आबंटन बोर्ड द्वारा दिनांक 19 अप्रैल, 2011 को किया गया था।

- हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के दिनांक 31 मार्च, 2011 के संलग्न तुलन पत्र तथा उसमें संलग्न उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि खाते एवं नकद प्रवाह विवरण की लेखा परीक्षा की है। इनमें 20 शाखाओं की विवरणियां, हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 16 आंचलिक कार्यालयों एवं 27 क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 3085 शाखाओं, 20 एनबीओ तथा 9 सीएमएस शाखाएं भी शामिल हैं, इसके साथ ही, 623 शाखाओं एवं 47 क्षेत्रीय कार्यालयों की विवरणियां तुलन-पत्र एवं लाभ एवं हानि खाते में शामिल किए गए हैं, जोकि लेखा परीक्षा के अधीन नहीं थे। इन अलेखा-परीक्षित शाखाओं में अग्रिमों का 0.80 प्रतिशत, जमाओं का 3.83 प्रतिशत, ब्याज आय का 1.02 प्रतिशत और ब्याज खर्चों का 3.28 प्रतिशत है। हमारे द्वारा लेखा परीक्षित शाखाएं तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाएं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा चुनी गई हैं। इन वित्तीय विवरणियों की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणियों के बारे में लेखा-परीक्षा के आधार पर हमारी राय व्यक्त करना है।
- हमने सामान्यतया भारत में स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखा परीक्षा इस तरह से सुनियोजित और सम्पन्न करें कि हमें यह तर्कसंगत आश्वासन मिले कि ये वित्तीय विवरणियां हर प्रकार की महत्वपूर्ण गलतियों से मुक्त हैं। वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों के साक्ष्यों एवं प्रकटीकरणों की नमूने के तौर पर जांच करना लेखा परीक्षा में शामिल है। लेखा परीक्षा में, प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण अनुमान और लेखा सिद्धांतों के आकलन के साथ समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा हमारी राय का तर्कसंगत आधार व्यक्त करती है।
- बैंक द्वारा लाभांश की घोषणा पेंशन की अपरिशोधित राशि (₹ 959.93 करोड़) तथा ग्रेच्युइटी देयताएं (₹ 221.60 करोड़), केन्द्र सरकार की अनुमति के अधीन, बट्टे खाते डाले बिना की गई हैं।
- हमारी राय को उपयुक्त ठहराये बिना, हम वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18 के नोट सं. 14 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो ₹1181.53 करोड़ की सीमा तक बैंक की पेंशन देयता एवं ग्रेच्युइटी देयता के आस्थगन के संबंध में, 'सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के कर्मचारियों को पेंशन विकल्प का पुनः खुलना तथा ग्रेच्युइटी सीमाओं में वृद्धि - विवेकपूर्ण व्यवहार' पर कर्मचारी लाभ संबंधी परिपत्र संख्या डीबीओडी.बीपी.बीसी/80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 के माध्यम से लेखांकन मानक (एएस) 15 के प्रावधानों के आवेदन से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त छूट के अनुसरण में हैं।
- तुलन पत्र और लाभ-हानि खाता, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमशः फॉर्म 'ए' और 'बी' में बनाए गए हैं।
- उपर्युक्त पैरा 1 में दर्शाई गई लेखा परीक्षा की सीमाओं के अधीन एवं बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा साथ ही उनमें वांछित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन, हम सूचित करते हैं कि :
 - हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे श्रेष्ठतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के हमारे प्रयोजनों की दृष्टि से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।
 - बैंक के कारोबार से सम्बंधित जो जानकारी हमारे सामने आई है, वे बैंक के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत ही है।
 - बैंक की शाखाओं तथा कार्यालयों से प्राप्त विवरणियां जो जानकारी सहित प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, हमारे लेखा परीक्षा प्रयोजनों के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।
- हमारी राय में, तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों के अनुसार हैं।
- हमारी राय में तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और बैंक की पुस्तकों में यथा प्रदर्शित :
 - तुलनपत्र, सहपठित मूल लेखांकन नीतियों एवं उन पर टिप्पणियों के साथ, आवश्यक विवरणों को शामिल करते हुए पूर्ण एवं स्पष्ट तुलन-पत्र है, जिससे कि दिनांक 31 मार्च, 2011 को, सामान्यतया भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप बैंक के कार्यकलापों का सत्य एवं स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया जा सके।

- बी) लाभ एवं हानि खाता सह पठित महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं उन पर टिप्पणियों के साथ, सामान्यतया, भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप लेखा द्वारा कवर किये गए वर्ष के लिए लाभ का वास्तविक शेष दर्शाता है.
- सी) नकद प्रवाह विवरण, उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का स्पष्ट एवं वास्तविक चित्रण करता है.

कृते मे. सागर एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003510एस

(सीए विद्यासागर बाबू)
भागीदार
सदस्यता सं.27357

कृते मे. के.एस. अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.100186डब्ल्यू

(सीए रघुवीर एम. अय्यर)
भागीदार
सदस्यता सं.38128

कृते मे.जी.एस.ए. असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.000257एन

(सीए सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं.83899

कृते घिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.1088सी

(सीए संजय घिया)
भागीदार
सदस्यता सं.072467

कृते मे. डी. रंगास्वामी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003073एस

(सीए जननी राधाकृष्णन)
भागीदार
एफआर सं.27037

कृते मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003708एन

(सीए मिलन श्रीमाली)
भागीदार
सदस्यता सं.088578

स्थान : मुंबई

दिनांक : 30 मई, 2011



दिनांक 31 मार्च, 2011 का तुलन पत्र

(000' छोड़कर)

	अनुसूची संख्या	दिनांक	दिनांक
		31 मार्च, 2011 को ₹	31 मार्च, 2010 को ₹
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	2021,14,15	1771,14,15
शेयर आवेदन राशि (नोट 1 का संदर्भ लें)		2025,68,36	-
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	2	6826,57,78	5921,10,55
जमाराशियां	3	179356,01,53	162107,46,88
उधार राशियां	4	12887,97,94	7326,63,68
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	6639,92,93	5545,27,12
कुल		209757,32,69	182671,62,38
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	6	14081,99,16	17011,92,88
बैंकों में जमाराशियां और मांग व अल्प सूचना पर राशियां	7	1200,80,97	2205,08,50
निवेश	8	54504,48,83	50562,86,70
अग्रिम	9	129725,40,66	105383,48,57
अचल आस्तियां	10	2425,38,62	2343,28,81
अन्य आस्तियां	11	7819,24,45	5164,96,92
कुल		209757,32,69	182671,62,38
आकस्मिक देयताएं	12	42749,47,13	38740,07,66
वसूली हेतु बिल	-	3576,09,05	5400,24,08
मुख्य लेखांकन नीतियां	17		
लेखों पर टिप्पणियां	18		
उक्त संदर्भित अनुसूचियों का तुलन पत्र का महत्त्वपूर्ण भाग हैं			

एस. श्रीधर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डॉ. शाशांक सक्सेना
निदेशक

रोमेश सभरवाल
निदेशक

वी.आर. अय्यर
कार्यपालक निदेशक

सलीम गंगाधरन
निदेशक

मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश
निदेशक

आर.के. दुबे
कार्यपालक निदेशक

बृजलाल क्षत्रिय
निदेशक

बी. एस. रामबाबू
निदेशक

पी.वी. रविन्द्रन
महाप्रबंधक

प्रो. एन. बालकृष्णन
निदेशक

कृते मे. सागर एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003510एस
(सीए विद्यासागर बाबू)
भागीदार
सदस्यता सं.27357

कृते मे. के.एस. अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.100186डब्ल्यू
(सीए रघुवीर एम. अय्यर)
भागीदार
सदस्यता सं.38128

कृते मे.जी.एस.ए. असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.000257एन
(सीए सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं.83899

कृते धिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.1088सी
(सीए संजय धिया)
भागीदार
सदस्यता सं.072467

कृते मे. डी. रंगास्वामी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003073एस
(सीए जननी राधाकृष्णन)
भागीदार
एफआर सं.27037

कृते मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003708एन
(सीए मिलन श्रीमाली)
भागीदार
सदस्यता सं.088578

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : मुंबई

दिनांक : 30 मई, 2011

दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

(000 छोड़कर)

	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2011 को ₹	31 मार्च, 2010 को ₹
I आय			
अर्जित ब्याज	13	15220,56,61	12064,30,62
अन्य आय	14	1265,04,14	1735,24,53
कुल		16485,60,75	13799,55,15
II व्यय			
प्रदत्त ब्याज	15	9895,22,87	9519,01,29
परिचालन व्यय	16	3998,98,83	2222,01,72
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		1338,98,04	1000,29,34
कुल		15233,19,74	12741,32,35
III लाभ/ हानि			
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ		1252,41,01	1058,22,80
आगे लाया गया लाभ		1,12,87	1,12,82
कुल		1253,53,88	1059,35,62
IV विनियोजन			
निम्न को अंतरित :			
सांविधिक आरक्षित निधि		314,85,25	264,55,70
निवेश आरक्षित निधि		-	46,62,32
कर्मचारी कल्याण निधि		15,00,00	15,00,00
आय आरक्षित निधि		527,72,93	565,90,84
प्रस्तावित लाभांश-अधिमानी पूंजी		114,87,06	53,09,40
प्रस्तावित लाभांश-इक्विटी पूंजी		137,40,51	88,91,11
लाभांश कर		41,08,69	24,13,38
जेपीवाय स्वैप कूपन पर ब्याज हेतु आरक्षित निधि		1,11,55	-
विशेष आरक्षित निधि धारा 36(1)(viii) के अधीन		100,00,00	-
तुलनपत्र में ले जाई गई शेष राशि		1,47,89	1,12,87
कुल		1253,53,88	1059,35,62
प्रति शेयर आय (बेसिक एवं डाइल्यूटेड)		27.69	24.65
मुख्य लेखांकन नीतियां	17		
लेखों पर टिप्पणियां	18		
उक्त संदर्भित अनुसूचियों लाभ एवं हानि खाते का अनिवार्य घटक हैं			

एस. श्रीधर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

वी.आर. अय्यर
कार्यपालक निदेशक

आर.के. दुबे
कार्यपालक निदेशक

पी.वी. रविन्द्रन
महाप्रबंधक

डॉ. शाशांक सक्सेना
निदेशक

सलीम गंगाधरन
निदेशक

बृजलाल क्षत्रिय
निदेशक

प्रो. एन. बालकृष्णन
निदेशक

रोमेश सभरवाल
निदेशक

मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश
निदेशक

बी. एस. रामबाबू
निदेशक

कृते मे. सागर एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003510एस
(सीए विद्यासागर बाबू)
भागीदार
सदस्यता सं.27357

कृते मे.जी.एस.ए. असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.000257एन
(सीए सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं.83899

कृते मे. डी. रंगास्वामी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003073एस
(सीए जननी राधाकृष्णन)
भागीदार
एफआर सं.27037

कृते मे. के.एस. अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.100186डब्ल्यू
(सीए रघुवीर एम. अय्यर)
भागीदार
एफआर सं.38128

कृते घिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.1088सी
(सीए संजय घिया)
भागीदार
सदस्यता सं.072467

कृते मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003708एन
(सीए मिलन श्रीमाली)
भागीदार
सदस्यता सं.088578

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : मुंबई

दिनांक : 30 मई, 2011



दिनांक 31 मार्च, 2011 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

	दिनांक 31/03/2011 को		दिनांक 31/03/2010 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 1 : पूंजी				
प्राधिकृत पूंजी		3000,00,00		3000,00,00
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी :	404,14,15		404,14,15	
₹10/- प्रति शेयर के 4041,41,460 इक्विटी शेयर्स (केन्द्र सरकार द्वारा धारित 3241,41,460 शेयर्स सहित)				
बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर पूंजी	<u>1617,00,00</u>		<u>1367,00,00</u>	
		2021,14,15		1771,14,15
कुल		2021,14,15		1771,14,15
अनुसूची 2 : प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष				
I. सांविधिक आरक्षित निधियां				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	1210,13,57		945,57,87	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	<u>314,85,25</u>		<u>264,55,70</u>	
		1524,98,82		1210,13,57
II. पूंजीगत प्रारक्षित निधियां				
i) पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	1962,02,23		2008,91,59	
वर्ष के दौरान कटौती	<u>33,59,32</u>		<u>46,89,36</u>	
		1928,42,91		1962,02,23
ii) निवेश प्रारक्षित निधि				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	363,10,35		316,48,03	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	<u>-</u>		<u>46,62,32</u>	
		363,10,35		363,10,35
III शेयर प्रीमियम				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	736,00,00		736,00,00	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	<u>-</u>		<u>-</u>	
		736,00,00		736,00,00
IV. आय एवं अन्य प्रारक्षित निधियां				
i) आय एवं अन्य प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	1648,71,53		1082,80,69	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	528,84,48		565,90,84	
घटायें : वर्ष के दौरान कटौतियां	<u>4,98,20</u>		<u>-</u>	
		2172,57,81		1648,71,53
V. धारा 36(i)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियां		100,00,00		निरंक
V. लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि		1,47,89		1,12,87
कुल		6826,57,78		5921,10,55

दिनांक 31 मार्च, 2011 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

	दिनांक 31/03/2011 को		दिनांक 31/03/2010 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 3 : जमा राशियां				
ए. I. मांग जमा राशियां				
i) बैंकों से	357,97,86		708,83,83	
ii) अन्य से	15073,37,64		14362,54,74	
		15431,35,50		15071,38,57
II. बचत बैंक जमा राशियां		47644,93,89		40763,53,34
III. सावधि जमा राशियां				
i) बैंकों से	2685,57,83		5427,57,92	
ii) अन्य से	113594,14,31		100844,97,05	
		116279,72,14		106272,54,97
कुल		179356,01,53		162107,46,88
बी. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमा राशियां		179356,01,53		162107,46,88
ii) भारत के बाहर शाखाओं की जमा राशियां		-		-
अनुसूची 4 : उधार राशियां				
I. भारत में उधार राशियां				
i) भारतीय रिजर्व बैंक	0		0	
ii) अन्य बैंक	6,47,70		45,97,90	
iii) अन्य संस्थाएं व एजेन्सियां	5809,02,69		2575,14,78	
iv) अरक्षित प्रतिदेय बॉण्ड (गौण ऋण)	2137,30,00		2407,30,00	
v) अपर टियर II बॉण्ड	2885,00,00		1585,00,00	
vi) नवोन्मेष बेमियादी ऋण लिखत	583,00,00		583,00,00	
		11420,80,39		7196,42,68
II. भारत के बाहर उधारी		1467,17,55		130,21,00
कुल		12887,97,94		7326,63,68
उपर्युक्त I एवं II में शामिल रक्षित उधार राशियां		निरंक		निरंक
अनुसूची 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान				
I. देय बिल		344,02,30		448,41,42
II. अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)		-		-
III. उपचित ब्याज		928,66,41		727,22,67
IV. आस्थगित कर देयता		146,30,00		307,89,00
V अन्य (प्रावधान सहित)		5220,94,22		4061,74,03
कुल		6639,92,93		5545,27,12
अनुसूची 6 : भारतीय रिजर्व बैंक में नकदी तथा शेष राशि				
I. हस्ते नकदी		925,75,89		751,87,15
(विदेशी मुद्रा नोटों सहित)				
II. भारतीय रिजर्व बैंक में शेष राशि				
चालू खातों में	13056,23,27		16160,05,73	
अन्य खातों में	100,00,00		100,00,00	
कुल		13156,23,27		16260,05,73
		14081,99,16		17011,92,88



दिनांक 31 मार्च, 2011 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

	दिनांक 31/03/2011 को		दिनांक 31/03/2010 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 7 : बैंकों में जमा राशियां और मांग व अल्प सूचना पर राशि				
I. भारत में				
i) बैंकों के पास शेष राशि				
ए) चालू खातों में	783,29,50		730,07,46	
बी) अन्य जमा खातों में	-		1367,70,00	
ii) मांग व अल्प सूचना पर राशि				
ए) बैंकों के पास	-		-	
बी) अन्य संस्थाओं के पास	-		-	
		783,29,50		2097,77,46
II. भारत के बाहर				
ए) चालू खातों में	417,38,05		107,17,62	
बी) अन्य जमा खातों में	13,42		13,42	
सी) मांग व अल्प सूचना पर राशि	-		-	
		417,51,47		107,31,04
कुल		1200,80,97		2205,08,50
अनुसूची 8 : निवेश				
I. भारत में निवेश :*				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	47757,42,97		44845,71,79	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	84,36,82		130,52,25	
iii) शेयर्स	808,06,75		599,35,70	
iv) डिबेंचर्स एवं बॉण्ड्स	3526,80,08		2830,85,76	
v) अनुषंगियों एवं प्रायोजित संस्थानों में	247,16,62		247,16,62	
vi) अन्य (यूटीआई शेयर्स एवं वाणिज्यिक पेपर्स, म्यूच्युअल फंड आदि)	2079,99,65		1908,58,64	
		54503,82,89		50562,20,76
II. भारत के बाहर निवेश**				
अनुषंगियां एवं/अथवा विदेश में स्थित असोशिएट्स		65,94		65,94
कुल		54504,48,83		50562,86,70
* भारत में निवेश				
सकल मूल्य	54846,42,46		52007,63,76	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	342,59,57		1445,43,00	
शुद्ध मूल्य		54503,82,89		50562,20,76
** भारत के बाहर निवेश				
सकल मूल्य	65,94		65,94	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	-		-	
शुद्ध मूल्य		65,94		65,94
कुल		54504,48,83		50562,86,70

दिनांक 31 मार्च, 2011 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

	दिनांक 31/03/2011 को ₹	दिनांक 31/03/2010 को ₹
अनुसूची 9 : अग्रिम		
ए. i) खरीदे गए और भुनाए गए बिल	1937,60,90	1340,05,12
ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	37941,61,61	31499,89,63
iii) मीयादी ऋण	89846,18,15	72543,53,82
कुल	129725,40,66	105383,48,57
बी. अग्रिमों का विवरण :		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही ऋण के समक्ष अग्रिमों सहित)	95408,75,20	80993,22,45
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा कवर्ड	9493,82,35	5760,65,76
iii) अरक्षित	24822,83,11	18629,60,36
कुल	129725,40,66	105383,48,57
सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण		
(I) भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता क्षेत्र	40509,50,96	33873,12,96
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	9868,12,04	5081,20,04
iii) बैंक	17,43,88	1015,37,72
iv) अन्य	79330,33,78	65413,77,85
कुल	129725,40,66	105383,48,57
(II) भारत के बाहर अग्रिम	-	-
अनुसूची 10 : अचल आस्तियां		
I. परिसर		
(लागत/पुनर्मूल्यांकित लागत पर)		
पिछले वर्ष के 31 मार्च को शेष राशि	2383,01,14	2366,37,57
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,80,29	16,63,57
कुल	2385,81,43	2383,01,14
इस दिनांक को मूल्यहास	370,18,47	334,01,07
कुल (I)	2015,62,96	2049,00,07
II. अन्य अचल आस्तियां		
(फर्नीचर एवं जुड़नार सहित)		
पिछले वर्ष की 31 मार्च की लागत पर	950,95,77	815,31,19
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	232,73,49	143,84,34
कुल	1183,69,26	959,15,53
वर्ष के दौरान कटौतियां/ समायोजन	10,19,51	8,19,76
कुल	1173,49,75	950,95,77
इस तारीख को मूल्यहास	763,74,09	656,67,03
कुल (II)	409,75,66	294,28,74
योग (I एवं II)	2425,38,62	2343,28,81



दिनांक 31 मार्च, 2011 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

	दिनांक 31/03/2011 को ₹	दिनांक 31/03/2010 को ₹
अनुसूची 11 : अन्य आस्तियां		
I. उपचित ब्याज	1077,91,72	996,27,89
II. अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर काटा गया कर (शुद्ध प्रावधान)	2283,24,48	2186,58,21
III. स्टेशनरी एवं स्टाम्प्स	12,34,74	11,96,52
IV. दावों की पूर्ति से अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियां	-	-
V. अन्तर कार्यालय समायोजन	1531,18,81	620,92,20
VI. अन्य	2914,54,70	1349,22,10
कुल	7819,24,45	5164,96,92
अनुसूची 12 : आकस्मिक देयताएं		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है	181,53,42	1682,43,57
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	57,86,49	27,64,33
III. बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता	28805,44,33	26529,98,20
IV. ग्राहकों की ओर से प्रदत्त गारंटियां		
ए) भारत में	6367,09,49	5650,07,20
बी) भारत के बाहर	307,84,45	127,50,51
	6674,93,94	5777,57,71
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व	6179,68,95	4722,43,85
VI. अन्य मर्दे जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है	850,00,00	-
कुल	42749,47,13	38740,07,66

दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष ₹	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष ₹
अनुसूची 13 : अर्जित ब्याज		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	11253,80,23	8647,84,07
II. निवेश पर आय	3767,09,56	3307,78,69
III. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक निधियों में शेष राशि पर ब्याज	33,36,98	102,64,80
IV. अन्य	166,29,84	6,03,06
कुल	15220,56,61	12064,30,62
अनुसूची 14 : अन्य आय		
I. कमिशन, विनिमय एवं दलाली	620,50,58	573,54,62
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	311,92,29	772,38,20
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/(हानि)	0	0
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर (शुद्ध) लाभ/(हानि)	(11,05)	(32,21)
V. निवेशों में पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/(हानि)	56,09,26	45,33,62
VI. विदेश/भारत में स्थापित अनुषंगियों और असोशिएट्स से लाभांशों आदि के रूप में अर्जित आय	1,55,45	1,45,64
VII. विविध आय	275,07,61	342,84,66
कुल	1265,04,14	1735,24,53
अनुसूची 15 : प्रदत्त ब्याज		
I. जमा राशियों पर ब्याज	9062,64,09	9121,02,10
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	144,42,91	22,18,36
III. अन्य	688,15,87	375,80,83
कुल	9895,22,87	9519,01,29
अनुसूची 16 : परिचालन व्यय		
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	2964,22,32	1544,19,24
II. किराया, कर एवं बिजली	191,50,37	162,68,78
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	21,56,61	18,92,37
IV. विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	96,93,96	17,21,55
V. ए) बैंक की पट्टाकृत आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियों पर मूल्यहास बी) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यहास	118,68,98 -	78,74,82 -
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे	1,29,55	1,54,31
VII. लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	22,54,14	19,57,34
VIII. विधि प्रभार	14,93,82	12,43,45
IX. डाक खर्च, तार, टेलीफोन आदि	35,33,13	4,71,18
X. मरम्मत एवं रखरखाव	64,86,09	24,26,53
XI. बीमा	155,74,80	121,20,21
XII. अन्य खर्चे	311,35,06	216,51,94
कुल	3998,98,83	2222,01,72



अनुसूची 17 : मुख्य लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन रीतियां :

परिसर के पुनर्मूल्यन द्वारा संशोधन के अलावा वित्तीय विवरणियां परंपरागत लागत आधार पर लाभकारी कारोबार वाले संस्थान की अवधारणा का अनुसरण करते हुए तैयार की गई हैं तथा सभी तात्किक पहलुओं से, भारत में सामान्यतयः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जो लागू सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनिर्दिष्ट विनियामक मानदंडों, लेखांकन मानकों (एएस) तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी उदघोषणाओं तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं को समाविष्ट करती हैं।

2. विदेशी मुद्रा से सम्बंधित लेन-देन :

- 2.1 विदेशी मुद्राओं में मौद्रिक आस्तियों व देयताओं का निर्धारण भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिसूचित प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है तथा परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है।
- 2.2 आय एवं व्यय की मदों का निर्धारण लेन-देन की तारीख को लागू विनिमय दरों पर किया जाता है।
- 2.3 विदेशी मुद्रा में गारंटी, साखपत्र, स्वीकृतियां, पृष्ठांकन, तथा अन्य दायित्व वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं।
- 2.4 बकाया वायदा संविदाएं वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं और परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है।

3. निवेश :

- 3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित', 'व्यापार हेतु धारित' तथा 'विक्रय के लिए उपलब्ध' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तथापि, तुलनपत्र में दर्शाने के लिए निवेशों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है :

- i) सरकारी प्रतिभूतियां
- ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- iii) शेयर्स
- iv) डिबेंचर्स एवं बॉण्ड
- v) अनुषंगी एवं प्रायोजित संस्थानों में निवेश एवं
- vi) अन्य (यूटीआई शेयर्स, वाणिज्यिक पेपर एवं म्यूच्युअल फंड की यूनिट्स)।

3.2 वर्गीकरण का आधार :

खरीद के समय निवेश का वर्गीकरण निम्न श्रेणियों में किया जाता है :

i) परिपक्वता तक धारित

इनमें वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है।

ii) व्यापार के लिए धारित

प्रतिभूतियां, जो मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर पुनः बिक्री के लिए रखी जाती हैं।

iii) विक्रय के लिए उपलब्ध

वे निवेश जो उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं।

3.3 श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण :

निवेशों की तीन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण/बदलाव अंतरण की तारीख पर अधिग्रहण लागत/बही मूल्य तथा बाजार मूल्य, इनमें से जो कम है, पर लेखागत किया जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यहास, यदि कोई हो, तो उसका पूर्णतया प्रावधान किया जाता है।

3.4 मूल्यांकन :

ए) परिपक्वता तक धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश को अधिग्रहण लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। अंकित मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत/बही मूल्य का आधिक्य शेष परिपक्वता की शेष अवधि के ऊपर परिशोधित किया जाता है।

बी) विक्रय के लिए उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को तिमाही अंतराल पर बाजार में, स्क्रिपवार निम्नवत अंकित किया जाता है :

i) केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	बाजार मूल्य पर स्टॉक एक्सचेंज/ एफआईएमएमडीए / पीडीएआई द्वारा निकाले गए कोटेशन के अनुसार
ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारन्टीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बॉण्ड	परिपक्वता के आधार पर उचित आय के अनुसार
iii) ट्रेजरी बिल/जमा-प्रमाणपत्र/ वाणिज्यिक पेपर/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश	रखाव लागत पर
iv) इक्विटी शेयर	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : प्रति शेयर बही मूल्य पर, यदि, नवीनतम (एक वर्ष से पुराना नहीं) तुलन पत्र उपलब्ध हो, या ₹ 1.00 प्रति कंपनी, यदि, नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध न हो तो.
v) अधिमानी शेयर	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : परिपक्वता पर उचित आय
vi) डिबेंचर एवं बॉण्ड	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : परिपक्वता पर उचित आय
vii) म्यूच्युअल फंड	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : पुनः क्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य (जहां पुनः क्रय मूल्य उपलब्ध न हो)
viii) उद्यम के लिए पूंजी	घोषित शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य अथवा लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर, शुद्ध परिसम्पत्ति के विश्लेषित आंकड़े, जोकि 18 माह से पुराने न हों. यदि शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य / लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम लगातार 18 माह से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध न हों, तब प्रति उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) के लिए ₹ 1/-.

प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास का प्रावधान किया गया है तथा यदि कोई मूल्य वृद्धि है, तो उसे गणना में नहीं लिया गया है.

सी) व्यापार के लिए धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन मासिक अंतराल पर बाजार दरों पर, जहां उपलब्ध हैं, अथवा एफआईएमएमडीए द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है. प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास का प्रावधान किया गया है तथा यदि कोई मूल्य वृद्धि है, तो उसे गणना में नहीं लिया गया है.

3.5 लागत निर्धारण :

भारित औसत लागत पद्धति के आधार पर निवेश लागत निर्धारित की गई है.

3.6 आय निर्धारण :

- निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है. तथापि 'परिपक्वता के लिए धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि 'पूंजी प्रारक्षित निधि' में विनियोजित की गयी है.
- निवेशों की तीन श्रेणियों में से किसी में भी शामिल प्रतिभूतियों के सम्बंध में, जहां ब्याज/मूल धन 90 दिन से अधिक समय के लिए बकाया है, वहां आय की गणना नहीं की गई है तथा गैर-निष्पादक अग्रिमों पर लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गए निवेशों के मूल्यहास हेतु उपयुक्त प्रावधान किया गया है. अग्रिम की प्रकृति के डिबेंचर/बॉण्ड, अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन रखे गए हैं.
- यदि बैंक को देय ब्याज एवं/अथवा मूल धन या अन्य कोई राशि 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती हो, राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण जोखिम को अवमानक/संदिग्ध/हानि के रूप में, जैसा भी मामला हो, वर्गीकृत किया गया है तथा विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान किये गए हैं.
- प्रतिभूतियों की खरीद पर प्राप्त दलाली, प्रोत्साहन राशि, ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क आदि को निवेशों की लागत में से घटाया गया है.



- v) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय किए गए खर्चों जैसे दलाली, फीस, कमीशन या करों को आय में प्रभारित किया गया है।
- vi) प्रतिभूतियों के क्रय या बिक्री पर खंडित अवधि का ब्याज, आय मद माना गया है।

4. डेरिवेटिव्स

वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्स का लेखांकन निम्नानुसार किया गया है।

- i) दैनिक बाजार-मूल्य - जहां अभिचिन्हित आस्तियां/देयताएं दैनिक बाजार मूल्य पर अंकित की गई हैं, परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है।
- ii) जहां अभिचिन्हित आस्तियां/देयताएं दैनिक बाजार मूल्य पर अंकित नहीं की गई हैं उन मामलों में, ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज धारित आस्तियों/देयताओं का वित्तीय हानि से बचाव करते हैं, उन्हें उपचित आधार पर लेखागत किया गया है।
- iii) स्वैप समाप्ति पर हुए लाभ अथवा हानि को स्वैप के शेष संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि में से, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

5. अग्रिम :

- 5.1 अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध अथवा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इस सम्बंध में अपेक्षित प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गये हैं।
- 5.2 अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में हुई वसूली को पहले ब्याज में विनियोजित किया जाता है। तथापि, वाद दायर, डिफ़ॉल्ट खातों तथा समझौता मामलों में वसूली पहले मूल धन में अथवा डिफ़ॉल्ट/समझौते की शर्तों के अनुसार विनियोजित की गई है।
- 5.3 प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज एवं उधारकर्ताओं से वसूल की गई राशि जो विविध खाते में रखी गई है तथा सीजीटीएसआई/ईसीजीसी से वसूल की गई राशि को घटाकर अग्रिम दर्शाये गये हैं।

मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान अन्य देयताएं एवं प्रावधान - (अन्य) में शामिल हैं।

- 5.4 बेची गई वित्तीय आस्तियों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:

यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम कीमत पर है तो वह कमी लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित की गई है।

यदि बिक्री एनबीवी से उच्चतर कीमत पर है तो अधिशेष प्रावधान अन्य गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों की बिक्री के कारण हुई कमी/हानि को पूरा करने के लिए रखा गया है।

6. अचल आस्तियां/मूल्यहास :

- 6.1 अचल आस्तियों (कम्प्यूटरों के अतिरिक्त, जिनका मूल्यहास सीधी कटौती पद्धति पर किया गया है) का मूल्यहास 'मूल्यहासित मूल्य प्रणाली' के अंतर्गत निम्न दरों पर किया गया है :

i) परिसर	अनुमानित जीवन पर आधारित परिवर्तनीय दरों पर
ii) फर्नीचर, लिफ्ट, सुरक्षित जमा कक्ष	10%
iii) वाहन	20%
iv) वातानुकूलन यंत्र, कूलर, टाइपराइटर आदि	15%
v) सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर	33.33%
(अधिग्रहण वर्ष के दौरान एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को आय में प्रभारित किया जाता है।)	

- 6.2 उन आस्तियों के मामले में, जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, मूल्यहास पुनर्मूल्यन राशि पर किया गया है तथा वृद्धिशील मूल्यहास, जो पुनर्मूल्यन राशि के लिए उत्तरदायी है, उसे 'पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि' में समायोजित किया गया है।
- 6.3 30 सितंबर तक आस्तियों में परिवर्धन के लिए पूरे वर्ष मूल्यहास का प्रावधान किया गया है तथा उसके बाद परिवर्धित आस्तियों हेतु आधे वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है। 30 सितंबर से पूर्व बेची गई आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया है तथा 30 सितंबर के बाद बेची गई आस्तियों के लिए अर्ध वर्ष के लिए मूल्यहास का प्रावधान किया गया है।
- 6.4 पट्टेवाली भूमियों का मूल्य पट्टे की अवधि पर परिशोधित किया जाता है। पुनर्मूल्यन के मामले में, मूल लागत और पुनर्मूल्यन मूल्यों के अंतर को पट्टे की बाकी अवधि के लिए परिशोधित किया गया है और 'पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि' में समायोजित किया गया है।
- 6.5 जहां पर भूमि व परिसर के मूल्य को अलग-अलग करना संभव नहीं है, वहां सम्मिश्रित लागत पर मूल्यहास लगाया गया है।

7. कर्मचारी - लाभ :

- 7.1 ग्रॅच्युइटी एवं पेंशन निधियों में वार्षिक अंशदान का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर किया है. पेंशन निधि के लिए अंशदान परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत किया गया है.
- 7.2 अर्जित छुट्टी के लिए देयताओं का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है.
- 7.3 उन कर्मचारियों के सम्बंध में जिन्होंने भविष्य निधि योजना हेतु विकल्प दिया है, समतुल्य का अंशदान किया गया है.
- 7.4 बैंक ने अपनी लेखा बहियों में, कर्मचारी लाभ से उत्पन्न देयताओं को बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य से तुलन पत्र में योजना आस्तियों के उचित मूल्य को घटाकर दर्शाया है.

8. आय एवं व्यय का निर्धारण :

- 8.1 जब तक अन्यथा सूचित नहीं किया गया हो, आय एवं व्यय की मदों को उपचित आधार पर लेखागत किया जाता है.
- 8.2 अनर्जक आस्तियों पर आय की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार की गई है.
- 8.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, यदि कोई भी मद जो लाभ एवं हानि लेखे में लेखागत किए कुल आय/कुल खर्च के एक प्रतिशत से अधिक है तो उसका अवधि पूर्व प्रकटीकरण किया जाता है.
- 8.4 अतिदेय जमाओं पर देय ब्याज हेतु प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किए जाते हैं.
- 8.5 कमीशन (सरकारी व्यवसाय को छोड़कर), विनिमय, लॉकर किराया तथा बीमा दावे वसूली/निपटान होने पर लेखागत किए जाते हैं.
- 8.6 शेयर निर्गम के व्ययों को 5 वर्षों के लिए तिमाही आधार पर परिशोधित किया जाता है.

9. आय कर :

इस वर्ष के लिए कर हेतु प्रावधान में आस्थगित कर तथा लागू कर कानून के अनुसार वर्तमान कर देयता की गणना की गई है, जो कर योग्य आय तथा लेखा आय के बीच समय अंतर की पहचान करते हैं, जो एक समय में प्रारंभ होते हैं तथा एक या अधिक तदनन्तर अवधि में प्रत्यावर्तित होते हैं. आस्थगित कर आस्तियों की तब तक पहचान नहीं की जाती है जब तक कि 'वास्तविक निश्चितता' न हो, पर्याप्त भावी कर योग्य आय, ऐसे आस्थगित कर आस्तियों की वसूली के समक्ष उपलब्ध होगी.



अनुसूची 18 : लेखों से सम्बंधित टिप्पणियां

ये वित्तीय परिणाम, जोकि निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 6 मई, 2011 को अनुमोदित एवं लेखा परीक्षकों द्वारा अधिप्रमाणित किये गये थे, राइट इश्यू, जोकि दिनांक 24 मार्च, 2011 को खुला था एवं दिनांक 7 अप्रैल, 2011 को बंद हुआ था, के आबंटित शेयरों के लिए प्रस्तावित लाभांश हेतु अतिरिक्त राशि के विनियोजन की वजह से इनमें परिवर्तन हुआ है। दिनांक 19 अप्रैल, 2011 को समरूप आधार पर इनका आबंटन हुआ है, इस परिवर्तन से वित्तीय परिणामों में यह प्रभाव हुआ है कि इक्विटी पूंजी पर प्रस्तावित लाभांश ₹ 36.37 करोड़ से एवं लाभांश कर ₹ 5.90 करोड़ से बढ़ गया है। इसके परिणामस्वरूप आय प्रारक्षित निधि ₹ 42.27 करोड़ से कम हो गयी है।

1.1 पूंजी:

बैंक की अधिकृत पूंजी ₹3000 करोड़ है।

भारत सरकार को ₹ 250 करोड़ के बेमियादी असंचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) जारी कर बैंक की प्रदत्त-पूंजी ₹ 1771.14 करोड़ से ₹ 2021.14 करोड़ तक बढ़ायी गई।

वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹ 93 के प्रीमियम पर प्रत्येक ₹ 10 के 24,24,84,876 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर के लिए ₹ 2497.38 करोड़ का राइट इश्यू जारी किया। यह इश्यू दिनांक 24 मार्च, 2011 को खुला एवं दिनांक 7 अप्रैल, 2011 को बंद हुआ। दिनांक 31 मार्च, 2011 तक ₹ 2025.68 करोड़ की राशि प्राप्त हुई और उसे शेयर आवेदन राशि के अंतर्गत दर्शाया गया। कथित राशि भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ हमारे बैंक के खाते में रखी गई है।

- 1.2 इक्विटी पूंजी पर प्रस्तावित लाभांश ₹ 137.41 करोड़ में राइट इश्यू के अंतर्गत आबंटित शेयरों के लिए देय ₹ 36.37 करोड़ की राशि भी शामिल है, जो वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदन के अधीन है। सम्बंधित अभिलेख की तारीख पर प्रस्तावित लाभांश में विद्यमान पूंजी पर बोर्ड द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2010 को घोषित प्रदत्त अंतरिम लाभांश ₹ 40.41 करोड़ भी शामिल है।

2. बहियों का समतुलन / मिलान :

विभिन्न चरणों में निम्नलिखित मदों का समतुलन सतत आधार पर प्रगति पर है और इस प्रकार के समतुलन के कारण परिणामी प्रभाव ज्ञात नहीं है।

- अंतर शखा/कार्यालय शेष
- सरकारी (केन्द्र एवं राज्य) लेन-देन के लिए खाते
- अंतर बैंक खाते
- प्रणाली उंचत खाता
- उंचत खाता
- समाशोधन एवं अन्य समायोजन खाते

प्रबंधन का मत है कि खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई है, तो वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा।

3. आय कर / आस्थगित कर :

- 3.1 इस वर्ष के लिए आय कर का प्रावधान संगत सांविधिक प्रावधानों और विवादित मामलों पर न्यायिक निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में विधिवत विचार-विमर्श के बाद किया गया है।
- 3.2 अन्य आस्तियां [अनुसूची 11 (ii)] में ₹ 601.64 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1507.45 करोड़) शामिल हैं, जो बैंक द्वारा भुगतान किए गए/प्राधिकारियों द्वारा समायोजित विवादित आय कर के संदर्भ में हैं। ऐसे विवादित मामलों पर विभिन्न न्यायिक निर्णयों/काउंसल के मतों के आधार पर उपर्युक्त विवादित मांगों के लिए कर का प्रावधान किया जाना बैंक द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया।
- 3.3 विवाद के अंतर्गत भुगतान किए गए ₹601.64 करोड़ के कर में से, विभिन्न निर्धारण वर्षों से सम्बंधित विवादों में शामिल ₹ 21.46 करोड़ की कर राशि, अपीलकर्ता प्राधिकारियों द्वारा बैंक के पक्ष में निर्णीत की गई है। इसके लिए अपील का प्रभाव लम्बित है।

4. शेयर निर्गम के खर्च :

शेयर निर्गम खर्चों की ₹6.72 करोड़ की अपरिशोधित राशि अन्य आस्तियों में शामिल की गई है।

5. परिसर :

- 5.1 दिनांक 31.03.2008 को बाजार मूल्य दर्शाने के लिए बैंक के परिसरों का पुनर्मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान किया गया। अतिरिक्त मूल्य वृद्धि राशि ₹1565.97 करोड़ को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि खाते में जमा किया गया है।
- 5.2 बैंक के स्वामित्व वाले परिसरों में ₹ 12.21 करोड़ की लागत की संपत्ति शामिल है, जिसे ₹ 198.46 करोड़ पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है। इसके लिए पंजीकरण औपचारिकताएं अभी भी प्रगति पर हैं।

6. निवेश :

6.1 बैंक के सकल निवेशों को निम्नानुसार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

	दिनांक 31.3.2011 को	दिनांक 31.3.2010 को
परिपक्वता तक धारित	65.36%	69.75%
छूट संवर्ग के 2.12% को छोड़कर (गत वर्ष 2.45%)		
क्रय-विक्रय के लिए धारित	0.26%	1.03%
बिक्री के लिए उपलब्ध	32.26%	26.77%

7. अग्रिम / प्रावधान :

- 7.1 पोषण / पुनर्वसन / पुनर्विन्यास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली इकाइयों सहित रुग्ण इकाइयों को दिए गए अग्रिम और संदिग्ध / हानि आस्तियों में वर्गीकृत अन्य अग्रिमों को, बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पतियों /आस्तियों के मूल्यांककों द्वारा दिए गए तथा बैंक के पास उपलब्ध अन्य आंकड़ों के आधार पर प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार धारण करने वाली प्रतिभूतियों के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य तक प्रतिभूत / वसूली योग्य माना जाएगा.
- 7.2 बैंक ने चालू वर्ष में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ₹ 312.42 करोड़ (गत वर्ष ₹ 312.42 करोड़) के अस्थायी प्रावधान को शुद्ध एनपीए की गणना करने के लिए सकल एनपीए से समायोजित करने का विकल्प चुना है.
- 7.3 अच्छे एवं रक्षित माने गए अग्रिमों में आईबीए द्वारा जारी (गैर प्राथमिकता क्षेत्र) यूनिफॉर्म कोड गवर्निंग इंटर बैंक पार्टिसिपेशन द्वारा अधिशासी आईबीपीसी में ₹ 2000 करोड़ एवं आरआरबी द्वारा जारी आईबीपीसी में कुल ₹ 1440 करोड़ (प्राथमिकता क्षेत्र/प्रत्यक्ष कृषि) का निवेश शामिल है.

8. कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संदर्भ भारिबैं./2009-10/371/डीबीओडी संख्या बीपी.बीसी. 82/21.04.048/2009-10 दिनांक 30 मार्च, 2010 तथा भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 3/3//208-एसी दिनांक 5 अप्रैल, 2010 के अनुसार बैंक ने ऋण राहत योजना का लाभ सभी पात्र किसानों को दिनांक 30 जून, 2010 तक दिया है. बैंक को दिनांक 31.12.2009 को समाप्त अवधि के लिए ऋण राहत योजना के अंतर्गत ₹ 147.77 करोड़ का दावा माह फरवरी 2011 में पूर्णतः प्रतिपूर्त किया जा चुका है. विस्तारित अवधि अर्थात् 01.01.2010 से 30.06.2010 (दिनांक 31.07.2010 तक शिकायत निवारण) के लिए ₹54.26 करोड़ का दावा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप दिनांक 30.06.2011 तक भारतीय रिज़र्व बैंक के पास दायर करने के लिए लम्बित है.

9. अपर टियर II ऋण लिखत :

वर्ष के दौरान, बैंक ने अपर टियर II ऋण के अंतर्गत ₹ 1300.00 करोड़ (गत वर्ष ₹ 1000.00 करोड़) के अरक्षित प्रतिदेय बॉण्ड जारी करके अपर टियर II ऋण प्राप्त किया है और उक्त राशि को तुलनपत्र की अनुसूची 4 में 'उधार' के अंतर्गत दर्शाया है.

10. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं:

ए. पूंजी पर्याप्तता अनुपात :

क्रम संख्या	मर्दे	31.03.2011	31.03.2010
1.	सीआरएआर (%) बासल-I बासल-II	10.74 11.64	10.81 12.23
2.	सीआरएआर-टियर-I पूंजी (%) बासल-I बासल-II	5.81 6.31	6.03 6.83
3.	सीआरएआर-टियर-II पूंजी (%) बासल-I बासल-II	4.93 5.33	4.78 5.40



क्रम संख्या	मर्दे	31.03.2011	31.03.2010
4.	भारत सरकार की इक्विटी शेयर धारिता का प्रतिशत	80.20%	80.20%
5.	वर्ष के दौरान प्राप्त की गई अपर टियर-II लिखतों की राशि (₹ करोड़ में)	1300	1000
6.	वर्ष के दौरान टियर-I पूंजी के रूप में प्राप्त की गई नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखतों (आईपीडीआई) की राशि (₹ करोड़ में)	निरंक	निरंक
7.	क्यूआईपी रूट के माध्यम से इक्विटी शेयरों का निर्गम (₹ करोड़ में) शेयर पूंजी शेयर प्रीमियम	निरंक	निरंक

उपर्युक्त आंकड़ों का संकलन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश और तुलनपत्र में शामिल न होने वाली कुछ मर्दों में प्रबंधन द्वारा किए गए अनुमानों के आधार पर किया गया है और लेखा परीक्षकों ने इस पर विश्वास किया है। बासल II के संदर्भ में प्रणालीगत कमियां/ध्यान में आई/रिपोर्ट की गई आंकड़ों की त्रुटियां केन्द्रीय कार्यालय को बताई गई हैं। अपनाई गई व्यापक कार्य प्रणाली के आधार पर बैंक का मत है कि असंशोधित कमियां, यदि कोई हैं, तो उनका महत्वपूर्ण प्रभाव रिपोर्ट की गई समग्र पूंजी पर्याप्तता पर नहीं होगा।

बी. प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

लाभ एवं हानि खाते में दर्शाए गए 'प्रावधान एवं आकस्मिकताओं' का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

		2010-11	2009-10
ए.	मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान	106.14	29.91
बी.	एनपीए के लिए प्रावधान	631.79	288.40
सी.	निवेशों पर प्रावधान / मूल्यहास (परिपक्व निवेश सहित)	154.35	64.79
डी.	i) कर के लिए प्रावधान	568.35	207.45
	ii) आस्थगित कर (डी) का उप-योग	(161.59)	283.86
		406.76	491.31
ई.	अन्य	39.94	125.88
	योग	1338.98	1000.29

सी. (i) निवेश

(₹ करोड़ में)

मर्दे	31.3.2011	31.3.2010
1) निवेशों का मूल्य		
i) निवेशों का सकल मूल्य	58278.08	52008.30
ए) भारत में	58286.42	52007.64
बी) भारत के बाहर	0.66	0.66
ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान	342.60	1445.43
ए) भारत में	342.60	1445.43
बी) भारत के बाहर	0.00	0.00
iii) निवेशों का शुद्ध मूल्य	57944.48	50562.87
ए) भारत में	57943.82	50562.21
बी) भारत के बाहर	0.66	0.66
2) निवेशों पर मूल्यहास के लिए रखे गए प्रावधानों में कमी/बढ़ोत्तरी		
i) प्रारंभिक शेष	1445.43	1384.93
ii) जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	-1102.83	68.35
iii) घटाएं : बट्टे खाते डाले गए	0.00	7.85
iv) अंतिम शेष	342.60	1445.43

(ii) रेपो लेन-देन

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च, 2011 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां	0.00	6200.00	1544.11	1500.00
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां	0.00	4700.00	272.19	0.00
तैयार वायदे रेपो	0.0	1207.09	1141.28	0.00

(iii) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

गैर-एसएलआर निवेशों का जारीकर्ता-वार संकलन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी नियोजन सीमा	'निवेश श्रेणी से कम' सीमा तक प्रतिभूतियां	'गैर- श्रेणीकृत' प्रतिभूतियां	'गैर- सूचीबद्ध' प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	656.24	447.50	0.00	0.00	5.88
ii)	वित्तीय संस्थाएं	83.19	83.19	0.00	0.00	83.19
iii)	बैंक	463.93	241.43	0.00	0.00	0.00
iv)	निजी कॉर्पोरेट	2426.96	2205.50	36.16	11.16	58.48
v)	अनुषंगियां/ संयुक्त उद्यम	247.17	247.17	0.00	247.17	247.17
vi)	अन्य	6354.65	1884.93	0.00	1954.99	2052.66
	आरआईडीएफ/ आरएचडीएफ/ सिडबी	991.71	991.71	0.00	991.71	991.71
	कमर्शियल पेपर	4399.66	727.51	0.00	0.00	727.51
	म्यूच्युअल फंड	42.31	0.00	0.00	42.31	42.31
	उद्यम पूंजी	97.84	97.84	0.00	97.84	97.84
	शेयर (ट्रस्टी शेयरों सहित)	823.13	67.87	0.00	823.13	193.29
	योग	10232.14	5109.72	36.16	2213.32	2447.38
	घटायें: मूल्यहास के लिए प्रावधान	97.98				
	शुद्ध	10134.16	5109.72	36.16	2213.32	2447.38

कॉलम संख्या 4, 5, 6 एवं 7 के अधीन सूचित राशियां पारस्परिक रूप से अलग नहीं हैं.

(iv) गैर निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश

(परिपक्व निवेशों सहित)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.3.2011	31.3.2010
प्रारंभिक शेष	28.06	45.98
वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	3.18	0.48
वर्ष के दौरान कमी	1.93	18.40
अंतिम शेष	29.31	28.06
धारित कुल प्रावधान	24.45	23.32



डी. डेरिवेटिव्स

(i) वायदा दर समझौता / ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

मर्दे	31.3.2011	31.3.2010
i) स्वैप करारों का आनुमानिक मूलधन	850.00	575.00
ii) करारों के अंतर्गत यदि प्रति पार्टी अपनी बाध्यताएं पूरी नहीं करती है तो इस संदर्भ में होने वाली हानि.	निरंक	0.051
iii) स्वैप में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक प्रतिभूति	-	-
iv) स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का केंद्रीकरण - विदेशी बैंक	737.50	462.50
	- घरेलू बैंक	112.50
v) स्वैप बही का उचित मूल्य	(-) 53.60	(-) 29.76

(ii) शेयर बाजार में खरीदी/बेची गई ब्याज दर डेरिवेटिव्स :

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	राशि
i)	वर्ष के दौरान, शेयर बाजार में खरीदी/बेची गई ब्याज दर डेरिवेटिव्स के लिए लिया गया आनुमानिक मूलधन (लिखत-वार)	
	ए) 10 वाई जीएस7 21 जून 2010 (नियत तिथि)	3.48
	बी) 10 वाई जीएस7 27 सितंबर 2010 (नियत तिथि)	0.02
ii)	31 मार्च, 2011 को शेयर बाजार में खरीदी/बेची गई ब्याज दर डेरिवेटिव्स की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	निरंक
iii)	शेयर बाजार में खरीदी/बेची गई ब्याज दर डेरिवेटिव्स की बकाया आनुमानिक मूल राशि तथा जो 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं थी (लिखत-वार)	लागू नहीं
iv)	प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य की बकाया शेयर बाजार में खरीदी/बेची गई ब्याज दर डेरिवेटिव्स तथा जो 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं रहीं (लिखत-वार)	लागू नहीं

डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण

(iii) गुणात्मक प्रकटीकरण

- वायदा बाजार में बचाव व्यवस्था / व्यापार में डेरिवेटिव लिखतों के प्रयोग पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ट्रेजरी जोखिम प्रबंधन नीति उपलब्ध है.
- बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में स्थायी ब्याज दर, शून्य कूपन तथा अस्थायी ब्याज दरों के वैशिष्ट्य वाली आस्तियां शामिल हैं और वह ब्याज दर जोखिम के अधीन हैं. बैंक के पास ब्याज दर स्वैप हेतु टियर II बॉण्ड भी हैं, जिनमें निकास विकल्प उपलब्ध नहीं हैं. यह नीति इस देयता पर ब्याज दर जोखिम के लिए बचाव व्यवस्था भी अनुमत करती है.
- वायदा दर करार, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा -वायदे तथा ब्याज दर वायदों का निवेश पोर्टफोलियो में प्रयोग ब्याज दर जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए और बाजार बढ़ाने के लिए भी उनका उपयोग किया जाता है.
- निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित, जोखिम प्रबंधन नीतियां तथा प्रमुख नियंत्रण सीमाएं जैसे हानि रोध सीमाएं, काउन्टर पार्टी एक्सपोजर सीमाएं इत्यादि, मौजूद हैं. इन जोखिमों की निगरानी तथा समीक्षा नियमित रूप से की जाती है. प्रबंध सूचना प्रणाली/ रिपोर्टें जोखिम प्रबंधन समिति को आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती हैं.

ए) लेखांकन नीति

वित्तीय हानि से बचाव की स्थिति

- ब्याज दर स्वैप आईआरएस पर ब्याज खर्च/आय के कारण उपचय को लेखागत किया जाता है तथा आय/व्यय के रूप में अभिचिन्हित किया जाता है.
- यदि स्वैप को परिपक्वता के पूर्व समाप्त किया जाता है, तो दैनिक एमटीएम हानि/लाभ तथा उपचय के ऐसे आंकड़ों का ब्याज दर स्वैप पर प्रदत्त/प्राप्त ब्याज के तहत व्यय/आय के रूप में लेखा-जोखा किया जाता है.

व्यापारिक स्थिति

- एमसीएस-एक्स तथा एनएसई के विनियम दिशा-निर्देशों के अनुसार, मुद्रा वायदे तथा ब्याज दर वायदे दैनिक आधार पर बाजार मूल्य की स्थिति पर अंकित किए जाते हैं.

- मार्जिन खाते को दैनिक आधार पर जमा/नामे करते हुए एमटीएम लाभ/हानि का लेखा-जोखा किया जाता है तथा उसे पूरे समायोजन के लिए बैंक के लाभ एवं हानि खाते में लेखागत किया जाता है।
- व्यापारिक स्वैप को थोड़े-थोड़े अंतरालों में बाजार मूल्य की स्थिति के अनुसार अंकित किया जाता है। कोई भी एमटीएम हानियां लेखागत तथा लाभ, यदि कोई है, पर ध्यान नहीं रखा जाता है।
- स्वैप के खत्म होने पर लाभ अथवा हानि को उपर्युक्त शीर्ष में तत्काल आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

(iv) गुणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	करेंसी डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
i)	डेरिवेटिव्स (आनुमानिक मूल धन राशि)		
	ए) बचाव व्यवस्था के लिए	निरंक	650
	बी) व्यापार के लिए	निरंक	200
ii)	प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य की स्थिति (1)		
	ए) आस्ति (+)	-	--
	बी) देयता (-)	-	53.60
iii)	ऋण जोखिम (2)	-	53.00
iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन से संभाव्य प्रभाव (100*पीवी01)		
	ए) बचाव व्यवस्था पर डेरिवेटिव्स	-	0.28
	बी) व्यापार पर डेरिवेटिव्स	-	0.04
v)	वर्ष के दौरान नोट किए गए अधिकतम एवं न्यूनतम 100*पीवी01		
	ए) बचाव व्यवस्था पर	-	0.33/0.24
	बी) व्यापार पर	--	0.05/0.01

ई. आस्ति गुणवत्ता

(i) गैर निष्पादक आस्तियां

(₹ करोड़ में)

मद		31.3.2011	31.3.2010
i)	शुद्ध अग्रिमों का शुद्ध एनपीए (%)	0.65%	0.69%
ii)	एनपीए में कमी/बढ़ोत्तरी (सकल)		
	ए) प्रारंभिक शेष	2458	2316
	बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन	1409	1033
	सी) वर्ष के दौरान कमी	1473	891
	डी) अंतिम शेष	2394	2458
iii)	शुद्ध एनपीए में कमी/बढ़ोत्तरी		
	ए) प्रारंभिक शेष	727	1063
	बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन	183	143
	सी) वर्ष के दौरान कमी	63	479
	डी) अंतिम शेष	847	727
iv)	शुद्ध एनपीए हेतु प्रावधानों में कमी/बढ़ोत्तरी (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
	ए) प्रारंभिक शेष	1211	1214
	बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1142	288
	सी) बट्टे खाते डाले गए/प्रतिलेखन/अंतरण	1268	291
	डी) अंतिम शेष	1085	1211

रु. 312.43 करोड़ के अस्थिर प्रावधान को छोड़कर



(ii) पुनर्गठित खातों के विवरण :

(₹ करोड़ में)

		सीडीआर प्रणाली	एसएमई ऋण पुनर्गठन	अन्य
पुनर्गठित मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	1	219	5348
	बकाया राशि	37.79	27.45	434.78
	अधित्याग राशि	8.52	1.56	8.06
पुनर्गठित अवमानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	1
	बकाया राशि	-	-	0.02
	अधित्याग राशि	-	-	(0.001)
पुनर्गठित संदिग्ध अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	7
	बकाया राशि	-	-	0.11
	अधित्याग राशि	-	-	0.01
कुल	उधारकर्ताओं की संख्या	1	219	5356
	बकाया राशि	37.79	27.45	434.91
	अधित्याग राशि	8.52	1.56	8.07

₹1.00 करोड़ से कम की शेष राशि के खातों के लिए अधित्याग राशि कुल बकाया राशि के 5% तक ली गई है।

- (बी) वर्ष के दौरान, एसएमई के तहत 219 खातों को पुनर्गठन के अधीन रखा गया था एवं दिनांक 31 मार्च, 2011 को बकाया शेष राशि ₹ 27.45 करोड़ है (पिछले वर्ष 349 खाते - राशि ₹170.95 करोड़ थी)।

(iii) आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठित कम्पनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

मर्दें		31.3.2011	31.3.2010
i)	खातों की संख्या	54215	29
ii)	एससी/आरसी को बिक्रीत खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	131.49	निरंक
iii)	कुल प्रतिफल	295.40	49.90
iv)	पूर्व वर्षों में अंतरित खातों के लिए आगम अतिरिक्त प्रतिफल	निरंक	निरंक
v)	शुद्ध बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि	163.90	49.90

(iv) क्रय/विक्रय की गई गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

ए. क्रय की गई गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.3.2011	31.3.2010
1	ए	वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या	निरंक
	बी	कुल बकाया राशि	निरंक
2	ए	इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या	निरंक
	बी	कुल बकाया	निरंक

बी. बिक्री की गई गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

मर्दे		31.3.2011	31.3.2010
1	खातों की संख्या	54215	29.00
2	कुल बकाया	525.59	35.18
3	प्राप्त कुल प्रतिफल	295.40	49.90

(v) मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान

(₹ करोड़ में)

मर्दे		31.3.2011	31.3.2010
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान		521.00	417.42

एफ. व्यावसायिक अनुपात

मर्दे		2010-11	2009-10
(i)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय *	8.49	7.56
(ii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय *	0.71	1.09
(iii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ *	1.45	1.29
(iv)	आस्तियों पर प्रतिफल **	0.70	0.66
(v)	प्रति कर्मचारी व्यवसाय *** (जमा + अग्रिम) (₹ लाख में)	835.17	711.76
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	3.96	3.30

* कार्यशील निधि में वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान कुल आस्तियों का औसत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियों को छोड़कर) शामिल है।

** कार्यशील निधियों में कुल आस्तियों का औसत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियों को छोड़कर) शामिल है।

*** जमाओं (अंतर-बैंक जमाओं को छोड़कर) एवं अग्रिम के पाक्षिक औसत के आधार पर

जी. आस्ति देयता प्रबंधन

दिनांक 31 मार्च, 2011 को आस्तियों एवं देयताओं की कतिपय मर्दों का परिपक्वता पैटर्न

(₹ करोड़ में)

अवधि	कुल घरेलू जमाएं	कुल घरेलू उधार	कुल घरेलू अग्रिम	कुल निवेश	विदेशी मुद्रा	
					आस्तियां	देयताएं
एक दिन	1505.24	6.47	1487.94	10.00	187.30	118.28
2 दिन से 7 दिन	3350.96	0.00	848.87	314.92	263.82	9.07
8 दिन से 14 दिन	3379.10	0.00	1691.37	25.91	472.71	5.99
15 दिन से 28 दिन	4282.85	0.25	2128.40	622.10	76.03	13.36
29 दिन से 3 माह	27529.86	1000.25	10075.31	2935.74	172.90	46.93
3 माह से अधिक व 6 माह तक	10966.19	0.84	13910.70	647.70	755.26	72.36
6 माह से अधिक व 12 माह तक	24543.45	1001.39	11462.45	593.28	507.40	216.22
1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	53493.29	2890.66	54270.91	7275.94	180.16	211.44
3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	27353.38	915.64	13345.07	9723.74	10.79	27.91
5 वर्ष से अधिक	22230.14	0.00	17877.99	32355.16	0.00	0.00
योग	178634.46	5815.5	127099.01	54504.49	2626.37	721.56

नोट : उपर्युक्त आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार एवं प्रबंधन के कुछ अनुमानों के आधार पर संकलित किए गए हैं तथा लेखा-परीक्षकों द्वारा इन पर विश्वास व्यक्त किया गया है।



एच. संवेदनशील क्षेत्र को उधारी

(i) स्थावर सम्पदा क्षेत्र सम्बंधी एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.3.2011	31.3.2010
ए) प्रत्यक्ष निवेश		
(i) आवासीय मार्गेंज - आवासीय सम्पत्ति पर बंधक के द्वारा ऋण पूरी तरह से रक्षित है, अर्थात या तो उधारकर्ता द्वारा कब्जे में है अथवा किराये पर है : (उपर्युक्त में शामिल व्यक्तिगत आवास ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल करने के लिए पात्र है)	8128.23 (7361.57)	5995.47 (5526.00)
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा -	8384.81	7376.40
(iii) मॉर्गेज आधारित प्रतिभूतियां (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों में निवेश		
आवासीय	3.43	5.13
वाणिज्यिक स्थावर संपदा.	0.00	0.00
बी) अप्रत्यक्ष निवेश		
(i) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित निवेश.	667.32	3298.63
(ii) अन्य	167.20	170.73
योग	17350.99	16846.36

(ii) पूंजी बाजार एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

मर्दे	31.3.2011	31.3.2010
i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी मूल निधि केवल कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई हो.	773.65	610.39
ii) वैयक्तिकों को शेयर/बॉण्ड/डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अथवा गैर-प्रतिभूति आधार पर (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं म्यूच्युअल फंड की इक्विटी उन्मुख इकाइयों में निवेश हेतु अग्रिम.	6.87	8.94
iii) किसी भी अन्य प्रयोजन हेतु अग्रिम जिनमें शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	-	-
(iv) अन्य प्रयोजन के लिए शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों की सीमा तक रक्षित अग्रिम अर्थात जहां पर शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्ड/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिट अग्रिमों को पूरी तरह रक्षित नहीं करती हैं.	1286.98	682.79
(v) स्टॉक-ब्रोकरों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम तथा स्टॉक-ब्रोकरों एवं गौण बाजार के प्रमुख की ओर से जारी गारंटियां.	119.00	35.72
vi) कॉर्पोरेट को शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अथवा बेजमानती आधार पर प्रवर्तकों के भावी संसाधनों की प्रत्याशा के तहत उनके इक्विटी अंशदान को पूरा करने के लिए स्वीकृत ऋण	0.00	0.00
vii) इक्विटी प्रवाह/निर्गम की प्रत्याशा के समक्ष कंपनियों को पूरक वित्त.	0.00	0.00
viii) शेयरों के प्राथमिक निर्गम अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों की यूनिटों के सम्बंध में बैंकों द्वारा लिए गए हामीदारी वायदे.	0.00	0.00
ix) स्टॉक-ब्रोकरों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण	0.00	0.00
x) उद्यम पूंजी फंड (पंजीकृत तथा अपंजीकृत दोनों) सम्बंधित सभी निवेश, इक्विटी के साथ सममूल्य पर माने जाएंगे, अतः इसका पूंजी बाजार निवेश की उच्चतम सीमा प्रत्यक्ष एवं (अप्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों) के साथ अनुपालन हेतु गणना में लिया जाएगा.	121.41	123.57
पूंजी बाजार का कुल एक्सपोजर	2307.91	1461.41

(iii) जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर :

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	दिनांक 31 मार्च, 2011 को निवेश (शुद्ध)	दिनांक 31 मार्च, 2011 को धारित प्रावधान	दिनांक 31 मार्च, 2010 को एक्सपोजर (शुद्ध)	दिनांक 31 मार्च, 2010 को धारित प्रावधान
अप्रयोज्य	1541.24	निरंक	685.91	निरंक
निम्न	479.61	निरंक	511.50	निरंक
मध्यम	250.12	निरंक	76.61	निरंक
उच्च	6.93	निरंक	29.93	निरंक
अत्यधिक	38.36	निरंक	13.16	निरंक
सीमित	0.31	निरंक	0.00	निरंक
ऋणोत्तर	0.00	निरंक	0.00	निरंक
योग	2316.57	निरंक	1317.11	निरंक

चूंकि वर्ष हेतु बैंक का निवल निधि निवेश, विदेशी विनिमय लेनदेन के सम्बंध में बैंक की कुल आस्तियों के 1% से कम है, अतः प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(iv) ऋण जोखिम का विवरण, जहां वर्ष के दौरान बैंक ने विवेकपूर्ण मानदंडों से अधिक निवेश किया है तथा जिसके लिए बोर्ड का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया गया।

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	उधारकर्ता का नाम	दिनांक 31.3.2011 को ऋण एक्सपोजर		दिनांक 31.03.2011 को बकाया		दिनांक 31.03.11 को निवेश	दिनांक 31.03.11 को कुल एक्सपोजर	बैंक की पूंजी निधि का @ 15% पर अनुमत
		निधि आधारित	गैर निधि आधारित	निधि आधारित	गैर निधि आधारित			
1.	विडियोकॉन इंडस्ट्रीज लि	1556.77	53.95	1340.04	22.52	9.58	1620.30	1692.95
2.	दीवान हाउसिंग फायनैन्स कॉर्पोरेशन लि.*	1850.00	-	1544.28	-	7.00	1551.28	1692.95
3.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	-	2200.00	-	1434.72	24.35	2224.35	1692.95
4.	एयर इंडिया लिमिटेड	1888.30	-	1807.74	-	-	1807.74	1692.95

* दीवान हाउसिंग फायनैन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को स्वीकृत ऋण-सीमा सावधि ऋण के रूप में है, जोकि पूर्णतः संवितरित है और वर्तमान बकाया ₹ 1544.28 करोड़ है जिसे कि कुल एक्सपोजर के रूप में लिया गया है।

(v) ऋण एवं अग्रिमों का विवरण जोकि अमूर्त आस्तियों जैसे अधिकार, लाइसेंस, अधिप्रमाणन आदि द्वारा रक्षित है।

(₹ करोड़ में)

खातों की संख्या	बकाया राशि	अमूर्त प्रतिभूतियों का मूल्य
निरंक	निरंक	निरंक

(vi) वर्ष के दौरान आय कर हेतु प्रावधान की गई राशि :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2009-10
आय कर हेतु प्रावधान	568.35	207.45

11. जमाएं, अग्रिम, एक्सपोजर एवं एनपीए के केन्द्रीकरण से संबंधित प्रकटीकरण :

11.1 जमाओं का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

(ए) बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	18681.37
(बी) बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशि का बैंक की कुल जमा में प्रतिशत	10.42%



11.2 अग्रिमों का केन्द्रीकरण (₹ करोड़ में)

(ए) बीस बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम	30679.41
(बी) बीस बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम का बैंक के कुल अग्रिम में प्रतिशत	23.65%

11.3 एक्सपोजर का केन्द्रीकरण (₹ करोड़ में)

(ए) बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों का कुल एक्सपोजर	30825.05
(बी) बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल एक्सपोजर का बैंक के कुल एक्सपोजर में प्रतिशत	16.73%

11.4 एनपीए का केन्द्रीकरण (₹ करोड़ में)

(ए) शीर्ष चार एनपीए खातों का कुल एक्सपोजर	466.56
---	--------

II. क्षेत्रवार एनपीए

क्र.सं.	क्षेत्र	इस क्षेत्र के कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत
1	कृषि एवं सम्बन्धित गतिविधियां	2.26
2	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं बड़े)	6.67
3	सेवाएं	5.26
4	व्यक्तिगत ऋण	3.64

III. एनपीए में कमी-बढ़ोत्तरी

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
विशिष्ट वर्ष के 1 अप्रैल को सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	2458.00
वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी (नए एनपीए)	1409.00
उप-योग (ए)	3867.00
घटाएं:-	
(i) अपग्रेडेशन	163.00
(ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों में की गई वसूलियों को घटाकर)	736.00
(iii) बटटे खाते डाली गई राशि	554.00
(iv) यूआरआई में अंतर	20.00
उप-योग (बी)	1473.00
आगामी वर्ष के दिनांक 31 मार्च को सकल एनपीए (अंतिम शेष) (ए-बी)	2394.00

IV. ओरवसीज आस्तियां, एनपीए तथा आय

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
कुल आस्तियां	निरंक
कुल एनपीए	निरंक
कुल आय	निरंक

V. तुलन-पत्र बाहय प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुरूप समेकित करना जरूरी है.)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशीय	विदेशी
निरंक	निरंक

12 अन्य प्रकटीकरण

12 ए वर्तमान वर्ष के दौरान बैंकाश्युरैन्स व्यवसाय के सम्बंध में शुल्क/परिलब्धियां ₹ 15.73 करोड़ रहीं. (₹ करोड़ में)

	पॉलिसियों की संख्या	राशि
जीवन	74422	10.59
गैर जीवन बीमा	128527	5.14
योग		15.73

12 बी स्वर्ण-सिक्के - वर्ष के दौरान बैंक ने 61.612 कि.ग्रा. के स्वर्ण-सिक्के बेचे और इनका विक्रय मूल्य ₹1337 लाख था. स्वर्ण-सिक्कों की बिक्री से अर्जित लाभ ₹46.00 लाख रहा, जिसे विविध आय में लेखांकित किया गया.

12 सी बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 67.64% रहा.

13. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए अर्थदंड का प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) के तहत कोई अर्थदंड नहीं लगाया है.

14. इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक के अनुसार निम्नलिखित जानकारी सूचित की जाती है :

ए) लेखांकन मानक - 15 (संशोधित)

वर्ष के दौरान, बैंक ने ऐसे कर्मचारियों, जिन्होंने पूर्व में पेंशन योजना का विकल्प नहीं दिया था, के लिए पेंशन का विकल्प खुला. भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीओडी.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11, दिनांक 09-02-2011 के अनुरूप पेंशन के द्वितीय विकल्प के लिए कार्यरत 13494 कर्मचारियों हेतु ₹ 239.98 करोड़ की अतिरिक्त देयताओं का 1/5 वां हिस्सा पेंशन निधि के लिए और सेवानिवृत्त/अलग हुए 4046 कर्मचारियों के ₹569.62 करोड़ लिए. ऐसी देयताओं का 100%, कुल ₹809.60 करोड़, वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते को प्रभारित किए गए. सेवारत कर्मचारियों के लिए पेंशन के द्वितीय विकल्प हेतु अ-निर्धारित पेंशन देयता ₹959.93 करोड़ है.

भा.रि.बैं. के परिपत्र संख्या डीबीओडी संख्या बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11, दिनांक 09/02/2011 के अनुरूप उपदान अधिनियम 1972 में संशोधन के कारण अतिरिक्त उपदान राशि का 1/5 भाग ₹55.40 करोड़ लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित किया गया है. अ-निर्धारित उपदान देयतायें ₹221.60 है.

यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसा परिपत्र जारी नहीं किया जाता तो एस-15 की आवश्यकताओं के अनुसरण में बैंक का लाभ ₹1181.53 करोड़ से कम रहता.

कर्मचारी लाभ :

बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर पेंशन एवं ग्रेच्युटी लाभार्थ सुपरिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य का प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का मिलान नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी
दिनांक 31 मार्च, 2011 को सुपरिभाषित लाभ दायित्व देयताएं				
प्रारंभिक दायित्व	2856.49	751.89	2705.33	785.08
सेवा लागत	70.54	40.78	47.98	30.65
ब्याज लागत	222.98	58.39	211.14	62.54
बीमांकिक [लाभ]/हानि	335.48	44.95	120.04	(58.31)
प्रदत्त लाभ	(279.44)	(125.67)	(228.00)	(68.07)
गत सेवा लागत (परिशोधित/ अ-निहित)	1199.91	277.00	-	-
गत सेवा लागत (निहित लाभ)	569.62	-	-	-
देयता अंतरण	1021.54	-	-	-
दिनांक 31 मार्च, 2011 को दायित्व	5997.12	1047.34	2856.49	751.89



(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	उपदान	पेंशन	उपदान
दिनांक 31 मार्च, 2011 को उचित मूल्य पर योजना आस्तियां				
उचित मूल्य पर प्रारंभिक योजना आस्तियां	2269.03	808.40	2011.73	819.41
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	257.54	65.25	178.22	62.83
बीमाकिक लाभ/(हानि)	(130.67)	14.91	(22.92)	(5.77)
अंशदान	1090.00	70.00	330.00	--
प्रदत्त लाभ	(279.44)	(125.67)	(228.00)	(68.07)
अन्य न्यास से अंतरण	1021.54	--	--	--
दिनांक 31 मार्च, 2011 को उचित मूल्य पर योजना आस्तियां	4228.00	832.89	2269.03	808.40

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	ग्रेच्युइटी	पेंशन	ग्रेच्युइटी
दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लागत				
सेवा लागत	70.54	40.78	47.98	30.65
ब्याज लागत	222.98	58.39	211.14	62.54
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(257.54)	(65.25)	(178.22)	(62.83)
गत सेवा लागत (परिशोधित/ अ-निहित)	239.98	55.40		
गत सेवा लागत (निहित लाभ)	569.62	--		
बीमाकिक [लाभ]/हानि	466.15	30.04	142.95	(52.54)
शुद्ध लागत	1311.73	119.36	223.85	(22.18)

पूर्वानुमान

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	ग्रेच्युइटी	पेंशन	ग्रेच्युइटी
ब्याज दर	8%	8%	8%	8%
वेतन वृद्धि दर	4%	4%	4%	4%
योजना आस्तियों पर प्रतिफल की अनुमानित दर	8%	8%	8%	8%

बी) लेखांकन मानक 17 - खंडवार रिपोर्टिंग

- i) भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने प्राथमिक रिपोर्टिंग क्षेत्र के रूप में ट्रेजरी परिचालन, कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग तथा अन्य बैंकिंग व्यवसाय का निर्धारण किया है. द्वितीयक रिपोर्टिंग क्षेत्र के लिए कोई व्यवस्था नहीं है.

दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए खंडवार रिपोर्ट

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	विवरण	दिनांक 31.03.11 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.10 को समाप्त वर्ष
		(लेखा परीक्षित)	(लेखा परीक्षित)
ए.	खंडवार आय		
	1. ट्रेजरी परिचालन	264456	133397
	2. रिटेल बैंकिंग परिचालन	538922	446674
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	828553	799281
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
	5. गैर आबंटित	16630	603
	कुल	1648561	1379955
बी.	खंडवार परिणाम		
	1. ट्रेजरी परिचालन	160895	119413
	2. रिटेल बैंकिंग परिचालन	32164	30772
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	49450	55064
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
	कुल	242509	205249
सी.	गैर -आबंटित आय / (व्यय)	16630	603
डी.	परिचालन लाभ	259139	205852
ई.	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	93222	50897
एफ.	आय कर	40676	49133
जी.	शुद्ध लाभ	125241	105822
एच.	अन्य जानकारी		
आई.	खंडवार आस्तियां		
	1 ट्रेजरी परिचालन	2534145	3151684
	2. रिटेल बैंकिंग परिचालन	5239956	4383832
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	12973308	10513027
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
	5. गैर-आबंटित आस्तियां	228323	218619
	कुल	20975732	18267162
जे.	खंडवार देयताएं		
	1. ट्रेजरी परिचालन	3305900	1095881
	2. रिटेल बैंकिंग परिचालन	4766574	4812668
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	11801287	11541432
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
	5. गैर-आबंटित देयताएं	1101971	817181
	कुल	20975732	18267162

- ii) ट्रेजरी परिचालनों में सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों के लेन-देन, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन शामिल हैं.
- iii) रिटेल बैंकिंग क्षेत्र में ₹ 5 करोड़ (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित निवेश सहित) की सीमा तक के सभी निवेश शामिल हैं, यह अभिमुखताएं, उत्पाद, ग्रेनुलरिटी मानदंड तथा वैयक्तिक निवेश के अधीन है.



- iv) कॉर्पोरेट/समग्र खंड में ट्रस्ट/भागीदारी फर्म, कम्पनियों तथा सांविधिक निकायों के वे सभी अग्रिम शामिल हैं, जो कि रिटेल बैंकिंग के तहत शामिल नहीं किए गए हैं.
- iv) अन्य बैंकिंग खंड में वे सभी अन्य बैंकिंग परिचालन शामिल हैं, जो उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में शामिल नहीं हैं.
- v) सामान्य बैंकिंग परिचालन प्रमुख संसाधन संग्रहण इकाई है तथा ट्रेजरी खंड, प्रयुक्त औसत फंड को गणना में लेते हुए उधार दी गई निधियों के लिए पूरक का कार्य करता है.
- vii) लागत का आबंटन :
- ए एक विशिष्ट खंड से संबंधित खर्च सीधे उस खंड को आबंटित किए जाते हैं.
- बी एक विशिष्ट खंड से सीधे सम्बंध न रखने वाले खर्चों को नियोजित फंड में समानुपात रूप में आबंटित किया जाता है.

सी) लेखा मानक 18 के अनुसार संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण - सम्बद्ध पार्टी

1. सम्बद्ध पार्टियों की सूची:

(ए) प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी

	नाम	पदनाम
i)	श्री एस.श्रीधर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ii)	सुश्री वी.आर.अच्यर	कार्यपालक निदेशक
iii)	श्री आर.के.दुबे	कार्यपालक निदेशक
iv)	श्री रामनाथ प्रदीप	कार्यपालक निदेशक (अगस्त 2010 तक)
v)	श्री अरुण कौल	कार्यपालक निदेशक (अगस्त 2010 तक)

(बी) अनुषंगियां -

- i) सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड.
- ii) सेन्ट बैंक फाइनेंशियल एण्ड कस्टोडियल सर्विसेस लिमिटेड.

(सी) सहयोगी

(I) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक -

- i) सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा
- ii) सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अम्बिकापुर
- iii) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर
- iv) विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अकोला
- v) बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बलिया
- vi) हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा
- vii) उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार

(II) इंडो - जाम्बिया बैंक लिमिटेड.

2. सम्बद्ध पार्टियों के साथ लेन-देन:

(₹ लाख में)

(ए) मद	प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी	
	2010 -11	2009-2010
प्रदत्त पारिश्रमिक	58.14	36.48

(बी) सम्बद्ध पार्टियों के लेन-देन का विवरण

[₹ करोड़ में]

क्रम संख्या	सम्बद्ध पार्टियां	निम्न दिनांक को	निवेश		ऋण आस्तियों की खरीद		ऋण आस्तियों की बिक्री		क्षे.प्रा.बैं.को ऋण व्यवस्था		आई बी पी सी के अंतर्गत सहभागिता			
			संचयी	वर्ष के दौरान अधिकतम	बकाया राशि	प्राप्त ब्याज	बिक्री राशि	प्रदत्त ब्याज	राशि	प्रदत्त ब्याज	प्रवर्तक बैंक को प्रत्यक्ष कृषि आस्तियों की बिक्री		प्रवर्तक बैंक से गैर-प्राथमिकता क्षेत्र क्रय	
											बकाया राशि	प्रवर्तक बैंक को प्रदत्त ब्याज	बकाया राशि	प्रवर्तक बैंक से प्राप्त ब्याज
1	सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश	31.03.11	27.64	27.64	0.00	6.63	0.00	0.00	200.23	5.67	150.00	0.00	150.00	0.00
		31.03.10	27.64	27.64	200.00	7.79	0.00	0.00	200.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2	सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अंबिकापुर, (छत्तीसगढ़)	31.03.11	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
		31.03.10	2.57	2.57	45.00	0.12	45.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर, (बिहार)	31.03.11	159.09	159.09	0.00	13.44	0.00	0.00	326.11	2.74	850.00	0.00	850.00	0.00
		31.03.10	159.09	159.09	500.00	36.10	0.00	0.00	200.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4	विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अकोला (महाराष्ट्र)	31.03.11	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.10	100.00	0.00	100.00	0.00
		31.03.10	6.22	6.22	47.35	3.25	0.00	0.00	50.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
5	बलिया-इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बलिया, (उत्तरप्रदेश)	31.03.11	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
		31.03.10	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा (राजस्थान)	31.03.11	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
		31.03.10	2.45	2.45	132.71	4.62	70.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल)	31.03.11	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
		31.03.10	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	31.03.11	230.27	230.27	0.00	20.07	0.00	0.00	576.34	8.51	1440.00	0.00	1440.00	0.00
		31.03.10	230.27	230.27	925.06	51.88	115.00	0.23	450.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00

(सी) लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय

लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर आय निम्नानुसार हुई है:

	31.3.2011	31.3.2010
इक्विटी शेयर धारक के लिए कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	1118.90	996.11
भारित औसत इक्विटी शेयर (संख्या)	404141460	404141460
प्रति शेयर मूल आय (₹)	27.69	24.65
प्रति शेयर की डाइल्यूटेड आय (₹)	27.69	24.65
प्रति शेयर नाममात्र आय (₹)	10.00	10.00

(डी) लेखा मानक 22 - आय पर कर का लेखांकन

बैंक ने आस्थगित कर आस्तियां/देयताएं मान्य की हैं.

आस्थगित कर आस्तियां एवं आस्थगित कर देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

	31.3.2011	31.3.2010
आस्थगित कर आस्तियां :		
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	71.76	61.24
पेंशन एवं ग्रेच्युइटी के लिए प्रावधान	301.53	259.12
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	-	108.77
योग (ए):	373.29	429.13
आस्थगित कर देयताएं :		
स्थायी आस्तियों पर मूल्य हास	19.80	15.05
उपचित ब्याज परंतु निवेश पर प्राप्य नहीं	353.41	334.98
निवेश पर मूल्य हास	146.38	386.99
योग (बी):	519.59	737.02
शुद्ध आस्थगित कर देयताएं	146.30	307.89



(ई) लेखा मानक 28 - आस्तियों की हानि

बैंक की आस्तियों का एक बड़ा भाग वे वित्तीय आस्तियां हैं, जिन्हें आस्तियों पर हानि का लेखांकन मानक - 28 लागू नहीं है। प्रबंधन के मत में, दिनांक 31 मार्च, 2011 को वित्तीय आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियों पर कोई बड़ी हानि परिलक्षित नहीं हुई है। जिसे मान्य करने की आवश्यकता है।

(एफ) प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों पर - लेखांकन मानक 29

i) प्रावधान में कमी/बढ़ोत्तरी :

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 01.04.2010 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	प्रत्यावर्तित/ समायोजित प्रावधान	दिनांक 31.03.2011 को अंतिम शेष
मानक आस्तियां	417.41	106.42	2.83	521.00
कर	1426.07	637.64	132.23	1931.48

ii) अतिरिक्त प्रकटीकरण

प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.3.2011	31.3.2010
निवेश पर प्रावधान/हास	154	65
एनपीए हेतु प्रावधान	632	288
मानक आस्ति हेतु प्रावधान	106	30
कर हेतु किए गए प्रावधान	407	491
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	40	126
योग	1339	1000

iii) अस्थायी प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.3.2011	31.3.2010
ए अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	312.43	312.43
बी लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि	--	--
सी लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की गई राशि	--	--
डी अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	312.43	312.43

iv) देयताओं हेतु प्रावधान में कमी/बढ़ोत्तरी :

(₹ करोड़ में)

विवरण	अन्य विधिक मामले	
	31.3.2011	31.3.2010
प्रारंभिक शेष	3.83	3.83
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-
अंतिम शेष	3.83	3.83
परिणामी आउटप्लो का समय	लागू नहीं	लागू नहीं

15. शिकायतों का विवरण

	ग्राहकों की शिकायतें	शिकायतों की संख्या	
		31.03.2011	31.03.2010
ए)	वर्ष के प्रारंभ में लम्बित	596	151
बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त	12745	3613
सी)	वर्ष के दौरान निवारण	12827	3168
डी)	वर्ष के अंत में लम्बित	514	596

	बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णय	संख्या	
		31.03.2011	31.03.2010
ए)	वर्ष की शुरुआत में लागू न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	2	निरंक
बी)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णयों की संख्या	6	8
सी)	वर्ष के दौरान लागू अधिनिर्णयों की संख्या	6	6
डी)	वर्ष के अंत में लागू न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	2	2

प्रबंधन द्वारा समेकित एवं लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किए गए अनुसार

	निवेशकों की शिकायतें	शिकायतों की संख्या	
		31.03.2011	31.03.2010
ए)	वर्ष के प्रारंभ में लम्बित	0	0
बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त	425	508
सी)	वर्ष के दौरान निवारण	425	508
डी)	वर्ष के अंत में लम्बित	0	00

16. दिनांक 31.03.2011 को जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र एवं बकाया का विवरण

कुल संख्या	बकाया राशि (₹ करोड़ में)
244	804.78

उपर्युक्त उल्लेखित चुकौती आश्वासन पत्र स्वीकृत व्यापार साख सीमा के तहत जारी किए गए हैं।

17. प्रबंधन द्वारा संकलित सूचना के अनुसार वेंडर्स, जिनकी सेवाएं बैंक द्वारा उपयोग में ली गईं एवं जिनसे खरीद की गई है, वे व्यक्ति, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत नहीं हैं। इस पर लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है।
18. जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है वहां पर पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुनःवर्गीकृत किया गया है, जिससे कि वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण से समरूपण हो सके।

एस. श्रीधर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

वी.आर. अय्यर
कार्यपालक निदेशक

आर.के. दुबे
कार्यपालक निदेशक

पी.वी. रविन्द्रन
महाप्रबंधक

डॉ. शशांक सक्सेना
निदेशक

सलीम गंगाधरन
निदेशक

बृजलाल क्षत्रिय
निदेशक

प्रो. एन. बालकृष्णन
निदेशक

रोमेश सभरवाल
निदेशक

मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश
निदेशक

बी. एस. रामबाबू
निदेशक

कृते मे. सागर एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003510एस
(सीए विद्यासागर बाबू)
भागीदार
सदस्यता सं.27357

कृते मे.जी.एस.ए. एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.000257एन
(सीए सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं.83899

कृते मे. डी. रंगास्वामी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003073एस
(सीए जननी राधाकृष्णन)
भागीदार
एफआर सं.27037

कृते मे. के.एस. अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.100186डब्ल्यू
(सीए रघुवीर एम. अय्यर)
भागीदार
सदस्यता सं.32128

कृते घिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.1088सी
(सीए संजय घिया)
भागीदार
सदस्यता सं.072467

कृते मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003708एन
(सीए मिलन श्रीमाली)
भागीदार
सदस्यता सं.088578

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : मुंबई

दिनांक : 30 मई, 2011



दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं. विवरण	दिनांक 31.03.2011	दिनांक 31.03.2010
ए परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर से पूर्व शुद्ध लाभ	1,627.18	1,331.70
I निम्न के लिए समायोजन:		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	118.69	68.09
निवेश पर मूल्यहास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	150.98	64.79
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण/ गैर निष्पादक आस्तियों के सम्बंध में प्रावधान	631.79	258.40
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	106.14	29.91
अन्य मदों के लिए प्रावधान (शुद्ध)	43.31	125.87
अचल आस्तियों की बिक्री से (शुद्ध) लाभ/हानि	(0.11)	0.32
गौण ऋणों के ब्याज का भुगतान/प्रावधान (अलग से माना जाए)	470.99	362.32
अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश (अलग से माना जाए)	(1.55)	(1.46)
उप-योग	3,147.41	2,239.94
II निम्न के लिए समायोजन :		
जमाओं में वृद्धि / (कमी)	17,248.54	30,835.61
उधारी में वृद्धि / (कमी)	4,531.35	6,522.39
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/ (कमी)	181.83	(5,092.36)
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी	(24,341.56)	(19,900.29)
निवेश में (वृद्धि) / कमी	(3,941.62)	(7,566.93)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(2,558.06)	(1,073.47)
प्रत्यक्ष कर का भुगतान (शुद्ध धन वापसी इत्यादि)	(633.14)	490.58
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद (ए)	(9,512.66)	4,215.53
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	(6,365.25)	6,455.47
बी निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
अचल आस्तियों का निपटान / विक्रय	1.27	8.20
अचल आस्तियों का क्रय	(235.54)	(141.90)
अनुषंगियों एवं असोशिएट्स से लाभांश आदि के द्वारा अर्जित	1.55	1.46
निवेश से सम्बंधित व्यवसाय में परिवर्तन (अनुषंगियां एवं अन्य)	-	-
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	(232.71)	(132.24)
सी वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
शेयर पूंजी	250.00	450.00
शेयर आवेदन राशि	2,025.68	-
गौण ऋण टियर II पूंजी से प्रतिदान/आय	1,030.00	721.00
प्रदत्त लाभांश (गत वर्ष में प्रदत्त इक्विटी शेयरों पर लाभांश सहित)	(142.00)	(142.00)
प्रदत्त लाभांश कर	(23.96)	(24.13)
जेएनवाय स्वैप कूपन पर ब्याज	(4.98)	-
गौण ऋण पर ब्याज	(470.99)	(362.32)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	2,663.75	642.55

क्र.सं. विवरण	दिनांक 31.03.2010	दिनांक 31.03.2009
डी नकदी एवं नकदीतुल्य में शुद्ध वृद्धि (ए + बी + सी) अथवा (एफ - ई)	(3,934.21)	6,965.78
ई वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकद तुल्य		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं बैंक शेष	17,011.93	11,036.90
बैंकों के पास शेष एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	2,205.09	1,214.34
वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध नकदी एवं नकदतुल्य	19,217.01	12,251.24
एफ वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकद तुल्य		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं बैंक शेष	14,081.99	17,011.93
बैंक के पास शेष एवं मांग और अल्प सूचना पर देय राशि	1,200.81	2,205.09
वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध नकदी एवं नकद तुल्य	15,282.80	19,217.02

एस. श्रीधर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डॉ. शशांक सक्सेना
निदेशक

रोमेश सभरवाल
निदेशक

वी.आर. अय्यर
कार्यपालक निदेशक

सलीम गंगाधरन
निदेशक

मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश
निदेशक

आर.के. दुबे
कार्यपालक निदेशक

बृजलाल क्षत्रिय
निदेशक

बी. एस. रामबाबू
निदेशक

पी.वी. रविन्द्रन
महाप्रबंधक

प्रो. एन. बालकृष्णन
निदेशक

कृते मे. सागर एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003510एस
(सीए विद्यासागर बाबू)
भागीदार
सदस्यता सं.27357

कृते मे. के.एस. अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.100186डब्ल्यू
(सीए रघुवीर एम. अय्यर)
भागीदार
सदस्यता सं.32128

कृते मे.जी.एस.ए. असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.000257एन
(सीए सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं.83899

कृते घिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.1088सी
(सीए संजय घिया)
भागीदार
सदस्यता सं.72467

कृते मे. डी. रंगास्वामी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003073एस
(सीए जननी राधाकृष्णन)
भागीदार
एफआर सं.27037

कृते मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003708एन
(सीए मिलन श्रीमाली)
भागीदार
सदस्यता सं.088578

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : मुंबई

दिनांक : 30 मई, 2011



टेबल डी एफ - 1

1. संभावित प्रयोज्य क्षेत्र

गुणात्मक प्रकटीकरण

(ए) मूल बैंक : सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

इस शीट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्रकटीकरण एकल आधार के रूप में है।

(बी) समेकित खातों में, बैंक की अनुषंगी/सहयोगी संस्थायें निम्नानुसार हैं:

(बी. i) बैंक की अनुषंगी : बैंक की अनुषंगी का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	अनुषंगी का नाम	स्वामित्व
1	सेंट बैंक होम फाइनेंस लि.	59.50%
2	सेंट बैंक फायनेंशियल सर्विसेस लि.	100.00%

मूल बैंक की अनुषंगियों की समस्त वित्तीय विवरणियों के साथ समेकन करके व आस्तियों, देयताएं, अनुषंगियों के आय एवं व्यय एवं आंतरिक समूह लेनदेन एवं गैर वसूलीकृत लाभ हानि को हटाकर यथासंभव आय एवं व्यय के मदों को छोड़कर तैयार किया गया है तथा लेखागत नीतियों की पुष्टि का आधार अनुषंगियों द्वारा दिए गए आंकड़ों पर निर्भर होता है जिसके अंकेक्षण का कार्य संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है। अनुषंगियों के वित्तीय विवरणियों की तारीख वही होती है जो मूल बैंक की रिपोर्टिंग तारीख यथा दिनांक 31 मार्च, 2011 होती है।

(बी. ii) सहयोगी संस्थायें: बैंक के सहयोगी संस्थायें निम्नानुसार हैं:

I. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक : सात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	स्वामित्व
1.	सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिन्दवाड़ा	35%
2.	सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अम्बिकापुर	35%
3.	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर	35%
4.	विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अकोला	35%
5.	बलिया इटावा ग्रामीण बैंक, बलिया	35%
6.	हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा	35%
7.	उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार	35%

II. संयुक्त अद्यम:

क्र.सं.	संयुक्त अद्यम	स्वामित्व
1.	इंडो-जाम्बिया बैंक लि., जाम्बिया	20%

एसोसिएट्स में निवेश, जहां समूह मानक 23 (एएस 23) लेखांकन के आधार पर इक्विटी के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणी के लिये चुनावी शक्ति 20% या अधिक का धारक है।

बैंक के सीआरएआर की गणना के लिये, टियर 1 एवं टियर 2 पूंजी दोनों में से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में किये गये निवेश समान रूप से घटाया जाता है। बैंक के लिये यह प्रकटीकरण एकल आधार के रूप में है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:

(सी) सभी अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि समेकन में शामिल नहीं है अर्थात वह घटाई गई है तथा ऐसी अनुषंगियों के नाम : निरंक

(डी) बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हिस्से की समग्र राशि (उदाहरणार्थ, वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम-भारिता वाले है तथा उनके नाम, निगमन अथवा निवास के उनके देश, स्वामित्व हित का समानुपात और, यदि अलग है, इस संस्थानों में मताधिकार का समानुपात शून्य है।

टेबल डी एफ - 2

2. पूंजी विन्यास

गुणात्मक प्रकटीकरण

ए) शेयर पूंजी

दिनांक 31 मार्च 2011 में बैंक की अधिकृत पूंजी ₹ 3000.00 करोड़ है, बैंक द्वारा जारी, अभिदत्त तथा प्रदत्त अंशपूंजी ₹ 404.14 करोड़ है जिसमें से ₹ 10/- की राशि के 404141460 अंश शामिल हैं.

दिनांक 31 मार्च 2011 की स्थिति में उक्त में से 80.20% अंशधारिता भारत सरकार के अधीन है जिसमें कुल 324141500 अंश शामिल है.

2.1 ऋण पूंजी लिखत

2.2.1 टियर I पूंजी का विवरण

टियर I पूंजी	जारी तिथि	अवधि माह में	प्रतिदेय की तिथि	राशि (करोड़ में)	ब्याज दर
आईपीडीआई	30.03.2009	परपेचुअल	परपेचुअल	583.00	सरकारी प्रतिभूति + 250बीपीएस प्रति वर्ष पुनर्मूल्यांकित, मार्च में वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए ब्याज दर 10.44% है
पीएनसीपीएस	26.11.2006	परपेचुअल	परपेचुअल	800.00	रेपो+100 बीपीएस प्रतिवर्ष एक सुविधाजनक तिथि में पुनर्मूल्यांकित
पीएनसीपीएस	30.03.2009	परपेचुअल	परपेचुअल	117.00	रेपो+100 बीपीएस प्रतिवर्ष एक सुविधाजनक तिथि में पुनर्मूल्यांकित
पीएनसीपीएस	31.03.2010	परपेचुअल	परपेचुअल	450.00	रेपो+100 बीपीएस प्रतिवर्ष एक सुविधाजनक तिथि में पुनर्मूल्यांकित
पीएनसीपीएस	04.06.2010	परपेचुअल	परपेचुअल	250.00	रेपो+100 बीपीएस प्रतिवर्ष एक सुविधाजनक तिथि में पुनर्मूल्यांकित
कुल				2200.00	

2.2.2 अपर टियर II बॉण्ड का विवरण

सीरीज	जारी तिथि	प्रतिदेय की तिथि	राशि (करोड़ में)	ब्याज दर
अपर टियर II (Sr-I)	14.11.2008	14.11.2023	300.00	11.45% वार्षिक 11 वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं के पायदान तक (परिपक्वता तक 11.95%)
अपर टियर II (Sr-II)	17.02.2009	17.02.2024	285.00	9.40% वार्षिक 11 वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं के पायदान तक (परिपक्वता तक 9.90%)
अपर टियर II (Sr-III)	23.06.2009	23.06.2024	500.00	8.80% वार्षिक 11 वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं के पायदान तक (परिपक्वता तक 9.30%)
अपर टियर II (Sr-IV)	20.01.2010	20.01.2025	500.00	8.63% वार्षिक 11 वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं के पायदान तक (परिपक्वता तक 9.13%)
अपर टियर II (Sr-V)	11.06.2010	11.06.2025	1000.00	8.57% वार्षिक 11 वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं के पायदान तक (परिपक्वता तक 9.07%)
अपर टियर II (Sr-VI)	21.01.2011	21.01.2026	300.00	9.20% वार्षिक प्रतिदेय तक
कुल			2885.00	



2.2.3 गौण बांडों का विवरण

सीरीज़	जारी तिथि	प्रतिदेय की तिथि	राशि (₹ करोड़ में)	ब्याज दर
IX	08.10.2004	08.06.2014	200.00	7.05% वार्षिक
X	28.03.2006	28.06.2015	578.00	8.15% वार्षिक
XI	04.10.2006	04.10.2016	700.00	8.95% वार्षिक
XII	03.03.2008	03.05.2017	389.00	9.20% वार्षिक
लोअर टियर II (Sr- XIII)	10.02.2009	10.04.2018	270.00	9.35% वार्षिक
		योग	2137.30	

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

		₹ करोड़ में
बी)	टियर I पूंजी	7357.57
	निम्न के अलग प्रकटीकरण के साथ	
	• प्रदत्त शेयर पूंजी	404.14
	• आरक्षित निधियां	4886.77
	• नवोन्मेष लिखत: आईपीडीआई -	583.00
	पीएनसीपीएस् -	1617.00
	• टियर I पूंजी से घटाई गई राशि	
	निवेश	123.59
	अमूर्त आस्तियां	9.75
सी)	टियर II पूंजी (टियर II पूंजी से कटौती को अलग करके)	6219.90
डी)	अपर टियर I पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखत	
	• कुल बकाया राशि	2885.00
	• इसमें से वर्तमान वर्ष के दौरान उगाही गई राशि-	1300.00
	• पूंजी कोष के रूप में परिकलित की जाने वाली पात्र राशि	2885.00
इ)	लोअर टियर I पूंजी में शामिल करने के लिए गौण पात्र ऋण	
	• कुल बकाया राशि	2137.30
	• इसमें से वर्तमान वर्ष के दौरान उगाही गई राशि-	निरंक
	• पूंजी कोष के रूप में परिकलित की जाने वाली पात्र राशि	1941.66
एफ)	पूंजी से अन्य कटौतियां -	123.58
जी)	कुल पात्र पूंजी	13577.47

टेबल डीएफ-3

पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण	
<p>(ए) वर्तमान तथा भावी गतिविधियों को संचालित करने के लिए बैंक की पूंजी पर्याप्तता के निर्धारण हेतु बैंक के दृष्टिकोण की चर्चा का सारांश :</p> <p>वांछित स्तर पर पूंजी की जोखिम आधारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) को बनाये रखने के लिए बैंक नियमित रूप से समय समय पर पूंजी की आवश्यकता का मूल्यांकन करता है. पूंजी की समीक्षा वार्षिक आधार पर व्यवसाय वृद्धि तथा सीआरएआर को ध्यान में रख कर किया जाता है.</p> <p>ऋण जोखिम के लिए बैंक मानकीकृत दृष्टिकोण. परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण तथा बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण अपनाती है.</p> <p>बैंक के पास आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया है जो बैंक को उसके व्यवसाय प्रक्षेपण के संबंध में आने वाली पूंजी आवश्यकताओं की योजना के लिए तथा व्यवसाय में निहित जोखिमों से निपटने के लिए सक्षम बनाती है. आईसीएएपी प्रयास का प्रमुख उद्देश्य है उन जोखिमों की पहचान तथा निर्धारण करना जो पिलर I में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पूंजी अनुपात के अंतर्गत पूरी तरह से पकड़ में न आएँ, ऐसे जोखिम जो पिलर I के तहत खाते में न लिए जाए, तथा वे घटक जो बैंक के लिए बाहरी हो तथा इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिमों के लिए पूंजी लगाना तथा बैंक के जोखिम रूपरेखा से संबंधित उपयुक्त स्तर की आंतरिक पूंजी को मापना. बैंक ने अपने सीआरएआर पर पिलर II के अंतर्गत प्रतिकूल स्ट्रेस के प्रभाव को मापने के लिए स्ट्रेस परिक्षण नीति प्रारंभ की है.</p>	
₹ करोड़ में	
<p>परिमाणात्मक प्रकटीकरण</p> <p>(बी) ऋण जोखिम के लिए 9% पूंजी-आवश्यकताएं :</p> <p>मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो -</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ निधि आधारित 9003.23 ■ गैर-निधि आधारित 376.05 ■ प्रतिभूति एक्सपोजर निरंक 	
<p>(सी) बाजार जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण : <ul style="list-style-type: none"> - ब्याज दर जोखिम - 424.79 - विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) - 15.14 - इक्विटी जोखिम - 179.40 	
<p>(डी) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ मूल संकेतक दृष्टिकोण - 497.07 	
<p>(ई) कुल पूंजी अनुपात - 11.64%</p> <p>टियर 1 पूंजी अनुपात 6.31%</p>	



सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता

बैंक में अब एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली सुव्यवस्थित है। निदेशक मंडल की एक समिति बैंक के विविध जोखिम के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन नीतियों/कार्यप्रणाली का नियमित रूप से अवलोकन करती है जैसे ऋण, परिचालन, बाजार आदि, बैंक ने प्रत्येक जोखिम के समझौते के लिये शीर्ष प्रबंधन की जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यपालक निदेशक को टीम में शामिल करते हुये अलग समिति का गठन किया गया जैसे आस्तियां दायित्व प्रबंधन समिति, ऋणनीति समिति, परिचालन जोखिम समिति। इन समितियों द्वारा विभिन्न बैंकिंग परिचालन के अंतर्गत जोखिम स्तर का निर्धारण तथा मॉनिटरिंग करने हेतु नियमित बैठकें की जाती हैं तथा जहां आवश्यक हो, वहां जोखिम कम करने हेतु उचित उपाय किये जाते हैं।

केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर जोखिम प्रबंधन विभाग के शीर्षस्थ महाप्रबंधक है जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंड नियंत्रण तथा जोखिम की सीमा के अंदर प्रबंध कराना है तथा विविध समितियों द्वारा निर्धारित जोखिम पैरामीटर के साथ अनुपालन कराते हैं। महाप्रबंधक को सहायक महाप्रबंधक, मुख्य प्रबंधक तथा वरिष्ठ प्रबंधकों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। ऋण समीक्षा का भी प्रबंधन एवं नियंत्रण जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाता है।

आंचलिक कार्यालय स्तर पर ये जोखिम प्रबंधक, केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग की विस्तारित भुजाओं के रूप में कार्य करेंगे।

बैंक में विविध नीतियां हैं जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियां, ऋण जोखिम मिटीगेशन तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति, स्ट्रेस जांच नीति, प्रकटीकरण नीति, परिचालन जोखिम नीति, एएलएम नीति तथा बाजार जोखिम नीति।

इसके साथ ही, ऋण नीति शासी ऋण कार्य-पद्धति के बृहद मापदंड (ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं मूल्यमापन, प्रत्यायोजित प्राधिकारी के ऋण अधिकारों, प्रकटीकरण मानदंड, विवेकपूर्ण सीमाएं तथा ऋण पोर्टफोलियो दस्तावेजीकरण की निगरानी एवं नियंत्रण पर दिशानिर्देश भी सुव्यवस्थित हैं।) निर्धारित है।

ऋण निगरानी विभाग की निगरानी उपमहाप्रबंधक द्वारा रखी जाती है जिसमें ऋण प्रस्तावों की गुणवत्ता, विशेष उल्लेखित खतों की पहचान तथा सही मापदंड, ऋण नीति की निगरानी तथा विविध सेक्टरों के लिये विवेकपूर्ण मानदंड, साख सीमाओं की समीक्षा तथा नवीनीकरण आदि शामिल हैं।

बैंक ने खुदरा ऋण प्रणाली के साथ उधारग्रहिताओं के विविध खंडों के लिये रेटिंग मॉडल की शुरुआत की है जो कि काउंटर ग्राहक के साथ जोखिम की जांच करती है तथा ऋण एवं मूल्य निर्धारण में मदद करती है। बड़े ऋणी के मामले में ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडल काउंटर ग्राहक के वित्तीय जोखिम, उद्योग जोखिम, प्रबंधन जोखिम तथा व्यवसाय जोखिम का मूल्यांकन करती है तथा प्रत्येक ऐसे जोखिम का पृथक रूप से मूल्यांकन करती है तथा समस्त रेटिंग काउंटर पार्टी के आधार पर होता है।

टेबल डी एफ - 4

ऋण जोखिम: सभी बैंकों के लिये सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

ऋण जोखिम

पिछले देय तथा अनर्जक की परिभाषा

अनर्जक आस्तियां वह हैं जहां ऋण या अग्रिम-

- (i) सावधि ऋण के संबंध में 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ब्याज और/या मूलधन की किस्त बकाया रहे
- (ii) 90 दिनों के लिए खाता अनियमित रहे
- (iii) बिल क्रय तथा बट्टाकृत के मामले में 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए बिल अतिदेय रहता हो
- (iv) कृषि के उद्देश्य से स्वीकृत अग्रिम के मामले में
 - क) अल्पावधि फसल के लिये दो फसल मौसम तक मूल की किस्त या ब्याज अतिदेय
 - ख) दीर्घावधि फसल के लिये एक फसल मौसम तक मूल की किस्त या ब्याज अतिदेय
- (v) 180 दिनों से अधिक अवधि के लिए खाता अतिदेय
- (vi) स्टॉक विवरणी की प्रस्तुति 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय

अनियमित:

कोई खाता तब 'अनियमित' दर्शाया जाता है जब बकाया शेष लगातार स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से अधिक हो. यदि जहां मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से कम हो, परंतु वहां तुलन पत्र की तिथि को लगातार 90 दिनों तक कोई जमा नहीं है या उसी अवधि में ब्याज नामे किये जाने हेतु पर्याप्त जमा न हो.

अतिदेय:

किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई भी राशि अतिदेय है यदि वह बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि को अदा नहीं की जाती है.

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुस्पष्ट ऋण जोखिम नीति को अपनाया है जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है. निम्नलिखित क्षेत्रों में नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है:

- ऋण जोखिम- निर्धारण, नीति तथा योजनाएं
- जोखिम पहचान तथा मापन,
- जोखिम श्रेणीकरण तथा एकत्रीकरण
- ऋण जोखिम रेटिंग रूपरेखा तथा रिपोर्टिंग
- जोखिम नियंत्रण तथा पोर्टफोलियो प्रबंधन
- न्यूनीकरण तकनीक
- समस्यामूलक खातों का प्रबंधन
- लक्ष्य बाजार तथा आर्थिक गतिविधियों के प्रकार,
- ऋण अनुमोदन प्राधिकारी
- देश तथा मुद्रा एक्सपोजर
- परिपक्वता का स्वरूप, विविधीकरण का स्तर
- अर्थव्यवस्था का चक्रीय पहलू
- ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में ऋण जोखिम
- ऋण जोखिम निगरानी पद्धति
- अंतर बैंक एक्सपोजर में ऋण जोखिम प्रबंधन
- देश जोखिम तथा अन्य परिचालनात्मक मामले



(₹ करोड़ में)

		निधि	गैर निधि
परिमाणात्मक प्रकटीकरण :			
(ए) कुल सकल ऋण एक्सपोजर :			
निधि आधारित :			195400.95
गैर-निधि आधारित :			59046.66
(बी) एक्सपोजर का भौगोलिक संवितरण :			
■ विदेशी			418.08
■ घरेलू			254029.53
		निधि	गैर निधि
(सी) एक्सपोजर का उद्योगवार संवितरण :			
कोयला		12.57	0.00
खदान		92.84	0.00
लोहा एवं स्टील		3916.09	534.86
अन्य धातु एवं धातु-उत्पाद		594.00	27.21
सभी प्रकार के इंजीनियरिंग		1956.73	1495.90
विद्युत		176.36	9.77
सूती वस्त्रोद्योग		1607.98	228.94
जूट वस्त्रोद्योग		53.50	21.82
अन्य वस्त्रोद्योग		1756.30	48.59
शक्कर		1858.32	3.06
चाय		26.68	1.39
खाद्य प्रसंस्करण		775.87	158.11
वनस्पति तेल एवं वनस्पति		421.18	305.26
तम्बाकू एवं तम्बाकू-उत्पाद		13.48	0.00
कागज एवं कागज-उत्पाद		242.59	30.23
रबड़ एवं रबड़-उत्पाद		227.24	9.03
केमिकल, डाई एवं पेन्ट		1404.03	68.45
सीमेंट		1054.99	203.75
चमड़ा एवं चमड़ा-उत्पाद		88.27	3.95
रत्न एवं स्वर्ण-आभूषण		851.84	468.04
निर्माण		2749.73	197.31
पेट्रोलियम		1838.52	346.99
ट्रक सहित ऑटोमोबाईल्स		815.74	201.47
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		367.20	0.74
संरचनात्मक क्षेत्र		27600.89	849.29
अन्य उद्योग		14039.12	1114.20
अवशिष्ट अग्रिम शेष		66865.39	5898.03
(डी) आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता संबंधी विश्लेषण :			
1 दिन :			1685.24
2 दिन से 7 दिन तक :			1427.61
8 दिन से 14 दिन तक			2189.99
15 दिन से 28 दिन तक			2826.53
29 दिन से 3 माह तक			13183.95
3 माह से अधिक, परन्तु 6 माह तक			15313.66
6 माह से अधिक, परन्तु 12 माह तक			12567.13
12 माह से अधिक, परन्तु 36 माह तक			61727.01
36 माह से अधिक, परन्तु 60 माह तक			23079.6
60 माह से अधिक			50233.15

(₹ करोड़ में)

(ई) अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की राशि (सकल) -	
■ अवमानक	2394.53
■ संदिग्ध	797.60
■ हानि	1448.69
	148.24
(एफ) निवल अनर्जक आस्तियां (एनपीए)	847.29
(जी) अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का अनुपात	
■ सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां	1.82%
■ निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां	0.65%
(एच) अनर्जक आस्तियों (सकल) में परिवर्तन	
■ प्रारम्भिक शेष	2458
■ बढ़ोतरी	1409
■ कमी	1473
■ अनर्जक आस्तियां (सकल)	239
(आई) अनर्जक आस्तियों (शुद्ध) के लिए प्रावधान में परिवर्तन	
■ प्रारम्भिक शेष	1211
■ अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	1142
■ बड़े खाते डालना; अधिक प्रावधान को वापस लेना	1268
■ अंतिम शेष	1085
*उपर्युक्त प्रावधान में अस्थायी प्रावधान ₹ 312.43 करोड़	
(जे) अनर्जक निवेश की राशि	29.31
(के) अनर्जक निवेश के लिए धारित प्रावधान की राशि	23.27
(एल) निवेश पर प्रावधान/मूल्यहास की बढ़ोतरी / कमी :	
■ प्रारम्भिक शेष	1447.43
■ इस अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	313.42
■ वर्ष के दौरान बड़े खाते डालना / प्रावधान	1416.48
■ अंतिम शेष	344.37



टेबल डीएफ-5

ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	
<p>(क) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण जोखिम के लिए पूंजी-प्रभार की गणना हेतु बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया है। ये दिशानिर्देश विभिन्न आस्ति वर्गीकरण के लिए अलग-अलग जोखिम भारिता प्रदान करते हैं, जिन्हें विधिवत रूप से लागू किया गया है।</p> <p>(ख) बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अभिचिन्हित चार बाह्य ऋण रेटिंग एजेंसियां यथा, क्रिसिल लि. , केयर, इक्रा लि. तथा फिट्च रेटिंग (आई) लि. के साथ सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो बासल II मानदण्डों के तहत अपने ग्राहकों के एक्सपोजर का निर्धारण करते हैं।</p> <p>(ग) ये एजेंसियां सभी निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोजर की रेटिंग करती हैं। इन एजेंसियों द्वारा बैंक के ग्राहकों को प्रदत्त रेटिंग, जोखिम-भारिता निर्धारित करने के लिए स्वीकार की जाती है।</p> <p>(घ) कॉर्पोरेट के किसी विशिष्ट निर्गमों में बैंक के निवेश के मामले में, रेटिंग एजेंसी की विशिष्ट निर्गम रेटिंग की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त वित्तीय स्थिति पैमाने (मैपिंग स्केल) के अनुसार की जाती है।</p>	
₹ करोड़ में	
परिमाणात्मक प्रकटीकरण :	
<p>(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम न्यूनीकरण के पश्चात एक्सपोजर राशि के लिए, बैंक की बकाया (श्रेणीकृत तथा अश्रेणीकृत) राशि तथा वे, जिनमें कटौती की जाती है, निम्न तीन जोखिम श्रेणियों में निम्नवत है :</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ■ 100 % जोखिम भारिता से कम : ■ 100 % जोखिम भारिता : ■ 100 % जोखिम भारिता से अधिक : ■ घटाई गई राशि - ऋ. जो. प्र. 	<p>162786.93</p> <p>606978.90</p> <p>14327.39</p> <p>724920</p>

टेबल डीएफ-6

ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण 1

गुणात्मक प्रकटीकरण	
<p>संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिए नीतियां एवं प्रक्रियाएं</p> <p>बैंक के पास सुस्पष्ट ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति उपलब्ध है। बैंक द्वारा स्वीकार की जानेवाली प्रमुख संपार्श्विक में, नकदी तथा नकदीतुल्य प्रतिभूतियां, भूमि एवं भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी इत्यादि हैं।</p> <p>बैंक द्वारा लिए जाने वाले प्रमुख प्रकार के संपार्श्विकों का विवरण</p> <p>बैंक व्यक्तिगत गारंटियां, कॉर्पोरेट गारंटियां तथा सरकार एवं बैंकों द्वारा जारी गारंटियों को स्वीकार करता है। नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, संपार्श्विक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन नियमित अंतराल में उचित बाजार मूल्य पर किया जाता है।</p> <p>नई पूंजी पर्याप्तता रूपरेखा पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के वित्तीय संपार्श्विक का अभिनिर्धारण करते हैं। साथ ही, ये दिशानिर्देश ऋण जोखिम न्यूनीकरण के एक सबल माध्यम के रूप में गारंटी का अभिज्ञान भी प्रदान करते हैं। बैंक के पास इस प्रकार के तत्वों का पता लगाने के लिए समुचित नीति उपाय उपलब्ध हैं।</p>	
₹ करोड़ में	
परिमाणात्मक प्रकटीकरण	
<p>(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत ऋण जोखिम पोर्टफोलियो के प्रकटीकरण के लिए, कुल एक्सपोजर, जो निम्न के द्वारा कवर किया गया है :</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ■ ऋण राशि पर पात्र मार्जिन के आवेदन के उपरांत; पात्र वित्तीय संपार्श्विक-निधि आधारित ■ गैर-निधि आधारित 	<p>5523.51</p> <p>1725.69</p>

टेबल डीएफ-7

प्रतिभूतीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण :	
	निरंक
	₹ करोड़ में
<p>परिमाणात्मक प्रकटीकरण बैंकिंग बही</p> <p>(डी) बैंक द्वारा प्रतिभूतित एक्सपोजर की कुल राशि.</p> <p>(ई) वर्तमान अवधि के दौरान, बैंक द्वारा एक्सपोजर (उदाहरणार्थ क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, ऑटो ऋण इत्यादि को पूर्वाधिकार प्रतिभूति द्वारा ब्योरेवार) के माध्यम से अभिचिन्हित प्रतिभूतित हानियों के एक्सपोजर के लिए.</p> <p>(एफ) वर्ष के भीतर आस्तियों की राशि को प्रतिभूत किया जाना है.</p> <p>(जी) प्रतिभूतीकरण के पूर्व वर्ष के भीतर (एफ) में से सृजित की गई आस्तियों की राशि.</p> <p>(एच) प्रतिभूतित एक्सपोजर (एक्सपोजर टाइप द्वारा) की कुल राशि तथा एक्सपोजर टाइप द्वारा बिक्री पर गैर अभिचिन्हित लाभ या हानियां.</p> <p>(आई) निम्न की समेकित राशि:</p> <ul style="list-style-type: none"> - रोके गए अथवा खंडित स्वरूप में क्रय किए गए, तुलन पत्र प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर, एवं - एक्सपोजर टाइप द्वारा विखंडित तुलन पत्र इतर प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर. <p>(जे) रोकी गई अथवा क्रय की गई तथा संयुक्त पूंजी प्रभागों को एक्सपोजरों के बीच विभाजित किया गया और प्रत्येक विनियामक पूंजी एप्रोच के लिए विभिन्न जोखिम भारिता समूहों में विभाजित किया, ऐसी प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर की समेकित राशि.</p> <p>ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर I पूंजी से पूर्णतः घटाया गया है, कुल पूंजी से वृद्धिगत ऋण आई/ओ को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजरों को घटाया गया (एक्सपोजर टाइप द्वारा)</p>	<p>निरंक</p> <p>निरंक</p> <p>निरंक</p> <p>निरंक</p> <p>निरंक</p> <p>निरंक</p> <p>निरंक</p> <p>निरंक</p>
<p>परिमाणात्मक प्रकटीकरण क्रय / विक्रय बही :</p> <p>(के) बैंक द्वारा प्रतिभूतित समेकित एक्सपोजर राशि, जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोजर रोके रखे हैं एवं जो एक्सपोजर टाइप द्वारा बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अधीन है.</p> <p>(एल) निम्न की समग्र राशि :</p> <ul style="list-style-type: none"> - तुलन पत्र प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर रोके गए अथवा खंडित स्वरूप में क्रय किए गए, एवं - एक्सपोजर द्वारा छिन्न-भिन्न तुलन पत्र इतर प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर. <p>(एम) प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर की समग्र राशि निम्न के लिए अलग से रोकी गई अथवा क्रय की गई :</p> <ul style="list-style-type: none"> - विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय के अधीन रोके अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर; तथा - विभिन्न जोखिम भारित समूहों में विभाजित विशिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर. <p>(एन) निम्न की समग्र राशि:-</p> <ul style="list-style-type: none"> - विभिन्न जोखिम भारित समूहों में विभाजित विशिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर के लिए अपेक्षित पूंजी. - ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर I पूंजी से पूर्णतः घटाया गया है, कुल पूंजी से वृद्धिगत ऋण आई / ओ को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजरों को घटाया गया (एक्सपोजर टाइप द्वारा) 	<p>निरंक</p> <p>निरंक</p> <p>निरंक</p> <p>निरंक</p> <p>निरंक</p> <p>निरंक</p>



टेबल डीएफ-8

क्रय / विक्रय पुस्तक में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक के पास सुस्पष्ट बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, निवेश नीति, आस्ति देयता प्रबंधक नीति तथा इक्विटी निवेश नीति उपलब्ध है, जो बाजार जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करती है।

बैंक बाजार जोखिम व्यापार-प्रक्रिया में गतिविधियों से उत्पन्न तुलन पत्र से सम्बंधित तथा तुलनपत्र बाह्य स्थितियों से हानि-जोखिम, विशेष रूप से, ब्याज दरों में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों तथा इक्विटी एवं पण्य मूल्यों में परिवर्तन को परिभाषित करता है। बाजार जोखिम प्रबंधन तरलता जोखिम के तहत ब्याज पर जोखिम, इक्विटी मूल्य जोखिम की मॉनिटरिंग की जाती है।

बाजार दर, ऑप्शन, स्वैप तथा ब्याज दर स्वैप सहित विभिन्न डेरिवेटिव्स उत्पादों पर भी लागू होगी।

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां :

बैंक के पास, बैंक में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति उपलब्ध है। जो बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए उपयोगी है, ऐसी अन्य नीतियां आस्ति देयता प्रबंधन नीति तथा विदेशी मुद्रा परिचालन पर नीति हैं।

बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए नीतियों में विभिन्न विवेकसम्मत एक्सपोजर सीमा निर्धारित की गई है, जो यह सुनिश्चित करती है कि समुचित बाजार जोखिम प्रबंधन एवं आस्ति देयता प्रबंधन के जरिए बाजार जोखिम के समक्ष बैंक को अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त करने के लिए परिचालन यथास्थिति में है।

आस्ति-देयताएं प्रबंधन

एलएएम नीति, एलएएम प्रक्रिया की एक रूपरेखा है। बैंक के तुलनपत्र में वित्तीय जोखिम के विभिन्न स्तरों के एक्सपोजर का मिश्रण है। बैंक का लक्ष्य अपनी लाभप्रदता को अधिकतम करना है, परन्तु इसे इस तरीके से किया गया, जिससे बैंक को जोखिम के उन अत्यधिक स्तरों का सामना न करना पड़े, जो अन्ततोगतवा लाभप्रदता पर प्रभाव डालते हैं। यह नीति जोखिम के प्रमुख उपायों के लिए, उन सीमाओं को परिभाषित करती है, जो बैंक की विभिन्न शेषराशि - जटिलता, रणनीतिपूर्ण दिशा तथा जोखिम के लिए तैयार रहने हेतु विशेष रूप से सक्षम रहने के लिए दिशा निर्धारण करती है।

तरलता जोखिम

तरलता जोखिम का आस्तियों तथा देयताओं की अवशिष्ट परिपक्वता/स्थिति पर आधारित अन्तर विश्लेषण के माध्यम से प्रबंध किया जाता है। बैंक के पास अल्पावधि गतिशील तरलता प्रबंधन तथा आकस्मिक निधि व्यवस्था योजना प्रणाली मौजूद है। बैंक की कुशल आस्ति देयता प्रबंधन तरलता प्रोफाइल हेतु विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता निर्धारित अवधि के लिए विवेकसम्मत सीमाएं निर्धारित की गई हैं, इन्हें विभिन्न तरलता अनुपातों के माध्यम से भी परखा जाता है।

ब्याज पर जोखिम

ब्याज पर जोखिम का प्रबंधन संवेदनशील आस्तियां तथा देयताओं की दर-अंतर विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है तथा विवेक सम्मत सीमाओं के द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। शुद्ध ब्याज आय तथा इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव के मूल्यांकन हेतु ब्याज दर में विपरीत परिवर्तन के समक्ष आवधिक जोखिम का भी बैंक प्राक्कलन करता है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने निम्न प्रभारित पूंजी के निर्धारण के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण को अपनाया है :

	₹ करोड़ में
बाजार जोखिम हेतु पूंजी की आवश्यकता :	
ब्याज दर की जोखिम -	424.78
इक्विटी की स्थिति-जोखिम -	179.40
विदेशी मुद्रा की जोखिम -	15.15
योग	619.33

टेबल डीएफ -9

परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

परिचालन जोखिम, हानियों की जोखिम है, जो आंतरिक प्रक्रिया, व्यक्तियों तथा प्रणाली की अपर्याप्तता अथवा असफलता अथवा बाहरी घटनाओं के परिणामस्वरूप प्रकट होती है. परिचालन जोखिम में कानूनी जोखिम शामिल होता है, परन्तु इसमें अपेक्षित जोखिम तथा प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम शामिल नहीं होता है. बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति उपलब्ध है, जिसकी मार्च 2011 के दौरान समीक्षा की गई थी. बैंक ने परिचालन जोखिम के तहत समुन्नत दशा में पहुंचाने के लिए अपने आपको सक्षम बनाने हेतु अनुकूल सकारात्मक कदम उठाए हैं तथा पिछले दो वर्षों से हानि-प्रसंगों एवं प्रमुख जोखिम संकेतकों से सम्बंधित आंकड़ों को एकत्र करना प्रारंभ कर दिया है. बैंक ने आईबीए के डाटा पूल कन्सोर्टियम में भी प्रवेश लिया है, ताकि 'कोरडेक्स' लॉस डाटा कन्सोर्टियम को स्थापित किया जा सके.

बैंक द्वारा बेसिक इंडिकेटर एप्रोच परिचालन जोखिम के लिए पूंजी लगाई है. तदनुसार, दिनांक 31.03.2011 को परिचालन जोखिम के लिए ₹ 497.07 करोड़ की पूंजी की आवश्यकता परिलक्षित हुई

टेबल डीएफ-10

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

परिवर्तन के मापदंड	
1. आस्तियों एवं देयताओं के विरुद्ध ब्याज दरों के 200 आधार बिन्दुओं से आय में परिवर्तन	₹ 265.43 करोड़
2. अंश का बाजार मूल्य 200 आधार बिन्दुओं का परिवर्तन	-9.79% (-₹ 1329.29 करोड़)

(जी.बी.सोनगांवकर)

महाप्रबंधक - जोखिम प्रबंधन

(एस. श्रीधर)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(वी. आर. अय्यर)

कार्यपालक निदेशक

(आर. के. दुबे)

कार्यपालक निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 30 मई, 2011



समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल

1. हमने दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ('द बैंक'), इसकी अनुषंगियों और असोशिएट्स (सामूहिक रूप से संदर्भित 'समूह'), के संलग्न समेकित तुलन-पत्र तथा उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ-हानि खाते एवं समेकित नकद प्रवाह विवरण का परीक्षण किया। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी बैंक के प्रबंधतंत्र की है और इनके द्वारा इन्हें संघटकों से सम्बंधित स्वतंत्र वित्तीय विवरणों एवं अन्य वित्तीय सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। हमारी जिम्मेदारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर अपना मत व्यक्त करने की है।
2. हमने सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखा परीक्षा इस तरह से सुनियोजित और सम्पन्न करें कि हमें यह तर्कसंगत आश्वासन मिले कि ये वित्तीय विवरणियां हर प्रकार की महत्वपूर्ण गलतियों से मुक्त हैं। वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों के साक्ष्यों एवं प्रकटीकरणों की नमूने के तौर पर जांच करना लेखा परीक्षा में शामिल है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों तथा प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों के निर्धारण के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा हमारी राय का तर्कसंगत आधार है।
3. हमने बैंक की अनुषंगियों यथा (i) सेंट बैंक होम फाइनेंस लि. तथा सेंट बैंक फायनेंशियल सर्विसेस लि. के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण दिनांक 31 मार्च, 2011 को 331.84 करोड़ की कुल आस्तियां तथा समाप्त वर्ष के लिए ₹69.70 करोड़ की कुल आय एवं ₹ 0.74 करोड़ का शुद्ध नकद प्रवाह दर्शाते हैं। इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा उनके सम्बंधित लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी राय पूर्णतः उन लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर है।
4. हमने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं बैंक की एक अन्य अनुषंगी, जहां दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ (शुद्ध) में बैंक का हिस्सा ₹50.42 करोड़ है, के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है। हमारी राय, सम्बंधित लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित सात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं एक अन्य अनुषंगी के वित्तीय विवरणों एवं वित्तीय सूचना पर आधारित है।
5. हम सूचित करते हैं कि ये समेकित वित्तीय विवरण बैंक के प्रबंधतंत्र ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक 21- 'समेकित वित्तीय विवरण' एवं लेखांकन मानक 23- 'समेकित वित्तीय विवरणों में असोशिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन' तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार और बैंक एवं समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित उसके अनुषंगियों एवं असोशिएट्स के पृथक लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किये गये हैं।
6. मूल बैंक द्वारा लाभांश की घोषणा केन्द्र सरकार की अनुमति के अधीन पेंशन की अपरिशोधित राशि (₹959.93 करोड़) तथा ग्रेच्युइटी देयताएं (₹221.60 करोड़) बड़े खाते डाले बिना की गई है।
7. हमारी राय को उपयुक्त ठहराये बिना हम वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18 के नोट संख्या 4.1 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो ₹ 1181.53 करोड़ की सीमा तक मूल बैंक की पेंशन देयता एवं ग्रेच्युइटी देयता के आस्थगन के संबंध में 'सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प पुनःखुलना तथा ग्रेच्युइटी सीमाओं में वृद्धि-विवेकपूर्ण विनियामक व्यवहार' पर कर्मचारी लाभ संबंधी परिपत्र संख्या डीबीओडी, बीपी.बीसी 80/21.04.018 दिनांक 09.02.2011 के माध्यम से लेखांकन मानक (एएस) 15 के प्रावधानों को लागू करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त छूट के अनुसरण में है।
8. हमारी उक्त टिप्पणियों के अधीन और हमारे द्वारा की गई बैंक की लेखापरीक्षा के आधार पर, दो अनुषंगियों, 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और एक असोशिएट के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर सम्बंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों तथा अनुषंगियों एवं असोशिएट्स की अन्य वित्तीय सूचना का विचार करते हुए और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के आधार पर और हमें दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी राय है कि :
 - i. यह समेकित तुलन-पत्र; दिनांक 31 मार्च, 2011 को समूह के समेकित कारोबार का वास्तविक एवं स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत करता है।

- ii. यह समेकित लाभ हानि खाते उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह के परिचालन के समेकित परिणामों के बारे में वास्तविक एवं स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत करता है;
- iii. यह समेकित नकद प्रवाह वितरण संबंधित वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह का स्पष्ट एवं वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करता है.

कृते मे. सागर एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003510एस
(सीए विद्यासागर बाबू)
भागीदार
सदस्यता सं.27357

कृते मे.जी.एस.ए. असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.000257एन
(सीए सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं.83899

कृते मे. डी. रंगास्वामी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003073एस
(सीए जननी राधाकृष्णन)
भागीदार
सदस्यता सं.27037

कृते मे. के.एस. अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.100186डब्ल्यू
(सीए रघुवीर एम. अय्यर)
भागीदार
सदस्यता सं.32128

कृते घिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.1088सी
(सीए संजय घिया)
भागीदार
सदस्यता सं.072467

कृते मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003708एन
(सीए मिलन श्रीमाली)
भागीदार
सदस्यता सं.088578

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30 मई, 2011



दिनांक 31 मार्च, 2011 का समेकित तुलन-पत्र

(000 को छोड़कर)

	अनुसूची संख्या	दिनांक 31 मार्च, 2011 को ₹	दिनांक 31 मार्च, 2010 को ₹
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	2021,14,15	1771,14,15
शेयर आवेदन राशि		2025,68,36	0
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	2	6958,02,55	6141,90,34
अल्पसंख्यक हित	2ए	23,57,44	19,76,93
जमाराशियां	3	179378,54,56	162129,83,86
उधार राशियां	4	12886,97,94	7325,63,68
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	6679,36,45	5553,86,67
कुल		209973,31,45	1829421563
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद एवं शेष राशि	6	14082,10,53	17012,08,22
बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प-सूचना पर राशियां	7	1200,87,44	2205,28,12
निवेश	8	54580,21,27	50740,01,10
अग्रिम	9	129840,57,38	105462,53,06
अचल आस्तियां	10	2426,25,91	2343,67,29
अन्य आस्तियां	11	7837,48,84	5172,77,76
समेकन पर सुनाम		5,80,08	5,80,08
कुल		209973,31,45	182942,15,63
आकस्मिक देयताएं	12	42770,78,53	38749,71,00
वसूली हेतु बिल	-	3576,09,05	5400,24,08
समीक्षित लेखों पर टिप्पणियां	17		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन-पत्र की अनिवार्य घटक हैं।

एस. श्रीधर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	वी.आर. अय्यर कार्यपालक निदेशक	आर.के. दुबे कार्यपालक निदेशक	पी.वी. रविन्द्रन महाप्रबंधक
डॉ. शशांक सक्सेना निदेशक	सलीम गंगाधरन निदेशक	बृजलाल क्षत्रिय निदेशक	प्रो. एन. बालकृष्णन निदेशक
रोमेश सभरवाल निदेशक	मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश निदेशक	बी. एस. रामबाबू निदेशक	
कृते मे. सागर एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.003510एस	कृते मे.जी.एस.ए. असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.000257एन	कृते मे. डी. रंगास्वामी एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.003073एस	
(सीए विद्यासागर बाबू) भागीदार सदस्यता सं.27357	(सीए सुनील अग्रवाल) भागीदार सदस्यता सं.83899	(सीए जननी राधाकृष्णन) भागीदार एफआर सं.27037	
कृते मे. के.एस. अय्यर एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.100186डब्ल्यू	कृते घिया एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.1088सी	कृते मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.003708एन	
(सीए रघुवीर एम. अय्यर) भागीदार सदस्यता सं.32128	(सीए संजय घिया) भागीदार सदस्यता सं.072467	(सीए मिलन श्रीमाली) भागीदार सदस्यता सं.088578	

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : मुंबई

दिनांक : 30 मई, 2011

दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता

(000 को छोड़कर)

	अनुसूची संख्या	दिनांक 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष ₹	दिनांक 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष ₹
I. आय			
अर्जित ब्याज एवं लाभांश	13	15274,16,10	12078,66,42
अन्य आय	14	1239,49,06	1741,94,65
कुल		16513,65,16	13820,61,07
II. व्यय			
प्रदत्त ब्याज	15	9897,56,60	9522,99,30
परिचालन व्यय	16	4004,92,19	2225,41,55
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		1343,31,80	10061646
कुल		15245,80,59	12754,57,31
III. लाभ / हानि			
वर्ष के लिए अल्पसंख्यक हित के मूल एवं अनुषंगियों का समेकित शुद्ध लाभ		1267,84,57	1066,03,76
घटाएं : अल्पसंख्यक हित		3,80,51	1,05,61
वर्ष के लिए अल्पसंख्यक हित घटाने के बाद समेकित शुद्ध लाभ		1264,04,06	1064,98,15
जोड़ें : अशोसिएट्स में अर्जन का भाग		50,41,66	97,57,02
घटाएं : अशोसिएट्स में पूर्व अवधि समायोजन नोट नं. 7 का संदर्भ ले		153,08,84	0
वर्ष के लिए समूह को आरोप्य समेकित लाभ		1161,36,88	1162,55,17
जोड़ें : आगे लाया गया समूह को आरोप्य समेकित लाभ		246,59,72	146,00,29
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ		1407,96,60	1308,55,46
IV. विनियोजन			
निम्न को अंतरित :			
सांविधिक आरक्षित निधि		316,85,25	265,94,70
निवेश आरक्षित निधि		0	46,62,32
आय आरक्षित निधि		528,22,93	565,90,84
कर्मचारी कल्याण निधि		15,00,00	15,00,00
प्रस्तावित लाभांश - अधिमानी पूंजी		114,87,06	53,09,40
प्रस्तावित लाभांश - इक्विटी पूंजी		137,40,51	90,91,11
लाभांश कर		41,08,69	24,47,37
जेपीवाय स्वेप कूपन पर ब्याज हेतु आरक्षित निधि		1,11,55	0
विशेष आरक्षित निधि धारा 36(1) (viii) के अधीन		100,00,00	0
तुलन-पत्र में ले जाई गई शेष राशि		153,40,61	246,59,72
कुल		1407,96,60	1308,55,46
प्रति शेयर आय (रुपये में)		25.43	27.23

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते की अनिवार्य घटक हैं।

एस. श्रीधर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	वी.आर. अय्यर कार्यपालक निदेशक	आर.के. दुबे कार्यपालक निदेशक	पी.वी. रविन्द्रन महाप्रबंधक
डॉ. शशांक सक्सेना निदेशक	सलीम गंगाधरन निदेशक	बृजलाल क्षत्रिय निदेशक	प्रो. एन. बालकृष्णन निदेशक
रोमेश सभरवाल निदेशक	मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश निदेशक	बी. एस. रामबाबू निदेशक	
कृते मे. सागर एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.003510एस	कृते मे.जी.एस.ए. असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.000257एन	कृते मे. डी. रंगास्वामी एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.003073एस	
(सीए विद्यासागर बाबू) भागीदार सदस्यता सं.27357	(सीए सुनील अग्रवाल) भागीदार सदस्यता सं.83899	(सीए जननी राधाकृष्णन) भागीदार एफआर सं.27037	
कृते मे. के.एस. अय्यर एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.100186डब्ल्यू	कृते घिया एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.1088सी	कृते मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.003708एन	
(सीए रघुवीर एम. अय्यर) भागीदार सदस्यता सं.32128	(सीए संजय घिया) भागीदार सदस्यता सं.072467	(सीए मिलन श्रीमाली) भागीदार सदस्यता सं.088578	

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : मुंबई

दिनांक : 30 मई, 2011



दिनांक 31 मार्च, 2011 को समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियां

	दिनांक 31 मार्च, 2011 को		दिनांक 31 मार्च, 2010 को	
	₹	₹	₹	₹
('000 छोड़कर)				
अनुसूची 1 : पूंजी				
प्राधिकृत पूंजी		3000,00,00		3000,00,00
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी :	404,14,15		404,14,15	
₹10 प्रति शेयर के 4041,41,460 इक्विटी शेयर्स (केन्द्र सरकार द्वारा धारित 3241,41,460 शेयर्स सहित)				
अधिमानी शेयर पूंजी बेमियादी असंचयी	1617,00,00	2021,14,15	1367,00,00	1771,14,15
योग		2021,14,15		1771,14,15
अनुसूची 2 : आरक्षित निधियां एवं अधिशेष				
I. सांविधिक आरक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	1219,45,09		953,50,39	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	316,85,25		265,94,70	
		1536,30,34		1219,45,09
II. पूंजीगत आरक्षित निधियां				
i) पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	1962,02,23		2008,91,59	
वर्ष के दौरान कटौती	33,59,32		46,89,36	
		1928,42,91		1962,02,23
ii) निवेश आरक्षित निधि				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	363,10,35		316,48,03	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		46,62,32	
		363,10,35		363,10,35
III. शेयर प्रीमियम				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	736,00,00		736,00,00	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
		736,00,00		736,00,00
IV. आय एवं आरक्षित निधियां				
आय एवं आरक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	1614,72,95		1045,74,06	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	529,34,48		565,90,84	
घटायें : वर्ष के दौरान कटौती	4,98,20		-	
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,69,11		3,08,05	
		2140,78,34		1614,72,95
V. आयकर अधिनियम की धारा 36 (1)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियां		100,00,00		0
VI. लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि		153,40,61		246,59,72
योग		6958,02,55		6141,90,34

दिनांक 31 मार्च, 2011 को समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियां

(‘000 छोड़कर)

	दिनांक 31 मार्च, 2011 को		दिनांक 31 मार्च, 2010 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 2 ए : मायनॉरिटी हित				
जिस दिनांक को मूल/अनुषंगी	2,45,00		2,45,00	
मूल अनुषंगी सम्बंधता अस्तित्व में आई, मायनॉरिटी हित तत्पश्चात वृद्धि / कमी	21,12,44		17,31,93	
तुलन पत्र की दिनांक को मायनॉरिटी हित		<u>23,57,44</u>		<u>19,76,93</u>
अनुसूची 3 : जमाराशियां				
ए I. मांग जमाराशियां				
i) बैंकों से	357,97,86		694,22,70	
ii) अन्य से	<u>15062,71,80</u>		<u>14362,54,74</u>	
		15420,69,66		15056,77,44
II. बचत बैंक जमाराशियां		47644,93,89		40763,53,34
III. सावधि जमाराशियां				
i) बैंकों से	2706,66,07		5436,46,79	
ii) अन्य से	<u>113606,24,94</u>		<u>100873,06,29</u>	
		116312,91,01		106309,53,08
योग		<u>179378,54,56</u>		<u>162129,83,86</u>
बी i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां		179378,54,56		162129,83,86
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		—		—
अनुसूची 4 : उधार राशियां				
I. भारत में उधारराशियां				
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	—		—	
ii) अन्य बैंक	6,47,70		45,97,90	
iii) अन्य संस्थान एवं अभिकरण	5808,02,69		2575,14,78	
iv) अरक्षित प्रतिदेय बॉण्ड (गौण ऋण)	2137,30,00		2406,30,00	
v) अपर टियर II बॉण्ड	2885,00,00		1585,00,00	
vi) नवोन्मेष अधिमानी ऋण लिखत	<u>583,00,00</u>		<u>583,00,00</u>	
		11419,80,39		7195,42,68
II. भारत के बाहर से उधारराशियां		1467,17,55		130,21,00
योग		<u>12886,97,94</u>		<u>7325,63,68</u>
उपर्युक्त I एवं II में शामिल रक्षित उधारराशियां		निरंक		निरंक



दिनांक 31 मार्च, 2011 को समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

	दिनांक 31 मार्च, 2011 को		दिनांक 31 मार्च, 2010 को	
	₹	₹	₹	₹
('000 छोड़कर)				
अनुसूची 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान				
I. देय बिल	344,02,30		448,41,42	
II. अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	0		-	
III. उपचित ब्याज	928,66,41		727,30,71	
IV आस्थगित कर देयताएं	146,49,18		308,06,50	
V. अन्य (प्रावधान सहित)	5260,18,56	6679,36,45	4070,08,04	5553,86,67
योग		<u><u>6679,36,45</u></u>		<u><u>5553,86,67</u></u>
अनुसूची 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष राशि				
I. रोकड़ शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)		925,87,26		752,02,49
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशि चालू खातों में	13056,23,27		16160,05,73	
अन्य खातों में	<u>100,00,00</u>		<u>100,00,00</u>	
योग		<u><u>13156,23,27</u></u>		<u><u>16260,05,73</u></u>
		<u><u>14082,10,53</u></u>		<u><u>17012,08,22</u></u>
अनुसूची 7 : बैंकों में शेष जमा राशियां और मांग व अल्प सूचना पर राशि				
I. भारत में				
i) बैंकों के पास शेष राशि				
ए) चालू खातों में	783,32,19		730,27,08	
बी) अन्य जमा खातों में	<u>3,78</u>		<u>1367,70,00</u>	
		783,35,97		2097,97,08
ii) मांग व अल्प सूचना पर राशि				
ए) बैंकों के पास	-		-	
बी) अन्य संस्थानों के पास	-		-	
योग....I		783,35,97		2097,97,08
II. भारत के बाहर				
ए) चालू खातों में	417,38,05		107,17,62	
बी) अन्य जमा खातों में	13,42		13,42	
सी) मांग व अल्प सूचना पर राशि	<u>-</u>		<u>-</u>	
योग....II		417,51,47		107,31,04
योग....(I + II)		<u><u>1200,87,44</u></u>		<u><u>2205,28,12</u></u>

दिनांक 31 मार्च, 2011 को समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

(‘000 छोड़कर)

	दिनांक 31 मार्च, 2011 को		दिनांक 31 मार्च, 2010 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 8 : निवेश				
I. भारत में निवेश : *				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	47761,96,17		44848,99,77	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	84,36,82		130,52,25	
iii) शेयर्स में	808,06,75		599,35,73	
iv) डिबेंचर्स एवं बॉण्ड्स में	3526,80,08		2830,85,76	
v) असोशिएट्स में निवेश	287,15,64		387,30,69	
vi) अन्य (यूटीआई शेयर्स एवं कमर्शियल, म्युच्युअल फण्ड यूनिट आदि)	2079,99,68		1908,58,64	
		54548,35,14		50705,62,84
II. भारत के बाहर निवेश **				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	-		-	
ii) असोशिएट्स में निवेश	31,86,13		34,38,26	
		31,86,13		34,38,26
योग		54580,21,27		50740,01,10
* भारत में निवेश :				
सकल मूल्य में निवेश	54890,94,71		52151,05,84	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	342,59,57		1445,43,00	
शुद्ध निवेश		54548,35,14		50705,62,84
** भारत के बाहर निवेश :				
सकल मूल्य में निवेश	31,86,13		34,38,26	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	-		-	
शुद्ध निवेश		31,86,13		34,38,26
योग		54580,21,27		50740,01,10
अनुसूची 9 : ऋण एवं अग्रिम				
ए. i) खरीदे गए एवं भुनाए गए बिल	1937,60,90		1340,09,74	
ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	37941,65,76		31766,25,33	
iii) मीयादी ऋण	89961,30,72	129840,57,38	72356,17,99	105462,53,06
योग		129840,57,38		105462,53,06
बी. अग्रिमों के विवरण :				
i) मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही ऋण के समक्ष अग्रिम सहित)	95519,60,35		81086,15,17	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा रक्षित	9493,78,69		5760,65,76	
iii) अरक्षित	24827,18,34	129840,57,38	18615,72,13	105462,53,06
योग		129840,57,38		105462,53,06
सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण				
(I) भारत में अग्रिम				
i) प्राथमिकता क्षेत्र	40343,13,46		33937,01,86	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	9868,12,04		5081,20,04	
iii) बैंक	17,43,88		1015,37,72	
iv) अन्य	79611,88,00	129840,57,38	65428,93,44	105462,53,06
योग		129840,57,38		105462,53,06
(II) भारत के बाहर अग्रिम		-		-



दिनांक 31 मार्च, 2011 को समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

	दिनांक 31 मार्च, 2011 को		दिनांक 31 मार्च, 2010 को	
	₹	₹	₹	₹
('000 छोड़कर)				
अनुसूची 10 : अचल आस्तियां				
I. परिसर				
(लागत/पुनर्मूल्यन लागत पर)				
पिछले वर्ष के 31 मार्च को शेष राशि	2383,01,14		2366,37,57	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,80,29		16,63,57	
योग	2385,81,43		2383,01,14	
इस तारीख तक मूल्यहास	370,18,47		334,01,07	
योग....I		2015,62,96		2049,00,07
II. अन्य अचल आस्तियां				
(फर्नीचर एवं जुड़नार सहित)				
पिछले वर्ष की 31 मार्च की लागत पर	952,59,25		816,93,46	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	233,28,21		143,87,54	
योग	1185,87,46		960,81,00	
वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	10,28,65		8,21,75	
योग	1175,58,81		952,59,25	
उक्त तारीख को मूल्यहास	764,95,86		657,92,03	
योग....II		410,62,95		294,67,22
योग....(I + II)		2426,25,91		2343,67,29
अनुसूची 11 : अन्य आस्तियां				
I. उपचित ब्याज	1078,16,81		996,50,22	
II. अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर काटा गया कर (निवल प्रावधान)	2296,82,63		2192,03,25	
III. स्टेशनरी एवं स्टाम्प	12,34,74		11,96,52	
IV. दावों की पूर्ति से अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियां	-		-	
V. अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	1531,18,80		620,92,20	
VI. अन्य	2918,95,86	7837,48,84	1351,35,57	5172,77,76
योग		7837,48,84		5172,77,76
अनुसूची 12 : आकस्मिक देयताएं				
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है	181,53,42		1682,43,57	
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों हेतु देयता	57,86,49		27,64,33	
III. बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता	28805,44,33		26529,98,20	
IV. ग्राहकों की ओर से प्रदत्त गारंटियां				
ए) भारत में	6367,09,49		5650,07,20	
बी) भारत से बाहर	307,84,45		127,50,51	
		6674,93,94		5777,57,71
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व	6179,68,95		4722,43,85	
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है	871,31,40		9,63,34	
योग		42770,78,53		38749,71,00

दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियाँ

(‘000 छोड़कर)

	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष ₹	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष ₹
अनुसूची 13 : अर्जित ब्याज एवं लाभांश		
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	11267,84,69	8662,00,79
II. निवेश पर आय	3767,36,46	3307,95,03
III. भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य अंतर बैंक निधियों में बकाया राशि पर ब्याज	33,36,98	102,64,80
IV. अन्य	205,57,97	6,05,80
कुल	15274,16,10	12078,66,42
अनुसूची 14 : अन्य आय		
I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली	620,50,58	573,54,49
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	311,92,29	772,38,20
III. विनिमय लेनदेनों पर शुद्ध लाभ/ (हानि)	56,09,26	45,33,62
IV. भूमि, भवनों एवं अन्य आस्तियों की बिक्री पर (शुद्ध) लाभ/हानि	(10,84)	(32,21)
V. निवेश के पुनर्मूल्यन पर लाभ/ (हानि)	-	-
VI. विदेश/भारत में स्थापित अनुषंगियों और असोशिएट्स से लाभांशों आदि के रूप में अर्जित आय	1,55,45	-
VII. विविध आय	249,52,32	351,00,55
कुल	1239,49,06	1741,94,65
अनुसूची 15 : प्रदत्त ब्याज		
I. जमा राशियों पर ब्याज	9064,99,62	9123,03,70
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	144,41,11	24,22,39
III. अन्य	688,15,87	375,73,21
कुल	9897,56,60	9522,99,30
अनुसूची 16 : परिचालन व्यय		
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	2965,79,52	1546,08,82
II. किराया, कर एवं बिजली	191,13,38	162,91,36
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	21,60,97	18,96,84
IV. विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	97,00,75	17,27,38
V. ए) पट्टाकृत आस्तियों को छोड़कर बैंक की अन्य आस्तियों पर मूल्यहास बी) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यहास	118,78,36 -	78,85,66 -
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे	1,29,55	1,64,18
VII. लेखा परीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं खर्चे सहित)	22,57,06	19,61,00
VIII. विधि प्रभार	15,07,16	12,57,54
IX. डाक खर्च, तार, टेलीफोन आदि	35,40,66	4,91,54
X. मरम्मत एवं रखरखाव	65,36,62	24,33,07
XI. बीमा	155,82,65	121,27,60
XII. अन्य खर्चे	315,05,51	216,96,56
कुल	4004,92,19	2225,41,55



अनुसूची 17 : समेकित खातों की मुख्य लेखांकन नीतियां

1. तैयार करने का आधार :

वित्तीय विवरणियां परम्परागत लागत आधार पर लाभकारी कारोबार वाले संस्थान की अवधारणा का अनुसरण करते हुए तैयार की गई हैं तथा सभी तात्विक पहलुओं से, भारत में सामान्यता स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जो लागू सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनिर्दिष्ट विनियामक मानदंडों, लेखांकन मानकों (एएस) तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्ट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी उदघोषणाओं तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं को समाविष्ट करते हैं।

2. समेकन प्रक्रिया :

2.1 समूह की समेकित वित्तीय विवरणियां (इसमें 2 अनुषंगियां तथा 8 असोसिएट्स (7 क्षेत्राबद्ध सहित) निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं।)

- ए. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (मूल बैंक/द बैंक) की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियां,
- बी. मूल बैंक की सम्बंधित मदों के साथ अनुषंगियों की आय एवं खर्च तथा आस्तियों, देयताओं की मदों को तत्संबंधी समेकन तथा अंतर-समूह की शेष राशियां/लेनदेन, गैर वसूले लाभ/हानियों को हटाकर एवं इन अनुषंगियों के उनके सम्बंधित लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित आंकड़ों को प्राप्त करने के आधार पर एकरूप लेखांकन नीतियों की पुष्टि करने, जहां भी संभव हुआ है, हेतु आवश्यक समायोजन किए गए हैं। इन अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियां उसी तारीख को तैयार की गई हैं, जिस तारीख अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2011 को मूल बैंक की तैयार की गई हैं।
- सी. असोसिएट्स में निवेश, जहां समूह मतदान अधिकार 20% अथवा उससे अधिक रखता है, लेखांकन मानक - 23 के अनुरूप इक्विटी प्रणाली का उपयोग करते हुए लेखागत किए गए हैं। मूल और असोसिएट्स द्वारा अपनाई जाने वाली अलग लेखांकन नीतियों के प्रभाव की पूरी जानकारी के अभाव में जहां समायोजन आवश्यक था, नहीं किया गया है। मूल बैंक तथा असोसिएट्स के बीच लेन-देनों के परिणामस्वरूप गैर-वसूली लाभ एवं हानियां जो कि असोसिएट्स में मूल बैंक के हित तक की सीमा में आते हैं को नहीं हटाया गया है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों के अनुसार एक असोसिएट्स इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड की वित्तीय विवरणियां तैयार की गई हैं। इन समेकित वित्तीय विवरणियों में उन्हें शामिल करने के लिए इन असोसिएट्स से प्राप्त वित्तीय विवरणियां एक मात्र आधार रही हैं।

2.2 समेकित अनुषंगियों की शुद्ध आस्तियों में मायनारिटी हित में निम्न शामिल हैं :

- ए) उस तिथि को मायनारिटी को इक्विटी की आरोप्य राशि, जिस पर अनुषंगी में निवेश किया गया है, एवं
- बी) जिस तिथि को मूल बैंक - अनुषंगी के सम्बंध अस्तित्व में आए, इक्विटी में कमी-बढ़ोतरी का मायनारिटी अंश।

ए. मूल बैंक द्वारा अपनाई गई मुख्य लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन नीतियां :

परिसरों के पुनर्मूल्यन द्वारा संशोधन के अलावा, लेखांकन नीतियों एवं अपनाई गई प्रथाओं के अनुसार, वित्तीय विवरणियां परंपरागत लागत आधार पर लाभकारी कारोबार वाले संस्थान की अवधारणा का अनुसरण करते हुए तैयार की गई हैं।

2. विदेशी मुद्रा से सम्बंधित लेन-देन :

- 2.1 विदेशी मुद्राओं में मौद्रिक आस्तियों व देयताओं का निर्धारण भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिसूचित प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है तथा परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है।
- 2.2 आय एवं व्यय की मदों का निर्धारण लेन-देन की तारीख को लागू विनिमय दरों पर किया जाता है।
- 2.3 विदेशी मुद्रा में गारंटी, साखपत्र, स्वीकृतियां, पृष्ठांकन, तथा अन्य दायित्व वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं।
- 2.4 बकाया वायदा संविदाएं वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं और परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है।

3. निवेश :

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित', 'व्यापार हेतु धारित' तथा 'विक्रय के लिए उपलब्ध' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तथापि, तुलनपत्र में दर्शाने के लिए निवेशों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है :

- i) सरकारी प्रतिभूतियां
- ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- iii) शेयर्स
- iv) डिबेंचर्स एवं बॉण्ड
- v) अनुषंगी एवं प्रायोजित संस्थानों में निवेश एवं
- vi) अन्य (यूटीआई शेयर्स, वाणिज्यिक पेपर एवं म्यूच्युअल फंड की यूनिट्स)।

3.2 वर्गीकरण का आधार :

खरीद के समय निवेश का वर्गीकरण निम्न श्रेणियों में किया जाता है :

i) परिपक्वता तक धारित

इनमें वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है।

ii) व्यापार के लिए धारित

प्रतिभूतियां, जो मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर पुनः बिक्री के लिए रखी जाती हैं।

iii) विक्रय के लिए उपलब्ध

वे निवेश जो उपर्युक्त श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं।

3.3 श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण :

निवेशों की तीन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण/बदलाव अंतरण की तारीख पर अधिग्रहण लागत/बही मूल्य तथा बाजार मूल्य, इनमें से जो कम है, पर लेखागत किया जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यहास, यदि कोई हो, तो उसका पूर्णतया प्रावधान किया जाता है।

3.4 मूल्यांकन :

i) परिपक्वता तक धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश को अधिग्रहण लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। अंकित मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत/बही मूल्य का आधिक्य शेष परिपक्वता की शेष अवधि के ऊपर परिशोधित किया जाता है।

ii) विक्रय के लिए उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को तिमाही अंतराल पर बाजार में, स्क्रिपवार निम्नवत अंकित किया जाता है :

i)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	बाजार मूल्य पर स्टॉक एक्सचेंज/ एफआईएमडीए / पीडीआई द्वारा निकाले गए कोटेशन के अनुसार	
ii)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारन्टीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बॉण्ड परिपक्वता के आधार पर उचित आय	परिपक्वता आधार पर उचित आय के अनुसार	
iii)	ट्रेजरी बिल / जमा-प्रमाणपत्र/ वाणिज्यिक पेपर/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश	रखाव लागत पर	
iv)	इक्विटी शेयर	ए) उद्धृत	बाजार मूल्य पर
		बी) अनुद्धृत	प्रति शेयर बही मूल्य पर, यदि, नवीनतम (एक वर्ष से पुराना नहीं) तुलन पत्र उपलब्ध हो, या ₹ 1.00 प्रति कंपनी, यदि, नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध न हो तो।
v)	अधिमान्नी शेयर	ए) उद्धृत	बाजार मूल्य पर
		बी) अनुद्धृत	परिपक्वता पर उचित आय
vi)	डिबेंचर एवं बॉण्ड	ए) उद्धृत	बाजार मूल्य पर
		बी) अनुद्धृत	परिपक्वता पर उचित आय
vii)	म्यूच्युअल फंड	ए) उद्धृत	बाजार मूल्य पर
		बी) अनुद्धृत	पुनः क्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य (जहां पुनः क्रय मूल्य उपलब्ध न हो)
viii)	उद्यम के लिए पूंजी	घोषित शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य अथवा लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर, शुद्ध परिसम्पत्ति के विश्लेषित आंकड़े, जोकि 18 माह से पुराने न हों। यदि शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य / लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम लगातार 18 माह से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध न हों, तब प्रति उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) के लिए ₹ 1/-.	

प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास का प्रावधान किया गया है तथा यदि कोई मूल्य वृद्धि है, तो उसे गणना में नहीं लिया गया है।

iii) व्यापार के लिए धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन मासिक अंतराल पर बाजार दरों पर, जहां उपलब्ध हैं, अथवा एफआईएमडीए द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है। प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास का प्रावधान किया गया है तथा यदि कोई मूल्य वृद्धि है, तो उसे गणना में नहीं लिया गया है।

3.5 लागत निर्धारण :

भारत औसत लागत पद्धति के आधार पर निवेश लागत निर्धारित की गई है।



3.6 आय निर्धारण :

- निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है। तथापि 'परिपक्वता के लिए धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि 'पूंजी प्रारक्षित निधि' में विनियोजित की गयी है।
- निवेशों की तीन श्रेणियों में से किसी में भी शामिल प्रतिभूतियों के सम्बंध में, जहां ब्याज/मूल धन 90 दिन से अधिक समय के लिए बकाया है, वहां आय की गणना नहीं की गई है तथा गैर निष्पादक अग्रिमों पर लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गए निवेशों के मूल्यहास हेतु उपयुक्त प्रावधान किया गया है। अग्रिम की प्रकृति के डिबेंचर/बॉण्ड, अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन रखे गए हैं।
- यदि बैंक को देय ब्याज एवं/अथवा मूल धन या अन्य कोई राशि 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती हो, राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण जोखिम को अवमानक/संदिग्ध/हानि के रूप में, जैसा भी मामला हो, वर्गीकृत किया गया है तथा विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान किये गए हैं।
- प्रतिभूतियों की खरीद पर प्राप्त दलाली, प्रोत्साहन राशि, ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क आदि को निवेशों की लागत में से घटाया गया है।
- प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय किए गए खर्चों जैसे दलाली, फीस, कमीशन या करों को आय में प्रभारित किया गया है।
- प्रतिभूतियों के क्रय या बिक्री पर खंडित अवधि का ब्याज, आय मद माना गया है।

4. डेरिवेटिव्स

वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्स को निम्नानुसार लेखांकन किया गया है।

- दैनिक बाजार-मूल्य - जहां अभिचिन्हित आस्तियां/देयताएं दैनिक बाजार मूल्य पर अंकित की गई हैं, परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है।
- जहां अभिचिन्हित आस्तियां/देयताएं दैनिक बाजार मूल्य पर अंकित नहीं की गई हैं उन मामलों में, ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज धारित आस्तियों/देयताओं का वित्तीय हानि से बचाव करते हैं, उन्हें उपचित आधार पर लेखागत किया गया है।
- स्वैप समाप्ति पर हुए लाभ अथवा हानि को स्वैप के शेष संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि में से, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

5. अग्रिम :

- अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध अथवा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इस सम्बंध में अपेक्षित प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गये हैं।
- अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में हुई वसूली को पहले ब्याज में विनियोजित किया जाता है। तथापि, वाद दायर, डिफ़ॉल्ट खातों तथा समझौता मामलों में वसूली पहले मूल धन में अथवा डिफ़ॉल्ट/समझौते की शर्तों के अनुसार विनियोजित की गई है।
- अग्रिम प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज एवं उधारकर्ताओं से वसूल की गई राशि जो विविध खाते में रखी गई है तथा सीजीटीएसआई/ईसीजीसी से वसूल की गई राशि को घटाकर अग्रिम दर्शाये गये हैं।

मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान अन्य देयताएं एवं प्रावधान - (अन्य) में शामिल हैं।

- बेची गई वित्तीय आस्तियों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:

यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम कीमत पर है तो वह कमी लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित की गई है।

यदि बिक्री एनबीवी से उच्चतर कीमत पर है तो अधिशेष प्रावधान अन्य गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों की बिक्री के कारण हुई कमी/हानि को पूरा करने के लिए रखा गया है।

6. अचल आस्तियां/मूल्यहास :

- अचल आस्तियों (कम्प्यूटरों के अतिरिक्त, जिनका मूल्यहास सीधी कटौती पद्धति पर किया गया है) का मूल्यहास 'मूल्यहासित मूल्य प्रणाली' के अंतर्गत निम्न दरों पर किया गया है :

i)	परिसर	अनुमानित जीवन पर आधारित परिवर्तनीय दरों पर
ii)	फर्नीचर, लिफ्ट, सुरक्षित जमा कक्ष	10%
iii)	वाहन	20%
iv)	वातानुकूलन यंत्र, कूलर, टाइपराइटर आदि	15%
v)	सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर्स	33.33%

अधिग्रहण वर्ष के दौरान एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आय में प्रभारित किया गया है।

- उन आस्तियों के मामले में, जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, मूल्यहास पुनर्मूल्यन राशि पर किया गया है तथा वृद्धिशील मूल्यहास, जो पुनर्मूल्यन राशि के लिए उत्तरदायी है, उसे 'पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि' में समायोजित किया गया है।

- 6.3 30 सितंबर तक आस्तियों में परिवर्धन के लिए पूरे वर्ष मूल्यहास का प्रावधान किया गया है तथा उसके बाद परिवर्धित आस्तियों हेतु आधे वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है। 30 सितंबर से पूर्व बेची गई आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया है तथा 30 सितंबर के बाद बेची गई आस्तियों के लिए अर्ध वर्ष के लिए मूल्यहास का प्रावधान किया गया है।
- 6.4 पट्टेवाली भूमियों का मूल्य पट्टे की अवधि पर परिशोधित किया जाता है। पुनर्मूल्यन के मामले में, मूल लागत और पुनर्मूल्यन मूल्यों के अंतर को पट्टे की बाकी अवधि के लिए परिशोधित किया गया है और 'पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि' में समायोजित किया गया है।
- 6.5 जहां पर भूमि व परिसर के मूल्य को अलग-अलग करना संभव नहीं है, वहां सम्मिश्रित लागत पर मूल्यहास लगाया गया है।

7. कर्मचारी - लाभ :

- 7.1 ग्रॅच्युइटी एवं पेंशन निधियों में वार्षिक अंशदान का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर किया है। पेंशन निधि के लिए अंशदान परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत किया गया है।
- 7.2 अर्जित छुट्टी के लिए देयताओं का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।
- 7.3 उन कर्मचारियों के सम्बंध में जिन्होंने भविष्य निधि योजना हेतु विकल्प दिया है, समतुल्य का अंशदान किया गया है।
- 7.4 बैंक ने अपनी लेखा बहियों में, कर्मचारी लाभ से उत्पन्न देयताओं को बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य से तुलन पत्र में योजना आस्तियों के उचित मूल्य को घटाकर दर्शाया है।

8. आय एवं व्यय का निर्धारण :

- 8.1 जब तक अन्यथा सूचित नहीं किया गया हो, आय एवं व्यय की मदों को उपचित आधार पर लेखागत किया जाता है।
- 8.2 अनर्जक आस्तियों पर आय की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार की गई है।
- 8.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, यदि कोई भी मद जो लाभ एवं हानि लेखे में लेखागत किए कुल आय/कुल खर्च के एक प्रतिशत से अधिक है तो उसका अवधि पूर्व प्रकटीकरण किया जाता है।
- 8.4 अतिदेय जमाओं पर देय ब्याज हेतु प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रावधान किए जाते हैं।
- 8.5 कमीशन (सरकारी व्यवसाय को छोड़कर), विनिमय, लॉकर किराया तथा बीमा दावे वसूली/निपटान होने पर लेखागत किया जाता है।
- 8.6 शेयर निर्गम के व्ययों को 5 वर्षों के लिए तिमाही आधार पर परिशोधित किया जाता है।

9. आय कर :

इस वर्ष के लिए कर हेतु प्रावधान में आस्थगित कर तथा लागू कर कानून के अनुसार वर्तमान कर देयता की गणना की गई है, जो कर योग्य आय तथा लेखा आय के बीच समय अंतर की पहचान करते हैं, जो एक समय में प्रारंभ होते हैं तथा एक या अधिक तदनन्तर अवधि में प्रत्यावर्तित होते हैं। आस्थगित कर आस्तियों की तब तक पहचान नहीं की जाती है जब तक कि 'वास्तविक निश्चितता' न हो, पर्याप्त भावी कर योग्य आय, ऐसे आस्थगित कर आस्तियों की वसूली के समक्ष उपलब्ध होगी।

बी. अनुषंगियां

1. विवेकपूर्ण मानदंड

ऋणों एवं अग्रिमों पर आय निर्धारण एवं प्रावधान राष्ट्रीय आवास बैंक (एएनएबी) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के आधार पर किए गए हैं।

2. आय निर्धारण

सेन्ट बैंक होम फायनेंस लिमिटेड के मामले में, आवास ऋणों, होम इक्विटी ऋण, टॉप-अप ऋण तथा संपति के विरुद्ध ऋण की अदायगी समान मासिक किस्तों (ईएमआई) के द्वारा की जाती है, जो कि मूल एवं ब्याज को शामिल करते हुए निर्धारित की जाती है। स्थिर दर के ऋणों के मामले में, वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बकाया राशि पर ब्याज की गणना की जाती है; अस्थिर दर के ऋणों के मामले में, ब्याज की गणना पिछले माह की अंतिम तारीख की बकाया राशि पर प्रत्येक माह के पहली तारीख को की जाती है। जैसे ही पूरा ऋण संवितरित हो जाता है, ईएमआई की लंबित शुरुआत, पूर्व-ईएमआई ब्याज प्रत्येक माह को देय होता है।

3. निवेश

निवेशों की दीर्घावधि प्रकृति के अंतर्गत लिया गया है तथा उन्हें लागत पर लेखागत किया गया है।

4. मूल्यहास

स्थायी आस्तियों पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में विनिर्दिष्ट सीधी लाइन प्रणाली के आधार पर किया गया है।

5. सेवानिवृत्ति लाभ

सेन्ट बैंक होम फायनेंस लिमिटेड के मामले में, ग्रॅच्युइटी राशि को बीमांकिक आधार पर अलग रखा जाता है तथा इसे भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह की ग्रॅच्युइटी योजना में निवेश किया जाता है। अवकाश नकदीकरण के लिए, पात्र कर्मचारियों के शेष अवकाश पर आधारित देयता की गणना की जाती है और निवल देयता को लाभ एवं हानि खाता में लेखागत किया जाता है।



अनुसूची 18 - समेकित खातों की संघटक टिप्पणियां :

1. समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में शामिल अनुषंगियां एवं अशोसिएटस.

इन समेकित वित्तीय विवरणियों में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (मूल बैंक), इसकी दो अनुषंगियां एवं मूल बैंक द्वारा प्रायोजित 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के अशोसिएटस तथा इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड (सामूहिक रूप से इसे 'समूह' के रूप में संदर्भित किया गया है) को शामिल किया गया है, इनके विवरण निम्नवत हैं :

अनुषंगी/अशोसिएट का नाम	निगमन-देश	दिनांक 31 मार्च, 2011 को स्वामित्व हित	दिनांक 31 मार्च, 2010 को स्वामित्व हित
सेन्ट्रल बैंक होम फायनेंस लिमिटेड (अनुषंगी)	भारत	59.50%	59.50%
सेन्ट्रल बैंक फायनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (अनुषंगी)	भारत	100.00%	100.00%
7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अशोसिएटस)	भारत	प्रत्येक आरआरबी में 35.00%	प्रत्येक आरआरबी में 35.00%
इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड (अशोसिएटस)	जाम्बिया	20.00%	20.00%

2. समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में, अनुषंगियों के सम्बंध में कुछ मामलों में लेनदेनों आदि के लिए भिन्न लेखांकन नीतियों को अपनाया गया है, जिसके लिए न तो समुचित समायोजन किए गए हैं और आवश्यक जानकारी के अभाव में न ही राशि दर्शाई जा सकी है. मूल बैंक की तुलना में अनुषंगियों द्वारा जिन मदों के सम्बंध में भिन्न लेखांकन नीतियां अपनाई गई हैं, उनके विवरण निम्नवत हैं :

	मूल बैंक	सेन्ट्रल बैंक होम फायनेंस लि. (अनुषंगी)	सेन्ट्रल बैंक फायनेंशियल सर्विसेज लि. (अनुषंगी)
मूल्यहास	बैंक ने मूल्यहासित मूल्य प्रणाली को अपनाया है, जबकि कंप्यूटरों के लिए मूल्यहास की सीधी रेखा पद्धति को अपनाया है.	मूल्यहास की सीधी रेखा पद्धति को अपनाया गया है. - प्रभारित मूल्यहास ₹ 8.49 लाख.	मूल्यहास की सीधी रेखा पद्धति को अपनाया गया है. - प्रभारित मूल्यहास ₹ 0.89 लाख.
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	बीमाकिक आधार पर	कंपनी द्वारा मूल्यांकित - ₹ 3.24 लाख.	लागू नहीं

3. मूल बैंक

3.1 पूंजी:

बैंक की अधिकृत पूंजी ₹ 3000 करोड़ है.

भारत सरकार को ₹ 250 करोड़ के बेमियादी असंचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) जारी कर बैंक की प्रदत्त-पूंजी ₹ 1771.14 करोड़ से ₹ 2021.14 करोड़ तक बढ़ायी गई.

वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹ 93 के प्रीमियम पर प्रत्येक ₹10 के 24,24,84,876 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर के लिए ₹ 2497.38 करोड़ का राइट इश्यू जारी किया. यह इश्यू दिनांक 24 मार्च, 2011 को खुला एवं दिनांक 7 अप्रैल, 2011 को बंद हुआ. दिनांक 31 मार्च, 2011 तक ₹ 2025.68 करोड़ की राशि प्राप्त हुई और उसे शेयर आवेदन राशि के अंतर्गत दर्शाया गया. कथित राशि भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हमारे बैंक के खाते में रखी गई है.

वर्ष के दौरान, बैंक ने अपर टियर II ऋण के अंतर्गत ₹ 1300.00 करोड़ (गत वर्ष ₹1000.00 करोड़) के अरक्षित प्रतिदेय बॉण्ड जारी करने अपर टियर II ऋण प्राप्त किया है और उक्त राशि को तुलनपत्र की अनुसूची 4 में 'उधार' के अंतर्गत दर्शाया है.

3.2 बहियों का समतुलन / मिलान :

विभिन्न चरणों में निम्नलिखित मदों का समतुलन सतत आधार पर प्रगति पर है और इस प्रकार के समतुलन के कारण परिणामी प्रभाव ज्ञात नहीं हैं.

- अंतर शाखा/कार्यालय शेष
- सरकारी (केन्द्र एवं राज्य) लेन-देन के लिए खाते
- अंतर बैंक खाते
- प्रणाली उचंत खाता
- उचंत खाता
- समाशोधन एवं अन्य समायोजन खाते

प्रबंधन का मत है कि खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई है, तो वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा.

3.3 आय कर / आस्थगित कर :

- 3.3.1 इस वर्ष के लिए आय कर का प्रावधान संगत सांविधिक प्रावधानों और विवादित मामलों पर न्यायिक निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में विधिवत विचार-विमर्श के बाद किया गया है.

3.3.2 अन्य आस्तियां [अनुसूची 11 (ii)] में ₹ 601.64 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1507.45 करोड़) शामिल हैं, जो बैंक द्वारा भुगतान किए गए/प्राधिकारियों द्वारा समायोजित विवादित आय कर के संदर्भ में हैं. ऐसे विवादित मामलों पर विभिन्न न्यायिक निर्णयों/काउंसल के मतों के आधार पर उपर्युक्त विवादित मांगों के लिए कर का प्रावधान किया जाना बैंक द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया.

3.3.3 विवाद के अंतर्गत भुगतान किए गए ₹ 601.64 करोड़ के कर में से, विभिन्न निर्धारण वर्षों से सम्बंधित विवादों में शामिल ₹ 21.46 करोड़ की कर राशि, अपीलकर्ता प्राधिकारियों द्वारा बैंक के पक्ष में निर्णीत की गई है. इसके लिए अपील का प्रभाव लम्बित है.

3.4 शोयर निर्गम के खर्च :

शोयर निर्गम खर्चों की ₹ 6.72 करोड़ की अपरिशोधित राशि अन्य आस्तियों में शामिल की गई है.

3.5 परिसर :

दिनांक 31.03.2008 को बाजार मूल्य दर्शाने के लिए बैंक के परिसरों का पुनर्मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान किया गया. अतिरिक्त मूल्य वृद्धि राशि ₹ 1565.97 करोड़ को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि खाते में जमा किया गया है.

बैंक के स्वामित्व वाले परिसरों में ₹ 12.21 करोड़ की लागत की संपत्ति शामिल है, जिसे ₹ 198.46 करोड़ पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है. इसके लिए पंजीकरण औपचारिकताएं अभी भी प्रगति पर हैं.

3.6 अग्रिम / प्रावधान :

पोषण / पुनर्वसन / पुनर्विन्यास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली इकाइयों सहित रुग्ण इकाइयों को दिए गए अग्रिम और संदिग्ध / हानि आस्तियों में वर्गीकृत अन्य अग्रिमों को, बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पत्तियों /आस्तियों के मूल्यांककों द्वारा दिए गए तथा बैंक के पास उपलब्ध अन्य आंकड़ों के आधार पर प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार धारण करने वाली प्रतिभूतियों के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य तक प्रतिभूत / वसूली योग्य माना जाएगा.

बैंक ने चालू वर्ष में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ₹ 312.43 करोड़ (गत वर्ष ₹ 312.43 करोड़) के अस्थायी प्रावधान को शुद्ध एनपीए की गणना करने के लिए सकल एनपीए से समायोजित करने का विकल्प चुना है.

अच्छे एवं रक्षित माने गए अग्रिमों में आईबीए द्वारा जारी (गैर प्राथमिकता क्षेत्र) यूनिफॉर्म कोड गवर्निंग इंटर बैंक पार्टिसिपेशन द्वारा अधिशासी आईबीपीसी में ₹ 2000 करोड़ एवं आरआरबी द्वारा जारी आईबीपीसी में कुल ₹ 1440 करोड़ (प्राथमिकता क्षेत्र/प्रत्यक्ष कृषि) का निवेश शामिल है.

3.7 कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संदर्भ भारिबैं/2009-10/371/डीबीओडी संख्या बीपी.बीसी. 82/21.04.048/2009-10 दिनांक 30 मार्च, 2010 तथा भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 3/3//2008-एसी दिनांक 5 अप्रैल, 2010 के अनुसार बैंक ने ऋण राहत योजना का लाभ सभी पात्र किसानों को दिनांक 30 जून, 2010 तक दिया है. बैंक को दिनांक 31.12.2009 को समाप्त अवधि के लिए ऋण राहत योजना के अंतर्गत ₹ 147.77 करोड़ का दावा माह फरवरी 2011 में पूर्णतः प्रतिपूरित किया जा चुका है. विस्तारित अवधि अर्थात् 01.01.2010 से 30.06.2010 (दिनांक 31.07.2010 तक शिकायत निवारण) के लिए ₹ 54.26 करोड़ का दावा भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप दिनांक 30.06.2011 तक भारतीय रिज़र्व बैंक के पास दायर करने के लिए लम्बित है.

4. लेखांकन मानकों का अनुपालन

बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस) का अनुपालन किया तथा इन लेखांकन मानकों के प्रावधानों के अनुरूप प्रकटीकरण किए गए हैं.

इस अवधि, पूर्व अवधि एवं असाधारण मदों तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के लिए एएस 5 के तहत शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि सम्बंधी, जो प्रकटीकरण आवश्यक हैं, ऐसे कुल आय/व्यय के 1% से अधिक कोई कभी पूर्व अवधि महत्वपूर्ण आय/व्यय नहीं थे.

नकदी आधार पर लेखांकित आय की मदें राजस्व निर्धारण पर एएस 9 के अन्तर्गत या तो महत्वपूर्ण नहीं थीं अथवा इनके प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं थी.

4.1 लेखांकन मानक - 15 संशोधित)

मूल बैंक

वर्ष के दौरान, बैंक ने ऐसे कर्मचारियों, जिन्होंने पूर्व में पेंशन योजना का विकल्प नहीं दिया था के लिए पेंशन का विकल्प खुला. भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीओडी.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11, दिनांक 09-02-2011, के अनुरूप पेंशन के द्वितीय विकल्प के लिए कार्यरत 13494 कर्मचारियों हेतु ₹ 239.98 करोड़ की अतिरिक्त देयताओं का 1/5 वां हिस्सा पेंशन निधि के लिए और सेवानिवृत्त/अलग हुए 4046 कर्मचारियों के ₹ 569.62 करोड़ लिए ऐसी देयताओं का 100%, कुल ₹ 809.60 करोड़, वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते को प्रभारित किए गए. सेवारत कर्मचारियों के लिए पेंशन के द्वितीय विकल्प हेतु अ-निर्धारित पेंशन देयता ₹ 959.93 करोड़ है.

भा.रि.बैं. के परिपत्र संख्या डीबीओडी संख्या बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11, दिनांक 09/02/2011, के अनुरूप उपदान अधिनियम 1972 में संशोधन के कारण अतिरिक्त उपदान राशि का 1/5 भाग ₹ 55.40 करोड़ लाभ हानि खाते को प्रभारित किया गया है. अ-निर्धारित उपदान देयतायें ₹ 221.60 करोड़ हैं.



यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसा परिपत्र जारी नहीं किया जाता तो एस-15 की आवश्यकताओं के अनुसरण में बैंक का लाभ ₹ 1181.53 करोड़ से कम रहता.

1 कर्मचारी लाभ :

बीमाकिक मूल्यांकनों के आधार पर पेंशन एवं ग्रेच्युटी लाभार्थ सुपरिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य का प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का मिलान नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	उपदान	पेंशन	उपदान
दिनांक 31 मार्च, 2011 को सुपरिभाषित लाभ दायित्व देयताएं				
प्रारंभिक दायित्व	2856.49	751.89	2705.33	785.08
सेवा लागत	70.54	40.78	47.98	30.65
ब्याज लागत	222.98	58.39	211.14	62.54
बीमाकिक (लाभ)/हानि	335.48	44.95	120.04	(58.31)
प्रदत्त लाभ	(279.44)	(125.67)	(228.00)	(68.07)
गत सेवा लागत (परिशोधित/ अ-निहित)	1199.91	277.00	-	-
गत सेवा लागत (निहित लाभ)	569.62	-	-	-
देयता अंतरण	1021.54	-	-	-
दिनांक 31 मार्च, 2011 को दायित्व	5997.12	1047.34	2856.49	751.89

(₹ करोड़ में)

दिनांक 31 मार्च, 2011 को उचित मूल्य पर योजना आस्तियां	दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	उपदान	पेंशन	उपदान
उचित मूल्य पर प्रारंभिक योजना आस्तियां	2269.03	808.40	2011.73	819.41
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	257.54	65.25	178.22	62.83
बीमाकिक (लाभ)/हानि	(130.67)	14.91	(22.92)	(5.77)
अंशदान	1090.00	70.00	330.00	-
प्रदत्त लाभ	(279.44)	(125.67)	(228.00)	(68.07)
अन्य न्यास से अंतरण	1021.54	-	-	-
दिनांक 31 मार्च, 2011 को उचित मूल्य पर योजना आस्तियां	4228.00	832.89	2269.03	808.40

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	उपदान	पेंशन	उपदान
दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लागत				
सेवा लागत	70.54	40.78	47.98	30.65
ब्याज लागत	222.98	58.39	211.14	62.54
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(257.54)	(65.25)	(178.22)	(62.83)
गत सेवा लागत (परिशोधित/ अ-निहित)	239.98	55.40	-	-
गत सेवा लागत (निहित लाभ)	569.62	-	-	-
बीमाकिक (लाभ)/हानि	466.15	30.04	142.95	(52.54)
शुद्ध लागत	1311.73	119.36	223.85	(22.18)

पूर्वानुमान

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	उपदान	पेंशन	उपदान
ब्याज दर	8%	8%	8%	8%
वेतन वृद्धि दर	4%	4%	4%	4%
योजना आस्तियों पर प्रतिफल की अनुमानित दर	8%	8%	8%	8%

2. अनुषंगियों के लिए पेंशन निधि लागू नहीं है

3. सेन्ट बैंक होम फायनेंस लि. बैंक की एकमात्र अनुषंगी कंपनी है, जिसके पास अपने स्वयं के कर्मचारीगण हैं, जो मूल बैंक के पे-रोल पर नहीं हैं. सीबीएचएफ लि. ने अपने कर्मचारियों की समेकित ग्रेज्युइटी देयता को कवर करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के पास से पॉलिसी ली है तथा इस पॉलिसी पर प्रदत्त प्रीमियम राशि को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है. दिनांक 31 मार्च, 2011 को कर्मचारियों के साधिकार अवकाश के शेष पर अवकाश नकदीकरण देयता के प्रावधान की गणना की गई है.

4.2 लेखा मानक 18- संबद्ध पार्टि प्रकटीकरण - :

I. सम्बद्ध पार्टियों की सूची - मूल बैंक

(ए) प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी-

	नाम	पदनाम
i)	श्री एस.श्रीधर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ii)	श्रीमती वी.आर.अय्यर	कार्यपालक निदेशक
iii)	श्री आर.के.दुबे	कार्यपालक निदेशक
iv)	श्री रामनाथ प्रदीप	कार्यपालक निदेशक (अगस्त 2010 तक)
v)	श्री अरुण कौल	कार्यपालक निदेशक (अगस्त 2010 तक)

(बी) अनुषंगियां -

i)	सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड.
ii)	सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड.

(सी) अशोसिएटस (सहयोगी संस्थान) -

(I) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक -

i)	सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा
ii)	सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अम्बिकापुर
iii)	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर
iv)	विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अकोला
v)	बलिया इटावा ग्रामीण बैंक, बलिया
vi)	हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा
vii)	उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार
(II)	इंडो - जाम्बिया बैंक लिमिटेड.

II. सम्बद्ध पार्टियों के साथ लेनदेन :

(₹ लाख में)

(ए)	मद	प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी	
		2010 -11	2009-2010
	प्रदत्त पारिश्रमिक	58.14	36.48



(बी) सम्बद्ध पार्टियों के लेनदेन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	सम्बद्ध पार्टियां	निम्न दिनांक को	निवेश		ऋण आस्तियों की खरीद		ऋण आस्तियों की बिक्री		क्षे.ग्रा.बैं.को ऋण व्यवस्था		आई बी पी सी के अंतर्गत सहभागिता			
			संचयी	वर्ष के दौरान अधिकतम	बकाया राशि	प्राप्त ब्याज	बिक्री राशि	प्रदत्त ब्याज	राशि	प्रदत्त ब्याज	प्रवर्तक बैंक को प्रत्यक्ष कृषि आस्तियों की बिक्री		प्रवर्तक बैंक से गैर-प्राथमिकता क्षेत्र क्रय	
											बकाया राशि	प्रवर्तक बैंक को प्रदत्त ब्याज	बकाया राशि	प्रवर्तक बैंक से प्राप्त ब्याज
1	सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश	31.03.11	27.64	27.64	0.00	6.63	0.00	0.00	200.23	5.67	150.00	0.00	150.00	0.00
		31.03.10	27.64	27.64	200.00	7.79	0.00	0.00	200.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2	सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अंबिकापुर, (छत्तीसगढ़)	31.03.11	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
		31.03.10	2.57	2.57	45.00	0.12	45.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर, (बिहार)	31.03.11	159.09	159.09	0.00	13.44	0.00	0.00	326.11	2.74	850.00	0.00	850.00	0.00
		31.03.10	159.09	159.09	500.00	36.10	0.00	0.00	200.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4	विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अकोला (महाराष्ट्र)	31.03.11	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.10	100.00	0.00	100.00	0.00
		31.03.10	6.22	6.22	47.35	3.25	0.00	0.00	50.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
5	बलिया-इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बलिया, (उत्तरप्रदेश)	31.03.11	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
		31.03.10	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा (राजस्थान)	31.03.11	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
		31.03.10	2.45	2.45	132.71	4.62	70.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल)	31.03.11	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
		31.03.10	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल		31.03.11	230.27	230.27	0.00	20.07	0.00	0.00	576.34	8.51	1440.00	0.00	1440.00	0.00
		31.03.10	230.27	230.27	925.06	51.88	115.00	0.23	450.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00

4.3 लेखांकन मानक 22 - आय पर कर का लेखांकन (मूल बैंक)

बैंक ने आस्थगित कर आस्तियां / देयताएं अभिचिन्हित की हैं

आस्थगित कर आस्तियां एवं आस्थगित कर देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

	31.3.2011	31.3.2010
आस्थगित कर आस्तियां :		
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	71.76	61.24
पेंशन एवं ग्रेच्युइटी के लिए प्रावधान	301.53	259.12
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	-	108.77
योग (ए):	373.29	429.13
आस्थगित कर देयताएं :		
स्थायी आस्तियों पर मूल्य हास	19.80	15.05
उपचित ब्याज परंतु निवेश पर प्राप्य नहीं	353.41	334.98
निवेश पर मूल्य हास	146.38	386.99
योग (बी):	519.59	737.02
शुद्ध आस्थगित कर देयताएं	146.30	307.89

4.4 लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि

बैंक की आस्तियों का एक बड़ा भाग वे वित्तीय आस्तियां हैं, जिनके लिए आस्तियों पर हानि का लेखांकन मानक - 28 लागू नहीं है. प्रबंधन के मत में, दिनांक 31 मार्च, 2011 को वित्तीय आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियों पर कोई बड़ी हानि परिलक्षित नहीं हुई है, जिसे मान्य करने की आवश्यकता है.

4.5 लेखांकन मानक 29 - प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों पर प्रावधान (मूल बैंक) :
प्रावधान में परिवर्तन :

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 01.04.2010 को प्रारंभिक	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	प्रत्यावर्तित/ समायोजित प्रावधान	दिनांक 31.03.2011 को अंतिम शेष
मानक आस्तियां	417.41	106.42	2.83	521.00
कर	1426.07	637.64	132.23	1931.48

प्रबंधन द्वारा संकलित की गई जानकारी के अनुसार, बैंक द्वारा विक्रताओं, जिनकी सेवाएं ली जाती हैं और खरीदी की जाती हैं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं। इस पर लेखा परीक्षकों ने विश्वास किया है।

5. लेखांकन मानक 17 - सेगमेंट रिपोर्टिंग (समेकित)
दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए सेगमेंट रिपोर्ट

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	विवरण	दिनांक 31.03.11 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)	दिनांक 31.03.10 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)
ए.	सेगमेंट आय		
	1. ट्रेजरी परिचालन	264456	143008
	2. खुदरा बैंकिंग परिचालन	538433	448162
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	829577	799281
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	3383	764
	5. गैर आबंटित	20177	603
	कुल	1656026	1391818
बी.	सेगमेंट परिणाम		
	1. ट्रेजरी परिचालन	160895	95217
	2. खुदरा बैंकिंग परिचालन	20487	43614
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	47412	76684
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	1498	754
	कुल	230292	216269
सी.	गैर -आबंटित आय / (व्यय)	20177	603
डी.	परिचालन लाभ	250469	216872
ई.	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	93223	51082
एफ.	आय कर	41109	49535
जी.	शुद्ध लाभ	116137	116255
एच.	अन्य जानकारी		
आई.	सेगमेंट आस्तियां		
	1. ट्रेजरी परिचालन	2534145	3169978
	2. खुदरा बैंकिंग परिचालन	5251988	4392418
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	12974138	10513027
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	1774	173
	5. गैर-आबंटित आस्तियां	235304	218619
	कुल	20997349	18294215
जे.	सेगमेंट देयताएं		
	1. ट्रेजरी परिचालन	3305900	2844644
	2. खुदरा बैंकिंग परिचालन	4647783	4323937
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	11923613	10307294
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	1268	1159
	5. गैर-आबंटित देयताएं	1118785	817181
	कुल	20997349	18294215

नोट : जमा प्रमाणपत्र पर ब्याज ट्रेजरी के स्थान पर सामान्य बैंकिंग परिचालन का भाग माना गया है। तदनुसार, जहां आवश्यक है, सेगमेंट आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।



- ए. मूल बैंक ने ट्रेजरी परिचालनों, कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग और अन्य बैंकिंग व्यवसाय को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंडों में शामिल किया है। कोई भी द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड नहीं है।
- बी. ट्रेजरी परिचालनों में सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स सम्बंधी परिचालनों के लेन-देन शामिल हैं।
- सी. खुदरा बैंकिंग क्षेत्र में ₹ 5 करोड़ (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित निवेश सहित) की सीमा तक के सभी निवेश शामिल हैं, यह अभिमुखताएं, उत्पाद, ग्रेनुलरिटी मानदंड तथा वैयक्तिक निवेश के अधीन है।
- डी. कॉर्पोरेट/समग्र क्षेत्र में ट्रस्ट/भागीदार फर्म, कम्पनियों तथा सांविधिक निकायों के वे सभी अग्रिम शामिल हैं, जो कि खुदरा बैंकिंग के तहत शामिल नहीं किए गए हैं।
- ई. अन्य बैंकिंग क्षेत्र में वे सभी अन्य बैंकिंग परिचालन शामिल हैं, जो उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में शामिल नहीं हैं।
- एफ. सामान्य बैंकिंग परिचालन प्रमुख संसाधन संग्रहण इकाई है तथा ट्रेजरी क्षेत्र, प्रयुक्त औसत फंड को गणना में लेते हुए उधार दी गई निधियों के लिए पूरक का कार्य करता है।
- जी. लागत का आबंटन :
- एक विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित खर्चे सीधे उस क्षेत्र को आबंटित किए जाते हैं।
 - एक विशिष्ट क्षेत्र से सीधे सम्बंध न रखने वाले खर्चों को नियोजित फंड में समानुपात रूप में आबंटित किया जाता है।

6. लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय (समेकित)

लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर आय निम्नानुसार हुई है:

	31.3.2011	31.3.2010
इक्विटी शेयर धारक के लिए कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	1175.64	1162.55
भारित औसत इक्विटी शेयर (संख्या)	404141460	404141460
प्रति शेयर मूल आय (₹)	25.43	27.23
डाइल्यूटेड प्रति शेयर आय (₹)	25.43	27.23
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य	10.00	10.00

7. इक्विटी प्रणाली के तहत अनुषंगियों में निवेश के आवर्ती मूल्य को पुनर्निधारण के परिणामस्वरूप ₹ 153.09 करोड़ को पूर्व अवधि मद के रूप में अभिचिन्हित किया गया है एवं तदनुसार अनुषंगियों में निवेश के मूल्य में से कम किया है।
8. जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है वहां पर पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित / पुनःवर्गीकृत किया गया है, जिससे कि वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण से समरूपण हो सके।

एस. श्रीधर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	वी.आर. अय्यर कार्यपालक निदेशक	आर.के. दुबे कार्यपालक निदेशक	पी.वी. रविन्द्रन महाप्रबंधक
डॉ. शाशांक सक्सेना निदेशक	सलीम गंगाधरन निदेशक	बुजलाल क्षत्रिय निदेशक	प्रो. एन. बालकृष्णन निदेशक
रोमेश सभरवाल निदेशक	मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश निदेशक	बी. एस. रामबाबू निदेशक	
कृते मे. सागर एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.003510एस	कृते मे.जी.एस.ए. असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.000257एन	कृते मे. डी. रंगास्वामी एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.003073एस	
(सीए विद्यासागर बाबू) भागीदार सदस्यता सं.27357	(सीए सुनील अग्रवाल) भागीदार सदस्यता सं.83899	(सीए जननी राधाकृष्णन) भागीदार एफआर सं.27037	
कृते मे. के.एस. अय्यर एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.100186डब्ल्यू	कृते घिया एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.1088सी	कृते मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.003708एन	
(सीए रघुवीर एम. अय्यर) भागीदार सदस्यता सं.38128	(सीए संजय घिया) भागीदार सदस्यता सं.072467	(सीए मिलन श्रीमाली) भागीदार सदस्यता सं.088578	

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : मुंबई

दिनांक : 30 मई, 2011

दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक 31- 03- 2011	दिनांक 31-03-2010
ए	परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	कर से पूर्व शुद्ध लाभ	1,640.63	1,442.96
I	निम्न के लिए समायोजन:		
	अचल आस्तियों पर मूल्यहास	118.78	68.10
	निवेश पर मूल्यहास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	150.98	64.79
	बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण/गैर-निष्पादक आस्तियों के सम्बंध में प्रावधान	631.79	259.73
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	106.14	29.97
	अन्य मदों के लिए प्रावधान (शुद्ध)	43.31	125.87
	अचल आस्तियों की बिक्री से (शुद्ध) लाभ / हानि	(0.11)	0.32
	गौण ऋणों के ब्याज का भुगतान / प्रावधान (अलग से माना जाए)	470.99	362.32
	उप-योग	3,162.51	2,354.06
II	निम्न के लिए समायोजन:		
	जमाओं में वृद्धि/ (कमी)	17,248.70	30,850.57
	उधारी में वृद्धि/ (कमी)	4,531.34	6,448.87
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/ (कमी)	215.94	(5,088.84)
	अग्रिमों में (वृद्धि)/ कमी	(24,378.04)	(19,859.77)
	निवेशों में (वृद्धि)/ कमी	(3,942.88)	(7,660.54)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी	(2,560.50)	(1,078.84)
	प्रत्यक्ष कर का भुगतान (शुद्ध धन वापसी इत्यादी)	(639.64)	493.98
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद	(9,525.08)	4,105.43
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	(6,362.58)	6,459.49
बी	निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	अचल आस्तियों का निपटान विक्रय	1.27	8.22
	अचल आस्तियों का क्रय	(235.54)	(141.94)
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	(234.27)	(133.72)
सी	वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	शेयर पूंजी	250.00	450.00
	शेयर आवेदन राशि	2,025.68	-
	गौण ऋण टियर II पूंजी से प्रतिदान/आय I	1,030.00	721.00
	अंतरिम लाभांश सहित इक्विटी शेयरों पर लाभांश	(143.10)	(144.00)
	लाभांश कर	(24.15)	(24.47)
	जेएनवाय स्वैप कूपन पर ब्याज	(4.98)	-
	गौण ऋण पर ब्याज	(470.99)	(362.32)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	2,662.47	640.21



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक 31- 03- 2011	दिनांक 31-03-2010
डी	नकदी एवं नकदतुल्य में शुद्ध वृद्धि (ए +बी +सी) अथवा (एफ - ई)	(3,934.38)	6,965.98
ई	वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदतुल्य		
	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं बैंक शेष	17,012.08	11,037.03
	बैंकों के पास शेष एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	2,205.28	1,214.34
	वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध नकदी एवं नकदतुल्य	19,217.36	12,251.37
एफ	वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकदतुल्य		
	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं बैंक शेष	14,082.11	17,012.08
	बैंकों के पास शेष एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	1,200.87	2,205.28
	वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकदतुल्य	15,282.98	19,217.36

एस. श्रीधर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

वी.आर. अय्यर
कार्यपालक निदेशक

आर.के. दुबे
कार्यपालक निदेशक

पी.वी. रविन्द्रन
महाप्रबंधक

डॉ. शशांक सक्सेना
निदेशक

सलीम गंगाधरन
निदेशक

बुजलाल क्षत्रिय
निदेशक

प्रो. एन. बालकृष्णन
निदेशक

रोमेश सभरवाल
निदेशक

मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश
निदेशक

बी. एस. रामबाबू
निदेशक

कृते मे. सागर एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003510एस

कृते मे.जी.एस.ए. असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.000257एन

कृते मे. डी. रंगास्वामी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003073एस

(सीए विद्यासागर बाबू)
भागीदार
सदस्यता सं.27357

(सीए सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं.83899

(सीए जननी राधाकृष्णन)
भागीदार
एफआर सं.27037

कृते मे. के.एस. अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.100186डब्ल्यू

कृते घिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.1088सी

कृते मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003708एन

(सीए रघुवीर एम. अय्यर)
भागीदार
सदस्यता सं.38128

(सीए संजय घिया)
भागीदार
सदस्यता सं.072467

(सीए मिलन श्रीमाली)
भागीदार
सदस्यता सं.088578

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : मुंबई

दिनांक : 30 मई, 2011

सेन्द्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021

फॉर्म बी

प्रॉक्सी फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाये)

चौथी वार्षिक साधारण बैठक

पृष्ठ संख्या अथवा डीपी आईडी संख्या / ग्राहक आईडी संख्या	
धारित शेयरों की संख्या	

मैं/हम-----निवासी-----

जिला-----राज्य----- सेन्द्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के शेयरधारक/शेयरधारकों की हैसियत से एतद्वारा

श्री/श्रीमती----- निवासी-----जिला-----राज्य-----अथवा

उनके न होने पर श्री/श्रीमती----- निवासी-----जिला-----

राज्य----- को सेन्द्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की 4थी वार्षिक साधारण बैठक बुधवार, दिनांक 29 जुलाई, 2011 को दोपहर 3.00

बजे सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर अस्पताल / रिलायन्स एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400 056 में और सम्बंधित बैठक के अधिस्थगन की स्थिति में मेरी/हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ.

दिनांक ----- 2011 को हस्ताक्षरित

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर -----

कृपया
रसीदी टिकट
लगाएं

नाम : -----

प्रथम शेयरधारक/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

(स्पष्ट अक्षरों में)

पता : -----

प्रॉक्सी फॉर्म हस्ताक्षरित करने और जमा करने संबंधी अनुदेश

1. प्रॉक्सी-लिखत तभी वैध माना जाएगा, जब कि वह:
 - ए) एकल शेयरधारक व्यक्ति के मामले में यह उसके द्वारा/उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित, लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत हो.
 - बी) संयुक्त धारकों के मामले में, रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक या उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित, लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत हो.
 - सी) निगमित निकाय के मामले में, इसके अधिकारी या अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित, लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत हो.
2. प्रॉक्सी लिखत शेयरधारक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए, किंतु किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ हो और यदि उसके अंगूठे का निशान लगा हो तो वह न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेन्स या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सेन्द्रल बैंक ऑफ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित होना चाहिए.
3. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगा, जब तक वह विधिवत रूप से स्टैम्पित नहीं किया गया हो और मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो), जिसके अंतर्गत प्रॉक्सी पर हस्ताक्षर किए गए हैं, के साथ अथवा ऐसा मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार बैंक के पास पहले ही जमा अथवा पंजीकृत किया गया है तो उसकी नोटरी पब्लिक अथवा मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति के साथ प्रॉक्सी बैठक की तारीख से कम से कम 4 (चार) दिन पहले अर्थात् दिनांक 24 जुलाई, 2011 को शाम 5.00 बजे से पूर्व बैंक के चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 स्थित प्रधान कार्यालय में जमा किया गया हो.
4. बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी-लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी.
5. यदि प्रॉक्सी-लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हो तो एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा.
6. प्रॉक्सी लिखत निष्पादित करनेवाला शेयरधारक उक्त लिखत से सम्बंधित बैठक में स्वयं मतदान करने का हकदार नहीं होगा.
7. किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है.
8. प्रॉक्सी फॉर्म में की गई सभी कांट-छांट निष्पादक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हों.
9. प्रॉक्सी-लिखत 'फॉर्म बी' में न होने पर उसे अवैध माना जाएगा.



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

उपस्थिति पर्ची

चौथी वार्षिक साधारण बैठक-29 जुलाई, 2011

दिनांक	29 जुलाई, 2011
स्थान	सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर अस्पताल/रिलायन्स एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400 056

सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
शेयरों की संख्या	
फोलिओ नं. अथवा डीपी आईडी संख्या / क्लायंट आईडी संख्या	
उपस्थित प्रॉक्सी धारक / प्रतिनिधि का नाम बड़े अक्षरों में (यदि कोई हों)	
उपस्थित सदस्य / प्रॉक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

प्रवेश पत्र

(बैठक के दौरान पूरे समय साथ रखा जाए)

फोलिओ नं. अथवा डीपी आईडी संख्या / क्लायंट आईडी संख्या	
सदस्य का नाम	
शेयरों की संख्या	


सहभागी शेयरधारक/प्रॉक्सी का नाम तथा हस्ताक्षर

बैंक की मुहर एवं हस्ताक्षर

शेयरधारक/प्रॉक्सी धारक / प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि बैठक के स्थान पर प्रवेश हेतु यह उपस्थिति-पर्ची-सह-प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करें. प्रवेश पत्र वाला हिस्सा शेयरधारक / प्रॉक्सी धारक को वापस किया जाएगा जो उन्हें बैठक की समाप्ति तक अपने पास रखना होगा. तथापि, यह प्रवेश आवश्यकतानुसार सत्यापन/जांच के अधीन होगा. किसी भी परिस्थिति में बैठक के प्रवेश द्वार पर डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी.



Chairman & Managing Director's Message




Dear Shareholder,

I am delighted to present the Annual Report for the year ended 31st March, 2011.


During the year, the nascent global recovery came under increasing pressure from high oil and commodity prices. This was further accentuated by the sovereign balance sheet risks in the Euro Zone. Global inflation resurfaced as a result of the transmission of rising international commodity prices and spillover from past food and some wage price inflation. However, the core inflation remained subdued in most advanced economies which continued to pursue accommodative monetary policies vis-à-vis anti-inflationary monetary policy stance of the EMEs.

In India, headline inflation exhibited strong presence and remained above the comfort level all through the year. The food inflation spilled over to the manufacturing sector from December 2010 as producers were able to pass on cost escalation amidst strong demand. Anti-inflationary concerns resulted in tight monetary policy stance of the Reserve Bank of India. Record food grain production turned around Agriculture & Allied activities which recorded growth of 5.4 per cent during the year. This rebound helped in GDP growth of 8.6 per cent during 2010-11.

Your Bank has achieved an important milestone during its centenary year by crossing business volume of Rupees Three lac crore thereby reaching a level of ₹ 310763 crore. Our remodeled business strategies, which lay focus on retail banking, were further strengthened by expediting retail processing by opening CCPCs (Centralized Credit Processing Centers). CCPCs have not only helped in robust growth of retail loans but also reduction in NPA in this segment substantially by 13.55 per cent in volume.



As a result of effective business strategies, the Bank was able to bring down cost of funds from 6.8 per cent in March 2009 to 5.82 per cent in March, 2011. During this period, our Net Interest Income recorded growth of over 109 per cent and the Net Interest Margin - which was below 2 per cent in the past - improved to 3.31 per cent. Despite providing for increased pension and other liabilities, our net profit in March 2011 was at ₹ 1252 crore.



Our Brand received a boost as a result of various high profile brand building efforts and culminated in the Banker magazine (UK) recognizing us as one of the Top 500 banks worldwide. Our investors reaffirmed their confidence, when the Rights Issue amounting to ₹ 2497 crore was oversubscribed. This shall augment our Tier I Capital and enable us to meet increased credit requirement of the economy. Factoring in the proceeds of the Rights Issue, which closed in April 2011, our CRAR in March 2011 would have been 13.57 per cent.

I shall be laying down office on superannuation on May 31st, 2011. It has been a great honour and privilege to lead one of the largest Public Sector Banks- particularly in its centenary year. At the commencement of my tenure in March 2009, I had set out to achieve enhanced value for all the stakeholders in the Bank, which I hope has been redeemed in some measure. This could not have been possible, but for your unstinted support for which I express my sincere gratitude.

With best wishes,

Yours sincerely,

S Sridhar

Chairman & Managing Director

Place : Mumbai

Date : May 30, 2011

Central Bank of India

Head Office, Chandermukhi Nariman Point, Mumbai - 400021

NOTICE

Head Office, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021

NOTICE

Notice is hereby given that the Fourth Annual General Meeting of the shareholders of Central Bank of India will be held on Friday, 29th July, 2011 at 3.00 P.M. at Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Near Cooper Hospital/Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (west), Mumbai, 400056 to transact the following business :

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2011, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2011, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare dividend for the financial year 2010-11.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

A K DAS

Assistant General Manager
(Company Secretary)

Place : Mumbai

Date : May 30, 2011

NOTES:

1. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai, 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on 24th July, 2011.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE :

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Central Bank of India as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai, 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e., on or before 5.00 PM on 24th July, 2011.

3. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative or proxy of a shareholder.

4. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is annexed to this notice. Shareholders/proxy holders/representatives are requested to affix their signature at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy holders / representatives should state on the attendance slip-cum-entry pass as "proxy or representative" as the case may be and should have proof of their identity by getting their signature attested by the shareholder.

5. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS :

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 23rd July, 2011 (Saturday) to 29th July, 2011 (Friday) (both days inclusive) for determining eligibility of shareholders for the purpose of dividend. Dividend will be paid to shareholders holding shares in electronic form as per the data provided by the Depositories on Friday, 22nd July,

2011 and to the shareholders holding shares in physical form as per the list provided by the Registrar and Transfer Agent as on the date of the Annual General Meeting of the Bank. Dividend Warrant shall be mailed within one month from the date of the Meeting.

6. BANK MANDATE FOR DIVIDEND OR ELECTRONIC CLEARING SERVICE (ECS) :

With a view to protect shareholders from fraudulent encashment of warrants, shareholders are requested to furnish their bank account number, the name of the bank and the branch where they would like to deposit the dividend warrants for encashment.

These particulars along with the name of the shareholder will be printed on the cheque portion of the dividend warrants, so that these warrants cannot be encashed by anyone else.

The above mentioned details should be furnished by the first / sole shareholder directly to the Registrar and Transfer Agent / DPs quoting the Folio No. or DP ID No. & Client ID No. and the number of shares held on or before 22.07.2011.

If shareholders choose not to submit any modification, the warrants will be printed based on bank mandate earlier received by the Registrar or data downloaded from NSDL / CDSL as on 22nd July, 2011 for Shareholders holding shares in dematerialized form. This is applicable for all shareholders who have not submitted ECS mandate(s).

The Bank is also offering ECS Direct Credit facility for those shareholders who maintain accounts with Central Bank of India branches residing in specified cities. This facility could be used by the shareholder instead of the Bank Mandate system for receiving the credit of dividend. Shareholders are required to give details of their Account numbers and IFS Code No. of their bank branch in their ECS Mandate to facilitate the transfer of dividend to their designated account. For selected Centres, payment through NEFT/NECS will be effected wherever such facility is available.

7. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / or have not received dividend from previous years viz. 2009-2010 onwards are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank for issue of duplicate.

Pursuant to the amendment of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Section 10B provides that the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 205C of The Companies Act, 1956 and **thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.**

8. CHANGE OF ADDRESS AND DIVIDEND MANDATE:

In case of shareholders holding shares in physical form, they are requested to intimate to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank any change in their address, dividend mandate and the particulars of the bank, branch and bank account number which the shareholder desires to incorporate on the dividend warrant, before commencement of the Book Closure at the following address:

Link Intime India Private Limited
Unit : Central Bank of India
C-13, Pannalal Silk Mills Compound
LBS Marg, Bhandup (West)
Mumbai, 400078
Phone: (022) 2596 3838
Fax: (022) 2594 6969
E-Mail: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

In case of shareholders holding shares in Electronic form, they are requested to intimate any change in their address, dividend mandate and the particulars of the bank, branch and bank account number which the shareholder desires to incorporate on the dividend warrant etc., only to their depository participants as the aforesaid information provided by the Depository as on 22nd July, 2011 would only be considered for the purpose of payment and distribution of dividend.



9. RECEIVE DOCUMENTS THROUGH E-MAIL BY REGISTERING YOUR EMAIL ADDRESS

The Ministry of Corporate Affairs has taken a “Green Initiative in the Corporate Governance” vide its circular nos. 17/2011 dated April 21, 2011 and 18/2011 dated April 29, 2011 which enables the entity to effect electronic delivery of documents including the Notice of Annual General Meeting, audited financial statements, Directors’ Report, Auditors’ Report, etc, in electronic form, to the e-mail address which you have previously registered with your Depository Participant(DP) as your valid e-mail address. Investors are requested to register/update their e-mail addresses immediately in their respective DP Accounts so as to receive delivery of documents including Notice of AGM and Annual Report by e-mail instead of getting the same in physical mode. However this year, along with the printed copy of Notice of 4th AGM and Annual Report for the financial year 2010-11 which is being dispatched to all shareholders, a soft copy of the abovesaid Notice and Annual Report is also being sent by e-mail to all those shareholders whose e-mail addresses were available/registered with DPs.

Effective September 1, 2011, the e-mail addresses indicated in your respective DP accounts which will be periodically downloaded from NSDL/CDSL will be deemed to be your e-mail address for serving notices/documents including Notice of AGM and Annual Report. Shareholders holding shares in physical form desirous of availing electronic form of delivery of documents/notices are requested to immediately register/update their e-mail addresses with our Registrar and Transfer Agents namely, Link Intime India Private Limited, C-13, Pannalal Silk Mills Compound, L.B.S. Marg, Bhandup (West), Mumbai – 400 078 .

Please note that while every notice/document will be sent to the email address registered with the Bank, in case you desire to receive any notice/document in physical form, please intimate by e-mail and the same shall be sent free of cost to your address registered with the Bank/Depository.

10. REQUEST TO SHAREHOLDERS:

Shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report enclosed herewith.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

A K DAS

Assistant General Manager
(Company Secretary)

Place : Mumbai

Date : May 30, 2011

DIRECTORS' REPORT 2010-11

To the Members,

Your Directors have pleasure in presenting the Bank's Annual Report of the Bank along with the Audited statement of Accounts, the Profit and Loss accounts and the cash flow statement for the year ended March 31, 2011.

1. PERFORMANCE HIGHLIGHTS

- Total Business of the Bank increased by ₹ 41538 crore to ₹ 310763 crore, registering y-o-y growth of 15.43 per cent.
- Total Deposits increased by ₹ 17249 crore to ₹ 179356 crore, registering y-o-y growth of 10.64 per cent.
- Gross Advance of the Bank grew by ₹ 24289 crore to ₹ 131407 crore, registering y-o-y growth of 22.67 per cent.
- Operating Profit increased by ₹ 533 crore to ₹ 2591 crore, registering y-o-y growth of 25.90 per cent
- Net Profit increased by ₹ 194 crore to ₹ 1252 crore, registering y-o-y growth of 18.35 per cent.
- Capital Adequacy Ratio (as per Basel-III) reduced to 11.64 per cent from 12.23 per cent in previous year.
- Net worth increased by ₹ 1181 crore to ₹ 6909.54 crore, registering y-o-y of 20.68 per cent.
- Gross NPA of the Bank reduced by ₹ 64 crore to ₹ 2394 crore from ₹ 2458 crore in previous year. In percentage term Gross NPA reduced to 1.82 per cent from 2.29 per cent in last year.
- Net NPA increased from ₹ 727 crore to ₹ 847 crore in previous year. Net NPA percentage reduced to 0.65 per cent from 0.69 per cent in previous year.
- Net Interest Margin (NIM) stood at 3.31 per cent against 1.86 per cent in 2010.
- Average Business per Employee increased to ₹ 835 lakh from ₹ 712 lakh in previous year.
- Net Profit per Employee increased to ₹ 3.96 lakh from ₹ 3.30 lakh in March 2010.
- Credit to Priority Sector increased to ₹ 41949 crore from ₹ 35393 crore in previous year, recording y-o-y growth of 18.52 per cent.
- Agriculture Advance of the Bank grew by 8.08 per cent, contributing a share of 18.64 per cent in Net Bank Credit, which is above the RBI's norms of 18 per cent.
- 7387 beneficiaries were issued Cent Janata Credit Cards during the year.
- 11877 Self Help Groups formed during the year out of which 11159 groups were credit linked.
- Advances to MSE grew by 27.73 per cent from ₹ 9317 crore in year 2010 to ₹ 11901 crore. Sixty branches have been identified for focus attention for MSE finance.
- 1776 villages with the population over 2000 have been brought under Financial Inclusion Plan.
- Retail loans of the Bank grew by 26.29 per cent from ₹ 11190 crore (2010) to ₹ 14132 crore. The share of Retail Loan in Gross Advance was 10.75 per cent.
- Education Loan grew by 31.18 per cent during the year and the total loan reached to ₹ 1548 crore.
- Housing Loan portfolio (up to ₹ 20 lakh) shown a growth of 14.41% and reached to ₹ 7001 crore.
- E-stamping started in the states of Delhi, Karnataka and Tamil Nadu to provide stamping facility.
- Electronic uploading of Central Civil Pension has been started.
- Bank has been appointed as Registrar by the Unique Identification Authority of India for carrying out enrolment work for issuance of Unique ID on pan India basis.
- Corporate Credit increased from ₹ 75616 crore to ₹ 93554 crore registering a growth of 23.72 per cent during the year.
- Bank has opened 82 new branches during the year and having network of 3728 branches as on 31st March 2011.
- All branches have been brought under CBS platform.
- E-treasury of the Bank made fully operationalised.
- Bank has obtained license to open NRI branches in Anand, Margao, Hyderabad and Bhuj.
- Bank has signed two MoU for establishing joint venture banks – one at Maputo, in the Republic of Mozambique and the other at Thimpu in Bhutan.
- The name of "Centbank Financial and Custodial services Ltd." has been changed as "Centbank Financial Services Limited".
- Bank has made cash recovery of ₹ 736 crore in NPA accounts.
- Bank has offered & successfully completed Right Issue of ₹ 2497 crores in March / April 2011. The Rights Issue ratio was 3:5 and was oversubscribed by 1.07 times.
- Bank own the Skoch Financial Inclusion Award 2011 for implementing the Bihar Rural Livelihood Project also known as JEEVIKA Project and My FM stars of the Industry Retail Leadership Award in February 2011.

2. INCOME & EXPENDITURE

Details of income and expenditure for the period 2010-11 are given hereunder:

		₹ in crore			
		31.03.2011	31.03.2010	Variation	%
1	INTEREST INCOME	15221	12064	3157	26.17
	- Advances	11254	8648	2606	30.13
	- Investments	3767	3307	460	13.91
	- Others	200	109	61	83.49
2	OTHER INCOME	1265	1735	-470	-27.09
	(Profit on Sale of Investments)				
3	TOTAL INCOME (1+2)	16486	13799	2687	19.47
4	INTEREST EXPENDED	9895	9519	376	3.95
	- Deposits	9063	9121	-58	-0.64
	- Others	832	398	434	109.05
5	OPERATING EXPENSES	4000	2222	1778	80.02
	- Establishment	2964	1544	1420	91.97
	- others	1036	678	358	52.80
6	TOTAL EXPENSES (4+5)	13895	11741	2154	18.35
7	SPREAD (1-4)	5326	2545	2781	109.27
8	OPERATING PROFIT (3-6)	2591	2058	533	25.90
9	PROVISIONS-NPA/INVST./OTHERS	932	509	423	83.10
10	PROVISIONS FOR TAXATION	407	491	-84	-17.11
11	NET PROFIT	1252	1058	194	18.34

- Interest Income grew by 26.17 per cent during the year
- Net Interest Income registered a growth of 109.27 percent
- Interest expenses on Deposits reduced to ₹ 9063 in March 2011 from ₹ 9121 crore in previous year, because of maturity of high cost deposits.
- Expenses on employees has gone up by 91.97% because of salary revision for staff & officers and provision of pension & gratuity.

3. PROVISIONS

Details of Total Provisions of ₹ 1339 crore charged to the Profit and Loss Account during the year 2010-11 vis-a-vis previous year are detailed as under:

	₹ in crore		
	31.03.2011	31.03.2010	Variation
Provisions for Standard Assets	106	30	76
Provisions for NPAs	632	288	344
Depreciation/Provision on Investments	154	65	89
Provisions for Taxes	407	491	-84
Others	40	126	-86
TOTAL	1339	1000	339

4. SPREAD ANALYSIS

	(In percentage)	
	31.03.2011	31.03.2010
Cost of Deposits	5.71	6.29
Cost of Funds	5.82	6.34
Yield on Advances	10.29	9.82
Yield on Investments	7.14	6.74
Net Interest Margin	3.31	1.86
Cost Income Ratio	60.68	51.91

- Cost of Deposits decreased from 6.29 per cent in 2010 to 5.71 per cent in 2011.
- The yield on advances and yield on investments both increased to 10.29 per cent and 7.14 per cent from 9.82 per cent and 6.74 per cent respectively in previous year.
- Net Interest Margin significantly increased from 1.86 (2010) to 3.31 per cent.
- Cost Income Ratio increased from 51.91 per cent in 2010 to 60.68 per cent, on account of increased establishment expenses

5. BANKING RATIOS

	(In percentage)	
	2010-11	2009-10
Interest Income to Average Working Fund (AWF)	8.49	7.56
Non-Interest Income to AWF	0.71	1.09
Operating Profit to AWF	1.45	1.29
Return on Average Assets	0.70	0.66
Business Per Employee (₹ in lakh)	835	712
Net Profit per Employee (₹ in lakh)	3.96	3.30

6. CAPITAL TO RISK WEIGHTED ASSETS RATIO (CRAR)

The components of Capital Adequacy Ratio were as under:

	31.03.2011		31.03.2010	
	Basel-I	Basel-II	Basel-I	Basel-II
Risk Weighted Assets(₹ in crore)	128587	116619	104344	92181
Capital Funds (in percentage)				
Tier-I	5.81	6.31	6.03	6.83
Tier-II	4.93	5.33	4.78	5.40
Capital Adequacy Ratio	10.74	11.64	10.81	12.23

7. NET PROFIT & DIVIDEND

The Bank earned Net Profit of ₹ 1252 crore for the financial year 2010-11. The Board of Directors are pleased to recommend a dividend @ 25 per cent.



8. CHANGES IN THE BOARD DURING THE YEAR

During the year under review, the following changes took place in the Board of Directors of the Bank:

- **Shri Ramnath Pradeep** has been appointed as CMD of Corporation Bank w.e.f. September 1, 2010.
- **Shri Arun Kaul** has been appointed as CMD of UCO Bank w.e.f. September 1, 2010.
- **Smt. V.R. Iyer** has been appointed as Executive Director with effect from September 1, 2010.
- **Shri R.K. Dubey** has been appointed as Executive Director with effect from September 1, 2010.
- **Shri M.K. Bhattacharya** ceased to be a Director with effect from July 30, 2010.
- **Shri Salim Gangadharan** has been appointed as RBI Nominee Director with effect from July 30, 2010.
- **Shri M.S. Johar** retired on January 1, 2011.

9. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2011;

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departure, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied;
- Reasonable and prudent judgement and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended March 31, 2011;
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the applicable laws governing banks in India ; and
- The accounts have been prepared on a going concern basis.

10. CORPORATE GOVERNANCE

The Board of the Bank is committed to adapt Corporate Governance practices in letter and spirit. The Bank has adopted well documented system and practice on Corporate Governance.

11. ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors places on record its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and the Security Exchange Board of India for their valuable guidance and support. The Board acknowledges with gratitude the unstinted support and faith of its customers and shareholders. The Board wishes to place on record its appreciation of the dedicated services and contribution made by members of staff for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Mumbai
Date : May 30, 2011

S. Sridhar
Chairman and Managing Director

MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

PART A –ECONOMIC SCENARIO

GLOBAL DEVELOPMENTS

There have been visible signs of recovery of world output growth largely driven by the robust growth in emerging economies. The recovery is broadly divided into (i) large output gaps in advanced economies (ii) close gaps in emerging markets. In 2010, the growth in advanced economies has been estimated at 3% with higher unemployment. In contrast, the emerging & developing economies have seen growth above 7%, combined with low unemployment. Overall, world real GDP growth is estimated at 5% in 2010. China & India contributed about a quarter of incremental world output. The sovereign debt crises in the euro zones, the slow real estate markets, the rise in commodity prices & crude oil prices are key downside risks to growth in advanced as well as emerging economies. IMF has projected 4.4% growth in 2011 & 4.5% growth in 2012 with again large contribution in world output growth of 6.5% in both years from emerging & developing economies.

DOMESTIC ECONOMY

Indian economy is estimated to grow by 8.6% during the year 2010-11. The sign of moderation in GDP growth was observed during second half of the year mainly due to slow down in capital goods production and investment spending. The high crude oil prices, rising commodity prices and anti inflationary monetary measures have significantly impacted growth of economy during the year 2010-11. GDP growth during 2011-12 is expected to moderate from its pace in 2010-11, because of continued high inflation and rising input costs despite a prediction of normal monsoon and positive lead indicators from service sector

Headline Inflation was the primary macroeconomic concern throughout the year. The WPI-based inflation for the month of March 2011 rose to 8.98%, exceeding the RBI's expectation of 8%. It was driven by a combination of factors, both structural and transitory. During April-July 2010 it was impacted primarily by food items and fuel, between August to November 2010, it was largely influenced by both food and non-food primary articles and minerals and during December 2010 to March 2011, the increase in WPI was mainly driven by non-food manufactured products and fuel.

The Consumer Price Index (CPI) also remained elevated during the year 2010-11. The CPI however as against 13.3-15.0% in April 2010 declined to 8.8-9.1% in March 2011 because of moderation in food prices.

The industrial production during the year 2010-11 showed signs of slowdown. The index of Industrial Production shown growth of only 7.8 % in FY 2010-11 as against 10.5 % during the previous year. The IIP for March 2011 showed a growth of 7.3 % as against 15.5 % in the month of March 2010. The slowdown was mainly due to the high base effect & sharp deceleration in capital & intermediate goods growth rate. The weighted contribution of capital & intermediate goods growth to overall IIP growth has also declined. In contrast, the consumer durables growth has shown a high growth of 20.9% in April-March 2010-11 in the back of a strong private consumption demand. During 2010-11, the index of capital goods grew by 9.3 % and consumer goods 7.5% as against 20.9 % and 6.2 % respectively during the same period in 2009-10.

MONETARY DEVELOPMENTS

For the FY 2010-11, Monetary Policy's main focus was to curb inflationary pressure without hampering the credit growth & overall growth of the economy. RBI continues to take steps for deepening the financial markets in a calibrated manner while attempting to strengthen the stability of the financial system in the country. Since April 2010, the RBI has increased Repo & Reverse repo rates 9 times taking it to a pick to 7.25% & 6.25% respectively. The Base rate system was introduced in a banking system with effect from July 1, 2010 to enhance transparency in lending rates & improve monetary policy transmission. The overall liquidity position was in severe deficit mode since May 2010. The RBI took various measures to inject liquidity in the system. Money supply (M3) growth moderated during the year, reflecting the slower deposit growth & faster currency growth which reduced the money multiplier. The money supply grew by 15.9% in 2010-11 against 16.8% in 2009-10.

BANKING

During the year 2010-11, Indian Banking System registered a growth of 15.8 % in deposits against 17.2 % in 2009-10. The aggregate deposits increased by ₹ 711877 crore to ₹ 5204703 crore as on March 25, 2011. The growth in deposits was skewed more in favour of term deposits due to steady hike in term deposit rate by banks specially during the last quarter of the year.

Bank credit during the year registered a strong growth of 21.4 % as against 16.9 % during 2009-10. The bank credit increased by ₹ 693871 crore to ₹ 3938659 crore as on March 25, 2011. Non-food credit stood at ₹ 3874376 crore with an increase of ₹ 678077 crore and food credit by ₹ 15793 crore to ₹ 64283 crore during the year 2010-11. The growth in credit was primarily led by credit to telecom sector and strong demand from infrastructure sector in the latter part of the year.


Part B – PERFORMANCE OF THE BANK

BUSINESS

As on 31st March 2011, the total business of the Bank was ₹ 310763 crore, registering a growth of 15.43% from the previous year figure of ₹ 269225 crore. The operating profit reached to ₹ 2591 crore from previous year figure of ₹ 2058 crore, marking a growth of 25.90%. The Bank has posted the highest ever net profit of ₹ 1252 crore, which marks an increase of 18.35% over the previous year's net profit of ₹ 1058 crore.

RESOURCE MOBILISATION

The total deposits as on March 31, 2011 stood at ₹ 179356 crore, registering a growth rate of 10.64% over previous year. All the components viz. Demand Deposits from others, Savings Bank Deposits and Term Deposits from others recorded healthy growth.



CREDIT

As on March 31, 2011 the gross credit of the Bank stood at ₹ 131407 crore as against ₹ 107118 crore in the previous year registering a growth of 22.67%.

The growth in credit is diversified in all segments with higher growth in Retail Credit (26.29%) and Corporate Credit (23.72%).

Outstanding	As on 31/03/2011	As on 31/03/2010	Growth (%)
Retail Loans	14132	11190	26.29
Priority Sector Credit	41949	35393	18.52
Corporate Credit	93554	75616	23.72

PRIORITY SECTOR CREDIT

The credit deployed under priority sector increased from ₹ 35393 crore to ₹ 41949 crore in 2010-11, recording a y-o-y growth of 18.52 %. Out of this, the direct Agriculture advance has recorded a growth of 7.46% over 2009-10 despite adjustment of the Debt Waiver and Relief claim of ₹ 495.24 crore. The performance recorded by the Bank under various segments of priority sector as on 31.03.2011 is as under:

Sr. No.	Particulars	March 2010	March 2011	Percentage of growth
	Adjusted Net Bank credit (ANBC)	85935	106146	-
1	Priority Sector Advances Percent to ANBC	35393 41.19	41949 39.52	18.52
2	Total Agriculture Advance Percent to ANBC	18309 21.31	19790 18.64	8.08
3	Direct Agricultural Advances Percent to ANBC	11607 13.51	12473 11.75	7.46
4	Indirect Agricultural Advances Percent to ANBC	6702 7.80	7317 6.89	9.17
5	Micro & Small Enterprises	9317	11901	27.73
6	Education loan	1180	1548	31.18
7	Housing Loan (upto ₹ 20.00 lacs)	6119	7001	14.41
8	Micro Cr.	468	269	-42.52

AGRICULTURE

Total Agriculture credit increased by 8.08% from a level of ₹ 18309 crore as on 31.03.2010 to Rs 19790 crore as on 31.03.2011. The share to adjusted net bank credit (ANBC) stood at 18.64%.

MICRO CREDIT

The Bank has extended credit of ₹ 269 crore to beneficiaries where the loan amount does not exceed ₹ 50000 per borrower.

MICRO & SMALL ENTERPRISES (MSE)

The advances to MSE increased to ₹ 11901 crore at the end of the current year from ₹ 9317 crore as on 31.03.2010. Sixty branches have been identified for focused attention on MSE credit. Extensive training has been provided to Branch Managers of these branches at our apex institute in Mumbai. These branches are now adopting cluster-based approach for accelerated growth under the MSE. Further, the Bank is extending collateral free loans up to ₹ 100 lakh for setting up to units under Micro & Small Enterprises sector, which are also eligible for cover under CGTMSE scheme.

SELF HELP GROUPS

During the year, 11877 groups were formed under the scheme by the Bank. Out of which 11159 groups have been credit-linked. Since inception of the scheme the Bank has formed 138934 SHGs out of which 88348 groups are credit-linked with outstanding balance of ₹ 697.14 crore at the end of the year. Out of the credit-linked groups, 71709 are women SHGs with total sanctioned limits of ₹ 553.38 crore.

PERFORMANCE UNDER LEAD BANK:

Our bank is shouldering the responsibility of Lead Bank in 48 districts of the country. The performance of the lead district for the year 2010-11 is ₹ 3540 crore against the total target of Rs 4607 crore for the year 2010-11.

EDUCATION LOAN

- The education loan portfolio of the bank has recorded a growth of 31.18% from ₹ 1180 crore on March 2010 to ₹ 1548 crore as on March 2011.
- Our Bank has entered into tie up with 154 educational institutes across the country for providing education loan.

HOUSING LOAN (up to ₹ 20.00 lacs)

Bank continued to perform well in the housing sector under priority sector i.e. with a ticket size of ₹ 20 lacs. The y-o-y growth under this segment was recorded at 14.41% from ₹ 6119 crore as on March 2010 to ₹ 7001 crore as on 31ST March 2011.

AGRICULTURAL DEBT WAIVER AND DEBT RELIEF SCHEME 2008

Bank had lodged the claim under Debt Waiver and Debt Relief scheme 2008 separately with RBI for their reimbursement, the position is as under:

(₹ In crore)

Debt Waiver scheme		Debt Relief scheme		Total	
A/cs	Amt.	A/cs	Amt.	A/c	Amt
446580	978.53	67072	147.77	513652	1126.30

RBI/Government of India reimbursed the complete amount of ₹ 1126.30 crore to Bank.

STATE LEVEL BANKER'S COMMITTEE (SLBC)

Bank is convener of SLBC in the State of Madhya Pradesh. During the year 2010-11, four SLBC meetings were held to review and monitor the progress made in the state under various parameters including Government sponsored programmes by different development agencies.

GOVERNMENT SPONSORED PROGRAMME (2010-11)

During the year, the Bank has sanctioned loan under different Government sponsored programme as under:

(₹ In crore)

Sr. No	Scheme	Disbursement during 10-11	
		A/c	Amt
1	SGSY	14301	140.57
2	SJSRY	4091	34.83
3	SRMS	687	4.60
4	PMEGP	3295	104.15

ADVANCES TO WEAKER SECTIONS

During the year, the Bank has extended loans of ₹ 10707.67 crore to various categories of weaker sections. Which constitutes 10.09% of ANBC, which is above the target envisaged by Government.

ADVANCE TO MINORITY COMMUNITIES

Govt. of India in its new Prime Minister's 15 point programme for welfare of Minorities has envisaged a target of 15% of priority sector lending to minority communities. Bank has extended various loan facilities amounting to ₹ 6135.53 crore to 502303 beneficiaries, belonging to different Minority communities which accounts for 14.58 % of Priority Sector lending as on 31.03.2011.

ADVANCES TO WOMEN BENEFICIARIES

Credit disbursement to women beneficiaries, has improved over the past year resulting in the outstanding credit to women as on 31st March 2011 at ₹ 5691.67 crore. This is 5.36% of ANBC as against the stipulated RBI norms of 5% of ANBC.

DIFFERENTIAL RATE OF INTEREST (DRI)

Advances under DRI scheme were ₹ 40.08 crore on 31st March 2011.

CENTRAL KISAN CREDIT CARD (CKCC)

Bank has issued Kisan Credit Cards to 1186294 beneficiaries till 31st March 2011, amounting to ₹ 6901.24 crore.

SOCIAL SECURITY SCHEMES

1. JANSHREE BIMA YOJANA:

The scheme is operated in association with LIC of India to provide life insurance cover to rural and urban poor women, who are below or marginally above the poverty line and who are members of credit linked women SHGs of our Bank. Bank has already covered 5862 women beneficiaries during 2010-11.

2. RASHTRIYA KRISHI BIMA YOJANA

Under the scheme, cover is extended to the farmers for the losses due to non-preventable risks like natural calamities etc. The above scheme is available throughout the country for cereals, oilseeds in the notified states/areas.

3. CENT JANATA CREDIT CARDS (CJCC)

Bank has issued 7387 Cent Janata Credit Cards with the sanctioned limit of ₹ 43.98 crore during the financial year 2010-11 to meet the different requirements of the beneficiaries residing in the rural and semi-urban areas. Total outstanding under CJCC is ₹ 86.18 cr. in 18080 cases.

4. RURAL GODOWNS AND WAREHOUSES / COLD STORAGEES

Bank has extended advances for construction of rural godowns and warehouses / cold storages so that farmers are not compelled to make distress sale of their produce during peak season. Till 31st March 2011, Bank has extended advance for warehouse and cold storage in 408 accounts amounting to ₹ 582.12 crore.

5. "CENT SAHAYOG"- FINANCIAL LITERACY AND CREDIT COUNSELING CENTER (FLCC):

Bank has opened following FLCCs on a pilot basis :

Sr.	Center	Zone	State
1	Ratlam	Bhopal	Madhya Pradesh
2	Vadkun	Mumbai Mahanagar	Maharashtra
3	Chhindwara	Bhopal	Madhya Pradesh
4	Dhule	Pune	Maharashtra
5	Ahmednagar	Pune	Maharashtra

FLCCs provide free financial literacy to the villagers on the various banking products and counseling to distressed farmers/borrowers, irrespective of clientele.

6. RURAL SELF EMPLOYMENT AND TRAINING INSTITUTE (RSETI)

Bank has established 45 RSETIs (44 in lead districts and one in non-lead district allotted under SLBCs). Bank is committed to establish one additional RSETI in Tinsukhiya District in Assam State, which is non-lead district allotted to our Bank.

7. INDIRA AWAS YOJANA

Bank has extended loan of ₹ 101.15 lakh to 509 beneficiaries under the scheme for construction of dwelling units.

FINANCIAL INCLUSION

3741 villages having population over 2000, have been allotted to the Bank to cover under Financial Inclusion Programme (FIP) by March 2012, Bank has covered 1776 villages by March 2011 with the help of 1761 Business Correspondents (BCs). A total of 5696 villages have been covered under FIP, 2842052 customers were enrolled, 2480 BCs appointed and 1318904 cards issued. In 134 district Bank has started Information & Communication Technology (ICT) based Financial Inclusion projects.

Under the Brick & Mortar Model, 20596 villages have been allotted under State Level Bankers' Committee (SLBC) Programme, out of which Bank has brought 15999 villages under 100% financial inclusion.

RETAIL CREDIT

Total outstanding under Retail Lending Schemes increased from ₹ 11190 crore as on 31.03.2010 to ₹ 14132 crore as on 31.03.2011, registering quantum growth of ₹ 2942 crore and percentage growth of 26% over March 2010.

Direct Housing Finance Scheme (DHFS), Cent Trade, Cent Vidyarthi, Cent Mortgage and Cent Vehicle are top five schemes contributing 84.27% of total retail outstanding as on 31.03.2011.

During the year Bank introduced following two new Retail Lending Schemes:

- Cent Comp-Exam:** Scheme for financing coaching fee of students who desire to undergo coaching in reputed Institutes for preparing themselves to appear for competitive Entrance Exam for admission on merits to Professional Courses (Engineering, MBBS, MBA and Post Graduation courses etc.) or to pay coaching fee of students/employed individuals for appearing civil services exam of UPSC for employment in Central Government Services (viz: IAS, IPS etc). Maximum loan amount available is ₹ 4 lakh.
- Cent Mortgage for Educational Institute:** Scheme for financing private educational institutions incorporated as Society/Trust, and in existence for minimum 5 years and affiliated to different Educational Boards/Universities recognized by

Government/UGC/ any Statutory Body like AICTE/IMC etc to meet any sort of operational expenses. Maximum loan amount available is ₹ 5 crore.

Bank has modified following Retail Lending Schemes to suit the borrowers:

- a) Cent Mortgage
- b) Cent Trade
- c) Cent Vehicle
- d) Cent Personal Gold Loan
- e) Personal Loans to Pensioners, Corporate Employees, Non-corporate Employees and Teachers

Bank has made tie-up arrangement with following companies/institutes:

- M/s Future Capital Holdings for buyout of receivables with underlying securities.
- M/s Reliance Capital for buyout of pool of receivables
- DHFL for syndication of Housing Loans on equal sharing basis
- More than 150+ Education Institutes for providing Education Loan to their students.
- ESC Rennes School of Business, a reputed Business School in France. It is for the first time that Bank has entered into an exclusive tie-up arrangement with a Foreign Educational Institute.
- University of Warwick (WMG), a reputed University in Europe for providing Education Loan to their Indian students.
- M/s Indian Dental Association to provide selected retail loans to their members.
- Apna Paisa.com for advertisement and generation of leads for selected retail lending schemes.

Bank has approved Housing Loan Scheme for the employees of following Corporate /Govt. Departments:

- a) MTNL
- b) GTL Group.
- c) Jaiprakash Associates Ltd.
- d) NACIL
- e) Border Security Force
- f) Department of Posts.
- g) YCMOU, Nashik

INTERNATIONAL DIVISION

Foreign Exchange Business of the Bank is carried out through 85 Authorized Dealer Branches spread across the country. For operational efficiency, Bank has a centralized Dealing Room at Mumbai for attainment of better funds management and operational convenience. During the current Financial year, the Export Credit portfolio of the Bank increased from ₹ 2755 crore as on 31.03.2010 to ₹ 3865 crore as on 31.03.2011, thereby recording a growth of 40%. Bank also initiated various schemes which includes introduction of a web-based online money transfer from the USA for remittances up to USD 5,000 in the name of "CentFast2India". This product has been received very well in the market.

Bank has obtained licenses for opening of specialized NRI Branches in Anand, Margao, Hyderabad and Bhuj to cater exclusively to the NRI clients. Bank also made a headway in efforts for expanding overseas operations and have signed two Memorandum of Understanding for establishing Joint Venture Banks – one at Maputo, in the Republic of Mozambique and the other at Thimpu in Bhutan. Similarly, Bank has initiated the process for obtaining regulatory permission for opening of our representative office at Nairobi.

TREASURY, FUNDS AND INVESTMENT

The investment portfolio of the Bank has increased to ₹ 58287 crore as on 31st March 2011 as against ₹ 52008 crore as on March 2010 thereby recording an increase of 12.07% over the previous year. The ten year benchmark yield stood at 7.98% as on 31st March 2011.

In debt market, yields hardened on account of increase of policy rates by RBI. RBI has increased Repo and Rev repo by 175 bps and 125 bps respectively to contain spiraling inflation. Hardening of interest rates was more pronounced in the shorter end of the curve. Auction of new 10 year Benchmark on 03.05.2010 saw the yields move southwards due to good demand. Ten year touched a low of 7.36% on 25.05.2010 and started moving up since then touched a high of 8.26% in January 2011.

Outflow from auction of 3G spectrum put pressure on liquidity and it was in deficit mode for most part of the year and deficit became pronounced after October 2010. Repo touched a high of Rs 171000 crore in December. RBI came out with OMO purchases to ease mounting liquidity pressure in the system. Despite volatility in the market, the trading profit of ₹ 311.93 crore was recorded with strategic planning. The portfolio increased by 12% and yield on investment increased from 6.74% to 7.22%.

In compliance with the Reserve bank of India guidelines, the Bank has transferred securities amounting to ₹ 1954.75 crore from AFS to HTM category. The e-Treasury of the Bank was made fully operational which contributed to the efficiency of Treasury operations. The composition of investment portfolio of the Bank as on 31.3.2011 is as under:

₹ in crore

Sr.No.	Composition	31.03.2010	31.03.2011
1.	SLR	46243.25	48054.94
2.	Non – SLR	5765.04	10232.14
3.	TOTAL	52008.29	58287.08

During the year, Bank has recovered an amount of ₹ 9.53 crore in written off accounts under OTS.

DERIVATIVES:

The bank has actively traded in both interest rate and currency derivatives. Among the Interest rate derivatives Bank has traded in Overnight Indexed Swaps and interest rate futures. Bank also traded actively in currency futures and forwards in the currency derivative segment. Bank has also used derivatives for hedging purposes.

RISK MANAGEMENT

Integrated Risk Management System/Organizational Set Up.

Integrated Risk Management systems are now well established in the Bank. A Committee of the Board of Directors regularly oversees the Bank's Risk Management policies/practices under Credit, Market and Operational risks. The Committee reviews the policies and procedures for pricing of products and assessing the risk models relative to market developments and also identifies and controls new risks. The Committee also regularly monitors compliance of various risk parameters by the concerned Departments at the corporate level.

Risk Management Structure

At operational level, various Committees like Asset Liability Management Committee (ALCO) for Market Risk, Credit Policy Committee (CPC) for Credit Risk and Operational Risk Management Committee (ORCO) for Operational Risk have been constituted comprising of members from the top management team. These Committees meet at regular intervals throughout the year to assess and monitor the level of risk under various Bank operations and initiate appropriate mitigation measures wherever necessary.

The Bank has identified officers in the rank of Senior Managers/Managers to act as 'Risk Managers' at all the Zonal Offices. The Risk Managers would act as the 'Extended Arms' of the Risk Management Department of the Central Office at the Zonal Level. The Bank has also identified officers at the senior level in various functional departments of Central Office to act as 'Nodal Officers' in the matter of submission of data relating to Risk Management and support risk management in the Bank.

Market Risk Management

The Mid Office reviews the market position, funding patterns and ensures compliance in terms of exposure, duration, counter party limits and various sensitive parameters and the reports are presented at regular intervals to the top management. The tools such as VaR and Duration analysis are used on an ongoing basis to measure and manage the risk to Bank's NII in the short run and equity value in the long run. A model to estimate Capital charge on trading portfolio on ongoing basis is developed by TCS which is being implemented as per the Basle II guidelines on the Market Risk. The Bank has reviewed the existing Investment and Market Risk Management Policy. Country Risk Management Policy has been reviewed during the year. Counter party limits for Forex dealings have been fixed / reviewed as per their latest standing and rating in the market.

Credit Risk Management

Bank has a well-documented Credit Risk Management Policy, which was last reviewed by the Board on 18.03.2010. The Bank has approved procurement of Facility Rating Module with RAROC, LGD and EAD assessment tools from CRISIL Ltd. The tools will be installed and made operational in the first quarter of 2011-12. The Bank is also developing Portfolio Rating Models for grading retail loan portfolios where ratings of individual loan entities are not feasible on an on-going basis. The developments in credit risk management are being reported to and monitored by the Credit Policy Committee headed by the Executive Director.

Operational Risk Management

Integrated Risk Management Structure of the Bank includes management of Operational Risk, which is being guided by a well laid down Operational Risk Management Policy. The risk philosophy of the Bank emphasizes imparting of knowledge at the field level for identifying, assessing, measuring, monitoring as well as controlling of operational risk through training. Steps have been initiated for moving towards Advanced Approaches as per the guidelines of RBI. The oversight of Operational Risk is being regularly carried out by the Top Management as well as Board of Directors.

Implementation of Basel II Guidelines

Reserve Bank of India has issued updated master circular on implementation of the New Capital Adequacy Framework in July 2010. As per the guidelines, the Bank has adopted Basel II norms with effect from 31st March 2009 and provided capital as per Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration method for Market Risk.

Bank has appointed a solution provider for implementation of the internationally reputed SAS Risk Management solution through out the bank to meet Basel II norms. Reserve Bank of India has set out timelines to the commercial banks for graduation to advanced approaches. Banks were advised to undertake an internal assessment of their preparedness for migration to advanced approaches. Our Bank is the first among all commercial banks to have submitted its application to RBI for graduating to The Standardized Approach (TSA) under Operational Risk. The Bank has appointed a consultant to evaluate /assess the preparedness of the Bank in respect of all risks and to enhance / Strengthen existing Risk Management Systems, Policies, Procedures, Process, MIS, Analytics etc and also to implement integrated risk management system in the Bank. All necessary policies such as Credit Risk Management Policy, Operational Risk Management policy, Market Risk Management Policy, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, Market Discipline and Disclosures Policy, ICAAP etc are in place duly approved by the Board.

RECOVERY

Bank has a well defined Recovery Policy containing detailed guideline for NPA Management. It encompasses all areas of NPA management, monitoring and follow up measures, staff accountability, willful defaulters and MIS. The Policy is reviewed from time to time to incorporate the latest changes/developments and trends in NPA Resolution.

Detailed guidelines with regard to sale of NPAs to ARC /SCs/ Banks/ NBFCs, sale of secured assets through E-auction, etc. have been incorporated in the Recovery Policy during 2010-11. Bank has shown an excellent performance in terms of Cash Recovery & NPA management.

- Gross NPA level has come down from ₹ 2458 crore to ₹ 2395 crore.
- Cash Recovery has increased from ₹ 407 crore to ₹ 736 crore (includes bulk sale recovery ₹ 177.74 crore)
- Gross NPA and Net NPA Ratios have improved from 2.29 % to 1.82 %, and 0.69% to 0.65 % respectively.

Special OTS scheme for advances under Govt. sponsored schemes & others with sanction limits up to ₹ 1.00 lakh was extended up to 31.03.2011. An amount of ₹ 41.55 crore has been recovered. DRT LOK ADALATs and District Level LOK ADALATs and other Recovery Camps were conducted at different locations at Regional Offices / Zonal Offices forming clusters of branches during the year, where major thrust was given to recovery through negotiated settlements. Several cases have been settled in Lok Adalats. Recovery efforts under SARFAESI Act were accelerated. A large number of Enforcement Agencies have been empanelled to assist the Authorized Officers in their recovery efforts.

Functioning of Asset Recovery Verticals established during the year 2010-11, was stabilized during the review period. Cash Recovery of ₹ 228.39 crore has been made by these verticals.

Branches/Regions with high concentration of NPAs in Small loans have been identified & focused attention is paid to these Branches/ Regions. Branch/Region wise action plan has been drawn for quick resolution of NPAs in these Branches/Regions.

During the year, total number of 12740 weekly/monthly recovery camps was held at Branches/ROs in which 35222 cases were settled amounting to ₹ 132.64 crore.

All these efforts have resulted in good recovery performance of the bank during the year under review. The bank is committed to contain NPA level by concerted recovery efforts and also by improving the assets quality during the year 2011-12.

NEW INITIATIVES

BANCASSURANCE

Insurance service is provided by our Bank under Corporate Agency of LIC of India for life insurance products. The performance during the year 2010-11 was:

- 38 % of bank branches were activated for bancassurance business as on 31.03.2011. Each of these branches had canvassed a minimum of 12 policies or collected a premium of ₹ 2.00 lacs during the year.
- 193 branches became BIMA BANK by canvassing more than 200 policies or FPI of ₹ 30.00 lacs per branch during the year.
- 20 Regions became BIMA REGION during the year.
- Four Zones (Pune ,Delhi ,Guwahati and Raipur) became BIMA ZONE during the year.
- Bank has sold 74422 policies, collected first premium income of ₹ 107.28 Crores and earned commission of ₹ 10.59 crore.
- Bank has earned fees / commission income of ₹ 5.14 crore under non-life insurance business.

MUTUAL FUND

In addition to the existing cross selling arrangement with Seven top mutual fund houses, bank had tied-up with four more fund houses i.e., DSP Blackrock Mutual Fund, Principal Pnb Mutual Fund, IDFC Mutual Fund and L&T Mutual Fund during the year. Bank has earned brokerage income of ₹ 0.76 crore by sale of mutual fund products through identified branches.

DEMAT SERVICES

Bank has implemented a web-based solution for demat-services. The solution for handling back-office activities of CDSL application has been procured from CMC. Demat Services are being provided to 23009 account holders through 145 identified branches under Central Depository Services Ltd.(CDSL).

E – STAMPING

Bank has tied up with Stock Holding Corporation of India (SHCIL) to provide e- stamping facility to the customers. This facility has been made available to the public in the states of Delhi , Karnataka and Tamil Nadu through selected branches.

INFORMATION TECHNOLOGY

CORE BANKING SOLUTION

Bank achieved 100% coverage of Core Banking, as per corporate plan envisaged. All branches, Extension Counters, NBOs, Regional Offices, Zonal Offices and Training Colleges/Centres were brought under Core Banking platform, by December 2010. New branches are opened under Core Banking Platform only.

Location-wise coverage of CBS as on March 31, 2011 is as under:

Branches	-	3720
Extension counters	-	138
Extended Service/Satellite	-	23
ARB	-	8
NBO	-	20
SCAP	-	4
CCCP	-	14
Zonal Offices	-	16
Regional Offices	-	74
Training Colleges/Centre	-	18

WIDE AREA NETWORK

Bank implemented MPLS technology solution for establishing connectivity for branches brought under Core Banking from BSNL as the network service provider. The network solution implemented for CBS has Leased Line (LL) as primary connectivity and CDMA/ ISDN and VSAT technology is used as network backup in the branches. For branches which are technically not feasible for MPLS Leased Line, VSAT is used as primary connectivity. At the end of March 2011, network links have been established at all 4032 locations.

1. Internet Banking:

Internet banking facility has been implemented in all the CBS branches providing facility for Funds Transfer, Utility bill payment, Airlines / Movie ticketing, shopping, temple donations, fee payments, stop cheques, cheque status, account statements etc. Internet Banking facility is customized for both personal and corporate customers for their specific requirements.

2. On-line tax payments :

E-payment of Direct taxes, Excise, service, DGFT license fee, West Bengal State Government tax, Maharashtra Government sale tax and VAT payments, U.P. State tax payment are available through Internet Banking for on-line payment using Internet Banking.

RTGS/NEFT facility is also available through Internet Banking for corporate and personal customers. The total number of tax payments made by customer for CBDT/CBEC, as of 31.3.2011 is 64993. The branches have been advised to encourage tax payments through Internet Banking. User base for Internet Banking has been steadily increasing.

3. Corporate Internet Banking:

Corporate Internet Banking facility is available with additional facility customized for corporate customers. Funds transfer facility up to a daily limit of 15 cores within Bank as well as facility for bulk upload of NEFT available under Corporate Internet Banking.

4. SMS Banking:

SMS banking provides account information to the customers with real-time alerts on business transactions carried out by them. Presently, SMS alerts are sent to customers in 15 different Indian languages as per their choice for the 1) Debit / Credit in account above ₹ 5000/- in saving account and ₹ 50,000/- in Current/OD accounts 2) Clearing cheque is bounced 3) account balance is below the prescribed minimum level 4) Fixed deposit maturity before 7 days .

5. Mobile Banking:

Mobile Banking is implemented using GPRS with enquiry and funds transfer operations. The transaction done through Mobile Banking is secured with end to end inscription and two factor authentication features.

6. Phone Banking :

Phone banking solution is implemented with voice recording in English and Hindi and the facility is available to all the customers of CBS branches.

7. Application supported by Blocked Amount (ASBA) :

Securities and Exchange Board of India has streamlined the existing process of Initial Public offer of shares by companies and introduced a supplementary process called as Application Supported by Blocked amount (ASBA). We have launched the ASBA software to all our customers by which an investor can subscribe to public issues (IPO) through the Bank by authorizing the bank to block the application from his/her bank account and thereafter remit the allotment amount. Customers can also apply ASBA through Internet banking application for public issue (IPO) only.

Web Site:

The Bank's website has been upgraded to make it compatible for disabled by implementing WCAG 2.0 guidelines as recommended by W3C and as directed by Ministry of Finance. Website contains information on Bank's various products and services. Customers / general public can now download various types of forms for opening accounts, obtain loans, avail internet banking / mobile banking facilities, etc. Online applications can also be made by customers for loans, jobs, etc. The site is secured from any sort of hacking or intrusions by use of Firewall / Anti Virus protection. On line customer complaint module is also in place in place facilitating speedier redress of customer complaints.

RBI Projects:**Payments & Settlement Systems (RTGS and NEFT)**

All CBS branches are enabled for RTGS and NEFT facility using the Straight Through Processing (STP). As on 31st March, 2011, 3883 Branches/ECs/NBOs/Offices have been enabled for RTGS and 3881 Branches/ECs/NBOs/Offices enabled for NEFT. This facility is also available in Internet Banking system.

New RTGS and PDO-NDS systems implemented:

Reserve Bank of India planned to migrate RTGS and PDO-NDS system from old Windows 2000 Server Operating System to new Windows Server 2008 Operating System. Accordingly, new Hardware and Software including Oracle 11g and IBM Websphere MQ series version 7.0 was procured for implementing RTGS system and PDO-NDS system in Windows Server 2008 Operating System. The new PDO-NDS system (Primary and Standby Sites) was implemented on 2nd December, 2010. The new RTGS system (Primary and Standby Sites) was implemented on 7th December, 2010 as scheduled by RBI.

Electronic Data Interchange System:

EDI was implemented at Pithampur Extension Counter (now branch) in February, 2010 for collection of Customs Data using Centralised version of ICES 1.5. Subsequently, EDI was implemented at one more branch (Mandideep under Bhopal Zone). EDI is yet to be implemented by Customs at 3 identified branches namely Mill Area, Indore, Malanpur Industrial Area, Bhopal and Raipur Main branch

ATM Network:

The ATM network is being expanded on a large scale. Bank's ATM network in year 2010-11 has been expanded from 400 to 1006. Bank is also in the process of installing additional 900 ATMs including 150 bio-metric ATMs. It is also planned to install 1000 ATMs in rural areas and 1500 off site ATMs. Bank is also in the process for having NEFT, direct Tax payment facility through ATMs.

Cheque Truncation System:

Cheque Truncation System (CTS) has been implemented in NCR Region, New Delhi. Bank is also in the process of implementing the CTS at Chennai.

Single Data Repository :

Bank is in the final stages of short listing the vendor for implementing the Single Data Repository for creating the Enterprise Wide Information System catering to Bank's MIS requirement from a single database.

AUDIT AND INSPECTION**IBR/HOUSE KEEPING:**

Bank has given special attention to improve the various areas of house keeping which comprises balancing of books and reconciliation of accounts. During the Financial Year 2010-11 Bank has improved the balancing of books of accounts by focused attention and regular up gradation of the system on an ongoing basis and hence has maintained a satisfactory and healthy position in this parameter. The Core Banking platform has been implemented in all our 3728 branches and the benefit arising out of CBS is enormous. Significant improvement has also been achieved in reconciling old entries and restricting in increase of outstanding entries under various Impersonal Accounts viz. Clearing Difference, Inter Branch, Inter Bank (RBI/SBI/Other Banks) and other Nominal Accounts.

The Bank is persevering towards maintaining over all healthy position of House Keeping so as to keep the level of risk at minimum level. The position of outstanding entries is maintained well within the RBI norms.

BRANCH EXPANSION

As on March 31, 2011, Bank was having network of 3728 branches. During the year 82 branches were opened, 53 extension counters were upgraded into full fledged branches, 17 Mid Corporate branches opened , 1 Asset Recovery Branch opened and 2 temporary branches opened for Common Wealth Games at Delhi were closed. The demographic of 3728 branches were 1416 Rural branches, 936 Semi-urban branches, 719 urban branches and 657 Metropolitan branches.

EXTENSION COUNTERS:

In the beginning of the year there were 192 Extension Counters. After conversion of 53 extension counters into full fledged branches, it remained 139 at the end of financial year 31st March 2011.

OPERATIONS

Customer Grievance

Many new facilities were introduced during this financial year for improving customer service in the Bank. The Bank was migrated fully on CBS platform thereby facilitating all the customers to have the facility of anywhere banking. The Grievance Redressal Mechanism was strengthened further and 12827 grievances were redressed to the satisfaction of the customers within reasonable time. The situation improved and on an average, grievances received per branch per quarter have come down to less than one, which shows the high satisfaction level of customers.

Periodical Customer Meets were arranged in the Bank at all levels for augmenting grass-root level feed-back directly from the customers and to formulate / amend our policies accordingly.

A fresh booklet was printed regarding BCSBI codes and distributed amongst all the field functionaries to ensure implementation of standard services to the customers. Banners about major provisions of BCSBI codes have been displayed in all the branches for the information of the customers.

All schemes, services, charges, rates of interest etc were displayed on our Bank's web-site for the information of the customers. Applications received under RTI were responded to within 30 days. Special concession in Locker rent and higher rate of interest on deposits were allowed for senior citizens.

RAJBHASHA

During the financial year, Central Bank of India has been awarded with 'Indira Gandhi Rajbhasha Shield' in the field of Implementation of Official Language Policy of the Govt.. The Shield was received by Shri R.K. Dubey, Executive Director of the Bank from the Hon'ble Vice President of India Mohd. Hamid Ansari.

Bank and Financial Institutions are awarded shields/prizes by the Reserve Bank of India under the 'Reserve Bank of India Governor Shield Competition' for the Implementation of Official Language Policy. Reserve Bank of India had arranged a function of Rajbhasha Prize Distribution in its Central Office Building at Mumbai to award Banks and Financial Institutions to all the three linguistic regions of the country. These Awards and Shields were given by the Governor Dr. D. Subbarao, Reserve Bank of India. Central Bank of India has been receiving RBI Rajbhasha Awards under the 'RBI Rajbhasha Shield Competition' for the past many years continuously.

Besides, Maharashtra State Level Bankers Committee have Awarded First Prize to Central Bank of India for the year 2009-10 for the best performance in implementation of Official Language Policy in Maharashtra State. It is a matter of great pleasure that we are receiving this prize for the last 8 years continuously.

During this financial year, various Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) working under the Central Govt. of India, Ministry of Home Affairs have given many awards/prizes to our various Regional and Zonal Offices.

Draft & Evidence Parliamentary Sub-Committee on Official Language visited our Bank's Regional Office, Jhansi on 22nd December, 2010 and the said Committee had appreciated the work being done by our Bank.

The Bank's website is being updated for Hindi regularly. The branches under CBS are bilingual compliant. SMS messages are being sent to customers in Hindi as well as 7 other Regional Languages.

During the centenary year of the Bank, '100th International Women Day' had been celebrated by Central Office, Rajbhasha Vibhag, in which Noted Hindi Women Writers have been felicitated by Worthy Chairman & Managing Director and 47 Ladies Officers/ Employees have participated in the "KAVYA PAATH" competition for women employees organized to mark the occasion.

CORPORATE COMMUNICATIONS

During the year 2010-11, under our corporate branding exercise through national and regional newspapers in absolute terms, we have reached to a circulation of 1263.17 lacs providing us a minimum recall value of ₹ 0.48. For creating and enforcing brand equity among executives and segmented opinion leaders, niche publications were used as a media of communications from time to time during the period ended March, 2011. Apart from above, the corporate/products and services ads were also released to souvenirs and publications of various social, cultural organizations in additions to the publications associated with opinion leaders/builders.

For creating appropriate brand image through Electronic Media, it was decided to conceptualize the three animated corporate TVC with the concept titles of Hare & Tortoise, Fox & Crane and Birds & the Hunter. The objective of these TVCs is to position our

Bank as the Bank offering “Refreshing Different Ideas” to cater the diverse needs of the customers. These TVCs have also been adopted in the existing 53 sites of the hoardings of the Bank available throughout the country. Further the CDs of these TVCs adopted in the respective Regional/Hindi/English languages have been sent to all the Zonal Offices for creating appropriate Brand image among staff members and the general public under their jurisdiction. Posters of these TVCs were also sent to all ZO. TVC was shown in 320 single theatres across the country through UFO Moviez which was well received.

During the year Bank has produced and telecasted TVC showcasing a 100 years journey of our Bank coinciding with the progress of the nation. This TVC has created buzz in the market. It was liked by every viewer. This TVC has been adjudged the best Ad of 1st fortnight ending January 2011 by 4Ps Business and Marketing magazine. Our branding efforts during the year has shown a marked progress in its brand performance in Brand Finance’s Top 500 Global Financial Brands 2011 study published in the February 2011 issue of UK’s “The Banker” magazine our Bank has moved up from its ranking of 471 in 2010 to 390 in 2011, a jump of 81 places in overall ranking order, highest ever by any Public Sector Bank.

Bank has carried out commonwealth branding on 51 ATMs in NCR and Delhi and 50 Branches in Delhi, Bangalore, Kolkata, Mumbai and Pune. Bank has carried out Outdoor Media Publicity through Hoardings/Glow signs at various locations, Bus Q Shelters, Double Decker buses, King long Buses of different routes and Ad sites at domestic and international airports were carried out from time to time during the year.

VIGILANCE

The vigilance department of the bank undertakes various functions relating to vigilance management and endeavours to diminish the odd features like frauds, malpractices, corruptions etc and to maximize efficiency of the bank to achieve the business goals.

The department handles complaints received from CVC/RBI/MOF/Other departments of the bank/other sources and decides the presence of vigilance angle and dispose it off accordingly. Thus, all complaints are screened by the department and the complaints having vigilance aspects are attended strictly through vigilance mechanism.

In order to prevent/ minimize the incidence of frauds in the system, various steps have been taken which have served the purpose to the significant extent. Thrust is given to make the functionaries fully aware of necessity of adhering to the systems and procedures. As per the occurrence of frauds, larger emphasis has been accorded to sticking to KYC norms, secrecy of passwords, checking of day end reports etc.

Various awareness programmes have been conducted at ZO/RO level highlighting the lapses/ignorance/negligence/malafides leading to frauds both in the areas of borrowal as well as non-borrowal accounts. The frauds in payments of DDs, collection of cheques etc have come down conspicuously.

In the arena of borrowal accounts, one time exercise has been undertaken to check the assets created out of housing loans resulting in early detection of irregularities followed by remedial measures. The vigilance officers have conducted study on the pace of submission of control returns and its extent of scrutiny by the controllers and credit departments have been given necessary suggestions to improve the system.

The vigilance officers are conducting surprise inspection of the branches and this helps to bring the irregularities in the working of the branches to fore at the earliest and its timely rectification by branches/controllers.

The forensic audit has also been carried out to know the loopholes in the system with suggestions for improvement in the key areas. The fraud prevention committee has been formed at zonal office level to discuss the fraudulent activities if any in the zones and to eradicate the common irregularities observed during surprise inspection of the branches.

Having regard to action against erring/guilty officials, all steps have been taken to complete the departmental action with exemplary punishment largely within the prescribed frame of time. Action has also been initiated against erring third parties like panel advocates, architects, valuers etc as per extant guidelines.

Operation department/Credit department/IT departments etc. have been informed from time to time to improve the system wherever warranted. The zonal authorities have also been informed to pay due attention towards newly emerged fraud prone areas. The functioning of the vigilance department is reviewed by the vigilance committee of the board every quarter and their directions are implemented. The board also reviews the quarterly/annual reports on frauds. In case of frauds of ₹ 1 crore and above, the details like modus operandi, amount involved, CBI/Police action, recovery position, staff action etc are reported to special committee of board on monitoring large value fraud. The committee is also informed about preventive measures to deter such type of frauds in the systems. The attempted frauds are also given due importance in order to put the functionaries on alert and to avert such type of design if re-attempted.



HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

1. MANPOWER:

At the end of March 2011 the staff strength of the Bank stood at 34,015 (including PTSK) as against 34,826 (including PTSK) in the previous year. The category-wise break-up of staff is given below:

Category	March 2011	March 2010
Officers	12,883	12,535
Clerks	12,770	12,682
Sub-staff (including PTSK)	8,362	9,609
Grand Total	34,015	34,826

2. HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT:

(i) Revamping of Performance Appraisal Formats:

Due to constant changes taking place in the Banking Sector and the competitive atmosphere prevailing in the Banking & Finance space, the business priorities and strategies of the bank have been changing rapidly. Having regard to changed business priorities and strategies, the existing single format of appraising the Annual Performance of Officers being followed in our Bank has been revamped and in its place five different formats applicable to various categories of officers depending upon the position held by them were introduced. Accordingly, the revised formats are applicable for appraising the Performance of officers for the Financial Year 2010-11 and onwards.

(ii) Enhancing the Career Path of Specialist Officers:

Considering the growing focus on the specialized skills and also to provide impetus to the management's endeavour to extend a fair career path for Specialist Category Officers with ample promotional opportunities to Specialist Category Officers, a separate policy document governing career path and inter-scale promotions of Specialist Category Officers with certain changes in the provisions relating to career path for Specialist Category Officers was formulated in which the career path of Specialist Category Officers has been extended up to Scale-V in order to motivate and retain the Specialist Category Officers in the Bank.

(iii) Structured Document on Succession Plan for period 2010-14:

The Bank have been witnessing large scale retirements during the next four years with the exit of employees joined the bank in the pre-nationalization era. Further, with the steady emergence of new business areas, which are potential for growth, a need has been felt to evolve a sustained Succession Plan to ensure that business continuity plans are not impaired. With this background, the Bank has prepared a structured document titled - 'Succession Plan for period 2010-14' outlining the agenda which guides the HR function of the Bank for the next four years in the area of promotions, recruitments and other succession endeavours. The documents have been duly approved by the Board and this forms the very basis to guide the HR functions on succession endeavours during the said period.

(iv) Approach Paper on – 'Towards meeting Human Capital Challenges – Bank's Draft Action Agenda':

Keeping in focus the emerging severity of competition in the Banking Sector and also the large scale retirements in PSBs coupled with the need to right-size/align the skill to match the present and future requirement of the Institution, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India expressed that PSBs are likely to be confronted with constraints and face challenges on HR front in the areas of - Manpower, acquiring right manpower, developing their skills through appropriate employee motivational/engagement strategies, formulating robust performance management systems etc., and suggested to all PSBs to prepare a draft action plan addressing all these issues. In response to this suggestion, the Bank has prepared an Approach paper titled – 'Towards meeting Human Capital Challenges: Bank's Draft Agenda' comprehensively dwelling on the present and future plans on various major areas of HRM viz., Manpower, Recruitment, Promotions, Training, Performance Management Systems, Employee Engagement/Retention programmes etc., and the same has been duly approved by the Board and as per the advise of Government of India, Ministry of Finance, the same has been furnished to Indian Banks' Association (IBA) for formulating appropriate strategy.

3. TRAINING:

Quality training is the cornerstone for building healthy succession and to nurture a sound managerial team. Accordingly, during the year 2010-11 'Training & Development' function continued to be given major thrust. With this backdrop and in furtherance to the constant endeavour to transform the Bank as a 'Learning Organisation', vibrant changes are brought about in the entire gamut of the training activity encompassing training modules, contents and delivery systems etc.

During the year 2010-11, in order to increase the horizons of knowledge of our executives/senior level officers and enhance the intellectual capital of the bank, the interactive sessions with Dr. Gautam Vinayashil (an eminent management professional of International repute) were conducted. The rich experiences of Dr. Vinayashil are shared and contemporary business areas are discussed and deliberated. This apart, special training programmes were conducted exclusively by experts/agencies of high repute on Personal Effectiveness & Relationship Management, Corporate Etiquette, Credit Risk Management. Exclusive Programme for senior officials of RRBs, Cash & Currency Chest Management, Credit Appraisal, Micro Finance & Financial Inclusion, KYC & AML- Associated Risk, Financing SMEs, Attitudinal & Communication change, Sensitization of Junior Officers & Clerical staff on Customer Service, Vigilance Administration & Disciplinary Action, Stress Management, Yoga cum Seminar etc. In order to familiarize with various bank functioning, Probationary Officers, appointed in 2010 & 2011 were imparted extensive long duration training programme (both class room and on the job training) which will eventually prepare them to take up higher position in the Bank. In addition to the above, In-company training programmes with External institutes in key areas that are specially customized to the needs of the Bank were conducted. Around 1061 classroom training programmes were conducted covering more than 21089 participants and 101262 man-days by three Training Colleges and nine Zonal Training Centres. These programmes covered various topics like Risk Management, Basel II, Credit Management, NPA Management, Recovery, Financial Inclusion, IT related programmes, Treasury/ID, Forex, Retail Banking etc. Regular training programmes, special training programmes were conducted at SPBT College for RMs in Scale V and officers in Scale IV on 'Leadership & Planning Control' as also for GMs and DGMs on Simulation Risk Management, Financial Inclusion & HR Challenges. In the year 2010-11, 36 officers have been sent for overseas training/exposure visit. Officers in various scales were sent for specialized programmes conducted by external training agencies like NIBM, CAB, BIRD, FEDAI, IDBRT, IIBM etc. During the year 2010-11, 6 pre-recruitment programmes were conducted covering 6434 SC and 1654 ST candidates. 63 pre-promotion programmes were conducted covering 1861 SC and 498 ST candidates.

4. RECRUITMENT & PROMOTIONS:

In order to inject required professionalism in the Institution, the spree of inducting MBAs in various fields has been continued during the Financial Year 2010-11 as well and accordingly, 98 fresh MBAs in Scale II, have been recruited through campus mode from the Professional/Management institutions like IIT, IIM, IMI etc besides the regular recruitment processes in respect of Specialists and Mainstream posts. In order to ensure a good blend of experience and contemporary knowledge/skills, the system of campus recruitment of MBAs will be continued in future as well.

In the year 2010-11, recruitment process was held for 3127 posts encompassing Company Secretary, MBAs (Scale II), Flying Squad Officers, Chief Dealer (Scale IV), Chief Manager (Forensic), Chief Manager (Investigation) Defence Banking Advisor (Army), Defence Banking Advisor (Airforce), Contractual Auditors, Faculty on Contract, Probationary Officers (Scale I), Incharge of RSETIs/FLCCs, Clerical Staff and Armed Guards (Sub-staff cadre).

The promotional exercise has been made more motivating and as such as a corporate goal, it has been resolved to hold the promotion processes as frequently as possible for all scales/categories. Accordingly, during the year 2010-11 inter-scale and inter-cadre promotion processes were conducted and as many as 1823 employees/officers were elevated to higher cadre/scale, out of which 975 sub-staff were promoted to clerical cadre. Further, a fresh Promotion process from Scale I to II and II to III have been initiated for 1410 & 419 vacancies respectively.

5. IMPLEMENTATION OF RESERVATION POLICY:

The Bank has been implementing the guidelines/instructions received from Government of India/Indian Banks' Association on Reservation Policy and concessions and relaxations are extended to SCs/STs/OBCs/PWDs as admissible in the Reservation Policy. On 21.5.2010, a team of officials of Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services led by Shri. L.K. Meena, then Deputy Secretary of Financial Services, paid visit to Bank to undertake in-depth study of implementation of Reservation Policy in our Bank and expressed their satisfaction in the report submitted to Bank.

6. BUSINESS MEETINGS WITH REPRESENTATIVES OF UNIONS / ASSOCIATIONS:

During the year under review, exclusive meeting was held on 6th August 2010 at Corporate Office level with major Unions/Associations to discuss solely on the strategies of business development. The Management expressed that it should be endeavour of all employees to improve the business status of the bank and exhorted the unions to prevail upon their members to give their best to the institution.

7. STAFF WELFARE SCHEMES:

'Welfare of Staff and their families' continues to be the committed endeavour of the management and this endeavour is always kept on the top of the HR agenda of the Bank. Accordingly, during the year, an amount of ₹ 15 crore has been apportioned for expending towards various Staff Welfare Schemes and the schemes have been thoroughly improved upon both in terms of ceilings and coverage. As a goodwill gesture to the retired employees, during the year 2010-11, Bank, while revising the existing scheme of Medical Assistance to Retirees, has permitted reimbursement of the premium amount of Medical Policy in the name of the retired staff and/or spouse up to the extent of ₹ 15,000/- p.a. as an alternative to Hospitalization expenses.

8. INDUSTRIAL RELATIONS:

The Industrial Relations during the year remained generally cordial.

SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURES

CENTBANK HOME FINANCE LIMITED

The Net Profit of the company stood at ₹ 9.39 crore as at March 2011, as against the level of ₹ 5.45 crore as of March 2010. The main reason for increase in profit is reduction in interest expenses. During the Financial Year, the Company had sanctioned a total amount of ₹ 67.18 crore in 1005 accounts and disbursed an amount of ₹ 63.26 crore in 977 accounts. The loan outstanding increased from ₹ 269.88 crore as on March 2010 to ₹ 282.13 crore as on March 2011.

The Company has consistently improved its Net Own Fund by adding to the Reserves by sustained generation of profit. Net worth has gone up from ₹ 49.31 crore as on March 2010 to ₹ 55.21 crore as on March 2011. This was due to consistent increase in profit. The installments on Term Loans of Central Bank of India are paid regularly by internal generation of funds through prompt recovery of installments in borrower accounts and also recovery of overdue amount in Non Performing Accounts. Deposits from public and institutions have increased from ₹ 38.04 crore as on March 2010 to ₹ 48.03 crore as on March 2011. The company has availed Term Loan and Overdraft facilities from Central Bank of India at competitive rates, with outstanding at the level of ₹ 166.41 crore as on 31st March 2011 as against ₹ 169.50 crore as on 31st March, 2010.

INDO-ZAMBIA BANK LTD.

The Bank's Joint Venture in Zambia is promoted jointly by Government of Zambia and three India Banks viz. Central Bank of India, Bank of Baroda and Bank of India. While each of the 3 Indian Bank hold 20 percent equity, Government of Republic of Zambia holds the balance 40 per cent equity. The Bank has been performing well in all parameters. While the total business of the bank stood at ₹ 1173.22 crore as on 31st March 2011, the Bank earned a Net profit of ₹ 21.77 crore as on the said date.

CENTBANK FINANCIAL SERVICES

Centbank Financial and Custodial Services Ltd. changed its name to Centbank Financial Services Ltd. (CFS) during the year. The business model of CFS has undergone change as it diversified its activities.

Earlier, CFS was essentially providing Corporate Trustee Services as Debenture Trustee and Security Trustee, as well as Executor Trustee services to individuals by becoming trustee in helping intergenerational transfer of wealth and charitable institutions. During the year 2010-11, CFS has significantly diversified its business profile to make CFS a full-service investment bank. CFS' services include:

- Project Appraisal and Loan Syndication,
- Capital Market transactions, both Equity and Debt

- Corporate Advisory Services, including Mergers and Acquisitions, Project Advisory, Debt Restructuring, Securitization, Risk Management, Business Valuations
- Trusteeship Services, including Debenture/Security Trustee, Executor Trustee, Managing Charitable Trusts

Loan Syndication	Capital Markets (Debt & Equity)	Advisory Services	Trusteeship Services
<p>Rupee / Forex Loans</p> <ul style="list-style-type: none"> • Loan Underwriting • Project Financing • Working Capital Financing • Mezzanine Debt • Securitisation • Lease Rent Discounting • Off-Balance Sheet Financing • Structured Finance • Infrastructure Financing • Project Appraisal 	<p>Debt Capital Market</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bonds / Debentures • Commercial Paper • Convertible Debentures FCCBs <p>Equity Capital Markets</p> <ul style="list-style-type: none"> • IPO/FPO • Rights Issue • Open Offer • QIPs • International Listings [ADR / GDR] • Retail Broking • Mutual Funds distribution 	<ul style="list-style-type: none"> • Project Advisory • Bid Advisory • Mergers & Acquisitions • Corporate Debt & Equity Restructuring • Structured Finance Advisory • Business Valuations 	<ul style="list-style-type: none"> • Debenture Trustee [Public Issues & Private Placement] • Security Trustee • Monitoring Agency • Facility Agent

PERFORMANCE DURING 2010-11

In the first year of business in its newly defined role, CFS earned net revenue of around ₹ 35 crore from the new businesses launched during the year. CFS achieved net revenue of ₹ 37.86 crore during the FY 2010-11 as against ₹ 7.9 crore, which mainly comprised of mutual fund brokerage of ₹ 7.27 crore during 2009-10 (as against brokerage of ₹ 1.48 crore in FY 2010-11). Earnings before interest, depreciation, tax and royalty (to the parent i.e. Central Bank of India) was ₹ 35.70 crore which is 94% to total revenue. CFS achieved a growth in net profit of 124% in 2010-11 over that of 2009-10. Return on equity has increased perceptibly from 87% in 2009-10 to 194% in 2010-11.

Project Appraisal and Syndication of Debt

CFS has taken up 16 loan syndication/debt capital market mandates for which CFS earned a total fee of Rs 35.00 crores during the year 2010-11. CFS has completed a cross border financing during the year.

Advisory Services

The Company has successfully completed the capital restructuring of a Navratna Public Sector Undertaking (PSU) as a 'Sole Advisor'. CFS advised the PSU in their bonus issue of shares and simultaneous forward split of shares. As part of the assignment, CFS assisted the PSU in publishing a Management Information Circular (MIC).

Future Plans of CFS

While CFS has well established its presence in the financial market in the Project Appraisal and Loan Syndication business segment with a good number of projects in pipeline, CFS will be rolling out completely other business verticals which are Debt & Equity Capital Market and Corporate Advisory Services during 2011-12.

Considering the present macro-economic scenario, the pace of growth of investment banking business and Corporate Trusteeship Services, business is expected to improve during 2011-12.



REGIONAL RURAL BANKs (RRBs)

Bank has 7 sponsored RRBs as on 31.03.2011 covering 55 districts in 7 states with a network of 1761 branches. The cumulative performance of all the 7 RRBs under major parameters as on 31.03.2011 is as under:

A. Branch Expansion: During the year 2010-2011 the RRBs have opened 16 new branches raising the total number of branches to 1761 as on 31.03.2011 out of that 197 branches has been migrated to CBS platform.

B. Deposits: The deposits of RRBs increased from ₹ 14600.02 crore as on 31.03.2010 to ₹ 15843.98 crore as on 31.03.2011, registering a growth of 8.52%.

C. Advances: The advances of RRBs have increased from Rs 6071.53 crore as on 31.03.2010 to ₹ 7708.51 crore as on 31.03.2011 showing a growth of 26.96%.

D. Profitability: The RRBs have earned profit of ₹ 146.58 crore during the year 2010-2011 against the previous year's profit of ₹ 261.88 crore.

AWARDS & ACCOLADES

- Skoch Financial Inclusion Award 2011 for implementing the Bihar Rural Livelihood Project also known as JEEVIKA Project.
- SKOCH Award for Best Business Model: 2010
- My FM stars of the Industry Retail Leadership Award in Feb. 2011.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Mumbai
Date : May 30, 2011

S. Sridhar
Chairman and Managing Director

CORPORATE GOVERNANCE

Bank's Philosophy of Corporate Governance

The thrust of the Corporate Governance of the Bank is to enhance shareholder's value by pursuing ethical practices in the conduct of its business and maintaining high standard of disclosure and transparency. The Bank has adopted best practices, and standards of governance are monitored by various Committees of the Board. The Board, the Executives and other functionaries have distinctly demarcated roles in achieving the Corporate goals – improved performance and enhanced shareholder's value.

The equity shares of the Bank is listed at Bombay Stock Exchange Limited and National Stock Exchange of India Limited. However, the Bank is not a company but a body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. Therefore, the Bank shall comply with the provisions of clause 49 of the Listing Agreement entered into with Stock Exchanges to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard.

Board of Directors

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended from time to time). The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank is vested in the Board of Directors presided over by the Chairman and Managing Director.

The composition of the Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended and the Nationalised banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.

During the year under review i.e. 2010-11, the composition of the Board was as under:

Shri S. Sridhar (From 02.03.2009)	Chairman and Managing Director
Shri Ramnath Pradeep (From 19.12.2008 to 01.09.2010 – on Appointment as CMD of Corporation Bank)	Executive Director
Shri Arun Kaul (From 22.04.2009 to 01.09.2010 - on Appointment as CMD of UCO Bank)	Executive Director
Smt.V.R.Iyer (From 01.09.2010)	Executive Director
Shri R.K.Dubey (From 01.09.2010)	Executive Director
Dr Shashank Saksena (From 10.06.2008)	Government of India Nominee Director
Shri M.K. Bhattacharya (Ceased to be a Director from 30.07.2010)	RBI Nominee Director
Shri Salim Gangadharan (From 30.07.2010)	RBI Nominee Director
Shri M.S. Johar (Retired on 01.01.2011)	Part Time Non-official Director under Chartered Accountant category
Shri Brijlal Kshatriya (From 20.11.2008)	Shareholder Director
Prof. N. Balakrishnan (From 20.11.2008)	Shareholder Director
Shri Romesh Sabharwal (From 06.10. 2009)	Part Time Non-official Director
Major (Retd) Ved Prakash (From 20.10.2009)	Part Time Non-official Director
Shri B S Rambabu (From 16.03.2010)	Workmen Employee Director

Brief Profile of the New Directors

Smt V.R.Iyer (D.O.B. 01.06.1955), aged 55 years, has joined the services of Union Bank of India in December 1975 and was engaged in various challenging assignments in the past thirty years with good stint of experience in branch banking of very large and extra large branches 9 years and 15 years in Credit Department of prestigious zones of Mumbai and Pune. Ms. Vijayalakshmi Iyer, with a rich experience and combination of operational banking and credit experience was assigned setting up of Risk Management Department for the Bank in 2000. She has also served as Deputy General Manager (Information Technology) during 2006-07 and in January 2008, she was promoted as General Manager for holding and managing both the portfolios of Information Technology and Risk Management. She managed to establish 2500 branches under Core Banking Solution, putting in place different delivery channels, a comprehensive centralised MIS Solution and also automated the entire Credit Management. Prior to being elected as Executive Director with our Bank she was heading MSME Department.

Shri R.K.Dubey (D.O.B. 10.09.1954) aged 56 is a techno-savvy banker having an extensive multi dimensional banking operational experience of 30 years in Punjab National Bank, encompassing 10 years as Regional/Zonal/Circle Head, 9 years in branch operations at grass root level as Incumbent of branches, besides 4 years of training assignment as Incharge of Bank's Training College and 1 year as 2nd in command of Information Technology Division at Bank's Corporate Office and the last five months as Head of Marketing Services Division at PNB's Corporate Office. He joined our Bank on September 01, 2010 as Executive Director.

Shri Salim Gangadharan (D.O.B. 13.10.1953), aged 57 years, has been working with the Reserve Bank of India (RBI) over 30 years and is currently Regional Director of RBI. During his career in Reserve Bank of India, he has worked in various Operational Departments, particularly in bank supervision and financial markets. He was also a Member Faculty in the Bankers' Training College of the Reserve Bank of India, for five years and handled several seminars and conferences on Risk Management, Payment Systems, and Treasury Management etc. He was also on secondment to the Central Bank of Oman for five years. He was associated with the IMF Team to assess the need for convergence in supervisory practices across the GCC countries, as part of the proposed Monetary Union. He was part of several internal Working groups in Reserve Bank / Government of India. He has also presented papers in several seminars, including at the Centre for Central Banking Studies, Bank of England.

Details of other Directors

Shri S Sridhar (D.O.B. 09.05.1951), aged 60 years, is a seasoned banker with more than 37 years of experience in commercial and development banking. He was CMD of National Housing Bank (NHB), the apex financial institution for housing and regulator for housing finance companies for about four and half years. At NHB, Shri Sridhar launched new initiatives like first residential property index, affordable housing initiatives, reverse mortgage, etc. Before his stint in NHB, he was ED and COO of EXIM Bank for about five years and was responsible, in particular, for building the corporate banking business and international resources raising activities. He has been associated with public policy formulation. Shri Sridhar was educated at IIT Delhi and at Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies, Mumbai. He was the Lord Aldington Banking Research Fellow in the year 1984 working in UK and France. He has been an invited speaker at various national and international events. He joined the Central Bank of India as Chairman and Managing Director on March 02, 2009.

Dr. Shashank Saksena (D.O.B. 01.07.1962), aged 48 years, a Post Graduate in Economics with a degree in Law having wide experience in the Department of Financial Services, Ministry of Finance. He is in Indian Economic Service cadre, currently working as Director (BOA) Ministry of Finance, in the Scale of Joint Secretary. He is the Director representing Government of India in Industrial Investment Bank of India Limited and in the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. He held the position of Director (A.C & Pension) in Ministry of Finance, Department of Financial Services.

Shri Brijlal Kshatriya (D.O.B. 23.09.1936), Shareholder Director of Central Bank of India, aged 74 years is a specialist in Management of Steel Plant and has an extensive training experience in works and HR functions in India and abroad. He has a bachelor's degree in Metallurgical Engineering from BHU. He has served in the top administration of different plants of SAIL, ultimately taking charge as MD of Bokaro Steel Plant. He was accorded with Rajiv Gandhi Excellence Award in 1993, Mother India International Award from NRI World in December 1993 and Glory of India International Award of India in December 1993.

Prof N Balakrishnan (D.O.B. 01.06.1950), Shareholder Director of Central Bank of India, aged 60 years is a scientist of highest international repute. He holds a degree in BE (in Electronic curriculum) from University of Madras with Ph.D from Indian Institute of Science in 1979. He is at present an Associate Director of Indian Institute of Science and a Professor at Rep of Aerospace Engineering. He played a crucial role in building India's first Super Computer Centre. He has over 200 publications in the International journals and Conferences. He was honoured with Padmashree from the President of India in 2002, Homi J. Bhabha Award for Applied Science in 2004, J. C. Bose National Fellowship in 2007. He is currently a member of National Security Advisory Board. Prof. N. Balakrishnan has provided his critical inputs in many major National initiatives in IT planning and Information Security.

Shri Romesh Sabharwal (D.O.B. 19.08.1963), aged 47 years, was appointed on March 03, 2006 as a Part-Time Non-Official Director on our Board upto March 02, 2009. He was reappointed as a Part-Time Non-Official Director on our Board of the Bank from October 06, 2009. He holds MBA from the Sikkim Manipal University and a diploma in Engineering from Pusa Polytechnic, Delhi. He is Ex-Chairman, Delhi Tourism Transportation Development Corporation Limited and Ex-Vice Chairman, Delhi Consumer's Protection Council. He is a social worker.

Major (Retd.) Ved Prakash (D.O.B. 02.06.1938), aged 72 years, was appointed on October 06, 2005 as a Part-Time Non-Official Director on our Board upto October 05, 2008. He was reappointed as a Part-Time Non-Official Director on our Board of the Bank from October 20, 2009. He holds a master's degree in arts from the Osmania University and also holds Diploma in Business & Advance Intelligence course. He was formerly an officer in the Indian Army.

Shri B S Rambabu (D.O.B. 03.08.1956) aged 54 years, was appointed as Workmen Employee Director on March 16, 2010. He holds a Bachelor Degree in Commerce and Law and is Junior Associate of the Indian Institute of Bankers. He is a workmen employee of our Bank working at Hyderabad.

OTHER PARTICULARS OF DIRECTORS

Names of Directors	Date of Appointment as Director	Area of Expertise	Member of Committees of Board of Central Bank of India		Directorship of other Companies
			Member	Chairman	
Shri S. Sridhar	02.03.2009	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITP, SIGC, IFRS, ITPA, VIG	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITP, IFRS, ITPA, VIG	i) Centbank Financial Services Ltd. ii) Indo Zambia Bank Ltd. iii) Agriculture Finance Corporation Ltd. iv) Indian Institute of Foreign Trade. v) Life Insurance Corporation of India vi) CentBank Home Finance Ltd. vii) Indian Institute of Banking & Finance
Smr.V.R.Iyer	01.09.2010	Banking	MCB, ACB, RMC, LVFC, CSC, ITP, SIGC, IFRS, ITPA, RI	RI	i) Centbank Financial Services Ltd.
Shri R.K.Dubey	01.09.2010	Banking	MCB, ACB, RMC, LVFC, CSC, ITP, SIGC, IFRS, ITPA	Nil	i) Centbank Financial Services Ltd. ii) Centbank Home Finance Ltd.
Dr Shashank Saksena	10.06.2008	Economist	ACB, RMC, LVFC, RC Vigilance	RC	i) Industrial Investment Bank of India Limited ii) Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Limited
Shri Salim Gangadharan	30.07.2010	Banking	MCB, ACB, RC, VIG	Nil	Nil
Shri Brijlal Kshatriya	20.11.2008	Human Resources Development	MC, RMC, LVFC, CSC, SIGC, IFRS, ITPA	SIGC	i) Eco-Tech Management Services Pvt. Ltd. ii) Sanson Association (I) Pvt. Ltd. iii) Strategic HR Services Pvt. Ltd.
Prof N. Balakrishnan	20.11.2008	Information Technology	ACB, LVFC, CSC, ITP, RC, IFRS, ITPA	Nil	i) C-DOT Alcatel Research Centre Pvt. Ltd. ii) Data Security Council of India
Shri Romesh Sabharwal	06.10.2009	Social Worker	MC, CSC, SIGC, RC, ITPA	Nil	Nil
Major (Retd.) Ved Prakash	20.10.2009	Social Worker	RMC, ITP	Nil	Nil
Shri B S Rambabu	16.03.2010	Banking	RMC	Nil	Nil



MC	-	Management Committee of the Board
ACB	-	Audit Committee of the Board
RMC	-	Risk Management Committee
LVFC	-	Large Value Fraud Committee
CSC	-	Customer Service Committee
ITP	-	Information Technology Project in the Bank
SIGC	-	Shareholders'/Investors' – Grievances Committee
RC	-	Remuneration Committee
IFRS	-	International Financial Reporting Standards
ITPA	-	Internal Training Policy Advisory
RI	-	Rights Issue Committee
VIG	-	Vigilance Committee

Remuneration of Directors:

The Directors are paid sitting fees of ₹ 5,000/- for attending every meeting of the Board of Directors and ₹ 2,500/- for attending every meeting of various Committees of the Board, apart from reimbursement of usual travelling and halting expenses. Sitting fees are not paid to the Chairman & Managing Director, Executive Directors and Directors who are officials of Government of India/ Reserve Bank of India.

During the financial year 2010-11, the following amounts have been paid to the Managing Directors and Executive Directors as total salary, allowances and perks:

Sr	Name	₹ in lacs
1.	Shri S Sridhar	22.22
2.	Shri Ramnath Pradeep	10.57
3.	Shri Arun Kaul	10.11
4	Smt.V.R.Iyer	7.96
5.	Shri R.K.Dubey	7.28

In addition to the above salary, allowances and perquisites, the Remuneration Committee of the Board approved the payment of performance-linked incentive amounting to ₹ 7,00,000/- to Shri S Sridhar, CMD, ₹ 5,50,000.00 to Shri Ramnath Pradeep, Former E.D., ₹ 5,18,350.00 to Shri Arun Kaul, Former ED in respect of the financial year 2009-10.

During the year under review, the Bank has paid ₹ 3,30,000/- to the eligible Directors towards sitting fees for attending Board Meetings and ₹ 3,47,500/- towards attending the Sub-Committee Meetings of the Board.

Conduct of Board Meetings

During the year, 15 Board Meetings were held on the following dates:

02.05.2010	25.06.2010	29.09.2010	24.12.2010	23.02.2011
22.05.2010	29.07.2010	26.10.2010	22.01.2011	12.03.2011
13.06.2010	28.08.2010	26.11.2010	31.01.2011	27.03.2011

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings are:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)	Whether attended last AGM held on July 14, 2010
Shri S.Sridhar	15	15	01.04.2010 – 31.03.2011	Yes
Shri Ramnath Pradeep	06	6	01.04.2010 – 01.09.2010	Yes
Shri Arun Kaul	06	6	01.04.2010 – 01.09.2010	Yes

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)	Whether attended last AGM held on July 14, 2010
Smt.V.R.Iyer	09	9	01.09.2010 - 31.03.2011	Not a Director on the date of AGM
Shri R.K.Dubey	09	9	01.09.2010 - 31.03.2011	Not a Director on the date of AGM
Dr Shashank Saxena	09	15	01.04.2010 - 31.03.2011	Yes
Shri M.K. Bhattacharya	05	5	01.04.2010 - 29.07.2010	Yes
Shri Salim Gangadharan	07	10	30.07.2010 - 31.03.2011	Not a Director on the date of AGM
Shri M.S. Johar	08	10	01.04.2010 - 01.01.2011	Yes
Shri Brijlal Kshatriya	14	15	01.04.2010 - 31.03.2011	Yes
Prof N. Balakrishnan	10	15	01.04.2010 - 31.03.2011	Yes
Shri Romesh Sabharwal	14	15	01.04.2010 - 31.03.2011	Yes
Major (Retd.) Ved Prakash	15	15	01.04.2010 - 31.03.2011	Yes
Shri B S Rambabu	15	15	01.04.2010 - 31.03.2011	No

Management Committee of the Board:

The Management Committee of the Board is constituted as per the provisions of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 read with the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and it exercises all the powers vested in the Board in respect of financial sanctions, compromises/write off proposals and filing of suits/appeals etc. As on 31.03.2011, it comprised 6 members consisting of the Chairman & Managing Director, Executive Directors, Reserve Bank of India Nominee Director, and 2 part time non-official Directors.

The Management Committee of the Board met 26 times during the year on the following dates:

13.04.2010	14.07.2010	28.09.2010	24.12.2010	23.03.2011
26.04.2010	28.07.2010	15.10.2010	14.01.2011	29.03.2011
19.05.2010	13.08.2010	25.10.2010	28.01.2011	
28.05.2010	28.08.2010	10.11.2010	14.02.2011	
12.06.2010	09.09.2010	25.11.2010	23.02.2011	
25.06.2010	21.09.2010	13.12.2010	11.03.2011	

Attendance record of the members is shown below:

Name of Directors	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Management Committee (From - To)
Shri S.Sridhar	26	26	01.04.2010 - 31.03.2011
Shri Ramnath Pradeep	10	10	01.04.2010 - 31.08.2010
Shri Arun Kaul	10	10	01.04.2010 - 31.08.2010
Smt.V.R.Iyer	15	16	01.09.2010 - 31.03.2011
Shri R.K.Dubey	16	16	01.09.2010 - 31.03.2011
Shri M.K. Bhattacharya	08	08	01.04.2010 - 29.07.2010
Shri Salim Gangadharan	12	18	30.07.2010 - 31.03.2011
Shri M.S. Johar	16	19	01.04.2010 - 01.01.2011
Shri Brijlal Kshatriya	04 07	04 09	01.04.2010 - 31.05.2010 01.12.2010 - 31.03.2011
Shri Romesh Sabharwal	06 06	06 07	01.04.2010 - 30.06.2010 01.01.2011 - 31.03.2011
Major(Retd) Ved Prakash	11	11	01.07.2010 - 30.11.2010
Shri B.S.Rambabu	09	13	01.07.2010 - 31.12.2010

Audit Committee of the Board

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India. The ACB provides direction as well as overseeing the operation of the total audit function of the Bank, which includes the organisation, operationalisation and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory/external audit of the Bank and inspections of the RBI. The terms of reference to the Audit Committee are:

- a. Reviewing, in respect of Internal Audit, the Internal Inspection/Audit function in the Bank, with specific focus on the follow-up on inter-branch adjustment accounts, un-reconciled long outstanding entries in inter-bank accounts and nostro accounts, arrears in balancing of books, frauds and all other major areas of house-keeping;
- b. Obtaining and reviewing half-yearly reports from the Compliance Officers appointed in the Bank in terms of the instructions of the RBI;
- c. Reviewing the scope of the independent audit including the observations of the auditors and reviewing the quarterly, half-yearly and annual financial statements before submission to the Board;
- d. Following-up, in respect of Statutory Audits, on all the issues raised in the Long Form Audit Report and interacting with the External Auditors before finalisation of the quarterly/half yearly/annual financial accounts and reports;
- e. Reviewing regularly the accounts, accounting policies and disclosures;
- f. Reviewing the major accounting entries based on exercise of judgment by management and reviewing any significant adjustments arising out of the audit;
- g. Qualifications in the Draft Audit Report;
- h. To have post-audit discussions with the Auditors to ascertain any area of concern;
- i. Establishing the scope and frequency of Internal Audit, reviewing the findings of the Internal Auditors and ensuring the adequacy of internal control systems;
- j. Compliance with the Stock Exchanges' legal requirements concerning financial statements, to the extent applicable;
- k. Such other matters as may from time to time be required by any statutory, contractual or regulatory requirements to be attended to by the Audit Committee.

The composition of the Audit Committee as on March 31, 2011 is as under:

1	Prof N Balakrishnan	Chairman
2	Smt.V.R.Iyer	Member
3	Shri R.K.Dubey	Member
4	Dr Shashank Saksena	Member
5	Shri Salim Gangadharan	Member

During the year, the Audit Committee met 10 times on the following dates:

02.05.2010	29.07.2010	28.09.2010	26.03.2011
22.05.2010	14.08.2010	26.10.2010	
28.05.2010	04.09.2010	31.01.2011	

The attendance record of the members is shown below:

Name of Directors	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Audit Committee (From - To)
Shri M S Johar	08	08	01.04.2010 – 01.01.2011
Shri Ramnath Pradeep	05	05	01.04.2010 – 31.08.2011
Shri Arun Kaul	05	05	01.04.2010 – 31.08.2011
Smt.V.R.Iyer	05	05	01.09.2010 - 31.03.2011
Shri R.K.Dubey	04	05	01.09.2010 - 31.03.2011
Dr Shashank Saksena	03	10	01.04.2010 – 31.03.2010
Shri M.K. Bhattacharya	04	04	01.04.2010 – 29.07.2010
Shri Salim Gangadharan	03	06	30.07.2010 - 31.03.2011
Prof N Balakrishnan	06	10	01.04.2010 – 31.03.2011

Unaudited quarterly results of the Bank and audited results for the year were reviewed by the Audit Committee of the Board and placed before the Board of Directors for approval.

Shareholders'/ Investors' Grievance Committee

In compliance of SEBI guidelines on Corporate Governance as provided in Clause 49 of the Listing Agreement, Shareholders'/ Investors Grievances Committee has been constituted, for redressal of the grievances of the shareholders/ investors with regard to the transfer of shares, non-receipt of Annual Report, non- receipt of dividends, etc. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied/ redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days, on receipt of the relevant information. The Committee comprises of Chairman & Managing Director, Executive Directors and two independent Directors. It is headed by Shri Brijlal Kshatriya, Shareholder Director on the Board of our Bank.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

13.06.2010	08.09.2010	10.11.2010	11.03.2011
------------	------------	------------	------------

The attendance record of the members is shown below:

Name of Directors	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Committee (From - To)
Shri S.Sridhar	04	04	01.04.2010 – 31.03.2011
Shri Ramnath Pradeep	01	01	01.04.2010 – 31.08.2010
Shri Arun Kaul	01	01	01.04.2010 – 31.08.2010
Smt.V.R.Iyer	03	03	01.09.2010 - 31.03.2011
Shri R.K.Dubey	03	03	01.09.2010 - 31.03.2011
Shri Brijlal Kshatriya	04	04	01.04.2010 – 31.03.2011
Major (Retd.) Ved Prakash	03	03	11.04.2010 – 31.12.2010
Shri Romesh Sabharwal	01	01	01.01.2011 – 31.03.2011

The details of Investor Grievances for the year 2010-11 (01.04.2010 to 31.03.2011) is as under:

1	Complaints pending at the beginning of the year	NIL
2	Non Receipt of Dividend Warrants	358
3	Non Receipt of Demat Credit/Refund Order	31
4	Not Receipt of Annual report	01
5	Non Receipt of Share Certificate	09
6	Non Receipt of Rejected Demat Request Form	01
7	Others	25
	Total Grievances received	425
8	Total Grievances attended/resolved	425
9	Total complaints pending at the end of the year	NIL

We confirm that no investor's complaints remained unattended/pending for more than 30 days.

Compliance Officer

Shri Anand Kumar Das, Assistant General Manager(Company Secretary) is the Compliance Officer of the Bank as per Equity Listing Agreement with Stock Exchanges.

Remuneration Committee

The Remuneration Committee of the Board of Directors was constituted as per Ministry of Finance Communication F.No.20.1.2005-Bo-I dated 09.03.2007 for payment of performance-linked incentive to wholtime Directors. The Committee consisting of Dr.

Shashank Saksena, Government Nominee Director (in the Chair), Shri M.K.Bhattacharya, Reserve Bank of India Nominee Director, Prof.N.Balakrishnan and Shri Romesh Sabharwal, met on 22.05.2010 for considering the performance-linked incentive to wholetime directors for the year 2009-10.

Proceeds from Public Issues, Right Issues, Preferential Issues, etc.

During the year, Bank has increased its paid-up capital by way of issue of Preference Shares in the form of Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) to the tune of ₹ 250 crore to Government of India. Further, Bank has also raised ₹ 1,300.00 crore in the form of Upper Tier II Bonds. The funds are raised with the primary objective of augmenting Tier-I and II Capital for strengthening capital adequacy ratio and for enhancing the long-term resources of the Bank. The funds raised will be utilized for the above purpose.

The PNCPS issues of ₹ 450 crore to the Government of India are not transferable and are not dealt with the Stock Exchanges and accordingly, cannot be traded and/or listed.

Means of Communications

The quarterly financial results (unaudited but subject to limited review by Statutory Auditors) and audited Annual Results were normally published in the Economic Times in all Editions (English/Gujarati/Hindi) and Loksatta, Marathi (Regional Language). The results were also displayed on the Bank's website at www.centralbankofindia.co.in.

Code of Conduct

The Bank has adopted a Code of Conduct for the Board of Directors and Senior Management. The text of the same is available on the website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in. All the Directors and Senior Management have affirmed their Compliance of code of conduct during the year under review and a certificate affirming the compliance is given in Annexure I.

The Bank has also framed a Code of Conduct for its Directors and designated employees for prevention of Insider Trading in Bank's security.

Number of shares of Bank held by Directors as on March 31, 2011 is as under:

Sr	Name of Shareholder	Total Shares held	
		Number	As a % of grand total
1	Shri Brijlal Kshatriya	200	0.000049
2	Shri N Balakrishnan	100	0.000024
	Total	300	0.000073

Other Disclosures

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the Non-Executive Directors vis-à-vis the Bank during the year.

It is an established practice in the Bank that the Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed.

The Bank has complied with applicable rules and regulations prescribed by RBI, SEBI, Stock Exchanges or any other statutory authority relating to Capital Market.

SEBI has vide Adjudication Order No. PKB/AO-14/2011 dated February 25, 2011 under Section 15 –I of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 read with Rule 5 of the SEBI (Procedure for Holding Inquiry and Imposing Penalties by Adjudicating Officer) Rules, 1995 passed an order imposing penalty of ₹ 2.5 million for violation of certain provisions of SEBI (Debenture Trustee) Regulations, 1993 (DT Regulations), Code of Conduct of DT Regulations and SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008. Besides this, no penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any Statutory Authority on any matter relating to Capital Markets during the year under review.

The Bank has complied with the stipulated requirement of Clause 49 of Listing Agreement to the extent that the requirements of the clause do not violate the provision of Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of

Undertaking) Act 1970 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and guidelines, provisions, regulations or directives issued by Reserve Bank of India.

Non-Mandatory Requirements (Annexure I D of Listing Agreement)

The Bank has presently not adopted the non-mandatory requirement set out in Annexure-ID to the Clause 49 of the Listing Agreement.

General Shareholder Information

4th Annual General Meeting of the Bank:

Date: 29th July, 2011 at 3.00 PM at Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Near Cooper Hospital/Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (West), Mumbai, 400056

1. The Annual General Meeting is relevant for the financial year 2010-11
2. Date of Book Closure: 23rd July 2011 to 29th July, 2011 (Both days inclusive)
3. Dividend Payment Date: on or before 27th August 2011
4. Listing on Stock Exchanges:

The shares of the Bank are listed on The Bombay Stock Exchange Limited and The National Stock Exchange of India Limited. The scrip codes are as follows:

The Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE)	532885
National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)	CENTRALBK
ISIN Number	INE483A01010

Annual Listing fee for 2011-12 has been paid to both the stock exchanges.

The Bank has issued Non-Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier-II Capital) from time to time. The relevant outstanding details thereof are as under:

Central Bank of India Bonds-Tier-II Capital position as on 31.03.2011

Series Particulars	Issue date	Total Value (₹ in crores)	ISIN
Lower Tier II-Series IX	08.10.2004	200.00	INE483A09138
Lower Tier II-Series X	28.03.2006	578.20	INE483A09146
Lower Tier II-Series XI	04.10.2006	700.00	INE483A09153
Lower Tier II-Series XII	03.03.2008	389.10	INE483A09161
Lower Tier II-Series XIII	10.02.2009	270.00	INE483A09187
Upper Tier II-Series I	14.11.2008	300.00	INE483A09179
Upper Tier II-Series II	17.02.2009	285.00	INE483A09195
Upper Tier II-Series III	23.06.2009	500.00	INE483A09203
Upper Tier II-Series IV	20.01.2010	500.00	INE483A09211
Upper Tier II-Series V	11.06.2010	1000.00	INE483A09229
Upper Tier II-Series VI	21.01.2011	300.00	INE483A08015
Total		5022.30	

All these bonds are listed either on National Stock Exchange of India Ltd. or Bombay Stock Exchange Ltd. The Bank has paid the Annual Listing fee for 2011-12 to the Exchanges.

Market Price Data:

The monthly high and low quotation and the volume of shares traded on NSE (with comparison of share price of Bank with NSE Nifty) are as under:

NSE					
Month	High Price	Low Price	No. of Shares	NSE Nifty	
				High	Low
April 2010	166.50	144.30	10100931	5399.65	5160.90
May 2010	162.00	140.00	10888492	5278.70	4786.45
June 2010	153.45	140.20	8548409	5366.75	4961.05
July 2010	169.40	138.10	18378875	5477.50	5225.60
August 2010	196.20	163.50	22208945	5549.80	5348.90
September 2010	207.70	177.70	23687551	6073.50	5403.05
October 2010	249.20	191.30	35360408	6284.10	5937.10
November 2010	249.40	180.00	39397883	6338.50	5690.35
December 2010	205.65	157.10	21962626	6147.30	5721.15
January 2011	185.30	158.20	15073622	6181.05	5416.65
February 2011	190.00	137.15	12078109	5599.25	5177.70
March 2011	174.45	132.10	29286368	5872.00	5348.20

The monthly high and low quotation and the volume of shares traded on BSE (with comparison of share price of Bank with Sensex) are as under:

BSE					
Month	High Price	Low Price	No. of Shares	SENSEX	
				High	Low
April 2010	166.40	144.10	3748116	18,047.86	17,276.80
May 2010	160.00	140.00	4403830	17,536.86	15,960.15
June 2010	153.40	140.45	3662394	17,919.62	16,318.39
July 2010	169.70	138.30	6399333	18,237.56	17,395.58
August 2010	196.30	163.35	8278300	18,475.27	17,819.99
September 2010	207.40	178.00	8401678	20,267.98	18,027.12
October 2010	248.70	190.70	12045935	20,854.55	19,768.96
November 2010	249.05	180.20	12138037	21,108.64	18,954.82
December 2010	206.00	157.30	6942298	20,552.03	19,074.57
January 2011	185.20	158.50	4362224	20,664.80	18,038.48
February 2011	177.95	137.15	3594467	18,690.97	17,295.62
March 2011	174.45	129.30	9933806	19,575.16	17,792.17

Share Transfers and Redressal of Shareholders'/Investors' Grievances:

Share Transfers, Refund Order, Dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Transfer Agents. For lodgment of any of these documents and for queries/complaints/ grievances, shareholders and investors are requested to contact the Registrars at the following address:

Link Intime India Pvt. Ltd.

C-13, Pannalal Silk Mills Compound

LBS Marg, Bhandup (West)

Mumbai – 400 078

Tel: 022-25963838

Fax: 022-25946969

Email Id: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

Address for correspondence with the Bank:

AGM(Company Secretary) and Compliance officer
 Central Bank of India
 10th Floor, Chandermukhi
 Nariman Point
 Mumbai 400 021
 Contact No. 022- 6638 7818
 Fax No.: 022- 2283 5198
 Email id: compsec@centralbank.co.in; investors@centrabank.co.in

8. Distribution of shareholdings as on 31.03.2011

DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING (SHARES)				
Shareholding of Shares	Number of shareholders	Percentage of Total	Shares	Percentage of Total
1-500	170665	96.2263	15161745	3.7516
501-1000	3794	2.1392	2925767	0.7239
1001-2000	1491	0.8407	2220343	0.5494
2001-3000	486	0.2740	1230158	0.3044
3001-4000	201	0.1133	717446	0.1775
4001-5000	182	0.1026	855085	0.2116
5001-10000	247	0.1393	1796075	0.4444
10001-9999999999	292	0.1646	379234841	93.8372
Total	177358	100	404141460	100

Share Holding of persons belonging to the category "Public" and holding more than 1% of the total number of shares

STATEMENT SHOWING SHAREHOLDING OF PERSONS BELONGING TO THE CATEGORY "PUBLIC" AND HOLDING MORE THAN 1% OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES		
Name of the Shareholder	No. of Shares	%
Life Insurance Corporation of India	12247090	3.0304
LIC of India - Market Plus	9997512	2.4738
LIC of India - Money Plus	4210341	1.0418
Total	26454943	6.5460

Shareholding pattern as on 31.03.2011

SHAREHOLDING PATTERN AS ON 31.03.2011						
Category of Shareholders	No. of Shares		No. of Shareholders		Total Shares	% of holding
	Demat	Physical	Demat	Physical		
Central Government	324141460	0	1	0	324141460	80.2050
Clearing Member	792283	0	464	0	792283	0.1960
Other Bodies	6261760	0	1290	0	6261760	1.5494
Corporate Directors	300	0	2	0	300	0.0001
Financial Institutions	29061761	0	6	0	29061761	7.1910
FII's	13105828	0	76	0	13105828	3.2429
Hindu Undivided Family	74563	0	2	0	74563	0.0184
Mutual Fund	1883260	0	12	0	1883260	0.4660
Nationalized Banks	229103	0	8	0	229103	0.0567



SHAREHOLDING PATTERN AS ON 31.03.2011						
Category of Shareholders	No. of Shares		No. of Shareholders		Total Shares	% of holding
	Demat	Physical	Demat	Physical		
Non Nationalized Banks	111532	0	3	0	111532	0.0276
Non Resident Indians	579642	0	1041	0	579642	0.1434
Non Resident (Non Repatriable)	146454	0	281	0	146454	0.0362
Public	25296998	1834	174126	12	25298832	6.2599
Trusts	62973	0	29	0	62973	0.0156
G I C & Its Subsidiaries	2391709	0	5	0	2391709	0.5918
Total	404139626	1834	177346	12	404141460	100

Statement showing details of locked-in shares

Sr. No.	Name of the Shareholder	Number of locked-in shares	Locked-in shares as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C))
	NIL		

Statement showing details of Depository Receipts (DRs)

Sr. No.	Type of outstanding DR (ADRs, GDRs, SDRs, etc)	Number of outstanding DRs	Number of shares underlying outstanding DRs	Shares underlying outstanding DRs as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C))
	NIL	NIL	NIL	NIL

Statement showing holding of Depository Receipts (DRs) where underlying shares are in excess of 1% of the total number of shares.

Sr. No.	Name of the DR holder	Type of outstanding DR (ADRs, GDRs, SDRs, etc)	Number of shares underlying outstanding DRs	Shares underlying outstanding DRs as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C))
	NIL	NIL	NIL	NIL

Dematerialization of Shares

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form. The Bank had already entered into agreements with both the Depositories viz., National Securities Depositories Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by shareholders as on 31.03.2011 are as under:

	No. of shareholders	No. of shares	% shareholding
Physical	12	1834	0.0005
NSDL	116093	67252872	16.6409
CDSL*	61253	336886754	83.3586
Total	177358	404141460	100

* Including 3214141460 (80.20%) held IN DEMAT form by the Central Government.

There are no outstanding GDRs / ADRs /warrants or any convertible instruments.

Shares in Unclaimed Suspense Account:

In terms Clause 5A of Listing Agreements, the Shares outstanding in “Unclaimed Suspense Account” as on 31st March, 2011 as under:

Sr. No.	Particulars	Aggregate number of Shareholders	Aggregate outstanding Shares
(i)	Aggregate number of Shareholders and outstanding Shares lying in the Unclaimed Suspense Account as on 15.11.2010 (being date of opening of Unclaimed Suspense Account)	364	41068
(ii)	Number of shareholders who approached the issuer for transfer of shares from Unclaimed Suspense Account during the year	68	-
(iii)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Unclaimed Suspense Account during the year	5784	-
(iv)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the end of the year	296	35284

Certificate of Compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance

The certificate issued by the statutory auditors of the Bank, in compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance in the Listing Agreement with the Stock Exchange is attached.

Annexure I

Declaration of Compliance with Code of Conduct

I confirm that all Board Members & Senior Management have affirmed Compliance with the Bank's Code of Conduct for the financial year 2010-11.

Place : Mumbai
Date : May 30, 2011

[S Sridhar]
Chairman and Managing Director



Certification under Clause 49 of the Listing Agreement

To

The Board of Directors
Central Bank of India

This is to certify that:

- a. We have reviewed financial statements and the cash flow statement of Central Bank of India for the year 2010-11 and to the best of our knowledge and belief:
 - I. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading
 - II. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing Accounting Standards, applicable law and regulations.
- b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year 2010-11, which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for the financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of internal control, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies
- d. We have indicated to the auditors and the Audit Committee
 - I. Significant changes in internal control over financial reporting during the year;
 - II. Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statement and
 - III. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or any employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

P.V.Raveendran
General Manager (Accounts)

S Sridhar
Chairman and Managing Director

Place : Mumbai
Date : May 30, 2011

Auditors' Certificate on Corporate Governance

To

The Members of Central Bank of India,

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Central Bank of India for the year ended on 31st March, 2011 as stipulated in clause 49 of the Listing Agreement of the said Company with stock exchanges.

The Compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Company as per the records maintained by the Shareholders Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For M/s Sagar & Associates

Chartered Accountants
F.R.No. 003510S

(CA V. Vidyasagar Babu)

Partner
M. No. 27357

For M/s K. S. Aiyar & Co.

Chartered Accountants
F.R.No.100186W

(CA Raghuvir M. Aiyar)

Partner
M. NO.38128

For M/s GSA & Associates

Chartered Accountants
F.R.No. 000257N

(CA Sunil Aggarwal)

Partner
M.No. 083899

For M/s Ghiya & Co.

Chartered Accountants
F.R.No.1088C

(CA Sanjay Ghiya)

Partner
M. NO.072467

For M/s D. Rangaswamy & Co.

Chartered Accountants
F.R.No. 003073S

(CA Janani Radhakrishnan)

Partner
M. NO.27037

For M/s Samsand & Associates

Chartered Accountants
F.R.No.003708N

(CA Milan Shrimali)

Partner
M. NO.088578

Place : Mumbai

Date : May 30, 2011

Auditors' Report to the President of India

This Audit Report of **Central bank of India** is in supercession of our earlier Audit Report for the year ended March 31, 2011 dated May 06, 2011. This Audit Report is necessitated pursuant to a revision in the proposed dividend payable including to those equity shares allotted under the rights issue as they rank for dividend on a pari-passu basis, the issue having been made between March 24, 2011 and April 7, 2011 and the said shares having been allotted by the Board on April 19, 2011.

1. We have audited the attached Balance Sheet of **Central Bank of India** as at 31st March 2011, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement annexed thereto for the year ended on that date in which are incorporated the returns of 20 Branches, 16 Zonal Offices audited by us, 27 Regional Offices audited by us, 3085 Branches, 20 Non-Business Offices and 9 CMS branches audited by other Branch Auditors. Also incorporated in the Balance Sheet and Profit and Loss Account are the returns of 623 Branches, 47 Regional Offices which have not been subjected to audit. The unaudited branches account for 0.80 % of advances, 3.83 % of deposits, 1.02 % of interest income and 3.28 % of interest expense. The Branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by Bank in accordance with guidelines issued by Reserve Bank of India. These financial Statements are the responsibility of Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements.
3. Dividend has been declared by the Bank without writing off un-amortised amount of pension (₹ 959.93 Crore) and gratuity liability (₹ 221.60 Crore), subject to permission of Central Government.
4. Without qualifying our opinion, we draw attention to Note no. 14 of the schedule 18 to the financial statements, regarding deferment of pension liability and gratuity liability of the Bank to the extent of ₹ 1181.53 Crore, pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the Public Sector Banks from application of the provisions of Accounting Standard (AS) 15, Employees Benefits vide circular no. DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11, dated 09-02-2011 on "Re-opening of Pension Option to the employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits- Prudential Regulatory Treatment."
5. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Form 'A' and 'B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
6. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and also subject to the limitations of disclosure required therein, we report that
 - a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found the same to be satisfactory.
 - b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.
 - c) The returns received from the Offices and Branches of the Bank as supplemented with the information furnished by the Management, have been found adequate for the purpose of our audit.
7. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.
8. In our opinion as shown by the Books of the Bank and to the best of our information and according to the explanations given to us
 - a. The Balance Sheet read with the Significant Accounting Policies and Notes thereon, is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of

affairs of the Bank as at 31st March 2011 in conformity with accounting principles generally accepted in India.

- b. The Profit and Loss Account read with Significant Accounting Policies and Notes thereon shows a true balance of Profit for the year ended on that date in conformity with accounting principles generally accepted in India and
- c. The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

For M/s Sagar & Associates

Chartered Accountants
F.R.No. 003510S

(CA V. Vidyasagar Babu)

Partner
M. No. 27357

For M/s K. S. Aiyar & Co.

Chartered Accountants
F.R.No.100186W

(CA Raghuvir M. Aiyar)

Partner
M. NO.38128

For M/s GSA & Associates

Chartered Accountants
F.R.No. 000257N

(CA Sunil Aggarwal)

Partner
M.No. 083899

For M/s Ghiya & Co.

Chartered Accountants
F.R.No.1088C

(CA Sanjay Ghiya)

Partner
M. NO.072467

For M/s D. Rangaswamy & Co.

Chartered Accountants
F.R.No. 003073S

(CA Janani Radhakrishnan)

Partner
M. NO.27037

For M/s Samsand & Associates

Chartered Accountants
F.R.No.003708N

(CA Milan Shrimali)

Partner
M. NO.088578

Place : Mumbai

Date : May 30, 2011



Balance Sheet as on March 31, 2011

(000's omitted)

	SCHEDULE NO.	As on 31-Mar-11 ₹	As on 31-Mar-10 ₹
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	2021,14,15	1771,14,15
Share Application Money (refer note 1)		2025,68,36	-
Reserves and Surplus	2	6826,57,78	5921,10,55
Deposits	3	179356,01,53	162107,46,88
Borrowings	4	12887,97,94	7326,63,68
Other Liabilities and Provisions	5	6639,92,93	5545,27,12
TOTAL		209757,32,69	182671,62,38
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	14081,99,16	17011,92,88
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	1200,80,97	2205,08,50
Investments	8	54504,48,83	50562,86,70
Advances	9	129725,40,66	105383,48,57
Fixed Assets	10	2425,38,62	2343,28,81
Other Assets	11	7819,24,45	5164,96,92
TOTAL		209757,32,69	182671,62,38
Contingent Liabilities	12	42749,47,13	38740,07,66
Bills for Collection	-	3576,09,05	5400,24,08
Principal Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		
The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.			

S. Sridhar
Chairman & Managing Director

V. R. Iyer
Executive Director

R. K. Dubey
Executive Director

P. V. Raveendran
General Manager

Dr. Shashank Saxena
Director

Salim Gangadharan
Director

Brijlal Kshatriya
Director

Prof. N. Balakrishnan
Director

Romesh Sabharwal
Director

Major (Retd) Ved Prakash
Director

B. S. Rambabu
Director

For M/s. Sagar & Associates
Chartered Accountants
F.R.No.-003510S

For M/s. G.S.A. & Associates
Chartered Accountants
F.R.No.-000257N

For M/s. D. Rangaswamy & Co.
Chartered Accountants
F.R.NO.-003073S

(CA V. Vidyasagar Babu)
Partner
M. No.27357

(CA Sunil Aggarwal)
Partner
M. No.83899

(CA Janani Radhakrishnan)
Partner
M. No.27037

For M/s. K.S. Aiyar & Co.
Chartered Accountants
F.R.No.-100186W

For M/s. Ghiya & Co.
Chartered Accountants
F.R.No.-1088C

For M/s. Samsand & Associates
Chartered Accountants
F.R.No.-003708N

(CA Raghuvir M. Aiyar)
Partner
M. No.38128

(CA Sanjay Ghiya)
Partner
M. No.072467

(CA Milan Shrimali)
Partner
M. No.088578

As per our report of even date

Place : Mumbai

Date : May 30, 2011

Profit and Loss Account for the Year Ended March 31, 2011

(000's omitted)

	SCHEDULE NO.	YEAR ENDED 31-Mar-11 ₹	YEAR ENDED 31-Mar-10 ₹
I. INCOME			
Interest Earned	13	15220,56,61	12064,30,62
Other Income	14	1265,04,14	1735,24,53
TOTAL		16485,60,75	13799,55,15
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	9895,22,87	9519,01,29
Operating Expenses	16	3998,98,83	2222,01,72
Provisions and Contingencies		1338,98,04	1000,29,34
TOTAL		15233,19,74	12741,32,35
III. PROFIT/ LOSS			
Net Profit for the year		1252,41,01	1058,22,80
Profit brought forward		1,12,87	1,12,82
TOTAL		1253,53,88	1059,35,62
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to :			
Statutory Reserve		314,85,25	264,55,70
Investment Reserve		-	46,62,32
Staff Welfare Fund		15,00,00	15,00,00
Revenue Reserve		527,72,93	565,90,84
Proposed Dividend - Preference Capital		114,87,06	53,09,40
Proposed Dividend - Equity Capital		137,40,51	88,91,11
Dividend Tax		41,08,69	24,13,38
Reserve for interest on JPY swap coupon		1,11,55	-
Special reserve U/S 36 (1) (viii) of I.T. Act		100,00,00	-
Balance Carried Over to Balance Sheet		1,47,89	1,12,87
TOTAL		1253,53,88	1059,35,62
EPS (Basic & Diluted)		27.69	24.65
Principal Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

S. Sridhar Chairman & Managing Director	V. R. Iyer Executive Director	R. K. Dubey Executive Director	P. V. Raveendran General Manager
Dr. Shashank Saxena Director	Salim Gangadharan Director	Brijlal Kshatriya Director	Prof. N. Balakrishnan Director
Romesh Sabharwal Director	Major (Retd) Ved Prakash Director	B. S. Rambabu Director	
For M/s. Sagar & Associates Chartered Accountants F.R.No.-003510S	For M/s. G.S.A. & Associates Chartered Accountants F.R.No.-000257N	For M/s. D. Rangaswamy & Co. Chartered Accountants F.R.NO.-003073S	
(CA V. Vidyasagar Babu) Partner M. No.27357	(CA Sunil Aggarwal) Partner M. No.83899	(CA Janani Radhakrishnan) Partner M. No.27037	
For M/s. K.S. Aiyar & Co. Chartered Accountants F.R.No.-100186W	For M/s. Ghiya & Co. Chartered Accountants F.R.No.-1088C	For M/s. Samsand & Associates Chartered Accountants F.R.No.-003708N	
(CA Raghuvir M. Aiyar) Partner M. No.38128	(CA Sanjay Ghiya) Partner M. No.072467	(CA Milan Shrimali) Partner M. No.088578	

As per our report of even date

Place : Mumbai

Date : May 30, 2011



Schedules Forming Part of the Balance Sheet as on March 31, 2011

(000's Omitted)

	AS ON 31/03/2011		AS ON 31/03/2010	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 1 : CAPITAL				
Authorised Capital		3000,00,00		3000,00,00
Issued, Subscribed and Paid up Capital :	404,14,15		404,14,15	
4041,41,460 Equity Shares of ₹10 each (includes 3241,41,460 shares held by Central Govt.)				
Perpetual Non-Cumulative Preference Share Capital	1617,00,00		1367,00,00	
		2021,14,15		1771,14,15
TOTAL		2021,14,15		1771,14,15
SCHEDULE 2 : RESERVES AND SURPLUS				
I. Statutory Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	1210,13,57		945,57,87	
Additions during the year	314,85,25		264,55,70	
		1524,98,82		1210,13,57
II. Capital Reserves				
i) Revaluation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	1962,02,23		2008,91,59	
Deductions during the year	33,59,32		46,89,36	
		1928,42,91		1962,02,23
ii) Investment Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	363,10,35		316,48,03	
Additions during the year	-		46,62,32	
		363,10,35		363,10,35
III. Share Premium				
Balance as per last Balance Sheet	736,00,00		736,00,00	
Additions/ Adjustments during the year	-			
		736,00,00		736,00,00
IV. Revenue and Other Reserves				
i) Revenue & Other Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	1648,71,53		1082,80,69	
Additions during the year	528,84,48		565,90,84	
Less : Deductions during the year	4,98,20		-	
		2172,57,81		1648,71,53
V. Special Reserve U/S 36 (1) (viii) of I.T. Act				
		100,00,00		NIL
VI. Balance in Profit and Loss Account				
		1,47,89		1,12,87
TOTAL		6826,57,78		5921,10,55

Schedules Forming Part of the Balance Sheet as on March 31, 2011

(000's Omitted)

	AS ON 31/03/2011		AS ON 31/03/2010	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 3 : DEPOSITS				
A. I. Demand Deposits				
i) From Banks	357,97,86		708,83,83	
ii) From Others	15073,37,64		14362,54,74	
		15431,35,50		15071,38,57
II. Savings Bank Deposits		47644,93,89		40763,53,34
III. Term Deposits				
i) From Banks	2685,57,83		5427,57,92	
ii) From Others	113594,14,31		100844,97,05	
		116279,72,14		106272,54,97
TOTAL		179356,01,53		162107,46,88
B. i) Deposits of Branches in India		179356,01,53		162107,46,88
ii) Deposits of Branches outside India		—		—
SCHEDULE 4 : BORROWINGS				
I. Borrowings in India				
i) Reserve Bank of India	0		0	
ii) Other Banks	6,47,70		45,97,90	
iii) Other Institutions & Agencies	5809,02,69		2575,14,78	
iv) Unsecured Redeemable Bonds (Subordinated Debt)	2137,30,00		2407,30,00	
v) Upper Tier II Bonds	2885,00,00		1585,00,00	
vi) Innovative Perpetual Debt Instrument	583,00,00		583,00,00	
		11420,80,39		7196,42,68
II. Borrowings outside India		1467,17,55		130,21,00
TOTAL		12887,97,94		7326,63,68
Secured Borrowings included in I & II above		NIL		NIL
SCHEDULE 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS				
I. Bills Payable		344,02,30		448,41,42
II. Inter Office Adjustments (Net)		-		-
III. Interest Accrued		928,66,41		727,22,67
IV. Deferred Tax Liability		146,30,00		307,89,00
V. Others (including provisions)		5220,94,22		4061,74,03
TOTAL		6639,92,93		5545,27,12
SCHEDULE 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I. Cash in Hand (including foreign currency notes)		925,75,89		751,87,15
II. Balances with Reserve Bank of India				
In Current Accounts	13056,23,27		16160,05,73	
In Other Accounts	100,00,00		100,00,00	
		13156,23,27		16260,05,73
TOTAL		14081,99,16		17011,92,88



Schedules Forming Part of the Balance Sheet as on March 31, 2011

(000's Omitted)

	AS ON 31/03/2011		AS ON 31/03/2010	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE				
I. In India				
i) Balances with Banks				
a) In Current Accounts	783,29,50		730,07,46	
b) In Other Deposit Accounts	–		1367,70,00	
ii) Money at Call and Short Notice				
a) With Banks	–		–	
b) With Other Institutions	–		–	
		783,29,50		2097,77,46
II. Outside India				
a) In Current Accounts	417,38,05		107,17,62	
b) In Other Deposit Accounts	13,42		13,42	
c) Money at Call & Short Notice	–		–	
		417,51,47		107,31,04
TOTAL		1200,80,97		2205,08,50
SCHEDULE 8 : INVESTMENTS				
I. Investments in India in : *				
i) Government Securities	47757,42,97		44845,71,79	
ii) Other approved Securities	84,36,82		130,52,25	
iii) Shares	808,06,75		599,35,70	
iv) Debentures and Bonds	3526,80,08		2830,85,76	
v) Subsidiaries and Sponsored Institutions	247,16,62		247,16,62	
vi) Others (UTI Shares & Commercial Papers, Mutual Fund Units etc.)	2079,99,65		1908,58,64	
		54503,82,89		50562,20,76
II. Investments outside India in **				
Subsidiaries and / or Associates abroad		65,94		65,94
TOTAL		54504,48,83		50562,86,70
* Investments in India				
Gross Value	54846,42,46		52007,63,76	
Less:Provision for Depreciation	342,59,57		1445,43,00	
Net Value		54503,82,89		50562,20,76
** Investments outside India				
Gross Value	65,94		65,94	
Less : Provision for Depreciation	–		–	
Net Value		65,94		65,94
TOTAL		54504,48,83		50562,86,70

Schedules Forming Part of the Balance Sheet as on March 31, 2011

(000's Omitted)

	AS ON 31/03/2011		AS ON 31/03/2010	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 9 : ADVANCES				
A. i) Bills Purchased and Discounted	1937,60,90		1340,05,12	
ii) Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	37941,61,61		31499,89,63	
iii) Term Loans	89846,18,15		72543,53,82	
TOTAL		129725,40,66		105383,48,57
B. Particulars of Advances :				
i) Secured by Tangible Assets (including advances against Book Debts)	95408,75,20		80993,22,45	
ii) Covered by Bank / Government Guarantees	9493,82,35		5760,65,76	
iii) Unsecured	24822,83,11		18629,60,36	
TOTAL		129725,40,66		105383,48,57
C. Sectoral Classification of Advances				
(I) Advances in India				
i) Priority Sectors	40509,50,96		33873,12,96	
ii) Public Sector	9868,12,04		5081,20,04	
iii) Banks	17,43,88		1015,37,72	
iv) Others	79330,33,78		65413,77,85	
TOTAL		129725,40,66		105383,48,57
(II) Advances outside India		-		-
SCHEDULE 10 : FIXED ASSETS				
I. Premises				
(At cost / revalued cost)				
Balance as at 31st March of the preceding year	2383,01,14		2366,37,57	
Additions during the year	2,80,29		16,63,57	
TOTAL	2385,81,43		2383,01,14	
Depreciation to date	370,18,47		334,01,07	
TOTAL (I)		2015,62,96		2049,00,07
II. Other Fixed Assets				
(Including furniture and fixtures)				
At cost as on 31st March of the preceding year	950,95,77		815,31,19	
Additions / Adjustments during the year	232,73,49		143,84,34	
TOTAL	1183,69,26		959,15,53	
Deductions / Adjustments during the year	10,19,51		8,19,76	
TOTAL	1173,49,75		950,95,77	
Depreciation to date	763,74,09		656,67,03	
TOTAL (II)		409,75,66		294,28,74
TOTAL (I & II)		2425,38,62		2343,28,81



Schedules Forming Part of the Balance Sheet as on March 31, 2011

(000's Omitted)

	AS ON 31/03/2011		AS ON 31/03/2010	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 11 : OTHER ASSETS				
I. Interest accrued	1077,91,72		996,27,89	
II. Tax paid in advance / Tax deducted at source (Net of Provisions)	2283,24,48		2186,58,21	
III. Stationery and Stamps	12,34,74		11,96,52	
IV. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	–		–	
V. Inter Office Adjustments	1531,18,81		620,92,20	
VI. Others	2914,54,70	7819,24,45	1349,22,10	5164,96,92
TOTAL		7819,24,45		5164,96,92
SCHEDULE 12 : CONTINGENT LIABILITIES				
I. Claims against the Bank not acknowledged as Debts		181,53,42		1682,43,57
II. Liability for partly paid Investments		57,86,49		27,64,33
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts		28805,44,33		26529,98,20
IV. Guarantees given on behalf of constituents				
a) In India	6367,09,49		5650,07,20	
b) Outside India	307,84,45		127,50,51	
		6674,93,94		5777,57,71
V. Acceptances, Endorsements and Other Obligations		6179,68,95		4722,43,85
VI. Other item for which the bank is contingently liable		850,00,00		–
TOTAL		42749,47,13		38740,07,66

Schedules Forming Part of the Profit & Loss Account for the Year Ended March 31, 2011

(000's omitted)

	Year Ended 31-Mar-11 ₹	Year Ended 31-Mar-10 ₹
SCHEDULE 13 : INTEREST EARNED		
I. Interest / Discount on Advances / Bills	11253,80,23	8647,84,07
II. Income on Investments	3767,09,56	3307,78,69
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank funds	33,36,98	102,64,80
IV. Others	166,29,84	6,03,06
TOTAL	15220,56,61	12064,30,62
SCHEDULE 14 : OTHER INCOME		
I. Commission, Exchange and Brokerage	620,50,58	573,54,62
II. Profit on Sale of Investments (Net)	311,92,29	772,38,20
III. Profit / (Loss) on Revaluation of Investments	-	-
IV. Profit / (Loss) on Sale of Land, Buildings and other Assets (Net)	(11,05)	(32,21)
V. Profit on Exchange Transactions (Net)	56,09,26	45,33,62
VI. Income earned by way of dividends etc. from Subsidiaries and Associates abroad / in India	1,55,45	1,45,64
VII. Miscellaneous Income	275,07,61	342,84,66
TOTAL	1265,04,14	1735,24,53
SCHEDULE 15 : INTEREST EXPENDED		
I. Interest on Deposits	9062,64,09	9121,02,10
II. Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank borrowings	144,42,91	22,18,36
III. Others	688,15,87	375,80,83
TOTAL	9895,22,87	9519,01,29
SCHEDULE 16 : OPERATING EXPENSES		
I. Payments to and Provisions for Employees	2964,22,32	1544,19,24
II. Rent, Taxes and Lighting	191,50,37	162,68,78
III. Printing and Stationery	21,56,61	18,92,37
IV. Advertisement and Publicity	96,93,96	17,21,55
V. a) Depreciation on Bank's property other than Leased Assets b) Depreciation on Leased Assets	118,68,98 -	78,74,82 -
VI. Directors' Fees, Allowances and Expenses	1,29,55	1,54,31
VII. Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	22,54,14	19,57,34
VIII. Law Charges	14,93,82	12,43,45
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	35,33,13	4,71,18
X. Repairs and Maintenance	64,86,09	24,26,53
XI. Insurance	155,74,80	121,20,21
XII. Other Expenditure	311,35,06	216,51,94
TOTAL	3998,98,83	2222,01,72

Schedule 17 - Principal Accounting Policies

1. Accounting Conventions:

The financial statements have been prepared by following the going concern concept on the historical cost basis except as modified by the Revaluation of Premises and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and prevailing practices within the Banking industry in India.

2. Transactions involving Foreign Exchange:

- 2.1 Monetary Assets and Liabilities in Foreign Currencies are translated at the Exchange Rates prevailing at the year end as notified by FEDAI and the resultant Profit/ Loss is recognised in Profit and Loss Account.
- 2.2 Income and Expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the respective date of transactions.
- 2.3 Guarantees, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements, and other obligations in Foreign Currencies are translated at year end rates notified by FEDAI.
- 2.4 Outstanding Forward Contracts are translated at the year end rates notified by FEDAI and the resultant profit/loss is recognized in Profit and Loss Account.

3. Investments:

- 3.1 In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, Investments are classified into "Held to Maturity", "Held for Trading" and "Available for Sale" categories. However, for disclosure in the Balance Sheet, investments are classified under the following heads :

- i) Government Securities
- ii) Other Approved Securities
- iii) Shares
- iv) Debentures and Bonds
- v) Investments in Subsidiaries and sponsored institutions and
- vi) Others (UTI Shares, Commercial Papers and units of Mutual Funds.)

3.2 Basis of Classification :

Classification of an Investment is done at the time of purchase into the following categories:

i) Held to Maturity

These comprise of investments, the bank intends to hold on till maturity.

ii) Held for Trading

Securities which are principally held for resale within 90 days from the date of purchase.

iii) Available for Sale

Investments that cannot be classified in the above categories.

3.3 Transfer of Securities between categories :

The transfer/ shifting of securities between the three categories of investments is accounted at the lower of acquisition cost/ book value or market value on the date of the transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.4 Valuation :

a) Held to Maturity :

The investments classified under this category are valued at acquisition cost. The excess of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity.

b) Available for sale :

Investments under this category are marked to market, scrip-wise, at quarterly intervals as under:

- i) Central Government Securities At market price as per quotation put out by Stock Exchange / FIMMDA / PDAI .
- ii) State Government Securities, On appropriate yield to maturity basis.
Securities Guaranteed by Central
/ State Government, PSU Bonds

iii)	Treasury Bills/ Certificates of Deposits/ Commercial Paper	At carrying cost.	
iv)	Equity Share	a) Quoted	: At market price.
		b) Unquoted:	: At book value per share, if latest (Not more than one year old.) Balance Sheet is available, or ₹ 1.00 per company if latest Balance Sheet is not available.
v)	Preference Share	a) Quoted	: At market price.
		b) Unquoted	: On appropriate yield to maturity.
vi)	Debentures and Bonds	a) Quoted	: At market price.
		b) Unquoted	: On appropriate yield to maturity.
vii)	Mutual Fund	a) Quoted	: At market price.
		b) Unquoted	: At repurchase price or Net Asset Value (where repurchase price is not available).
viii)	Venture Capital	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at ₹ 1/- per VCF.	

The net depreciation under each classification is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

c) Held for Trading :

Investments under this category are valued at monthly intervals at market rates, wherever available, or as per the prices declared by FIMMDA. The net depreciation under each classification is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

3.5 Determination of Cost :

Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Cost method.

3.6 Income Recognition :

- i) The Profit or loss on sale/ redemption of investments is taken to the Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale/ redemption of investments from 'Held to Maturity' category, an equivalent amount is appropriated to the 'Capital Reserve'.
- ii) In respect of securities included in any of the three categories of investments where interest/ principal is in arrears, for more than 90 days, income is not reckoned and appropriate provision for the depreciation in the value of the investments is made, as per prudential norms applicable to non-performing advances. Debentures/ Bonds in the nature of advances are subjected to usual prudential norms applicable to advances.
- iii) State Government guaranteed exposures is classified as Sub Standard/ Doubtful/ Loss, as the case may be if interest and/ or principal or any other amount due to the Bank remains overdue for more than 90 days and necessary provisions are made as per Prudential Norms.
- iv) Brokerage, incentive, front-end fees etc., received on purchase of securities are reduced from the cost of investments.
- v) Expenses such as brokerage, fees, commission or taxes incurred at the time of acquisition of securities is charged to revenue.
- vi) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item.

4. Derivatives

Derivatives used for hedging are accounted as under :

- i) Marked to market in cases where the underlying Assets/ Liabilities are marked to market. The resultant gain/ loss is recognised in the Profit & Loss Account.
- ii) Interest Rate Swaps which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis in cases where underlying Asset/ Liabilities are not marked to market.
- iii) Gain or losses on the termination of Swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets/ liabilities.



5. Advances:

- 5.1 Advances are classified as Standard, Sub-Standard, Doubtful or Loss Assets and Provisions required in respect thereof are made as per the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India.
- 5.2 Recoveries against Non-performing Assets (NPA) are first appropriated towards interest. However, recovery in suit filed, decreed accounts and compromise cases, is first appropriated towards principal or as per the terms of decree/ settlement.
- 5.3 Advances are shown net of provisions (in case of NPA), Unrealised Interest and amount recovered from borrowers held in Sundries and amount recovered from CGTSI/ ECGC.
Provision for Standard Assets is included in Other Liabilities and Provisions- Others.
- 5.4 Financial Assets sold are recognized as under:
In case the sale is at a price lower than the Net Book Value (NBV) the shortfall is charged to the Profit and Loss Account.
In case the sale is at a price higher than the NBV, the surplus provision is retained to meet shortfall/loss on account of sale of other non-performing financial assets.

6. Fixed Assets/Depreciation:

- 6.1 Fixed Assets (other than computers which are depreciated on Straight Line Method) are depreciated under 'Written Down Value Method' at the following rates:
- | | |
|---|--|
| i) Premises | At varying rates based on estimated life |
| ii) Furniture, Lifts, Safe Vaults | 10% |
| iii) Vehicles | 20% |
| iv) Air conditioners, Coolers, Typewriters etc. | 15% |
| v) Computers including Systems Software | 33.33% |
- (Application Software is charged to the Revenue during the year of acquisition.)
- 6.2 In the case of assets, which have been revalued, the depreciation is provided on the revalued amount and the incremental depreciation attributable to the revalued amount is adjusted to the 'Revaluation Reserve'.
- 6.3 Depreciation on additions to assets, made upto 30th September is provided for the full year and on additions made thereafter, is provided for the half year. No depreciation is provided on assets sold before 30th September and depreciation is provided for the half year for assets sold after 30th September.
- 6.4 Cost of leasehold land is amortised over the period of lease. In the case of revaluation, the difference between the original cost and revalued amount is amortised over the remaining period of the lease and is adjusted to the 'Revaluation Reserve'.
- 6.5 Where it is not possible to segregate the cost of Land and Premises, Depreciation is charged on the composite cost.

7. Staff Benefits:

- 7.1 Annual contribution to Gratuity and Pension Funds are determined on the basis of actuarial valuation. The contribution to Pension Fund is made under a defined benefit scheme.
- 7.2 The liability for earned leave is provided for on the basis of actuarial valuation.
- 7.3 In respect of employees who have opted for Provident Fund Scheme, a matching contribution is made.
- 7.4 The Bank recognizes in its Books of Accounts the liability arising out of Employee Benefits as the sum of the present value of obligations as reduced by fair value of Plan Assets on the Balance Sheet.

8. Recognition of Income and Expenditure:

- 8.1 Income/ Expenditure is generally accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- 8.2 Income on NPA is recognized on realization as per the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India.
- 8.3 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, prior period disclosures are made in respect of any item which exceeds one percent of the total income/total expenditure.
- 8.4 Provision for interest payable on overdue deposits is made as per Reserve Bank of India guidelines.
- 8.5 Commission (excluding on Government Business), exchange, locker rent and insurance claims are accounted for on realization/settlement.
- 8.6 Expenses for Share Issue are amortized over a period of 5 years on quarterly basis.

9. Income Tax:

The provision for tax for the year comprises of current tax liability computed in accordance with the applicable tax laws and the deferred tax which recognizes, timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets are not recognized unless there is 'virtual certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

Schedule-18 : Notes Forming Part of the Accounts

These Financial Statements which were approved by the Board of Directors on 06th May 2011 and authenticated by the Auditors have undergone a change due to appropriation of additional amount towards proposed dividend for the shares allotted under Rights Issue which was opened on March 24, 2011 and closed on April 07, 2011. The allotment was made on April 19, 2011 on pari passu basis. The effect of this change in Financial Statements is an increase in proposed dividend on equity capital by ₹ 36.37 crore and dividend tax by ₹ 5.90 crore and consequent decrease in Revenue reserve by ₹ 42.27 crore.

1.1 Capital:

The Authorised Capital of the Bank is ₹ 3000 crore.

The paid-up Capital of the Bank is ₹ 2021.14 crore i.e. increased from ₹ 1771.14 crore to ₹ 2021.14 crore by issue of Perpetual Non-cumulative Preference Shares [PNCPS] to the tune of ₹ 250 crore to Government of India.

During the year, the Bank has come out with Right Issue of ₹ 2497.38 Crore comprising of 24,24,84,876 nos fully paid up equity shares of ₹ 10 each at premium of ₹ 93. The issue opened on 24th March 2011 and was closed on 7th April 2011. A sum of ₹ 2025.68 Crore has been received till 31st March 2011 and the same has been shown as Share Application Money. The said money is parked in account with Reserve Bank of India maintained by our Bank.

- 1.2 The proposed dividend of ₹ 137.41 crore on Equity Capital includes ₹ 36.37 crore payable on shares allotted under Rights Issue, subject to approval by AGM. Proposed dividend includes interim dividend paid ₹ 40.41 crore as declared by the Board on October 26, 2010, on the existing Capital, on the relevant record date.

2. Balancing of Books / Reconciliation:

The reconciliation of the following items is in progress at various stages on ongoing basis and consequential impact arising on account of such reconciliation is unascertained.

- Inter Branch/Office Balance
- Accounts for Govt. transactions (Central & State)
- Inter Bank Accounts
- System Suspense Account
- Suspense Account
- Clearing & other Adjustment Accounts

The management is of the opinion that the overall impact, if any, on the accounts will not be significant.

3. Income Tax / Deferred Tax:

- 3.1 Provision for Income Tax for the year is arrived at after due consideration of relevant statutory provisions and judicial decisions on disputed issues.
- 3.2 Other Assets [Schedule 11 (ii)] includes ₹ 601.64 crore (previous year ₹ 1507.45 crore) towards disputed Income Tax paid by the Bank/ adjusted by the authorities. Provision for taxation is not considered necessary by the Bank in respect of above disputed demands based on various judicial decisions/ counsel's opinion on such disputed issues.
- 3.3 Out of ₹ 601.64 crore of tax paid under dispute, disputes relating to various Assessment Years, involving tax element of ₹ 21.46 crore have been decided by the Appellate Authorities in favour of the Bank. The appeal effect for the same is pending.

4. Share Issue Expenses:

Unamortized amount of ₹ 6.72 crore towards share issue expenses are included in Other Assets.

5. Premises:

- 5.1 The premises of the Bank were revalued during financial year 2007-08 to reflect the market value as at March 31, 2008. The additional appreciation amounting to ₹ 1565.97 crore have been credited to Revaluation Reserve Account.
- 5.2 Premises owned by the Bank include properties costing ₹ 12.21 crore revalued at ₹ 198.46 crore for which registration formalities are still in progress.



6 Investments:

6.1 Gross investments of the Bank have been classified into three categories as under :

	As at 31.3.2011	As at 31.3.2010
Held to Maturity [excluding 2.12% (previous year 2.45%) in exempted category]	65.36%	69.75%
Held for Trading	0.26%	1.03%
Available for Sale	32.26%	26.77%

7. Advances / Provisions:

- 7.1 Advances to units which have become sick including those under nursing/ rehabilitation/ restructuring programme and other advances classified as doubtful/ loss assets have been considered secured/ recoverable to the extent of estimated realizable value of securities carrying first or second charge based on valuers' assessment of properties/ assets mortgaged to the Bank and other data available with the Bank.
- 7.2 In the current year, in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, the Bank has opted to utilize the Floating Provision amounting to ₹ 312.42 crore (previous year ₹ 312.42 crore) for netting off from Gross NPAs to arrive at Net NPAs.
- 7.3 Advances considered good and secured includes investment of ₹ 2000 crore in IBPCs governed by the Uniform Code Governing Inter Bank Participations issued by IBA (Non Priority Sector) and investment in IBPCs issued by RRBs aggregating ₹ 1440 crore (Priority Sector Advance/ Direct Agriculture).

8 Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008

In terms of the Reserve Bank of India Circular Ref RBI:2009-10/371/ DBOD.No.BP.BC.82/21.04.048/2009-10 dated March 30, 2010 and vide Government of India Notification No.3/3/208-AC dated April 5, 2010, Bank has extended the Debt Relief Scheme to all eligible farmers upto June 30, 2010. Bank's claim of ₹ 147.77 crore under Debt Relief Scheme for the period ended 31/12/2009 is fully reimbursed during the month of February 2011. Claim for the extended period i.e. 1/01/2010 to 30/06/2010 (grievance redressal up to 31/07/2010) of ₹ 54.26 crore is pending to be lodged with Reserve Bank of India up to 30/06/2011 as per Reserve Bank of India guidelines.

9. Upper Tier II Debt Instrument:

During the year, Bank has raised Upper Tier II Debt to the tune of ₹ 1300.00 crore (previous year ₹ 1000.00 crore) by issue of Unsecured Redeemable Bonds under Upper Tier II Debt and the amount is shown in Schedule 4 "Borrowings" of the Balance Sheet.

10. The following information is disclosed in terms of guidelines issued by Reserve Bank of India :

a. CAPITAL ADEQUACY RATIO :

Sl.No	Items	31.03.2011	31.03.2010
1.	CRAR (%) Basel-I Basel-II	10.74 11.64	10.81 12.23
2.	CRAR-Tier-I Capital (%) Basel-I Basel-II	5.81 6.31	6.03 6.83
3.	CRAR-Tier-II Capital (%) Basel-I Basel-II	4.93 5.33	4.78 5.40
4.	Percentage of Equity share holding of Govt. of India.	80.20%	80.20%
5.	Amount of Upper Tier-II instruments Raised during the year (₹ in crore)	1300	1000
6.	Amount of Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) raised as Tier-I capital during the year (₹ in crore)	NIL	NIL
7.	Issue of Equity shares through QIP route (₹ in crore) Share Capital Share Premium	NIL	NIL

The above data has been compiled on the basis of guidelines of Reserve Bank of India and estimates in respect of certain Off Balance Sheet items, made by the management and relied upon by the Auditors. In respect of Basel II, the system deficiencies/ data errors noticed / reported were addressed at Central Office. Based on the extensive exercise undertaken, Bank is of the view that, unrectified deficiencies, if any, will not have a significant impact on the overall reported Capital Adequacy.

b. Provisions and Contingencies:

The break up of 'Provisions and Contingencies' appearing in the Profit and Loss Account is as under:

(₹ in crore)

		2010-11		2009-10	
a.	Provision for Standard Advances		106.14		29.91
b.	Provision for NPA		631.79		288.40
c.	Provision/ Depreciation on investments (including matured investments)		154.35		64.79
d.	i)	Provision for Taxes	568.35	207.45	
	ii)	Deferred Tax	(161.59)	283.86	
		Sub Total of (d)	406.76		491.31
e.	Others		39.94		125.88
	TOTAL		1338.98		1000.29

c. (i) Investments

(₹ in crore)

Items		31.3.2011	31.3.2010
1)	Value of Investments		
	i) Gross Value of Investments	58287.08	52008.30
	a) In India	58286.42	52007.64
	b) Outside India	0.66	0.66
	ii) Provisions for Depreciation	342.60	1445.43
	a) In India	342.60	1445.43
	b) Outside India	0.00	0.00
	iii) Net Value of Investments	57944.48	50562.87
	a) In India	57943.82	50562.21
	b) Outside India	0.66	0.66
2)	Movement of Provisions held towards depreciation on Investments.		
	i) Opening Balance	1445.43	1384.93
	ii) Add: Provisions made during the year	-1102.83	68.35
	iii) Less: Write off	0.00	7.85
	iv) Closing Balance	342.60	1445.43

(ii) Repo Transactions

(₹ in crore)

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2011
Securities sold under Repo	0.00	6200.00	1544.11	1500.00
Securities purchased under Reverse Repo	0.00	4700.00	272.19	0.00
Ready Forward Repo	0.00	1207.09	1141.28	0.00



(iii) Non SLR Investment Portfolio

Issuer wise composition of Non SLR Investments

(₹ in crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	PSUs	656.24	447.50	0.00	0.00	5.88
ii)	FIs	83.19	83.19	0.00	0.00	83.19
iii)	Banks	463.93	241.43	0.00	0.00	0.00
iv)	Private Corporates	2426.96	2205.50	36.16	11.16	58.48
v)	Subsidiaries/ Joint Ventures	247.17	247.17	0.00	247.17	247.17
vi)	Others	6354.65	1884.93	0.00	1954.99	2052.66
	RIDF/RHDF/SIDBI	991.71	991.71	0.00	991.71	991.71
	Commercial Papers	4399.66	727.51	0.00	0.00	727.51
	Mutual Funds	42.31	0.00	0.00	42.31	42.31
	Venture Capital	97.84	97.84	0.00	97.84	97.84
	Shares (incl. Trustee Shares)	823.13	67.87	0.00	823.13	193.29
	TOTAL	10232.14	5109.72	36.16	2213.32	2447.38
	Less: Provision held towards depreciation	97.98				
	Net	10134.16	5109.72	36.16	2213.32	2447.38

Amounts reported under Columns 4, 5, 6 and 7 are not mutually exclusive.

(iv) Non Performing Non-SLR Investments

(including matured investments)

(₹ in crore)

Particulars	31.3.2011	31.3.2010
Opening Balance	28.06	45.98
Additions during the year	3.18	0.48
Reductions during the year	1.93	18.40
Closing balance	29.31	28.06
Total provisions held	24.45	23.32

d. Derivatives

(i) Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(₹ in crore)

Items	31.3.2011	31.3.2010
i) The Notional Principal of Swap Agreements	850.00	575.00
ii) Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements.	-	0.051
iii) Collateral required by the bank upon entering into swaps	-	-
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps		
-- Foreign Bank	737.50	462.50
-- Domestic Bank	112.50	112.50
v) The fair value of the swap book	(-) 53.60	(-) 29.76

(ii) Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	Amount
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	
a)	10 Y GS7 21 JUN 2010 (due date)	3.48
b)	10 Y GS 7 27 SEP 2010 (due date)	0.02
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on March 31, 2011 (instrument-wise)	NIL
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NA
iv)	Mark-to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NA

Disclosures on Risk Exposure in Derivatives**iii) Qualitative Disclosures**

- Risk Management Policy approved by the Board of Directors for the use of derivative instruments to hedge/ trade is in place.
- The investment portfolio of the Bank consists of assets with characteristics of fixed interest rate, zero coupon and floating interest rates and is subject to interest rate risk. The Bank has also Tier II bonds hedged for coupon swaps. The policy permits hedging the interest rate risk on this liability as well.
- Policy for Forward Rate Agreement, Interest Rate Swaps, currency futures and Interest Rate Futures for hedging the interest rate risk in the investment portfolio and also for market making is in place.
- The risk management policies and major control limits like stop loss limits, counter party exposure limits etc approved by the Board of Directors are in place. The risks are monitored and reviewed regularly. MIS reports are submitted periodically to Risk Management Committee.

a) Accounting policy.**Hedge Positions**

- Accrual on account of interest expenses/income on the IRS are accounted and recognized as income/expense.
- If the swap is terminated before maturity, the Marked to Market (MTM loss/gain and accrual till such date are accounted as expense/income under Interest paid/received on IRS.

Trading positions

- Currency future and Interest Rate Future are marked to market on daily basis as per exchange guidelines of MCX-SX, NSE and United Stock Exchange.
- MTM profit/loss are accounted by credit/debit to the margin account on daily basis and the same is accounted in Bank's Profit & Loss Account on final settlement.
- Trading swaps are marked to market at frequent intervals. Any MTM losses are booked and gains if any are ignored.
- Gains or losses on termination of swaps are recorded as immediate income/expense under the above head.



iv) Quantitative Disclosures

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
i)	Derivatives (Notional Principal Amount)		
	a) For hedging	Nil	650
	b) For trading	Nil	200
ii)	Marked to Market Positions (1)		
	a) Asset (+)	--	--
	b) Liability (-)	--	53.60
iii)	Credit Exposure (2)	--	53.00
iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		
	a) On hedging derivatives	--	0.28
	b) On trading derivatives	--	0.04
v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		
	a) On hedging	--	0.33/0.24
	b) On trading	--	0.05/0.01

e. Asset Quality

(i) Non Performing Assets

(₹ in crore)

Items	31.3.2011	31.3.2010	
i) Net NPAs to Net Advances (%)	0.65%	0.69%	
ii) Movement of NPAs (Gross)			
	a) Opening balance	2458	2316
	b) Additions during the year	1409	1033
	c) Reduction during the year	1473	891
	d) Closing balance	2394	2458
iii) Movement of Net NPAs			
	a) Opening balance	727	1063
	b) Additions during the year	183	143
	c) Reduction during the year	63	479
	d) Closing balance	847	727
iv) Movement of Provisions for Net NPAs (excluding provisions on Standard Assets)			
	a) Opening balance	1211	1214
	b) Provisions made during the year	1142	288
	c) Write off/ write back / Transfer	1268	291
	d) Closing balance	1085	1211

* Excluding Floating Provision of ₹ 312.43 crore

(ii) Particulars of Accounts Restructured:

(₹ in Crore)

		CDR Mechanism	SME Debt Restructuring	Others
Standard Advances Restructured	No. of Borrowers	1	219	5348
	Amt. Outstanding	37.79	27.45	434.78
	Sacrifice	8.52	1.56	8.06
Sub Standard Advances Restructured	No. of Borrowers	-	-	1
	Amt. Outstanding	-	-	0.02
	Sacrifice	-	-	(0.001)
Doubtful Advances Restructured	No. of Borrowers	-	-	7
	Amt. Outstanding	-	-	0.11
	Sacrifice	-	-	0.01
TOTAL	No. of Borrowers	1	219	5356
	Amt. Outstanding	37.79	27.45	434.91
	Sacrifice	8.52	1.56	8.07

The amount of 'Sacrifice' for accounts with balance of Less than ₹ 1.00 crore is taken at 5% of the outstanding amount.

- (b) During the year, 219 accounts under SME were subjected to Restructuring and the balance outstanding as on March 31, 2011 was ₹ 27.45 crore (Previous Year 349 accounts – Amount ₹ 170.95 crore).

(iii) Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ in Crore)

Items	31.3.2011	31.3.2010
i) No. of accounts	54215	29
ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/ RC	131.49	Nil
iii) Aggregate consideration	295.40	49.90
iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years.	Nil	Nil
v) Aggregate gain/ loss over net book value	163.90	49.90

(iv) Details of Non Performing Financial Assets purchased/ sold

a. Details of Non Performing Financial Assets purchased

(₹ in Crore)

Particulars	31.3.2011	31.3.2010
1 a No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
b Aggregate outstanding	Nil	Nil
2 a Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
b Aggregate outstanding	Nil	Nil

b. Details of Non Performing Financial Assets sold

(₹ in Crore)

Items	31.3.2011	31.3.2010
1 No. of accounts	54215	29
2 Aggregate outstanding	525.59	35.18
3 Aggregate consideration received	295.40	49.90



(v) Provision held for Standard Assets

(₹ in Crore)

Items	31.3.2011	31.3.2010
Provisions towards Standard Assets	521.00	417.42

f. Business Ratios

Items	2010-11	2009-10
(i) Interest Income as a percentage to Working Funds *	8.49	7.56
(ii) Non-interest income as a percentage to Working Funds*	0.71	1.09
(iii) Operating Profit as a percentage to Working Funds *	1.45	1.29
(iv) Return on Assets **	0.70	0.66
(v) Business (Deposits plus advances) per employee*** (₹ in lacs)	835.17	711.76
(vi) Profit per employee (₹ in lacs)	3.96	3.30

* Working Funds comprise average of Total Assets (excluding Revaluation Reserve) during the 12 months of the Financial Year.

** Working Funds comprise average Total Assets (excluding Revaluation Reserve)

*** Based on fortnightly average of Deposits (other than Inter Bank Deposits) plus Advances.

g. Asset Liability Management

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as of March 31, 2011

(₹ in crore)

Period	Total Domestic Deposit	Total Domestic Borrowings	Total Domestic Advances	Total Investment	Foreign Currency	
					Assets	Liabilities
Day 1	1505.24	6.47	1487.94	10.00	187.30	118.28
2 days to 7 days	3350.96	0.00	848.87	314.92	263.82	9.07
8 days to 14 days	3379.10	0.00	1691.37	25.91	472.71	5.99
15 days to 28 days	4282.85	0.25	2128.40	622.10	76.03	13.36
29 days to 3 months	27529.86	1000.25	10075.31	2935.74	172.90	46.93
Above 3 months to 6 months	10966.19	0.84	13910.70	647.70	755.26	72.36
Above 6 months to 12 months	24543.45	1001.39	11462.45	593.28	507.40	216.22
Above 1 year to 3 years	53493.29	2890.66	54270.91	7275.94	180.16	211.44
Above 3 years to 5 years	27353.38	915.64	13345.07	9723.74	10.79	27.91
Above 5 years	22230.14	0.00	17877.99	32355.16	0.00	0.00
Total	178634.46	5815.5	127099.01	54504.49	2626.37	721.56

Note : - The above data has been compiled on the basis of the Guidelines of RBI and certain assumptions made by the Management and have been relied upon by the Auditors.

h. Lending to Sensitive Sector

(i) Exposure to Real Estate Sector

(₹ in crore)

Category		31.3.2011	31.3.2010
a)	Direct Exposure		
	(i) Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented: (individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances included above)	8128.23 (7361.57)	5995.47 (5526.00)
	(ii) Commercial Real Estate -	8384.81	7376.40
	(iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures - Residential, Commercial Real Estate.	3.43 0.00	5.13 0.00
b)	Indirect Exposure		
	(i) Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	667.32	3298.63
	(ii) Others	167.20	170.73
	TOTAL	17350.99	16846.36

(ii) Exposure to Capital Market

(₹ in crore)

Items		31.3.2011	31.3.2010
i)	Direct Investment in equity shares, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt	773.65	610.39
ii)	Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equities-oriented mutual funds	6.87	8.94
iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equities-oriented mutual funds are taken as primary security.	-	-
iv)	Advances for other purposes to the extent secured by the collateral securities of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e, where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances.	1286.98	682.79
v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers.	119.00	35.72
vi)	Loans sanctioned to corporates against the securities of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contributions to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	0.00	0.00
vii)	Bridge Loans to the companies against the expected equity flows/ issues.	0.00	0.00
viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds	0.00	0.00
ix)	Financing to stock brokers for margin trading	0.00	0.00
x)	All exposures to Venture Capital funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance with the capital market exposure ceiling (both direct and indirect).	121.41	123.57
	Total Exposure to Capital Market	2307.91	1461.41



(iii) Risk Category-wise Country Exposure :

(₹ in crore)

Risk Category	Exposure (net) as at March 31, 2011	Provision held as at March 31, 2011	Exposure (net) as at March 31, 2010	Provision held as at March 31, 2010
Insignificant	1541.24	Nil	685.91	Nil
Low	479.61	Nil	511.50	Nil
Moderate	250.12	Nil	76.61	Nil
High	6.93	Nil	29.93	Nil
Very High	38.36	Nil	13.16	Nil
Restricted	0.31	Nil	0.00	Nil
Off-credit	0.00	Nil	0.00	Nil
Total	2316.57	Nil	1317.11	Nil

As the Bank's Net funded exposure for the year in respect of Foreign Exchange Transaction is less than 1% of total assets of the Bank, no provision is considered necessary.

(iv) Details of Credit Exposure where the Bank has exceeded Prudential Exposure Norms during the year for which necessary Board approval has been obtained.

(₹ in Crore)

Sr. No	Name of Borrower	Credit Exposure As on 31.3.2011		Outstanding as on 31.03.2011		Investment as on 31.03.11	Total Exposure as on 31.03.11	Permissible @ 15% of bank's capital funds
		FB	NFB	FB	NFB			
1.	Videocon Industries Ltd.	1556.77	53.95	1340.04	22.52	9.58	1620.30	1692.95
2.	Dewan Housing Finance Corporation Limited *	1850.00	--	1544.28	--	7.00	1551.28	1692.95
3.	Bharat Heavy Electricals Ltd.	--	2200.00	--	1434.72	24.35	2224.35	1692.95
4.	Air India Limited	1888.30	--	1807.74	--	--	1807.74	1692.95

* The credit limits sanctioned to Dewan Housing Finance Corporation Limited are Term Loans which are fully disbursed and the present o/s is ₹1544.28 crore which is taken as the total exposure.

(v) Statement of Loans and Advances secured by Intangible Assets viz., Rights, Licenses, Authorizations etc.

(₹ in crores)

No. of Accounts	Amount outstanding	Value of Intangible Securities
NIL	NIL	NIL

(vi) Amount of Provisions made for Income-Tax during the year :

(₹ in crore)

Particulars	2010-11	2009-10
Provision for Income Tax	568.35	207.45

11. Disclosure regarding concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs:

11.1 Concentration of Deposits

(₹ in Crore)

(a) Total Deposits of twenty largest depositors	18681.37
(b) Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	10.42%

11.2 Concentration of Advances (₹ in crore)

(a) Total Advances to twenty largest borrowers	30679.41
(b) Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	23.65%

11.3 Concentration of Exposures (₹ in crore)

(a) Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	30825.05
(b) Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	16.73%

11.4 Concentration of NPAs (₹ in crore)

(a) Total Exposure to top four NPA accounts	466.56
---	--------

II: Sector-wise NPAs

Sl. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector
1	Agriculture & allied activities	2.26
2	Industry (Micro & small, Medium and Large)	6.67
3	Services	5.26
4	Personal Loans	3.64

III. Movement of NPAs

Particulars	AMOUNT (in ₹ Crore)
Gross NPAs as on 1st April of particular year (Opening Balance)	2458.00
Additions (Fresh NPAs) during the year	1409.00
Sub-total (A)	3867.00
Less:-	
(i) Upgradations	163.00
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	736.00
(iii) Write-offs	554.00
(iv) Difference in URI	20.00
Sub-total (B)	1473.00
Gross NPAs as on 31st March of following year (closing balance) (A-B)	2394.00

IV. Overseas Assets, NPAs and Revenue

Particulars	Amount (in ₹ Crore)
Total Assets	NIL
Total NPAs	NIL
Total Revenue	NIL

V. Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

12 Other Disclosures

12 a Fees/ remunerations received in respect of the Bancassurance Business during the current year is ₹ 15.73 crores.

(₹ in crore)

	No. of policies	Amount
Life	74422	10.59
Non Life	128527	5.14
Total		15.73

12 b Gold Coins - During the year the Bank has sold 61.612 kgs. and the total sale consideration is ₹ 1337 lacs. The Profit accrued on the sale of Gold Coins is ₹ 46.00 lacs and is accounted for in Misc. Income.

12 c The Provisioning Coverage Ratio (PCR) of the Bank is 67.64%.

13. Disclosure of Penalties imposed by RBI

RBI has not imposed any penalty on the Bank under Section 46(4) of the Banking Regulation Act, 1949.

14. The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India:
a) Accounting Standard - 15 (Revised)

During the year, the Bank reopened the pension option for such of its employees who had not opted for the pension scheme earlier. In accordance with RBI circular No.DBOD No. BP.BC.80/21.04.018/2010-11, dated 09-02-2011, for second option for pension, one-fifth of additional liability of ₹ 239.98 crore towards pension fund for 13494 serving employees and 100% of such liability of ₹ 569.62 crore for 4046 retired/separated employees aggregating to ₹ 809.60 crore has been charged to Profit & Loss Account for the year. The unrecognized pension liability for second option for pension for serving employees is ₹ 959.93 crore.

In accordance with RBI circular No.DBOD No. BP.BC.80/21.04.018/2010-11, dated 09/02/2011, an amount of ₹ 55.40 crore has been charged to Profit & Loss Account for the year, being 1/5th of additional Gratuity liability due to amendment of Payment of Gratuity Act 1972. The unrecognized Gratuity liability is ₹ 221.60 crore.

Had such a circular not been issued by the RBI, the profit of the bank would have been lower by ₹ 1181.53 crore pursuant to application of the requirements of AS-15.

Employee Benefits:

Reconciliation of opening and closing balance of the present value of the defined benefit obligation for pension and gratuity benefits as per actuarial valuations is given below:

(₹ in crore)

Particulars	Year ended March 31, 2011		Year ended March 31, 2010	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Defined benefit obligation liability at March 31, 2011				
Opening obligations	2856.49	751.89	2705.33	785.08
Service cost	70.54	40.78	47.98	30.65
Interest cost	222.98	58.39	211.14	62.54
Actuarial [gain]/loss	335.48	44.95	120.04	(58.31)
Benefits paid	(279.44)	(125.67)	(228.00)	(68.07)
Past Service Cost (Amortised/ Non Vested)	1199.91	277.00	-	-
Past Service Cost (Vested Benefit)	569.62	-	-	-
Liability Transferred in	1021.54	-	-	-
Obligations at March 31,2011	5997.12	1047.34	2856.49	751.89

(₹ in Crore)

Particulars	Year ended March 31, 2011		Year ended March 31, 2010	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Plan assets at March 31, 2011, at fair value				
Opening Plans assets, at fair value	2269.03	808.40	2011.73	819.41
Expected return on plan assets	257.54	65.25	178.22	62.83
Actuarial gain/[loss]	(130.67)	14.91	(22.92)	(5.77)
Contributions	1090.00	70.00	330.00	–
Benefits paid	(279.44)	(125.67)	(228.00)	(68.07)
Transfer from Other Trust	1021.54	–	–	–
Plan assets at March 31, 2011, at fair value	4228.00	832.89	2269.03	808.40

(₹ in Crore)

Particulars	Year ended March 31, 2011		Year ended March 31, 2010	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Cost for the year ended March 31, 2011				
Service cost	70.54	40.78	47.98	30.65
Interest cost	222.98	58.39	211.14	62.54
Expected return on plan assets	(257.54)	(65.25)	(178.22)	(62.83)
Past Service Cost (Amortised/ Non Vested)	239.98	55.40	–	–
Past Service Cost (Vested Benefit)	569.62	–	–	–
Actuarial [gain]/loss	466.15	30.04	142.95	(52.54)
Net cost	1311.73	119.36	223.85	(22.18)

Assumptions

Particulars	Year ended March 31, 2011		Year ended March 31, 2010	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Interest rate	8%	8%	8%	8%
Salary escalation rate	4%	4%	4%	4%
Estimated rate of return on plan assets	8%	8%	8%	8%

b) Accounting Standard 17 – Segment Reporting

- i) As per the revised guidelines of Reserve Bank of India, the Bank has recognised Treasury Operations, Corporate/ Wholesale Banking, Retail Banking and other Banking business as primary reporting segments. There are no secondary reporting segments.

**SEGMENT REPORT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2011**

(₹ in Lacs)

Sl. No.	Particulars	Year ended 31.03.11 (Audited)	Year ended 31.03.10 (Audited)
a.	Segment Revenue		
	1. Treasury Operations	264456	133397
	2. Retail Banking Operations	538922	446674
	3. Wholesale Banking Operations	828553	799281
	4. Other Banking Operations	0	0
	5. Unallocated	16630	603
	Total	1648561	1379955
b.	Segment Results		
	1. Treasury Operations	160895	119413
	2. Retail Banking Operations	32164	30772
	3. Wholesale Banking Operations	49450	55064
	4. Other Banking Operations	0	0
	Total	242509	205249
c.	Unallocated Income/ (Expenses)	16630	603
d.	Operating Profit	259139	205852
e.	Provisions & Contingencies	93222	50897
f.	Income Tax	40676	49133
g.	Net Profit	125241	105822
h.	Other Information		
i.	Segment Assets		
	1. Treasury Operations	2534145	3151684
	2. Retail Banking Operations	5239956	4383832
	3. Wholesale Banking Operations	12973308	10513027
	4. Other Banking Operations	0	0
	5. Unallocated Assets	228323	218619
	Total	20975732	18267162
j.	Segment Liabilities		
	1. Treasury Operations	3305900	1095881
	2. Retail Banking Operations	4766574	4812668
	3. Wholesale Banking Operations	11801287	11541432
	4. Other Banking Operations	0	0
	5. Unallocated Liabilities	1101971	817181
	Total	20975732	18267162

- ii) Treasury Operations include dealing in Government and Other Securities, Money Market operations and Forex operations.
- iii) The Retail Banking Segment consists of all exposures upto a limit of ₹ 5 crore (including Fund Based and Non Fund Based exposures) subject to orientation, product, granularity criteria and individual exposures.

- iv) The Corporate/ Wholesale Segment consist of all advances to Trusts/ Partnership Firms Companies and statutory bodies, which are not included under Retail Banking.
- iv) The other Banking Segment includes all other Banking operations not covered under the above three categories.
- v) General Banking operations are the main resource mobilizing unit and Treasury Segment compensates the former for funds lent to it by taking into consideration the average funds used.
- vii) Allocation of Costs:
 - a Expenses directly attributable to a particular segment are allocated to the relative segment.
 - b Expenses not directly attributable to a specific segment are allocated in proportion to the funds employed.

c) Related Party disclosures as per Accounting Standard 18 – Related Party

1 List of Related Parties:

(a) Key Managerial Personnel -

	Name	Designation
i)	Mr. S. Sridhar	Chairman & Managing Director
ii)	Mrs. V. R. Iyer	Executive Director
iii)	Mr. R. K. Dubey	Executive Director
iv)	Mr. Ramnath Pradeep	Executive Director (upto August 2010)
v)	Mr. Arun Kaul	Executive Director (upto August 2010)

(b) Subsidiaries –

- i) Cent Bank Home Finance Ltd.
- ii) Centbank Financial Services Ltd.

(c) Associates –

(I) Regional Rural Banks -

- i) Satpura Narmada Kshetriya Gramin Bank, Chhindwara
- ii) Surguja Kshetriya Gramin Bank, Ambikapur
- iii) Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur
- iv) Vidharbha Kshetriya Gramin Bank, Akola
- v) Ballia Etawah Gramin Bank, Ballia
- vi) Hadoti Kshetriya Gramin Bank, Kota
- vii) Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar

(II) Indo – Zambia Bank Ltd.

2. Transactions with Related Parties:

(₹ in lacs)

(a)	Items	Key Management Personnel	
		2010 -11	2009-2010
	Remuneration paid	58.14	36.48

(b) Statement of Related parties transaction

[₹ in Crore]

Sl. No.	Related parties	As on	Investment		Purchase of Loan assets		Sale of loan assets		Line of Credit to RRBs		Participation under IBPC			
			Cumulative	Max. during the year	Amt Outstanding	Int. recd	Amt sold	Int. Paid	Amt	Int. Paid	Sale of Direct Agri. Assets to Sponsor Bank		Purchase of Non Priority Sector from Sponsor Bank	
											Amt. O/s	Int. paid to Sponsor Bank	Amt. O/s	Int. recd from Sponsor Bank
1	Satpura Narmada KGB Chindawara, Madhya Pradesh	31.03.11	27.64	27.64	0.00	6.63	0.00	0.00	200.23	5.67	150.00	0.00	150.00	0.00
		31.03.10	27.64	27.64	200.00	7.79	0.00	0.00	200.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Surguja KGB Ambikapur [Chattisgarh]	31.03.11	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
		31.03.10	2.57	2.57	45.00	0.12	45.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Uttar Bihar Gramin Bank Muzaffarpur [Bihar]	31.03.11	159.09	159.09	0.00	13.44	0.00	0.00	326.11	2.74	850.00	0.00	850.00	0.00
		31.03.10	159.09	159.09	500.00	36.10	0.00	0.00	200.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Vidharbha KGB Akola Maharashtra]	31.03.11	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.10	100.00	0.00	100.00	0.00
		31.03.10	6.22	6.22	47.35	3.25	0.00	0.00	50.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Ballia Etawah Gramin Bank Ballia [Uttar Pradesh]	31.03.11	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
		31.03.10	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Hadoti KGB Kota [Rajasthan]	31.03.11	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
		31.03.10	2.45	2.45	132.71	4.62	70.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Uttarbhanga KGB Siliguri [West Bengal]	31.03.11	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
		31.03.10	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		31.03.11	230.27	230.27	0.00	20.07	0.00	0.00	576.34	8.51	1440.00	0.00	1440.00	0.00
		31.03.10	230.27	230.27	925.06	51.88	115.00	0.23	450.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00

(c) Accounting Standard 20 – Earnings per Share

Earnings per share as per AS 20 has been arrived at as follows:

	31.3.2011	31.3.2010
Net Profit after Tax available for Equity Share Holder (₹ in Crore)	1118.90	996.11
Weighted Average number of Equity Share (No.)	404141460	404141460
Basic Earnings per Share (₹)	27.69	24.65
Diluted Earnings per Share (₹)	27.69	24.65
Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00

(d) Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

The Bank has recognized Deferred Tax Assets/ Liabilities.

Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ in Crore)

	31.3.2011	31.3.2010
Deferred Tax Asset:		
Provision for Leave Encashment	71.76	61.24
Provision for Pension and Gratuity	301.53	259.12
Provision for Wage Revision	--	108.77
Total (A):	373.29	429.13
Deferred Tax Liabilities:		
Depreciation on Fixed Assets	19.80	15.05
Interest accrued but not due on Investments	353.41	334.98
Depreciation on Investments	146.38	386.99
Total (B):	519.59	737.02
Net Deferred Tax Liability	146.30	307.89

(e) Accounting Standard – 28 – Impairment of Assets

A substantial portion of Bank's assets comprise financial assets to which Accounting Standard-28 on impairment of assets is not applicable. In the opinion of the management, there is no material impairment on Other Assets other than financial assets as at March 31, 2011, requiring recognition in terms of the Standard.

(f) Accounting Standard – 29 on Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets**i) Movement of Provision:**

(₹ in Crore)

Particulars	Opening Balance as on 01.04.2010	Provision made during the year	Provisions reversed/ adjusted	Closing Balance as on 31.3.2011
Standard Assets	417.41	106.42	2.83	521.00
Taxes	1426.07	637.64	132.23	1931.48

ii) Additional Disclosures

Provisions and Contingencies

(₹ in Crore)

Particulars	31.3.2011	31.3.2010
Provisions/ Depreciation on Investment	154	65
Provision towards NPA	632	288
Provision towards Standard Asset	106	30
Provision made for Taxes	407	491
Other Provision and Contingencies	40	126
TOTAL	1339	1000

iii) Floating Provisions

(₹ in Crore)

Particulars	31.3.2011	31.3.2010
a) Opening balance in the Floating Provisions account	312.43	312.43
b) The quantum of Floating Provisions made in the Accounting Year	--	--
c) Amount of draw down made during the Accounting Year.	--	--
d) Closing balance in the Floating Provisions account	312.43	312.43

iv) Movement of Provision for Liabilities:

(₹ in Crore)

Particulars	Other Legal Cases	
	31.3.2011	31.3.2010
Opening Balance	3.83	3.83
Additions during the year	-	-
Amount used during the period	-	-
Closing Balance	3.83	3.83
Timing of any resulting outflow	N.A.	N.A.

15 Details of Complaints

Customer Complaints	No. of complaints	
	31.03.2011	31.03.2010
a) Pending at the beginning of the year	596	151
b) Received during the year	12745	3613
c) Redressed during the year	12827	3168
d) Pending at the end of the year	514	596



	Awards Passed by Banking Ombudsman	Numbers	
		31.03.2011	31.03.2010
a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	2	NIL
b)	No. of Awards passed by Banking Ombudsman during the year	6	8
c)	No. of Awards implemented during the year	6	6
d)	No. of unimplemented awards at the end of the year	2	2

As compiled by the Management and relied upon by the auditors.

	Investors' complaints	No. of complaints	
		31.03.2011	31.03.2010
a)	Pending at the beginning of the year	0	0
b)	Received during the year	425	508
c)	Redressed during the year	425	508
d)	Pending at the end of the year	0	00

16 Details of Letters of Comfort issued and outstanding as on 31.3.2011

Total Number	Amount outstanding (₹ in Crores)
244	804.78

The above mentioned Letters of Comfort are issued within the sanctioned Trade Credit Limits.

- 17 As per the information compiled by the Management, the Vendors, whose services are utilized and from whom purchases were made by the Bank, are not registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. This is relied upon by the Auditors.
18. Previous year figures have been re-grouped / re-classified wherever considered necessary to conform to current year's classification.

S. Sridhar
Chairman & Managing Director

V. R. Iyer
Executive Director

R. K. Dubey
Executive Director

P. V. Raveendran
General Manager

Dr. Shashank Saxena
Director

Salim Gangadharan
Director

Brijlal Kshatriya
Director

Prof. N. Balakrishnan
Director

Romesh Sabharwal
Director

Major (Retd) Ved Prakash
Director

B. S. Rambabu
Director

For M/s. Sagar & Associates
Chartered Accountants
F.R.No.-003510S

(CA V. Vidyasagar Babu)
Partner
M. No.27357

For M/s. K.S. Aiyar & Co.
Chartered Accountants
F.R.No.-100186W

(CA Raghuvir M. Aiyar)
Partner
M. No.38128

For M/s. G.S.A. & Associates
Chartered Accountants
F.R.No.-000257N

(CA Sunil Aggarwal)
Partner
M. No.83899

For M/s. Ghiya & Co.
Chartered Accountants
F.R.No.-1088C

(CA Sanjay Ghiya)
Partner
M. No.072467

For M/s. D. Rangaswamy & Co.
Chartered Accountants
F.R.NO.-003073S

(CA Janani Radhakrishnan)
Partner
M. No.27037

For M/s. Samsand & Associates
Chartered Accountants
F.R.No.-003708N

(CA Milan Shrimali)
Partner
M. No.088578

As per our report of even date

Place : Mumbai

Date : May 30, 2011

Cash Flow Statement for the Year Ended March 31, 2011

(₹ In Crore)

Sn	Particulars	31- 03- 2011	31-03-2010
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
	Net Profit before taxes	1,627.18	1,331.70
I	Adjustments for:		
	Depreciation on fixed assets	118.69	68.09
	Depreciation on investments (including on matured debentures)	150.98	64.79
	Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	631.79	258.40
	Provision for Standard Assets	106.14	29.91
	Provision for Other items (Net)	43.31	125.87
	Profit / Loss on sale of fixed assets (Net)	(0.11)	0.32
	Payment/ provision for interest on subordinated debt (treated separately)	470.99	362.32
	Dividend received from subsidiaries / others (treated separately)	(1.55)	(1.46)
	Sub total	3,147.41	2,239.94
II	Adjustments for :		
	Increase / (Decrease) in Deposits	17,248.54	30,835.61
	Increase / (Decrease) in Borrowings	4,531.35	6,522.39
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	181.83	(5,092.36)
	(Increase) / Decrease in Advances	(24,341.56)	(19,900.29)
	(Increase) / Decrease in Investments	(3,941.62)	(7,566.93)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	(2,558.06)	(1,073.47)
	Direct Taxes paid (Net of Refund etc)	(633.14)	490.58
	Net Cash from operating activities (A)	(9,512.66)	4,215.53
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	(6,365.25)	6,455.47
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	Sale / Disposal of Fixed Assets	1.27	8.20
	Purchase of Fixed Assets	(235.54)	(141.90)
	Income earned by way of Dividend etc. from Subsidiaries and Associates	1.55	1.46
	Change in Trade related investments (Subsidiaries & Others)	-	-
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	(232.71)	(132.24)
C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	Share Capital	250.00	450.00
	Share Application Money	2,025.68	-
	Proceeds / Redemption of Subordinated Debts Tier II Capital	1,030.00	721.00
	Dividend Paid (Including Interim Dividend of Prev year)	(142.00)	(142.00)
	Dividend Tax Paid	(23.96)	(24.13)
	Interest on JNY Swap coupon	(4.98)	-
	Interest on Subordinated Debt	(470.99)	(362.32)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	2,663.75	642.55
D	Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)	(3,934.21)	6,965.78



(₹ In Crore)

Sn	Particulars	31-03-2011	31-03-2010
E	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	17,011.93	11,036.90
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	2,205.09	1,214.34
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	19,217.01	12,251.24
F	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	14,081.99	17,011.93
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	1,200.81	2,205.09
	Net cash and cash equivalents at the end of the year	15,282.80	19,217.02

S. Sridhar
Chairman & Managing Director

V. R. Iyer
Executive Director

R. K. Dubey
Executive Director

P. V. Raveendran
General Manager

Dr. Shashank Saxena
Director

Salim Gangadharan
Director

Brijlal Kshatriya
Director

Prof. N. Balakrishnan
Director

Romesh Sabharwal
Director

Major (Retd) Ved Prakash
Director

B. S. Rambabu
Director

For M/s. Sagar & Associates
Chartered Accountants
F.R.No.-003510S

For M/s. G.S.A. & Associates
Chartered Accountants
F.R.No.-000257N

For M/s. D. Rangaswamy & Co.
Chartered Accountants
F.R.NO.-003073S

(CA V. Vidyasagar Babu)
Partner
M. No.27357

(CA Sunil Aggarwal)
Partner
M. No.83899

(CA Janani Radhakrishnan)
Partner
M. No.27037

For M/s. K.S. Aiyar & Co.
Chartered Accountants
F.R.No.-100186W

For M/s. Ghiya & Co.
Chartered Accountants
F.R.No.-1088C

For M/s. Samsand & Associates
Chartered Accountants
F.R.No.-003708N

(CA Raghuvir M. Aiyar)
Partner
M. No.38128

(CA Sanjay Ghiya)
Partner
M. No.072467

(CA Milan Shrimali)
Partner
M. No.088578

As per our report of even date

Place : Mumbai
Date : May 30, 2011

Table DF-1

1. Scope of application

Qualitative Disclosures:

- (a) Parent Bank: Central Bank of India

The disclosure in this sheet pertains to Central Bank of India on solo basis.

- (b) In the consolidated accounts, bank's subsidiaries/associates are treated as under:

(b. i) Bank's Subsidiary: The details of Bank's subsidiary are as under:

S. No.	Name of Subsidiary	Ownership
1	Cent Bank Home Finance Ltd.	59.50%
2	Cent Bank Financial Services Ltd	100.00%

The subsidiaries of parent bank are consolidated on line by line aggregation of like items of assets, liabilities, income and expenses of subsidiaries with the respective item of the parent and after eliminating material intra-group balances/transactions, unrealized profit/loss and making necessary adjustments wherever possible to confirm to accounting policies, based on data received from these subsidiaries duly audited by their respective auditors. The financial statements of the subsidiaries have been drawn up to the same reporting date as that of parent i.e. 31st March 2011.

(b. ii) Associates: The Banks associates are as under:

I. Regional Rural Banks: The seven Regional Rural Banks are As under:

S. No.	Name of Regional Rural Banks	Ownership
1	Satpura Narmada Kshetriya Gramin Bank, Chhindwara	35%
2	Surguja Kshetriya Gramin Bank, Ambikapur	35%
3	Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur	35%
4	Vidharbha Kshetriya Gramin Bank, Akola	35%
5	Ballia Etawah Gramin Bank, Ballia	35%
6	Hadoti Kshetriya Gramin Bank, Kota	35%
7	Uttarbanga Kshetriya Gram Bank, Cooch Bihar	35%

II. Joint Venture:

S. No.	Name of Joint Venture	Ownership
1	Indo-Zambia Bank Ltd., Zambia.	20%

Investment in Associate, where the group holds 20% or more of the voting power have been accounted for in the consolidated Financial Statement under the Equity Method as per the Accounting Standard 23 (AS23)

For computation of CRAR of the Bank, investment in Subsidiaries and Regional Rural Banks are deducted from Tier I and Tier II capital equally. This disclosure is for the bank as stand alone basis.

Quantitative Disclosures:

- (c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries: NIL
- (d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities is NIL.

Table DF-2
2. Capital structure

Qualitative Disclosures

a) Equity capital

The bank has authorized capital of ₹ 3000.00Crore as on 31st March2011, the bank has issued, subscribed and paid up equity capital of ₹ 404.14crore, constituting 404141460 Number of shares Of ₹ 10 each. Out of this, 80.20% shareholding constituting 324141500 number of shares is with the Government of India as of 31st March 2011.

2.1 Debt capital instruments

2.2.1 Details of TIER I Capital

TIER I CAPITAL	ISSUE DATE	PERIODS IN MONTHS	DATE OF REDEMPTION	AMOUNT (₹ In Crores)	INTEREST RATE
IPDI	30.03.2009	Perpetual	Perpetual	583.00	0-Sec + 250bps to be repriced every year, in march for F.Y. 2010-11 the interest rate is 10.44%
PNCPS	26.11.2006	Perpetual	Perpetual	800.00	Repo+100 bps to be repriced every year on relevant dates.
PNCPS	30.03.2009	Perpetual	Perpetual	117.00	Repo+100 bps to be repriced every year on relevant dates.
PNCPS	31.03.2010	Perpetual	Perpetual	450.00	Repo+100 bps to be repriced every year on relevant dates.
PNCPS	04.06.2010	Perpetual	Perpetual	250.00	Repo+100 bps to be repriced every year relevant dates.
			TOTAL	2200.00	

2.2.2 Details of Upper TIER II Bonds

SERIES	ISSUE DATE	DATE OF REDEMPTION	AMOUNT (₹ In Crores)	INTEREST RATE
Upper Tier II (Sr-I)	14.11.2008	14.11.2023	300.00	11.45% p.a. Steps up of 50bps from 11th year (11.95% till maturity)
Upper Tier II (Sr-II)	17.02.2009	17.02.2024	285.00	9.40% Steps up of 50bps from 11th year (9.90% till maturity)
Upper Tier II (Sr-III)	23.06.2009	23.06.2024	500.00	8.80% p.a. Steps up of 50bps from 11th year (9.30% till maturity)
Upper Tier II (Sr-IV)	20.01.2010	20.01.2025	500.00	8.63% p.a. Steps up of 50bps from 11th year (9.13% till maturity)
Upper Tier II (Sr-V)	11.06.2010	11.06.2025	1000.00	8.57% p.a. Steps up of 50bps from 11th year (9.07% till maturity)
Upper Tier II (Sr-VI)	21.01.2011	21.01.2026	300.00	9.20% p.a. Till redemption
		TOTAL	2885.00	

2.2.3 Details of Subordinated Bonds

SERIES	ISSUE DATE	DATE OF REDEMPTION	AMOUNT (₹ In Crores)	INTEREST RATE
IX	08.10.2004	08.06.2014	200.00	7.05% p.a.
X	28.03.2006	28.06.2015	578.00	8.15%p.a.
XI	04.10.2006	04.10.2016	700.00	8.95%p.a.
XII	03.03.2008	03.05.2017	389.00	9.20%p.a.
Lower Tier II (Sr- XIII)	10.02.2009	10.04.2018	270.00	9.35%p.a.
		TOTAL	2137.30	

Quantitative Disclosures

	(₹ In Crores)
b) Tier I capital	7357.57
with separate disclosure of:	
• paid-up share capital	404.14
• reserves	4886.77
• innovative instruments : IPDI – PNCPS –	583.00 1617.00
• amounts deducted from Tier 1 capital investments – intangibles -	123.59 9.75
(c) Tier II capital (net of deductions from Tier II capital):	6219.90
(d) Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier II capital	
• Total amount outstanding-	2885.00
• Of which amount raised during the current year –	1300.00
• Amount eligible to be reckoned as capital funds –	2885.00
(e) Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier II capital	
• Total amount outstanding –	2137.30
• Of which amount raised during the current year	NIL
• Amount eligible to be reckoned as capital funds –	1941.66
(f) Other deductions from capital –	123.58
(g) Total eligible capital.	13577.47

Table DF-3
Capital Adequacy

Qualitative disclosures	
<p>(a) A summary discussion of the bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities: The bank carries out regular assessment of its capital requirement from time to time to maintain the capital to Risk Weight Assets Ratio(CRAR) at desired level. The capital plan is reviewed on annual basis to take care of business growth and CRAR.</p> <p>The bank has adopted standardized approach for credit risk, basic indicator approach for operational risk and standardized duration approach for market risk.</p> <p>The bank has put in place a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process to enable the bank to plan its capital requirements in relation to its business projections and to meet the risks inherent in the business. The main objective of ICAAP exercise is to identify and measure the risks that are not fully captured by the minimum capital ratio prescribed under Pillar1; the risks that are not at all taken into account by the pillar 1; and the factors external to the bank and to provide capital for such additional risks and to measure an appropriate level of internal capital in relation to the bank's risk profile. The bank has also put in place the stress testing policy to measure impact of adverse stress scenario under pillar II on its CRAR.</p> <p>The bank is reviewing the ICAAP on quarterly basis.</p>	
₹ in crores	
Quantitative disclosures	
<p>(b) Capital requirements for credit risk at 9%: Portfolios subject to standardised approach –</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Fund based ■ Non-fund based ■ Securitisation exposures 	<p>9003.23</p> <p>376.05</p> <p>Nil</p>
<p>(c) Capital requirements for market risk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Standardised duration approach: <ul style="list-style-type: none"> - Interest rate risk – - Foreign exchange risk (including gold) – - Equity risk – 	<p>424.79</p> <p>15.14</p> <p>179.40</p>
<p>(d) Capital requirements for operational risk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Basic indicator approach – 	<p>497.07</p>
<p>(e) Total capital ratio –</p> <p>Tier 1 capital ratio</p>	<p>11.64%</p> <p>6.31%</p>

General qualitative disclosure requirement

The bank has an integrated Risk Management system. A committee of board of Directors regularly oversee the Bank's Risk Management policies/practices under various risks viz. credit, operational, market etc. The bank also has separate committees for each risk comprising of top executives of bank headed by Chairman and Managing Director/ Executive directors such as Asset liability Management committee, Credit policy Committee, Operational Risk committee. These committees meet at regular intervals throughout the year to assess and monitor the level of risk under various bank operations and initiate appropriate mitigation measures wherever necessary.

The Risk Management Department at Central Office level headed by General Manager measures control and manages risk within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by various committees. The General Manager is assisted by a team of Assistant General Manager, Chief Managers and Senior Managers. The loan review is also managed and controlled by Risk Management Department.

At Zonal offices, the identified Risk Managers are acting as an extended Arms of the Risk Management Department of the Central Office.

The bank has in place the various policies such as Credit Risk Management Policy, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, Stress testing policy, Disclosure policy, Operational risk policy, ALM policy and Market risk Policy.

Besides this, the Loan Policy prescribing broad parameters governing loan functions, guidelines on appraisal and evaluation of credit proposals, lending powers of delegated authority, exposure norms, prudential limits and measures of monitoring and controlling the credit portfolio documentation is also in place.

The Credit Monitoring Department headed by Deputy General Manager monitors the quality of loan proposals, identify special mention accounts and take corrective measures, Monitor exposure norms and prudential norms for various sectors, monitor review and renew of credit limits etc.

The bank has introduced rating models for various segments of borrowers including retail lending schemes which measures the risk associated with counterparties and helps in credit and pricing decisions. In case of large borrowers credit risk assessment models evaluate financial risk, Industry risk, Management risk and business risk of the counter party and each of these risks are scored separately and then overall rating is accorded to counter party.

Table DF-4

Credit risk: General disclosures for all banks

Qualitative Disclosures

Credit risk

Definitions of past due and impaired

A Non Performing Asset shall be a loan or an advance where-

- (i) Interest and/or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90days in respect of a Term Loan;
- (ii) The account remains out of order for 90 days
- (iii) The bill remains overdue for a period of more than 90days in the case of bills Purchased and Discounted
- (iv) In case of advances granted for Agricultural purposes
 - a) The instalment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops
 - b) The instalment of principal or interest thereon remains overdue for one crop seasons for long duration crops
- (v) The account remained overdue for more than 180 days
- (vi) Submission for stock statement is overdue for more than 90 days

Out of Order:

An account should be treated as "out of Order" if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance sheet or credit are not enough to cover the interest debited in the account during the same period.

Overdue:

Any amount due to the bank under any credit facility is overdue if it is not paid on due date fixed by the bank.

Credit Risk Management Policy

Bank has put in place a well-articulated Board approved Credit Risk Policy which is reviewed annually. The policy deals with the following areas:

- Credit risk- definition, Policy and strategy
- Risk identification & measurement,
- Risk grading and aggregation,
- Credit risk rating framework and reporting,
- Risk control and portfolio management,
- Mitigation techniques,
- Management of problem accounts,
- Target markets and type of economic activity,
- Credit approval authority,
- Country and currency exposure,
- Maturity patterns, level of diversification,
- Cyclical aspect of the economy,
- Credit risk in off balance sheet exposure,
- Credit risk monitoring procedures
- Managing of credit risk in inter Bank Exposure,
- Country risk and other operational matters.

(₹ in crores)		
Quantitative Disclosures:		
(a) Total gross credit risk exposures:		
Fund based:		195400.95
Non-fund based:		59046.66
(b) Geographic distribution of exposures:		
■ Overseas		418.08
■ Domestic		254029.53
	Fund	Non Fund
(c) Industry type distribution of exposures		
Coal	12.57	0.00
Mining	92.84	0.00
Iron and Steel	3916.09	534.86
Other metal and metal products	594.00	27.21
All Engineering	1956.73	1495.90
Electricity	176.36	9.77
Cotton Textiles	1607.98	228.94
Jute Textiles	53.50	21.82
Other Textiles	1756.30	48.59
Sugar	1858.32	3.06
Tea	26.68	1.39
Food Processing	775.87	158.11
Vegetable Oil and Vanaspati	421.18	305.26
Tobacco and tobacco products	13.48	0.00
Paper and paper products	242.59	30.23
Rubber and rubber products	227.24	9.03
Chemical, Dyes and paints	1404.03	68.45
Cement	1054.99	203.75
Leather and leather products	88.27	3.95
Gems and Jewellery	851.84	468.04
Construction	2749.73	197.31
Petroleum	1838.52	346.99
Automobiles including trucks	815.74	201.47
Computer software	367.20	0.74
Infrastructure	27600.89	849.29
Other Industries	14039.12	1114.20
Residual Advance to balance	66865.39	5898.03
(d) Residual contractual maturity breakdown of Assets:		
Day 1 :		1685.24
2 days to 7 days:		1427.61
8 days to 14 days		2189.99
15 days to 28 days		2826.53
29 days to 3 months		13183.95
Above 3 months to 6 months		15313.66
Above 6 months to 12 months		12567.13
Above 12 months to 36 months		61727.01
Above 36 months to 60 months		23079.6
Over 60 month		50233.15



(e) Amount of NPAs (Gross) –	2394.53
■ Substandard	797.60
■ Doubtful	1448.69
■ Loss	148.24
(f) Net NPAs	847.29
(g) NPA Ratios	
■ Gross NPAs to gross advances	1.82%
■ Net NPAs to net advances	0.65%
(h) Movement of NPAs (Gross)	
■ Opening balance	2458
■ Additions	1409
■ Reductions	1473
■ NPA (Gross)	2394
(i) Movement of provisions for NPAs (Net)	
■ Opening balance	1211
■ Provisions made during the period*	1142
■ Write-off Write-back of excess provisions	1268
■ Closing balance	1085
*The above provision is excluding Floating provision of ₹ 312.43 Cr.	
(j) Amount of Non-Performing Investments	29.31
(k) Amount of provisions held for non-performing investments	23.27
(l) Movement of provisions/depreciation on investments:	
■ Opening balance	1447.43
■ Provisions made during the period	313.42
■ Write-off /Proj. made during the year	1416.48
■ Closing balance	344.37

Table DF-5

Credit risk: disclosures for portfolios subject to the standardized approach

Qualitative Disclosures	
<p>a. The Bank has adopted Standardized approach for computation of capital charge for Credit risk as per RBI guidelines. These guidelines envisage different risk weights for different asset classes, which have been duly applied.</p> <p>b. The Bank has entered into Memorandum of Understanding with four External Credit Rating Agencies identified by the RBI viz., CRISIL Ltd., CARE, ICRA Ltd., and Fitch Ratings (I) Ltd., to rate the exposures of its clients under Basel II norms.</p> <p>c. These agencies will rate all fund and non fund based exposures. The ratings awarded by these agencies to the bank's clients are adopted for assigning risk-weights.</p> <p>d. In case of bank's investment in particular issues of Corporate, the issue specific rating of the rating agency is reckoned to assign the risk weight to comparable exposures as per the mapping scale provided by RBI.</p>	
₹ in crores	
Quantitative Disclosures:	
(b) For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach, amount of a bank's outstanding (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted:	
■ Below 100 % risk weight:	162786.93
■ 100 % risk weight:	60978.90
■ More than 100 % risk weight:	14327.39
■ Amount Deducted-CRM	7249.20

Table DF-6

Credit risk mitigation: disclosures for standardized approaches 1

Qualitative Disclosures	
<p>■ Policies and processes for collateral valuation and management; Bank has well defined credit risk mitigation and collateral management policy. The main types of collaterals accepted by bank are cash and near cash securities, land and building, and plant and machinery etc.</p> <p>■ A description of the main types of collateral taken by the bank; Bank accepts personal guarantees, corporate guarantees and guarantees issued by sovereigns and banks. Collaterals are valued at fair market value and at regular intervals as per the policy guidelines. RBI guidelines on New Capital Adequacy Framework recognize various types of financial collaterals for the purpose of credit risk mitigation. The guidelines further provide recognition of guarantees as one of the credit risk mitigants. Bank has put in place suitable policy measures to capture these elements.</p>	
Rs in crores	
Quantitative Disclosures	
(b) For disclosed credit risk portfolio under the standardized approach, the total exposure that is covered by:	
■ eligible financial collateral; after the application of haircuts-	
Fund based	5523.51
Non fund based	1725.69

Table DF-7
Securitisation: disclosure for standardized approach

Qualitative Disclosures:	
NIL	
Rs in crores	
Quantitative Disclosures	
Banking Book	
(d) The total amount of exposures securitised by the bank	NIL
(e) For exposures securitised losses recognized by the bank during the current period broken by the exposure type (eg. Credit cards, housing loans, auto loans etc. detailed by underlying security)	NIL
(f) Amount of assets intended to be securitized within a year	NIL
(g) Of (f), the amount of assets originated within a year before securitization	NIL
(h) The total amount of exposures securitised (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type	NIL
(i) Aggregate amount of :	
- On balance sheet securitization exposures retained or purchased broken type and-	NIL
- Off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type	NIL
(j) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach.	
Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from Total Capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type)	NIL
Quantitative Disclosures	
Trading Book:	
(k) Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach by exposure type	NIL
(l) Aggregate amount of :	
- On balance sheet securitization exposures retained or purchased broken type and-	
- Off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type	NIL
(m) Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for :	
- securitization exposures retained or purchased subject to comprehensive risk measure risk measure for specific risk: and	
- securitization exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands	NIL
(n) Aggregate amount of :	
- The capital requirements for the securitization exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands	
- Securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/O deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type)	NIL

Table DF-8
Market risk in trading book

Qualitative disclosures	
Bank has well defined Market Risk Management Policy, Investment policy, Asset liability management Policy and equity Investment policy which cover important areas of market Risk management.	
Bank defines Market Risk as the risk of loss in on-balance sheet and off balance sheet positions arising from movements in market process, in particular, changes in interest rates, foreign exchange rates and equity and commodity prices. Under Market Risk management liquidity risk, interest rate risk, equity price risk are monitored.	
Market rate will also apply to various derivatives products including option, swap, and interest rate swap.	
Policies for management of Market Risk:	
The bank has put in place board approved Investment and Market Risk Management policy for effective management of Market Risk in the Bank. Other policies which also deal with Market Risk Management are asset Liability Management Policy and Policy on foreign exchange operations.	
The policies set various prudential exposure limits, risk limits for effective management of market Risk and ensuring that the operations are in line with bank's expectations of return to market risk through proper market Risk Management and Asset Liability Management.	
Asset-Liability Management	
The ALM Policy is the framework of the ALM process. Bank's balance sheet has mixed exposure to different levels financial risk. The goal of bank is to maximize its profitability, but do so in a manner that does not expose the bank to excessive levels of risk which will ultimately affect the profitability. The Policy defines the limits for key measure of risk limits that have been established to specifically accommodate a bank's unique balance complexion, strategic direction, and appetite for risk.	
Liquidity Risk	
Liquidity Risk is managed through GAP analysis, based on residual maturity/behavior pattern of assets and liabilities. Banks has also put in place mechanism of short term dynamic liquidity management and contingency funding plan. Prudential limits are prescribed for different residual maturity time buckets for efficient Asset Liability Management Liquidity profile of the bank is also evaluated through various liquidity ratios.	
Interest rate risk	
Interest rate risk is managed through Gap analysis of rate sensitive assets and liabilities and is monitored through prudential limits. Bank also estimates risk periodically against adverse movements in interest rate for assessing the impact on Net Interest Income and economic Value of Equity.	
Quantitative disclosures	
The bank has adopted the Standardized Duration Approach as prescribed by RBI for computation of capital charge for	
Rs in crores	
The Capital Requirements for Market Risk	
Interest Rate Risk	424.78
Equity Position Risk	179.40
Foreign Exchange Risk	15.15
Total	619.33



Table DF-9

Operational risk

Qualitative disclosures

Operational Risk is the risk of losses resulting from inadequate or failed internal process, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risks. The Bank has put in place the Board approved Operational Risk Management Policy, which was reviewed in March 2011. The bank has initiated pro-active steps to equip itself to migrate to advanced approaches under Operational risks and started collecting data pertaining to loss events. Bank also joined the data pool consortium of IBA to establish loss data consortium 'CORDEX'.

The bank has provided capital for operational risk as per Basic Indicator approach. Accordingly the capital requirement for operational risk as on 31.03.11 is ₹ 497.07Crores

Table DF-10

Interest rate risk in the banking book (IRRBB)

Parameter of Change	
1. Impact on Earnings at 200 bps increase in interest rate across assets and liability	₹ 265.43 crore
2. Market value of Equity: 200 bps change	-9.79% (-₹1329.29crores)

(G.B. Songaonkar)

General Manager – RMD

(S. Sridhar)

Chairman & Managing Director

(V. R. Iyer)

Executive Director

(R. K. Dubey)

Executive Director

Place : Mumbai

Date : May 30, 2011

AUDITOR'S REPORT ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

TO
THE BOARD OF DIRECTORS OF CENTRAL BANK OF INDIA

1. We have audited the attached Consolidated Balance Sheet of Central Bank of India ("The Bank"), its subsidiaries and Associates as at March 31, 2011 (collectively referred to as "The Group"), the Consolidated Profit & Loss Account and the Consolidated Cash Flow annexed thereto for the year ended on that date. These consolidated financial statements are the responsibility of the Bank's management and have been prepared by them on the basis of separate financial statements and other financial information regarding components. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material mis-statements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. We did not audit the financial statements of Bank's Subsidiaries viz. (i) Cent Bank Home Finance Ltd And Centbank Financial Services Ltd., whose financial statements reflect total assets of ₹ 331.84 crore as at March 31, 2011 and Total Revenue of ₹ 69.70 crore and net Cash outflow of ₹ 0.74 crore for the year then ended. These financial statements have been audited by their respective auditors whose reports have been furnished to us and our opinion is based solely on the reports of said auditors.
4. We did not audit the financial statements of Regional Rural Banks and one other associate of the Bank, where the bank's share of profits (net) are ₹ 50.42 crore for the year ended March 31, 2011. Our opinion is based on the audited financial statements and financial information of seven Regional Rural Banks and one other associate audited by respective auditors.
5. We report that the Consolidated financial Statements have been prepared by the bank's management in accordance with the requirement of Accounting Standard 21- "Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23- "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the guidelines of the Reserve Bank of India and on the basis of the separate Audited Financial Statements of the Bank and its Subsidiaries and Associates included in the Consolidated Financial Statements.
6. Dividend has been declared by the Parent Bank without writing off un-amortised amount of pension (₹ 959.93 Crore) and gratuity liability (₹ 221.60 Crore), subject to permission of Central Government.
7. Without qualifying our opinion, we draw attention to Note No. 4.1 of the schedule 18 to the financial statements, regarding deferment of pension liability and gratuity liability of the Parent Bank to the extent of ₹ 1181.53 crore, pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standard (AS) 15, Employees Benefits vide circular No. DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11, dated 09-02-2011 on "Re-opening of Pension Option to the employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits- Prudential Regulatory Treatment."
8. Subject to our comments above and based on our audit of the Bank, considering the reports of the respective auditors on separate financial statements of 2 Subsidiaries, 7 Regional Rural Banks and one associate and other financial information of the subsidiaries and associates and to the best of our information and according to the explanations given to us, we are of the opinion that:
 - i. The Consolidated Balance Sheet gives a true and fair view of the state of affairs of the Group as at March 31, 2011;
 - ii. The Consolidated Profit & Loss Account gives a true and fair view of the results of operations of the Group for the year ended on that date; and
 - iii. The Consolidated Cash Flow Statement shows a true and fair view of the Cash Flows of the Group for the year covered by the Statement.

For M/s. Sagar & Associates
Chartered Accountants
F.R.No.-003510S
(CA V. Vidyasagar Babu)
Partner
M. No.27357

For M/s. K.S. Aiyar & Co.
Chartered Accountants
F.R.No.-100186W
(CA Raghuvir M. Aiyar)
Partner
M. No.38128

For M/s. G.S.A. & Associates
Chartered Accountants
F.R.No.-000257N
(CA Sunil Aggarwal)
Partner
M. No.83899

For M/s. Ghiya & Co.
Chartered Accountants
F.R.No.-1088C
(CA Sanjay Ghiya)
Partner
M. No.072467

For M/s. D. Rangaswamy & Co.
Chartered Accountants
F.R.NO.-003073S
(CA Janani Radhakrishnan)
Partner
M. No.27037

For M/s. Samsand & Associates
Chartered Accountants
F.R.No.-003708N
(CA Milan Shrimali)
Partner
M. No.088578

Place : Mumbai
Date : May 30, 2011



Consolidated Balance Sheet as on March 31, 2011

(000's omitted)

	Schedule No.	AS AT 31-Mar-2011 ₹	AS AT 31-Mar-2010 ₹
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	2021,14,15	1771,14,15
Share Application Money		2025,68,36	-
Reserves and Surplus	2	6958,02,55	6141,90,34
Minorities Interest	2A	23,57,44	19,76,93
Deposits	3	179378,54,56	162129,83,86
Borrowings	4	12886,97,94	7325,63,68
Other Liabilities and Provisions	5	6679,36,45	5553,86,67
TOTAL		209973,31,45	182942,15,63
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	14082,10,53	17012,08,22
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	1200,87,44	2205,28,12
Investments	8	54580,21,27	50740,01,10
Loans & Advances	9	129840,57,38	105462,53,06
Fixed Assets	10	2426,25,91	2343,67,29
Other Assets	11	7837,48,84	5172,77,76
Goodwill on Consolidation		5,80,08	5,80,08
TOTAL		209973,31,45	182942,15,63
Contingent Liabilities	12	42770,78,53	38749,71,00
Bills for Collection	-	3576,09,05	5400,24,08
Notes to Reviewed Accounts	17		

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

S. Sridhar Chairman & Managing Director	V. R. Iyer Executive Director	R. K. Dubey Executive Director	P. V. Raveendran General Manager
Dr. Shashank Saxena Director	Salim Gangadharan Director	Brijlal Kshatriya Director	Prof. N. Balakrishnan Director
Romesh Sabharwal Director	Major (Retd) Ved Prakash Director	B. S. Rambabu Director	
For M/s. Sagar & Associates Chartered Accountants F.R.No.-003510S	For M/s. G.S.A. & Associates Chartered Accountants F.R.No.-000257N	For M/s. D. Rangaswamy & Co. Chartered Accountants F.R.NO.-003073S	
(CA V. Vidyasagar Babu) Partner M. No.27357	(CA Sunil Aggarwal) Partner M. No.83899	(CA Janani Radhakrishnan) Partner M. No.27037	
For M/s. K.S. Aiyar & Co. Chartered Accountants F.R.No.-100186W	For M/s. Ghiya & Co. Chartered Accountants F.R.No.-1088C	For M/s. Samsand & Associates Chartered Accountants F.R.No.-003708N	
(CA Raghuvir M. Aiyar) Partner M. No.38128	(CA Sanjay Ghiya) Partner M. No.072467	(CA Milan Shrimali) Partner M. No.088578	

As per our report of even date

Place : Mumbai

Date : May 30, 2011

Consolidated Profit and Loss Account for the Year Ended March 31, 2011

(000's omitted)

	Schedule No.	Year Ended 31.03.2011 ₹	Year Ended 31.03.2010 ₹
I. INCOME			
Interest and Dividend Earned	13	15274,16,10	12078,66,42
Other Income	14	1239,49,06	1741,94,65
TOTAL		16513,65,16	13820,61,07
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	9897,56,60	9522,99,30
Operating Expenses	16	4004,92,19	2225,41,55
Provisions and Contingencies		1343,31,80	1006,16,46
TOTAL		15245,80,59	12754,57,31
III. PROFIT/ LOSS			
Consolidated Net Profit for the year of the parents & subsidiaries before Minority Interest		1267,84,57	1066,03,76
Less: Minorities Interest		3,80,51	1,05,61
Consolidated Net Profit for the year after deducting Minorities' Interest		1264,04,06	1064,98,15
Add: Share of earnings in Associates		50,41,66	97,57,02
Less : Prior Period Adjustment In Associates- Refer NoteNo.7		153,08,84	0
Consolidated Profit for the year attributable to the Group		1161,36,88	1162,55,17
Add: Brought forward consolidated Profit attributable to the Group		246,59,72	146,00,29
Profit Available for Appropriation		1407,96,60	1308,55,46
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to :			
Statutory Reserve		316,85,25	265,94,70
Investment Reserve		0	46,62,32
Revenue Reserve		528,22,93	565,90,84
Staff Welfare Fund		15,00,00	15,00,00
Proposed Dividend -Preference Share Capital		114,87,06	53,09,40
Proposed Dividend -Equity Share Capital		137,40,51	90,91,11
Tax on Dividend		41,08,69	24,47,37
Reserve for interest on JPY swap coupon		1,11,55	0
Special Reserve U/S 36 (1) (viii) of I.T. Act		100,00,00	0
Balance Carried over to the Balance Sheet		153,40,61	246,59,72
TOTAL		1407,96,60	1308,55,46
Earnings Per Share (In ₹)		25.43	27.23

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

S. Sridhar Chairman & Managing Director	V. R. Iyer Executive Director	R. K. Dubey Executive Director	P. V. Raveendran General Manager
Dr. Shashank Saxena Director	Salim Gangadharan Director	Brijlal Kshatriya Director	Prof. N. Balakrishnan Director
Romesh Sabharwal Director	Major (Retd) Ved Prakash Director	B. S. Rambabu Director	
For M/s. Sagar & Associates Chartered Accountants F.R.No.-003510S (CA V. Vidyasagar Babu) Partner M. No.27357	For M/s. G.S.A. & Associates Chartered Accountants F.R.No.-000257N (CA Sunil Aggarwal) Partner M. No.83899	For M/s. D. Rangaswamy & Co. Chartered Accountants F.R.NO.-003073S (CA Janani Radhakrishnan) Partner M. No.27037	
For M/s. K.S. Aiyar & Co. Chartered Accountants F.R.No.-100186W (CA Raghuvir M. Aiyar) Partner M. No.38128	For M/s. Ghiya & Co. Chartered Accountants F.R.No.-1088C (CA Sanjay Ghiya) Partner M. No.072467	For M/s. Samsand & Associates Chartered Accountants F.R.No.-003708N (CA Milan Shrimali) Partner M. No.088578	

As per our report of even date

Place : Mumbai

Date : May 30, 2011



Schedules Forming Part of the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2011

(000's Omitted)

		AS AT 31-Mar-11		AS AT 31-Mar-10
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 1 : CAPITAL				
Authorised Capital		3000,00,00		3000,00,00
Issued, Subscribed and Paid up Capital :	404,14,15		404,14,15	
404141460 Equity Shares of ₹10 each (includes 324141460 shares held by Central Govt).				
Perpetual Non-Cumulative Preference Share Capital	1617,00,00	2021,14,15	1367,00,00	1771,14,15
TOTAL		2021,14,15		1771,14,15
SCHEDULE 2 : RESERVES AND SURPLUS				
I. Statutory Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	1219,45,09		953,50,39	
Additions during the year	316,85,25		265,94,70	
		1536,30,34		1219,45,09
II. Capital Reserves				
i) Revaluation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	1962,02,23		2008,91,59	
Deductions during the year	33,59,32		46,89,36	
		1928,42,91		1962,02,23
ii) Investment Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	363,10,35		316,48,03	
Additions during the year	-		46,62,32	
		363,10,35		363,10,35
III. Share Premium				
Balance as per last Balance Sheet	736,00,00		736,00,00	
Additions during the year	-		-	
		736,00,00		736,00,00
IV. Revenue and Other Reserves				
Revenue Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	1614,72,95		1045,74,06	
Additions during the year	529,34,48		565,90,84	
Less: Deductions during the year	4,98,20		-	
Add: Other Additions	1,69,11		3,08,05	
		2140,78,34		1614,72,95
V Special Reserve U/S 36 (1)(viii) of I.T. Act		100,00,00		0
VI. Balance in Profit and Loss Account		153,40,61		246,59,72
TOTAL		6958,02,55		6141,90,34

Schedules Forming Part of the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2011

(000's Omitted)

	AS AT 31-Mar-11		AS AT 31-Mar-10	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 2 A : MINORITIES INTEREST				
Minority Interest at the date on which the parent/ subsidiary relationship came into existence	2,45,00		2,45,00	
Subsequent increase / decrease	21,12,44		17,31,93	
Minority interest on the date of Balance-Sheet		23,57,44		19,76,93
SCHEDULE 3 : DEPOSITS				
A. I. Demand Deposits				
i) From Banks	357,97,86		694,22,70	
ii) From Others	15062,71,80		14362,54,74	
		15420,69,66		15056,77,44
II. Savings Bank Deposits				
		47644,93,89		40763,53,34
III. Term Deposits				
i) From Banks	2706,66,07		5436,46,79	
ii) From Others	113606,24,94		100873,06,29	
		116312,91,01		106309,53,08
TOTAL		179378,54,56		162129,83,86
B. i) Deposits of Branches in India				
		179378,54,56		162129,83,86
ii) Deposits of Branches outside India				
		-		-
SCHEDULE 4 : BORROWINGS				
I. Borrowings in India				
i) Reserve Bank of India	-		-	
ii) Other Banks	6,47,70		45,97,90	
iii) Other Institutions & Agencies	5808,02,69		2575,14,78	
iv) Unsecured Redeemable Bonds (Subordinated Debt)	2137,30,00		2406,30,00	
v) Upper Tier II Bonds	2885,00,00		1585,00,00	
vi) Innovative Perpetual Debt Instrument	583,00,00		583,00,00	
		11419,80,39		7195,42,68
II. Borrowings outside India				
		1467,17,55		130,21,00
TOTAL		12886,97,94		7325,63,68
Secured Borrowings included in I & II above		Nil		Nil



Schedules Forming Part of the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2011

(000's Omitted)

	AS AT 31-Mar-11		AS AT 31-Mar-10	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS				
I. Bills Payable	344,02,30		448,41,42	
II. Inter Office Adjustments (Net)	–		–	
III. Interest Accrued	928,66,41		727,30,71	
IV. Deferred Tax Liabilities (Net)	146,49,18		308,06,50	
V. Others (including provisions)	5260,18,56		4070,08,04	
		6679,36,45		5553,86,67
TOTAL		6679,36,45		5553,86,67
SCHEDULE 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I. Cash in hand (including foreign currency notes)		925,87,26		752,02,49
II. Balances with Reserve Bank of India				
In Current Accounts	13056,23,27		16160,05,73	
In Other Accounts	100,00,00		100,00,00	
		13156,23,27		16260,05,73
TOTAL		14082,10,53		17012,08,22
SCHEDULE 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE				
I. In India				
i) Balances with Banks				
a) In Current Accounts	783,32,19		730,27,08	
b) In Other Deposit Accounts	3,78		1367,70,00	
		783,35,97		2097,97,08
ii) Money at Call and Short Notice				
a) With Banks	–		–	
b) With Other Institutions	–	–	–	–
TOTAL.... I		783,35,97		2097,97,08
II. Outside India				
a) In Current Accounts	417,38,05		107,17,62	
b) In Other Deposit Accounts	13,42		13,42	
c) Money at Call & Short Notice	–		–	
TOTAL.... II		417,51,47		107,31,04
TOTAL.... (I + II)		1200,87,44		2205,28,12

Schedules Forming Part of the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2011

(000's Omitted)

	AS AT 31-Mar-11		AS AT 31-Mar-10	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 8 : INVESTMENTS				
I. Investments in India in : *				
i) Government Securities	47761,96,17		44848,99,77	
ii) Other approved Securities	84,36,82		130,52,25	
iii) Shares	808,06,75		599,35,73	
iv) Debentures and Bonds	3526,80,08		2830,85,76	
v) Investment in Associates	287,15,64		387,30,69	
vi) Others (UTI Shares & Commercial Papers Mutual Fund Units etc.)	2079,99,68		1908,58,64	
		54548,35,14		50705,62,84
II. Investments outside India in **				
i) Government Securities	–		–	
ii) Investment in Associates	31,86,13		34,38,26	
		31,86,13		34,38,26
TOTAL		54580,21,27		50740,01,10
* Investments in India :				
Gross Value of Investments	54890,94,71		52151,05,84	
LESS: Provision for Depreciation	342,59,57		1445,43,00	
Net Investments		54548,35,14		50705,62,84
** Investments outside India :				
Gross Value of Investments	31,86,13		34,38,26	
LESS: Provision for Depreciation	–		–	
Net Investments		31,86,13		34,38,26
TOTAL		54580,21,27		5074,01,10
SCHEDULE 9 : LOANS AND ADVANCES				
A. i) Bills Purchased and Discounted	1937,60,90		1340,09,74	
ii) Cash Credits Overdrafts & Loans repayable on demand	37941,65,76		31766,25,33	
iii) Term Loans	89961,30,72		72356,17,99	
		129840,57,38		105462,53,06
TOTAL		129840,57,38		105462,53,06
B. Particulars of Advances :				
i) Secured by tangible assets (including advances against Book Debts)	95519,60,35		81086,15,17	
ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	9493,78,69		5760,65,76	
iii) Unsecured	24827,18,34		18615,72,13	
		129840,57,38		105462,53,06
TOTAL		129840,57,38		105462,53,06
C. Sectoral Classification of Advances				
(I) Advances in India				
i) Priority Sector	40343,13,46		33937,01,86	
ii) Public Sector	9868,12,04		5081,20,04	
iii) Banks	17,43,88		1015,37,72	
iv) Others	79611,88,00		65428,93,44	
		129840,57,38		105462,53,06
TOTAL		129840,57,38		105462,53,06
(II) Advances outside India		–		–



Schedules Forming Part of the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2011

(000's Omitted)

	AS AT 31-Mar-11		AS AT 31-Mar-10	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 10 : FIXED ASSETS				
I. Premises				
(At cost / revalued cost)				
Balance as at 31st March of the preceding year	2383,01,14		2366,37,57	
Additions during the year	2,80,29		16,63,57	
Total	<u>2385,81,43</u>		<u>2383,01,14</u>	
Depreciation to date	370,18,47		334,01,07	
TOTAL.... I		2015,62,96		2049,00,07
II. Other Fixed Assets				
(Including furniture and fixtures)				
At cost as on 31st March of the preceding year	952,59,25		816,93,46	
Additions/Adjustments during the year	233,28,21		143,87,54	
TOTAL	<u>1185,87,46</u>		<u>960,81,00</u>	
Deductions/Adjustments during the year	10,28,65		8,21,75	
TOTAL	<u>1175,58,81</u>		<u>952,59,25</u>	
Depreciation to date	764,95,86		657,92,03	
TOTAL.... II		410,62,95		294,67,22
TOTAL.... (I + II)		<u>2426,25,91</u>		<u>2343,67,29</u>
SCHEDULE 11 : OTHER ASSETS				
I. Interest accrued	1078,16,81		996,50,22	
II. Tax paid in advance/tax deducted at source (Net of Provisions)	2296,82,63		2192,03,25	
III. Stationery and Stamps	12,34,74		11,96,52	
IV. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	–		–	
V. Inter office adjutmets (Net).	1531,18,80		620,92,20	
VI. Others	2918,95,86		1351,35,57	
TOTAL		<u>7837,48,84</u>		<u>5172,77,76</u>
TOTAL		<u>7837,48,84</u>		<u>5172,77,76</u>
SCHEDULE 12 : CONTINGENT LIABILITIES				
I. Claims against the Bank not acknowledged as Debts		181,53,42		1682,43,57
II. Liability for partly paid Investments		57,86,49		27,64,33
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts		28805,44,33		26529,98,20
IV. Guarantees given on behalf of constituents				
a) In India	6367,09,49		5650,07,20	
b) Outside India	<u>307,84,45</u>		<u>127,50,51</u>	
		6674,93,94		5777,57,71
V. Acceptances Endorsements and Other Obligations		6179,68,95		4722,43,85
VI. Other items for which the bank is contingently liable		871,31,40		9,63,34
TOTAL		<u>42770,78,53</u>		<u>38749,71,00</u>

Schedules Forming Part of the Consolidated Profit and Loss Account for the Year Ended March 31, 2011

(000's omitted)

	YEAR ENDED 31-Mar-11	YEAR ENDED 31-Mar-10
	₹	₹
SCHEDULE 13 : INTEREST AND DIVIDEND EARNED		
I. Interest/Discount on Advances / Bills	11267,84,69	8662,00,79
II. Income on Investments	3767,36,46	3307,95,03
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	33,36,98	102,64,80
IV. Others	205,57,97	6,05,80
TOTAL	15274,16,10	12078,66,42
SCHEDULE 14 : OTHER INCOME		
I. Commission, Exchange and Brokerage	620,50,58	573,54,49
II. Profit/ (Loss) on sale of Investments (Net)	311,92,29	772,38,20
III. Profit / (Loss) on Exchange transactions (Net)	56,09,26	45,33,62
IV. Profit / (Loss) on sale of land, buildings and Other Assets	(10,84)	(32,21)
V. Profit / (Loss) on Revaluation of Investments	–	–
VI. Income earned by way of dividends etc. from Subsidiaries and Associates abroad/ in India	1,55,45	–
VII. Miscellaneous Income	249,52,32	351,00,55
TOTAL	1239,49,06	1741,94,65
SCHEDULE 15 : INTEREST EXPENDED		
I. Interest on Deposits	9064,99,62	9123,03,70
II. Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank borrowings	144,41,11	24,22,39
III. Others	688,15,87	375,73,21
TOTAL	9897,56,60	9522,99,30
SCHEDULE 16 : OPERATING EXPENSES		
I. Payments to and Provisions for employees	2965,79,52	1546,08,82
II. Rent, Taxes and Lighting	191,13,38	162,91,36
III. Printing and Stationery	21,60,97	18,96,84
IV. Advertisement and Publicity	97,00,75	17,27,38
V. a) Depreciation on Bank's property other than Leased Assets	118,78,36	78,85,66
b) Depreciation on Leased Assets	–	–
VI. Directors' Fees, Allowances and Expenses	1,29,55	1,64,18
VII. Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors', Fees & expenses)	22,57,06	19,61,00
VIII. Law Charges	15,07,16	12,57,54
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	35,40,66	4,91,54
X. Repairs and Maintenance	65,36,62	24,33,07
XI. Insurance	155,82,65	121,27,60
XII. Other Expenditure	315,05,51	216,96,56
TOTAL	4004,92,19	2225,41,55

Schedule 17 – Principal Accounting Policies of Consolidated Accounts

1. BASIS OF PREPARATION:

The financial statements have been prepared on the historical cost basis and confirm, in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards and pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and prevailing practices in Banking industry in India. .

2. Consolidation Procedures :

2.1 Consolidated financial statements of the Group (comprising of 2 Subsidiaries and 8 Associates [including 7 RRBs]) have been prepared on the basis of:

- a. Audited financial statements of Central Bank of India (Parent/the Bank),
- b. Line by line aggregation of like items of assets, liabilities, income and expenses of subsidiaries with the respective item of the Parent and after eliminating material intra-group balances/transactions, unrealized profit/losses and making necessary adjustments wherever possible to conform to uniform accounting policies, based on data received from these subsidiaries duly audited by their respective auditors. The financial statements of the subsidiaries have been drawn up to the same reporting date as that of parent i.e. 31st March, 2011.
- c. Investments in associates, where the group holds 20% or more of the voting power have been accounted for using the equity method in terms of Accounting Standard – 23. In the absence of full information regarding impact of differences in accounting policies followed by the parent and associates, no adjustments wherever required have been carried out. In like manner, unrealized profits and losses resulting from transactions between the parent and the associates to the extent of the parent's interest in the associates have not been eliminated. The financial statements of the Indo Zambia Bank Limited, an Associate, have been prepared in accordance with the International Accounting Standards. Financial statements received from these associates form the sole basis for their incorporation in these consolidated financial statements.

2.2 Minority interest in the net assets of consolidated subsidiaries consist of:

- a) The amount of equity attributable to the minority at the date on which investments in a subsidiary is made, and
- b) The minority share of movements in equity since date of parent- subsidiary relationship came into existence.

A. Significant Accounting Policies followed by the Parent Bank

1 Accounting Conventions:

The financial statements have been prepared by following the going concern concept on the historical cost basis except as modified by the Revaluation of Premises and in accordance with the accounting policies and practices consistently followed.

2 Transactions involving Foreign Exchange:

- 2.1 Monetary Assets and Liabilities in Foreign Currencies are translated at the Exchange Rates prevailing at the year end as notified by FEDAI and the resultant Profit/ Loss is recognised in Profit and Loss Account.
- 2.2 Income and Expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the respective date of transactions.
- 2.3 Guarantees, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements, and other obligations in Foreign Currencies are translated at year end rates notified by FEDAI.
- 2.4 Outstanding Forward Contracts are translated at the year end rates notified by FEDAI and the resultant profit/loss is recognized in Profit and Loss Account.

3 Investments:

- 3.1 In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, Investments are classified into " Held to Maturity", "Held

for Trading” and “Available for Sale” categories. However, for disclosure in the Balance Sheet, investments are classified under the following heads :

- i) Government Securities
- ii) Other Approved Securities
- iii) Shares
- iv) Debentures and Bonds
- v) Investments in Subsidiaries and sponsored institutions and
- vi) Others (UTI Shares, Commercial Papers and units of Mutual Funds.)

3.2 Basis of Classification :

Classification of an Investment is done at the time of purchase into the following categories:

i. Held to Maturity

These comprise of investments, the bank intends to hold on till maturity.

ii. Held for Trading

Securities which are principally held for resale within 90 days from the date of purchase.

iii. Available for Sale

Investments that cannot be classified in the above categories.

3.3 Transfer of Securities between categories :

The transfer/ shifting of securities between the three categories of investments is accounted at the lower of acquisition cost/ book value or market value on the date of the transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.4 Valuation :

i. Held to Maturity :

The investments classified under this category are valued at acquisition cost. The excess of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity.

ii. Available for sale :

Investments under this category are marked to market, scrip-wise, at quarterly intervals as under:

i)	Central Government Securities	At market price as per quotation put out by Stock Exchange / FIMMDA / PDAI .	
ii)	State Government Securities, Securities Guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds	On appropriate yield to maturity basis.	
iii)	Treasury Bills/ Certificates of Deposits/ Commercial Paper / Investment in RRBs	At carrying cost.	
iv)	Equity Share	a) Quoted	At market price.
		b) Unquoted	At book value per share, if latest (Not more than one year old.) Balance Sheet is available, or Re.1.00 per company if latest Balance Sheet is not available.
v)	Preference Share	a) Quoted	At market price.
		b) Unquoted	On appropriate yield to maturity.
vi)	Debentures and Bonds	a) Quoted	At market price.
		b) Unquoted	On appropriate yield to maturity.
vii)	Mutual Fund	a) Quoted	At market price.
		b) Unquoted	At repurchase price or Net Asset Value (where repurchase price is not available).
viii)	Venture Capital	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at ₹1/- per VCF.	

The net depreciation under each classification is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.



iii. Held for Trading :

Investments under this category are valued at monthly intervals at market rates, wherever available, or as per the prices declared by FIMMDA. The net depreciation under each classification is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

3.5 Determination of Cost :

Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Cost method.

3.6 Income Recognition :

- i. The Profit or loss on sale/ redemption of investments is taken to the Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale/ redemption of investments from 'Held to Maturity' category, an equivalent amount is appropriated to the 'Capital Reserve'.
- ii. In respect of securities included in any of the three categories of investments where interest/ principal is in arrears, for more than 90 days, income is not reckoned and appropriate provision for the depreciation in the value of the investments is made, as per prudential norms applicable to non-performing advances. Debentures/ Bonds in the nature of advances are subjected to usual prudential norms applicable to advances.
- iii. State Government guaranteed exposures is classified as Sub Standard/ Doubtful/ Loss, as the case may be if interest and/ or principal or any other amount due to the Bank remains overdue for more than 90 days and necessary provisions are made as per Prudential Norms.
- iv. Brokerage, incentive, front-end fees etc., received on purchase of securities are reduced from the cost of investments.
- v. Expenses such as brokerage, fees, commission or taxes incurred at the time of acquisition of securities is charged to revenue.
- vi. The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item.

4 Derivatives

Derivatives used for hedging are accounted as under :

- i. Marked to market in cases where the underlying Assets/ Liabilities are marked to market. The resultant gain/ loss is recognised in the Profit & Loss Account.
- ii. Interest Rate Swaps which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis in cases where underlying Asset/ Liabilities are not marked to market.
- iii. Gain or losses on the termination of Swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets/ liabilities.

5 Advances:

- 5.1. Advances are classified as Standard, Sub-Standard, Doubtful or Loss Assets and Provisions required in respect thereof are made as per the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India.
- 5.2. Recoveries against Non-performing Assets (NPA) are first appropriated towards interest. However, recovery in suit filed, decreed accounts and compromise cases, is first appropriated towards principal or as per the terms of decree/ settlement.
- 5.3. Advances are shown net of provisions (in case of NPA), Unrealised Interest and amount recovered from borrowers held in Sundries and amount recovered from CGTSI/ ECGC.

Provision for Standard Assets is included in Other Liabilities and Provisions- Others.

- 5.4. Financial Assets sold are recognized as under:

In case the sale is at a price lower than the Net Book Value (NBV) the shortfall is charged to the Profit and Loss Account.

In case the sale is at a price higher than the NBV, the surplus provision is retained to meet shortfall/loss on account of sale of other non-performing financial assets.

6 Fixed Assets/Depreciation:

- 6.1 Fixed Assets (other than computers which are depreciated on Straight Line Method) are depreciated under 'Written Down Value Method' at the following rates:

i)	Premises	At varying rates based on estimated life
ii)	Furniture, Lifts, Safe Vaults	10%
iii)	Vehicles	20%
iv)	Air conditioners, Coolers, Typewriters etc.	15%
v)	Computers including Systems Software	33.33%
(Application Software is charged to the Revenue during the year of acquisition)		

- 6.2 In the case of assets, which have been revalued, the depreciation is provided on the revalued amount and the incremental depreciation attributable to the revalued amount is adjusted to the 'Revaluation Reserve'.
- 6.3 Depreciation on additions to assets, made upto 30th September is provided for the full year and on additions made thereafter, is provided for the half year. No depreciation is provided on assets sold before 30th September and depreciation is provided for the half year for assets sold after 30th September.
- 6.4 Cost of leasehold land is amortised over the period of lease. In the case of revaluation, the difference between the original cost and revalued amount is amortised over the remaining period of the lease and is adjusted to the 'Revaluation Reserve'.
- 6.5 Where it is not possible to segregate the cost of Land and Premises, Depreciation is charged on the composite cost.

7 Staff Benefits:

- 7.1 Annual contribution to Gratuity and Pension Funds are determined on the basis of actuarial valuation. The contribution to Pension Fund is made under a defined benefit scheme.
- 7.2 The liability for earned leave is provided for on the basis of actuarial valuation.
- 7.3 In respect of employees who have opted for Provident Fund Scheme, a matching contribution is made.
- 7.4 The Bank recognizes in its Books of Accounts the liability arising out of Employee Benefits as the sum of the present value of obligations as reduced by fair value of Plan Assets on the Balance Sheet.

8 Recognition of Income and Expenditure:

- 8.1 Income/ Expenditure is generally accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- 8.2 Income on NPA is recognized on realization as per the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India.
- 8.3 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, prior period disclosures are made in respect of any item which exceeds one percent of the total income/total expenditure.
- 8.4 Provision for interest payable on overdue deposits is made as per Reserve Bank of India guidelines.
- 8.5 Commission (excluding on Government Business), exchange, locker rent and insurance claims are accounted for on realization/settlement.
- 8.6 Expenses for Share Issue are amortized over a period of 5 years on quarterly basis.

9 Income Tax:

The provision for tax for the year comprises of current tax liability computed in accordance with the applicable tax laws and the deferred tax which recognizes, timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets are not recognized unless there is 'virtual certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.



B. SUBSIDIARIES

1. Prudential Norms

Income Recognition and Provisions on Loans & Advances are made on the basis of prudential norms laid down by National Housing Bank [NHB].

2. Revenue Recognition

In case of Cent Bank Home Finance Limited, repayment of housing loans, home equity loans, top-up loans and loan against property are by way of Equated Monthly Installments (EMIs) comprising of principal and interest. In respect of Fixed Rate loans, interest is calculated on the outstanding balance at the beginning of the financial year; in case of floating rate loans, interest is calculated on 1st of every month on the outstanding amount as on the last date of the previous month. EMIs commences once the entire loan is disbursed. Pending commencement of EMIs, Pre-EMI interest is payable every month.

3. Investments

Investments are considered long term in nature and accounted for at cost.

4. Depreciation

Depreciation on fixed assets has been provided on straight line method at the rates and in the manner specified in Schedule XIV to the Companies Act, 1956.

5. Retirement Benefits

In case of Cent Bank Home Finance Ltd. gratuity amount has been set aside on actuarial basis and invested in Group Gratuity Scheme of the Life Insurance Corporation of India. For leave encashment, the liability is arrived based on the leave balance of the eligible employees and the net liability is accounted in P&L Account.

SCHEDULE 18–NOTES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED ACCOUNTS:

1. Subsidiaries and Associates considered in the preparation of the Consolidated financial statements.

The Consolidated Financial Statements comprise the financial statements of Central Bank of India (The Parent Bank), its two subsidiaries and Associates consisting of 7 Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Parent Bank and Indo Zambia Bank Limited (collectively referred to as “the Group”) as per details given below :

Name of the Subsidiary/Associate	Country of Incorporation	Ownership interest as at March 31, 2011	Ownership interest as at March 31, 2010
Centbank Home Finance Limited (Subsidiary)	India	59.50%	59.50%
Centbank Financial Services Limited (Subsidiary)	India	100.00%	100.00%
7 Regional Rural Banks (Associates)	India	35.00% in each RRB	35.00% in each RRB
Indo Zambia Bank Limited (Associate)	Zambia	20.00%	20.00%

2. In the preparation of consolidated financial statements, in some of the cases, different accounting policies for like transactions have been followed in respect of subsidiaries, for which appropriate adjustments have not been made nor the amounts quantified in the absence of necessary information. Items in respect of which different accounting policies have been adopted by the Subsidiaries vis-a-vis with parent Bank are given as under:

	Parent Bank	Cent Bank Home Finance Ltd [Sub]	Cent Bank Financial Services Ltd (Sub)
Depreciation	Bank followed written down value method except for computers where straight line method is adopted.	Depreciation is applied based on straight line method. – Depreciation charged ₹ 8.49 lacs	Depreciation is applied based on straight line method. – Depreciation charged ₹ 0.89 lacs.
Provision for leave encashment	On actuarial basis	Assessed by the Company - ₹ 3.24 lacs.	Not Applicable

3. PARENT BANK

3.1 Capital:

The Authorised Capital of the Bank is ₹ 3000 crore.

The paid-up Capital of the Bank is ₹ 2021.14 crore i.e. increased from ₹ 1771.14 crore to ₹ 2021.14 crore by issue of Perpetual Non-cumulative Preference Shares [PNCPS] to the tune of ₹ 250 crore to Government of India.

During the year, the bank has come out with right issue of ₹ 2497.38 Crore comprising of 24,24,84,876 nos fully paid up equity shares of ₹ 10 each at premium of ₹ 93. The issue opened on 24th March 2011 and was closed on 7th April 2011. A sum of ₹ 2025.68 Crore has been received till 31st March 2011 and the same has been shown as Share application money. The said money is parked in account with Reserve Bank of India maintained by our Bank.

The Bank has also raised Upper Tier II Debt to the tune of ₹ 1300.00 crore (previous year ₹ 1000.00 crore) by issue of Unsecured Redeemable Bonds under Upper Tier II Debt and the amount is shown in Schedule 4 “Borrowings” of the Balance Sheet.

3.2 Balancing of Books / Reconciliation:

The reconciliation of the following items is in progress at various stages on ongoing basis and consequential impact arising on account of such reconciliation is unascertained.

- Inter Branch/Office Balance
- Accounts for Govt. transactions (Central & State)
- Inter Bank Accounts
- System Suspense Account
- Suspense Account
- Clearing & other Adjustment Accounts

The management is of the opinion that the overall impact, if any, on the accounts will not be significant.

3.3 **Income Tax / Deferred Tax:**

- 3.3.1. Provision for Income Tax for the year is arrived at after due consideration of relevant statutory provisions and judicial decisions on disputed issues.
- 3.3.2. Other Assets [Schedule 11 (ii)] includes ₹601.64 crore (previous year ₹ 1507.45 crore) towards disputed Income Tax paid by the Bank/ adjusted by the authorities. Provision for taxation is not considered necessary by the Bank in respect of above disputed demands based on various judicial decisions/ counsel's opinion on such disputed issues.
- 3.3.3. Out of ₹601.64 crore of tax paid under dispute, disputes relating to various Assessment Years, involving tax element of ₹21.46 crore have been decided by the Appellate authorities in favour of the Bank. The appeal effect for the same is pending.

3.4 **Share Issue Expenses:**

Unamortized amount of ₹6.72 crore towards share issue expenses are included in Other Assets.

3.5 **Premises:**

The premises of the Bank were revalued during financial year 2007-08 to reflect the market value as at March 31, 2008. The additional appreciation amounting to ₹1565.97 crore have been credited to Revaluation Reserve Account.

Premises owned by the Bank include properties costing ₹12.21 crore revalued at ₹198.46 crore for which registration formalities are still in progress.

3.6 **Advances / Provisions:**

Advances to units which have become sick including those under nursing/ rehabilitation/ restructuring programme and other advances classified as doubtful/ loss assets have been considered secured/ recoverable to the extent of estimated realizable value of securities carrying first or second charge based on valuers' assessment of properties/ assets mortgaged to the Bank and other data available with the Bank.

In the current year, in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, the Bank has opted to utilize the Floating Provision amounting to ₹312.43 crore (previous year ₹312.43 crore) for netting off from Gross NPAs to arrive at Net NPAs.

Advances considered good and secured includes investment of ₹2000 crore in IBPCs governed by the Uniform Code Governing Inter Bank Participations issued by IBA (Non Priority Sector) and investment in IBPCs issued by RRBs aggregating ₹1440 crore (Priority Sector Advance/ Direct Agriculture).

3.7 **Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008**

In terms of the Reserve Bank of India Circular Ref RBI:2009-10/371/ DBOD.No.BP.BC.82/21.04.048/2009-10 dated March 30, 2010 and vide Government of India Notification No.3/3/208-AC dated April 5, 2010, Bank has extended the Debt Relief Scheme to all eligible farmers upto June 30, 2010. Bank's claim of ₹147.77 crore under Debt Relief Scheme for the period ended 31/12/2009 is fully reimbursed during the month of February 2011. Claim for the extended period i.e. 1/01/2010 to 30/06/2010 (grievance redressal up to 31/07/2010) of ₹54.26 crore is pending to be lodged with Reserve Bank of India up to 30/06/2011 as per Reserve Bank of India guidelines.

4. **COMPLIANCE WITH ACCOUNTING STANDARDS**

The Bank had complied with the Accounting Standards [AS] issued by the Institute of Chartered Accountants of India and disclosures are made in accordance with the provisions of such Accounting Standards.

There were no material prior period Income/Expenditure exceeding 1% of the Gross Total Income/Expenditure during the year requiring disclosure under AS 5 on Net Profit or Loss for the Period, prior period and extra ordinary items and changes in Accounting Policies.

Income items recognized on cash basis were either not material or did not require disclosure under AS 9 on Revenue Recognition.

4.1 Accounting Standard - 15 (Revised)

Parent Bank

During the year, the Bank reopened the pension option for such of its employees who had not opted for the pension scheme earlier. In accordance with RBI circular No.DBOD No. BP.BC.80/21.04.018/2010-11, dated 09-02-2011, for second option for pension, one-fifth of additional liability of ₹ 239.98 crore towards pension fund for 13494 serving employees and 100% of such liability of ₹ 569.62 crore for 4046 retired/separated employees aggregating to ₹ 809.60 crore has been charged to Profit & Loss Account for the year. The unrecognized pension liability for second option for pension for serving employees is ₹ 959.93 crore.

In accordance with RBI circular No.DBOD No. BP.BC.80/21.04.018/2010-11, dated 09/02/2011, an amount of ₹ 55.40 crore has been charged to Profit & Loss Account for the year, being 1/5th of additional Gratuity liability due to amendment of Payment of Gratuity Act 1972. The unrecognized Gratuity liability is ₹ 221.60 crore.

Had such a circular not been issued by the RBI, the profit of the bank would have been lower by ₹ 1181.53 crore pursuant to application of the requirements of AS-15.

1. Employee Benefits:

Reconciliation of opening and closing balance of the present value of the defined benefit obligation for pension and gratuity benefits as per actuarial valuations is given below:

(₹ in crore)

Particulars	Year ended March 31, 2011		Year ended March 31, 2010	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Defined benefit obligation liability at March 31, 2011				
Opening obligations	2856.49	751.89	2705.33	785.08
Service cost	70.54	40.78	47.98	30.65
Interest cost	222.98	58.39	211.14	62.54
Actuarial [gain]/loss	335.48	44.95	120.04	(58.31)
Benefits paid	(279.44)	(125.67)	(228.00)	(68.07)
Past Service Cost (Amortised/ Non Vested)	1199.91	277.00	--	--
Past Service Cost (Vested Benefit)	569.62	--	--	--
Liability Transferred in	1021.54	--	--	--
Obligations at March 31,2011	5997.12	1047.34	2856.49	751.89

(₹ in Crore)

Plan assets at March 31, 2011, at fair value	Year ended March 31, 2011		Year ended March 31, 2010	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Opening Plans assets, at fair value	2269.03	808.40	2011.73	819.41
Expected return on plan assets	257.54	65.25	178.22	62.83
Actuarial gain/[loss]	(130.67)	14.91	(22.92)	(5.77)
Contributions	1090.00	70.00	330.00	--
Benefits paid	(279.44)	(125.67)	(228.00)	(68.07)
Transfer from Other Trust	1021.54	--	--	--
Plan assets at March 31, 2011, at fair value	4228.00	832.89	2269.03	808.40

(₹ in Crore)

Particulars	Year ended March 31, 2011		Year ended March 31, 2010	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Cost for the year ended March 31, 2011				
Service cost	70.54	40.78	47.98	30.65
Interest cost	222.98	58.39	211.14	62.54
Expected return on plan assets	(257.54)	(65.25)	(178.22)	(62.83)
Past Service Cost (Amortised/ Non Vested)	239.98	55.40	–	–
Past Service Cost (Vested Benefit)	569.62	–	–	–
Actuarial [gain]/loss	466.15	30.04	142.95	(52.54)
Net cost	1311.73	119.36	223.85	(22.18)

Assumptions	Year ended March 31, 2011		Year ended March 31, 2010	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Interest rate	8%	8%	8%	8%
Salary escalation rate	4%	4%	4%	4%
Estimated rate of return on plan assets	8%	8%	8%	8%

2. Pension fund is not applicable to subsidiaries
3. The Cent Bank Home Finance Ltd is the only the subsidiary Company of the Bank, which is having separate set of employees, who are not on parent's bank pay roll. The CBHF Ltd has taken a Policy with Life Insurance Corporation of India to cover the accumulated Gratuity Liability of its employees and the premium paid on this policy has been charged to Profit & Loss Account. The Provision for Leave Encashment Liability is calculated on the balance of privilege leave of the employees as on March 31, 2011.

4.2 Accounting Standard 18 – Related Party Disclosure:

- I. List of Related Parties - Parent Bank

- (a) Key Managerial Personnel -

	Name	Designation
i)	Mr. S. Sridhar	Chairman & Managing Director
ii)	Mrs. V. R. Iyer	Executive Director
iii)	Mr. R. K. Dubey	Executive Director
iv)	Mr. Ramnath Pradeep	Executive Director (upto August 2010)
v)	Mr. Arun Kaul	Executive Director (upto August 2010)

- (b) Subsidiaries –

i)	Cent Bank Home Finance Ltd.
ii)	Centbank Financial Services Ltd.

(c) Associates –

(I)	Regional Rural Banks -
i)	Satpura Narmada Kshetriya Gramin Bank, Chhindwara
ii)	Surguja Kshetriya Gramin Bank, Ambikapur
iii)	Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur
iv)	Vidharbha Kshetriya Gramin Bank, Akola
v)	Ballia Etawah Gramin Bank, Ballia
vi)	Hadoti Kshetriya Gramin Bank, Kota
vii)	Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar
(II)	Indo – Zambia Bank Ltd.

II. Transactions with Related Parties:

(₹ in lacs)

(a)	Items	Key Management Personnel	
		2010 -11	2009-2010
	Remuneration paid	58.14	36.48

(b) Statement of Related parties transaction

(₹ in crore)

Sl. No.	Related parties	As on	Investment		Purchase of Loan assets		Sale of loan assets		Line of Credit to RRBs		Participation under IBPC			
			Cumulative	Max. during the year	Amt Outstanding	Int. recd	Amt sold	Interest Paid	Amt	Int. Paid	Sale of Direct Agri. Assets to Sponsor Bank		Purchase of Non Priority Sector from Sponsor Bank	
											Amt. O/s	Int. paid to Sponsor Bank	Amt. O/s	Int. recd from Sponsor Bank
1	Satpura Narmada KGB Chindawara, Madhya Pradesh	31.03.11	27.64	27.64	0.00	6.63	0.00	0.00	200.23	5.67	150.00	0.00	150.00	0.00
		31.03.10	27.64	27.64	200.00	7.79	0.00	0.00	200.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Surguja KGB Ambikapur [Chattisgarh]	31.03.11	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
		31.03.10	2.57	2.57	45.00	0.12	45.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Uttar Bihar Gramin Bank Muzaffarpur [Bihar]	31.03.11	159.09	159.09	0.00	13.44	0.00	0.00	326.11	2.74	850.00	0.00	850.00	0.00
		31.03.10	159.09	159.09	500.00	36.10	0.00	0.00	200.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Vidharbha KGB Akola Maharashtra]	31.03.11	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.10	100.00	0.00	100.00	0.00
		31.03.10	6.22	6.22	47.35	3.25	0.00	0.00	50.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Ballia Etawah Gramin Bank Ballia [Uttar Pradesh]	31.03.11	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
		31.03.10	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Hadoti KGB Kota[Rajasthan]	31.03.11	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
		31.03.10	2.45	2.45	132.71	4.62	70.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Uttarbanga KGB Siliguri [West Bengal]	31.03.11	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
		31.03.10	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	31.03.11	230.27	230.27	0.00	20.07	0.00	0.00	576.34	8.51	1440.00	0.00	1440.00	0.00
		31.03.10	230.27	230.27	925.06	51.88	115.00	0.23	450.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00

4.3 Accounting Standard 22 –Accounting for Taxes on Income [Parent Bank]

The Bank has recognized Deferred Tax Assets/ Liabilities.

Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ in Crore)

	31.3.2011	31.3.2010
Deferred Tax Asset:		
Provision for Leave Encashment	71.76	61.24
Provision for Pension and Gratuity	301.53	259.12
Provision for Wage Revision	–	108.77
Total (A):	<u>373.29</u>	<u>429.13</u>
Deferred Tax Liabilities:		
Depreciation on Fixed Assets	19.80	15.05
Interest accrued but not due on Investments	353.41	334.98
Depreciation on Investments	146.38	386.99
Total (B):	<u>519.59</u>	<u>737.02</u>
Net Deferred Tax Liability	146.30	307.89

4.4 Accounting Standard – 28 –Impairment of Assets

A substantial portion of Bank's assets comprise financial assets to which Accounting Standard-28 on impairment of assets is not applicable. In the opinion of the management, there is no material impairment on Other Assets other than financial assets as at March 31, 2011, requiring recognition in terms of the Standard.

4.5 Accounting Standard – 29 on Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets [Parent Bank]

Movement of Provision:

(₹ in Crore)

Particulars	Opening Balance as on 01.04.2010	Provision made during the year	Provisions reversed/ adjusted	Closing Balance as on 31.3.2011
Standard Assets	417.41	106.42	2.83	521.00
Taxes	1426.07	637.64	132.23	1931.48

As per the information compiled by the Management, the Vendors, whose services are utilized and from whom purchases were made by the Bank, are not registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. This is relied upon by the Auditors.

5. Accounting Standard 17 – Segment Reporting [Consolidated]

SEGMENT REPORT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2011

(₹ in Lacs)

Sl. No.	Particulars	Year ended 31.03.11 (Audited)	Year ended 31.03.10 (Audited)
a.	Segment Revenue		
	1. Treasury Operations	264456	143008
	2. Retail Banking Operations	538433	448162
	3. Wholesale Banking Operations	829577	799281
	4. Other Banking Operations	3383	764
	5. Unallocated	20177	603
	Total	1656026	1391818

SEGMENT REPORT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2011

(₹ in Lacs)

Sl. No.	Particulars	Year ended 31.03.11 (Audited)	Year ended 31.03.10 (Audited)
b.	Segment Results		
	1. Treasury Operations	160895	95217
	2. Retail Banking Operations	20487	43614
	3. Wholesale Banking Operations	47412	76684
	4. Other Banking Operations	1498	754
	Total	230292	216269
c.	Unallocated Income/ (Expenses)	20177	603
d.	Operating Profit	250469	216872
e.	Provisions & Contingencies	93223	51082
f.	Income Tax	41109	49535
g.	Net Profit	116137	116255
h.	Other Information		
i.	Segment Assets		
	1. Treasury Operations	2534145	3169978
	2. Retail Banking Operations	5251988	4392418
	3. Wholesale Banking Operations	12974138	10513027
	4. Other Banking Operations	1774	173
	5. Unallocated Assets	235304	218619
	Total	20997349	18294215
j.	Segment Liabilities		
	1. Treasury Operations	3305900	2844644
	2. Retail Banking Operations	4647783	4323937
	3. Wholesale Banking Operations	11923613	10307294
	4. Other Banking Operations	1268	1159
	5. Unallocated Liabilities	1118785	817181
	Total	20997349	18294215

Note: Interest on Certificate of Deposit has been considered as part of normal banking operation, instead of treasury. Accordingly the segment figures have been regrouped/reclassified, wherever necessary.

- The Parent Bank has recognized Treasury Operations, Corporate / Wholesale Banking, Retail Banking and other Banking business primary reporting segments. There are no secondary reporting segments.
- Treasury Operations include dealing in Government and Other Securities, Money Market operations and Forex operations.
- The Retail Banking Segment consists of all exposures upto a limit of ₹5 crore (including Fund Based and Non Fund Based exposures) subject to orientation, product, granularity criteria and individual exposures.
- The Corporate/ Wholesale Segment consist of all advances to Trusts/ Partnership Firms Companies and statutory bodies, which are not included under Retail Banking.
- The other Banking Segment includes all other Banking operations not covered under the above three categories.
- General Banking operations are the main resource mobilizing unit and Treasury Segment compensates the former for funds lent to it by taking into consideration the average funds used.



g. Allocation of Costs:

- o Expenses directly attributable to a particular segment are allocated to the relative segment.
- o Expenses not directly attributable to a specific segment are allocated in proportion to the funds employed.

6. Accounting Standard 20 – Earnings per Share [Consolidated]

Earnings per share as per AS 20 has been arrived at as follows:

	31.3.2011	31.3.2010
Net Profit after Tax available for Equity Share Holder (₹ in Crore)	1175.64	1162.55
Weighted Average number of Equity Share (No.)	404141460	404141460
Basic Earnings per Share (₹)	25.43	27.23
Diluted Earnings per Share (₹)	25.43	27.23
Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00

7. Consequent to re-assessment of the carrying value of the investment in associates, under the equity method a sum of ₹ 153.09 crore has been recognized as a prior period item and correspondingly reduced from the value of investments in associates.
8. Previous year figures have been re-grouped/ re-classified wherever considered necessary to conform to current year's classification

S. Sridhar Chairman & Managing Director	V. R. Iyer Executive Director	R. K. Dubey Executive Director	P. V. Raveendran General Manager
Dr. Shashank Saxena Director	Salim Gangadharan Director	Brijlal Kshatriya Director	Prof. N. Balakrishnan Director
Romesh Sabharwal Director	Major (Retd) Ved Prakash Director	B. S. Rambabu Director	
For M/s. Sagar & Associates Chartered Accountants F.R.No.-003510S	For M/s. G.S.A. & Associates Chartered Accountants F.R.No.-000257N	For M/s. D. Rangaswamy & Co. Chartered Accountants F.R.NO.-003073S	
(CA V. Vidyasagar Babu) Partner M. No.27357	(CA Sunil Aggarwal) Partner M. No.83899	(CA Janani Radhakrishnan) Partner M. No.27037	
For M/s. K.S. Aiyar & Co. Chartered Accountants F.R.No.-100186W	For M/s. Ghiya & Co. Chartered Accountants F.R.No.-1088C	For M/s. Samsand & Associates Chartered Accountants F.R.No.-003708N	
(CA Raghuvir M. Aiyar) Partner M. No.38128	(CA Sanjay Ghiya) Partner M. No.072467	(CA Milan Shrimali) Partner M. No.088578	

Place : Mumbai
Date : May 30, 2011

Consolidated Cash Flow Statement for the Year Ended March 31, 2011

(₹ In Crore)

Sl. No	Particulars	31- 03- 2011	31-03-2010
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
	Net Profit before taxes	1,640.63	1,442.96
I	Adjustments for:		
	Depreciation on fixed assets	118.78	68.10
	Depreciation on investments (including on matured debentures)	150.98	64.79
	Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	631.79	259.73
	Provision for Standard Assets	106.14	29.97
	Provision for Other items (Net)	43.31	125.87
	Profit / Loss on sale of fixed assets (Net)	(0.11)	0.32
	Payment/ provision for interest on subordinated debt (treated separately)	470.99	362.32
	Sub total	3,162.51	2,354.06
II	Adjustments for :		
	Increase / (Decrease) in Deposits	17,248.70	30,850.57
	Increase / (Decrease) in Borrowings	4,531.34	6,448.87
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	215.94	(5,088.84)
	(Increase) / Decrease in Advances	(24,378.04)	(19,859.77)
	(Increase) / Decrease in Investments	(3,942.88)	(7,660.54)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	(2,560.50)	(1,078.84)
	Direct Taxes paid (Net of Refund etc)	(639.64)	493.98
	Net Cash from operating activities (A)	(9,525.08)	4,105.43
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	(6,362.58)	6,459.49
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	Sale / Disposal of Fixed Assets	1.27	8.22
	Purchase of Fixed Assets	(235.54)	(141.94)
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	(234.27)	(133.72)
C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	Share Capital	250.00	450.00
	Share Application Money	2,025.68	-
	Proceeds / Redemption of Subordinated Debts Tier II Capital	1,030.00	721.00
	Dividend - Equity shares Including Interim Dividend	(143.10)	(144.00)
	Dividend Tax	(24.15)	(24.47)
	Interest on JNY Swap coupon	(4.98)	-
	Interest on Subordinated Debt	(470.99)	(362.32)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	2,662.47	640.21



(₹ In Crore)

Sl. No	Particulars	31- 03- 2011	31-03-2010
D	Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)	(3,934.38)	6,965.98
E	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	17,012.08	11,037.03
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	2,205.28	1,214.34
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	19,217.36	12,251.37
F	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	14,082.11	17,012.08
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	1,200.87	2,205.28
	Net cash and cash equivalents at the end of the year	15,282.98	19,217.36

S. Sridhar
Chairman & Managing Director

V. R. Iyer
Executive Director

R. K. Dubey
Executive Director

P. V. Raveendran
General Manager

Dr. Shashank Saxena
Director

Salim Gangadharan
Director

Brijlal Kshatriya
Director

Prof. N. Balakrishnan
Director

Romesh Sabharwal
Director

Major (Retd) Ved Prakash
Director

B. S. Rambabu
Director

For M/s. Sagar & Associates
Chartered Accountants
F.R.No.-003510S

For M/s. G.S.A. & Associates
Chartered Accountants
F.R.No.-000257N

For M/s. D. Rangaswamy & Co.
Chartered Accountants
F.R.NO.-003073S

(CA V. Vidyasagar Babu)
Partner
M. No.27357

(CA Sunil Aggarwal)
Partner
M. No.83899

(CA Janani Radhakrishnan)
Partner
M. No.27037

For M/s. K.S. Aiyar & Co.
Chartered Accountants
F.R.No.-100186W

For M/s. Ghiya & Co.
Chartered Accountants
F.R.No.-1088C

For M/s. Samsand & Associates
Chartered Accountants
F.R.No.-003708N

(CA Raghuvir M. Aiyar)
Partner
M. No.38128

(CA Sanjay Ghiya)
Partner
M. No.072467

(CA Milan Shrimali)
Partner
M. No.088578

As per our report of even date

Place : Mumbai
Date : May 30, 2011

Central Bank of India

Head Office : Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021

FORM 'B'

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the shareholder)

4th Annual General Meeting

Folio No. or DP ID No. /Client ID No.	
No. of Shares held	

I/We _____ resident of _____
 in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder/shareholders of Central Bank
 of India hereby appoint Shri/Smt. _____
 resident of _____ in the district of _____
 in the state of _____ or failing him/her, Shri./Smt. _____
 resident of _____ in the district of _____
 in the state of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the 4TH ANNUAL GENERAL
 MEETING of the shareholders of **CENTRAL BANK OF INDIA** to be held on Friday, 29th July, 2011, at 03.00 PM at Sir Sorabji
 Pochkhanawala Banker's Training College, Nr. Cooper Hospital/Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (West),
 Mumbai - 400 056 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2011

Signature of Proxy _____

Please
Affix
Revenue
Stamp

Name _____
 (in Block Letters)

Signature of first named/Sole Shareholder

Address _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless.
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his/her attorney duly authorised In writing.
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Members or his/her attorney, duly authorised in writing.
 - In the case of a body corporate, it is signed by Its officer or an attorney duly authorised In writing.
- An instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder who is for any reason, unable to write his/her name, if his/her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an officer of Central Bank of India.
- No proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021 not less than four days before the date of the Meeting, i.e. on or before 5.00 PM on 24th July, 2011, together with the Power of Attorney or other Authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other Authority Certified as True Copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a Power of Attorney or any other Authority is previously deposited and registered with the Bank.
- An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be Irrevocable and final.
- In the case of an instrument of Proxy granted in favour of two grantees In the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholders who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of the Bank.
- All alterations in the Proxy Form should be duly initialed by the executant.
- No instrument of proxy shall be valid unless it is in 'Form B'.



Central Bank of India

Head Office : Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021

ATTENDANCE SLIP

4TH Annual General Meeting-29th July, 2011

Date	29 th July, 2011
Place	Sir Sorabji Pochkhanwala Banker's Training College, Nr Cooper Hospital/Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle(West), Mumbai - 400 056

Name of the Member (In Block Letters)	
No. of Shares	
Folio No. or DP ID No. /Client ID No.	
Name of the Proxy-holder/Representative Present in Block Letters (if any)	
Signature of the Member/Proxy/Representative Present	

Entry Pass

(To be retained throughout the meeting)

Folio No. or DP ID No. /Client ID No.	
Name of the Member	
No. of Shares	

Name and Signature of attending Member/
proxy/ Representative Present

Bank Stamp and Signature

Shareholders/Proxy holders/Representative are requested to produce this Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the venue. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip-cum-Entry pass will be issued at the entrance to the meeting hall.



आंचलिक कार्यालय / ZONAL OFFICES

आगरा ब्लॉक नं. 37/2/4, संजय प्लेस, आगरा - 282 002.	AGRA Block No. 37/2/4, Sanjay Place, Agra - 282 002.	दूरभाष/Tel.: (0562) 2850154/3424, 2521342 फैक्स/Fax : 0562 - 2853698/1341 Email : zmagrazo@centralbank.co.in
अहमदाबाद सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिल्डींग, 4वीं मंजिल, पो. बॉ. नं. 205, लाल दरवाजा, अहमदाबाद - 380 001.	AHMEDABAD Central Bank of India Building, 4th Floor, Post Box No. 205, Lal Darwaja, Ahmedabad - 380 001.	दूरभाष/Tel.: (079) 25503586 फैक्स/Fax : 079 - 25505995 Email : zmahmezo@centralbank.co.in
भोपाल 9, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल - 462 011.	BHOPAL 9, Arera Hill, Jail Road, Bhopal - 462 011.	दूरभाष/Tel.: (0755) 2552023, 2674033-37 फैक्स/Fax : 0755 - 2552019 Email : zmbhopzo@centralbank.co.in
चंडीगढ़ पोस्ट बॉक्स नं. 13, नं. 58-59, बैंक स्क्वायर, सेक्टर 17 बी, चंडीगढ़ - 160 017.	CHANDIGARH Post Box No. 13, No. 58-59, Bank Square, Sector 17B, Chandigarh - 160 017.	दूरभाष/Tel.: (0172) 2704787 फैक्स/Fax : 0172 - 2700647 Email : zmchanzo@centralbank.co.in
चेन्नई 48/49, मॉन्टेथ रोड, एगमोर, चेन्नई - 600 008. (तमिलनाडु).	CHENNAI 48/49, Monteit Road, Egmore, Chennai - 600 008. (Tamilnadu).	दूरभाष/Tel.: (044) 23464210 - 214 फैक्स/Fax : 044 - 23464200 Email : zmchenzo@centralbank.co.in
गुवाहाटी 2री मंजिल जी. एस. रोड, सेन्ट्रल बैंक बिल्डिंग, भंगागढ़, गुवाहाटी - 781 005.	GUWAHATI 2nd floor G.S. Road, Central Bank Building, Bhangagarh, Guwahati - 781 005.	दूरभाष/Tel.: (0361) 2457651/52 फैक्स/Fax : 0361 - 2452154 Email : zmguwazo@centralbank.co.in
हैदराबाद पोस्ट बॉक्स नं. 522, 710-712, महापात्रम रोड, बैंक स्ट्रीट, हैदराबाद - 500 195.	HYDERABAD Post Box No. 522, 710-712, Mahapathram Road, Bank Street, Hyderabad - 500 195.	दूरभाष/Tel.: (040) 23468911 - 18 फैक्स/Fax : 040 - 23468902 Email : zmhydezo@centralbank.co.in
कोलकाता सेन्ट्रल बैंक बिल्डिंग, 33, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700 001.	KOLKATA Central Bank Building, 33, Netaji Subhash Road, Kolkata - 700 001.	दूरभाष/Tel.: (033) 22301270/1275 फैक्स/Fax : 033 - 22309864 Email : zmkolkzo@centralbank.co.in
लखनऊ पोस्ट बॉक्स नं. 10, आकाशदीप, 23, विधानसभा मार्ग, लखनऊ - 226 001.	LUCKNOW Post Box No. 10, Akash Deep, 23, Vidhan Sabha Road, Lucknow - 226 001.	दूरभाष/Tel.: (0522) 2611301-04, 2626301 फैक्स/Fax : 0522 - 26132401/4075490 Email : zmluckzo@centralbank.co.in
मुंबई महानगर आंचलिक कार्यालय स्टैण्डर्ड बिल्डिंग, पहली मंजिल, डी.एन. रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 023.	MUMBAI METRO ZONAL OFFICE Standard Building, 1st Floor, D.N. Road, Fort, Mumbai - 400 023.	दूरभाष/Tel.: (022) 22047229/7301/7304 फैक्स/Fax : 022 - 22044720, 40345858 Email : zmmumbzo@centralbank.co.in
मुजफ्फरपुर पावापुरी विहार बिल्डिंग, एन.एच.28, भगवानपुर चौक के नजदीक, मुजफ्फरपुर - 842 001.	MUZAFFARPUR Pawapuri Vihar Building, N.H.28, Near Bhagwanpur Chowk, Muzaffarpur - 842 001.	दूरभाष/Tel.: (0621) 2251855 फैक्स/Fax : 0621-2251784 E-mail : zmmuzazo@centralbank.co.in
नागपुर (महाराष्ट्र) ओरियन्टल बिल्डिंग, (2री मंजिल) एलआयसी स्वतंत्र, कामठी रोड, नागपुर - 440 001.	NAGPUR (MAHARASHTRA) Oriental Bldg., (2nd Floor), LIC Square, Kamptee Road, Nagpur-440 001.	दूरभाष/Tel.: (0712) 2520361/62/63 फैक्स/Fax : 0712-2520365 E-mail : zmnagpzo@centralbank.co.in
नई दिल्ली पो.बॉ.नं. 7007, लिंक हाऊस प्रेस एरिया, 3 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110 002.	NEW DELHI P.B.No.7007, Link House, Press Area, 3, Bahadurshah Jafar Road, New Delhi - 110 002.	दूरभाष/Tel.: (011) 23318964, 23319268/69 फैक्स/Fax : 011-23311332, 23712677 23324676, 2311803 E-mail : zmdelhzo@centralbank.co.in
पटना दुसरी मंजिल, ब्लॉक बी, मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स, डाक बंगला रोड पटना - 800 001	PATNA 2nd Floor, Block B, Maurya Lok Complex, Dak Banglow Road, Patna - 800 001.	दूरभाष/Tel.: (0612) 2226607, 2222871 फैक्स/Fax : 0612-2221898 E-mail : zmpatnzo@centralbank.co.in
पुणे पो.बॉ.नं. 98, 317 म.गं. मार्ग, पुणे - 411 001.	PUNE P.B. No.98, 317, M.G. Road, Pune-411 001.	दूरभाष/Tel.: (020) 26131611 to 17 फैक्स/Fax : 020-26131618 E-mail: zmpunezo@centralbank.co.in
रायपुर पहली मंजिल, ब्लॉक सी, बॉम्बे मार्केट, जी.ई. रोड, रायपुर - 492 001.	RAIPUR 1st Floor, Block 'C', Bombay Market, G.E. Road, Raipur - 492 001.	दूरभाष/Tel : (0771) 2226756 / 2225171 फैक्स/Fax : 0771 - 4045239 E-mail : zmraipzo@centralbank.co.in

बुक पोस्ट / Book-Post



www.centralbankofindia.co.in



केन्द्रीय कार्यालय, चंदरमुखी बिल्डिंग, नरीमन पॉइंट, मुम्बई - 400 021
Central Office, Chandermukhi Building, Nariman Point, Mumbai - 400 021